पंचम माला, खंड 63 अंक 5, सोमवार, 16 अगस्त, 1976/25 श्रावण, 1898 (शक)

Fifth Series, Vol. LXIII No. 5, Monday, August 16, 1976/Sravana 25, 1898 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[सत्रहवां सत्र
Seventeenth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 63 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. LXIII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 5, सोमवार, 16 अगस्त, 1976/25 श्रावण, 1898 (शक)
No. 5, Monday, August 16, 1976/Sravana 25, 1898 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
*तारांकित प्रश्न संख्या 81, 82, 84, 85, 87 और 92	*Starred questions Nos. 81, 82, 84, 85, 87 and 92.	1–16
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**	
तारांकित प्रश्न संख्या 83, 86, 88 से 91 और 93 से 100	Starred Questions Nos. 83, 86, 88 to 91 and 93 to 100 . . .	16–25
अतारांकित प्रश्न संख्या 643 से 656, 658 से 675, 677 से 730, 732 से 749, 751 से 797, 799 से 808, 810 से 819 और 821 से 841	Unstarred Questions Nos. 643 to 656, 658 to 675, 677 to 730, 732 to 749, 751 to 797, 799 to 808, 810 to 819 and 821 to 841 . . .	25–135
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	135-142
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha	142
राज्य सभा द्वारा पास किये गये विधेयक	Bills as passed by Rajya Sabha	142
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	142
अस्पताल रोग संक्रमण के परिणामस्वरूप दिल्ली के अस्पतालों में 100 शिशुओं की मृत्यु का समाचार—	Reported death of one hundred babies in two Delhi hospitals because of hospital infection—	
श्री मूलचन्द डागा	Shri M.C. Daga .	142-144
डा० कर्ण सिंह	Dr. Karan Singh .	145
विशेषाधिकार समिति—	Committee of Privileges—	
18 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत	Eighteenth Report laid	145
समितियों के लिये निर्वाचन—	Election to Committees—	145-146
(1) केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड	(i) Central Advisory Board of Archaeology.	
(2) दिल्ली विश्वविद्यालय की कोर्ट	(ii) Court of the University of Delhi.	
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (तमिलनाडु), 1976-77	Supplementary Demands for Grants (Tamil Nadu), 1976-77—Statement Presented	146
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (पाण्डिचेरी) 1976-77	Supplementary Demands for Grants (Pondicherry), 1976-77 .	146

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (शेयरों का अर्जन) विधेयक--पुरःस्थापित	Indian Iron and Steel Company (Acquisition of Shares) Bill—Introduced. . . .	147
इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (शेयरों का अर्जन) अध्यादेश, 1976 के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Indian Iron and Steel Company (Acquisition of Shares) Ordinance, 1976 . . .	147
आन्तरिक सुरक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1976 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प और	Statutory Resolution Re. Disapproval of the Maintenance of Internal Security (Amendment) Ordinance, 1976 &	
आन्तरिक सुरक्षा (दूसरा संशोधन) विधेयक—	Maintenance of Internal Security (Second Amendment) Bill—	147-159
विचार करने का प्रस्ताव—	Motions to consider—	
श्री परिपूर्णानन्द पेन्यूली	Shri Paripoornanand Painuli	148
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee .	148
श्री बसंत साठे	Shri Vasant Sathe .	149
श्री चन्द्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad . .	149
श्री श्याम सुन्दर महापात्र	Shri Shyam Sunder Mohapatra	149-150
डा० कैलास	Dr. Kailas . .	150-151
श्री बी० वी० नायक	Shri B.V. Naik . . .	151
श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी	Shri K. Brahmananda Reddy	151-154
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee .	155-157
खण्ड 2 से 4 और 1	Clauses 2 to 4 and 1	
पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to Pass—	
श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी	Shri K. Brahmananda Reddy .	157-158
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri . .	158
राष्ट्रपति पेंशन (संशोधन) विधेयक—	President's Pension (Amendment) Bill—	159-160
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider—	
श्री एफ० एच० मोहसिन	Shri F. H. Mohsin . . .	159
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी	Sardar Swaran Singh Sokhi .	159
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri . .	159
खण्ड 2 से 4 और 1	Clauses 2 to 4 and 1	
पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to Pass—	
श्री एफ० एच० मोहसिन	Shri F. H. Mohsin . .	159-160
लोक प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक	Representation of the People (Amendment) Bill—	159-165
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
डा० वी० ए० सैयद मुहम्मद	Dr. V.A. Seyid Muhammad .	159-161
श्री दिनेश जोरदर	Shri Dinesh Joarder . . .	161
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी	Sardar Swaran Singh Sokhi .	161-162
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri . .	162
श्री मूल चन्द डागा	Shri M.C. Daga .	162

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री के० नारायण राव	Shri K. Narayana Rao	163
श्री बी० के० दास चौधरी	Shri B. K. Das Chowdhury	163-164
खण्ड 2 से 7 और 1	Clauses 2 to 7 and 1	
पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to pass—	
डा० वी० ए० सैयद मुहम्मद	Dr. V.A. Seyid Muhammad	164-165
राज्यक्षेत्रीय सागर खण्ड महाद्वीपीय मग्नतट-भूमि अनन्व आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र विधेयक—	Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and other Maritime Zones Bill—	165-168
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में—	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha—	
श्री एच० आर० गोखले	Shri H. R. Gokhale . .	165-167
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jagannath Rao .	167-168

लोक सभा
LOK SABHA

सोमवार, 16 अगस्त, 1976/25 श्रावण, 1898 (शक)
Monday, August 16, 1976/Sravana 25, 1898 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

उत्तर कोरिया के साथ सांस्कृतिक समझौता

*81. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में उत्तर कोरिया के साथ एक सांस्कृतिक समझौता किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) कोरिया जनवादी जनगणराज्य की सरकार के साथ एक सांस्कृतिक करार पर 2 जुलाई, 1976 को हस्ताक्षर किये गये। इस करार में कला, साहित्य, संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान, खेल, जन-स्वास्थ्य, प्रेस, सूचना और शिक्षा के जन साधनों के क्षेत्रों में सहकारिता की परिकल्पना है। करार की प्रतिलिपि संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

Shri Yamuna Prasad Mandal : Can he tell us something about education? What sort of exchange the Government desire? The scholars of that country would come here and our people would go there.

Shri D. P. Yadav : We shall go in all the details when the executive programme is finalised.

उच्चतम शिक्षा प्रणाली में सुधार करने की योजना

*82. **श्री के० लक्कप्पा :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उच्चतर शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिये मंत्रालय ने कोई महत्वाकांक्षी योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

उच्चतर शिक्षा में सुधार से संबंधित कार्यक्रमों को अपने हाथ में लेने के लिए विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग के लिए आयोजना आयोग द्वारा निर्दिष्ट आवंटन के अन्दर ही, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कई कार्यक्रम निर्धारित कर लिए हैं । इन कार्यक्रमों का निर्धारण और उनका कार्यान्वयन निम्नलिखित बातों पर आधारित है :—

1. विश्व-विद्यालयों के वर्तमान विभागों का समेकन, उन्हें सुदृढ़ बनाना और उनका उचित अनुस्थापन, अध्यापन के उन्नत तरीकों को अपनाने के लिए समुचित कार्यक्रमों के साथ-साथ शिक्षा की विषयवस्तु और उसके ढांचे में सुधार करना, पाठ्यपुस्तकों तथा अन्य अध्यापन और अध्ययन सामग्रियों को प्रोन्नत करना ।
2. आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कालेज विज्ञान सुधार कार्यक्रम, कालेज मानविकी सुधार कार्यक्रम और स्वायत्त कालेजों जैसी अवर-स्नातक शिक्षा में सुधार करने के कार्यक्रम ।
3. सम्बद्ध कालेजों में अवर स्नातक शैक्षिक सुविधाओं में वृद्धि करना तथा वर्तमान कालेजों को व्यावहारिक बनाना ।
4. पूर्णकालिक, विशेष तौर पर अवर-स्नातक स्तर पर शिक्षा में दाखिले के विस्तार को विनियमित करना ।
5. समाज के कमजोर वर्गों की उच्चतर शिक्षा अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सके उसके लिए सुविधाओं की व्यवस्था करना ।
6. पत्राचार पाठ्यक्रमों, अंश-कालिक शिक्षा और स्वयं अध्ययन के लिए सुविधाओं का विस्तार करना ।
7. उपयुक्त उद्योगों, व्यापार तथा व्यापारिक संगठनों के सहयोग से सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रमों में विविधता के कार्यक्रम ।
8. पाठ्यचर्या का दर्जा बढ़ाने और उसे आधुनिक बनाने तथा इसे समाज और छात्रों की आवश्यकताओं के अधिक निकट लाने की दृष्टि से पाठ्यक्रमों और पाठ्यचर्या विकास का पुनर्गठन ।
9. प्रथम डिग्री स्तर पर पाठ्यक्रमों की पुनः अभिस्थापना करना, ताकि उन्हें ग्रामीण पर्यावरण और समाज की विकासीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सके ।

10. अवर-स्नातक शिक्षा को सुदृढ़ बनाना और नये स्नातकोत्तर कार्यक्रम आरम्भ करना, और उन्हें महत्वपूर्ण आवश्यकताओं से जोड़ना ।
11. विश्वविद्यालयों और कालेजों में अनुसन्धान तथा आर० एण्ड डी० से प्रासंगिक कार्यक्रमों का विकास करना ।
12. संगणक (कम्प्युटर) सुविधाओं, उपकरण सम्बन्धी सुविधाओं, विज्ञान शिक्षा केन्द्रों जैसे कार्यक्रम ।
13. परीक्षा सुधार ।
14. संकाय-सुधार कार्यक्रम ।
15. छात्र सुख-सुविधाओं की व्यवस्था ।

साधारण तौर पर, उक्त कार्यक्रमों को निम्नलिखित तीन मुख्य वर्गों में रखा जा सकता है :—

(1) विश्वविद्यालयों का सामान्य विकास;

(2) कालेजों का सामान्य विकास;

(3) विशेष कार्यक्रमों और अनुसन्धान का विकास ।

आयोग ने यह भी निर्णय किया है कि इसे उपलब्ध लगभग दो-तिहाई आवंटन को विश्वविद्यालयों और कालेजों के सामान्य विकास कार्यक्रमों से संबंधित उपरोक्त (1) और (2) और अधिकांश संस्थाओं में सुविधाओं को एक अनुकूल स्तर पर लाने के लिए उपयोग किया जाएगा ताकि उनके शैक्षिक कार्यक्रमों में सहायता दी जा सके । बाकी एक तिहाई आवंटन अनुसन्धान की कोटि तथा शिक्षा में सुधार लाने के विभिन्न कार्यक्रमों के साथ-साथ अन्य कार्यक्रमों पर भी खर्च किया जाएगा जैसे पाठ्यचर्या विकास, परीक्षा सुधार अध्ययन के पाठ्यक्रमों को ग्रामीण पर्यावरण के अनुरूप बनाने के लिए उनका पुनर्गठन और विश्वविद्यालयों में अनुसन्धान के लिए जरूरी वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से उन्हें इस योग्य बनाया जा सके ताकि वे दोनों बुनियादी तथा आर० एण्ड डी० की जिम्मेदारियों वाले सुपरिभाषित मुख्य अनुसन्धान कार्यक्रमों को आरम्भ कर सकें ।

श्री के० लक्कप्पा : मैंने मंत्री महोदय के वक्तव्य को पढ़ा है । यह सर्वथा सिद्धान्तात्मक है । इसमें कोई भी आवश्यक क्रान्तिकारी परिवर्तन सम्मिलित नहीं किये गये । मैं एक रिपोर्ट उद्धृत करना चाहता हूं । जिसमें कहा गया है कि देश में विश्वविद्यालयों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई है, जिसमें 9 करोड़ छात्रों का भाग्य सम्बद्ध है । अयोग्य व्यक्तियों को उपकुलपति तथा शिक्षक नियुक्त किया गया है । अधिकांश उच्च शिक्षण संस्थाएं निजी प्रबन्ध के अधीन हैं । उच्च शिक्षा पद्धति को सुधारने के लिये उनके वक्तव्य में कही गई बातों के अलावा किस परिवर्तन की आवश्यकता है ताकि उच्च शिक्षा का उपयोगी तथा उद्देश्यपूर्ण कार्य किया जा सके । यह मेरा पहला प्रश्न है ।

प्रो० एस० नूरुल हसन : मैं स्वीकार करता हूं कि मैं उच्च शिक्षा पद्धति के सुधार के क्षेत्र में किसी ऐसी प्रक्रिया की कल्पना नहीं कर सकता जो शैक्षिक न हो । फिर भी वक्तव्य में कुछ ऐसी बातें हैं जिनका कुछ न कुछ स्पष्टीकरण अपेक्षित है ।

माननीय सदस्य ने सही कहा है कि बिना किसी योजना तथा आवश्यकताओं के मूल्यांकन किये बिना उच्च शिक्षा संस्थानों का विस्तार का प्रभाव उसके लिये उपलब्ध हमारे संसाधनों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और इसलिए मद 4, 5 और 6 में उल्लेख किया गया है कि पूर्ण कालिक शिक्षा के विस्तार, विशेषरूप से स्नातक स्तर से निचले स्तर की शिक्षा को विनियमित किया जाये ताकि समाज के उपेक्षित वर्ग उक्त विस्तार कार्यों से अधिक लाभ उठा सकें और पत्राचार अल्पकालीन और स्वयं शिक्षा कोर्सों का विस्तार किया जाये। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रतिवेदन, जो पहले ही सभा पटल पर रखा जा चुका है, तथा जो सभा द्वारा लिये जाने वाले कार्य में सम्मिलित है तथा जिस पर चर्चा इसी स्तर में होने की सम्भावना है, में बताया गया है कि छात्रों के पंजीकरण तथा नये कालेजों की स्थापना की संख्या में पर्याप्त कमी हुई है। इस बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियम 12क के अधीन प्राप्त किये जाने वाले अनुदानों को प्राप्त करने के लिये जारी निदेश दिये गये हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ऐसे स्पष्ट मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किये हैं जिसके अनुसार उच्च शिक्षा की आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया जायेगा तथा यह घोषित किया जायेगा कि क्या नये विश्वविद्यालयों को अनुदानों की प्राप्ति के लिये सक्षम माना जाये। खेद है, कि कुछ राज्यों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित नियमों तथा मार्गदर्शी सिद्धान्तों पर विचार किये बिना नये विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। विश्वविद्यालय आयोग द्वारा निर्धारित नियमों एवं मार्गदर्शी सिद्धान्तों की प्रति संसदीय ग्रंथालय में रखी गयी है। इससे कुछ बाधाएं तथा समस्याएं पैदा हो गई हैं परन्तु मुझे उम्मीद है कि राज्य सरकारें इस बारे में अधिक सहयोग देंगी। उनमें से कई राज्य तो पहले ही उन मार्गदर्शी सिद्धान्तों को स्वीकार करके अधिक सहयोग देने लगे हैं।

श्री के० लकप्पा : मुझे प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि विश्वविद्यालयों म कुछ स्तर सम्बन्धी अनियमितताएं हैं तथा देश में शिक्षा के स्तर गिरे हैं और साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे इसे समाप्त करने की चेष्टा करेंगे। घटिया स्तर के विश्वविद्यालयों की स्थापना से कई राज्यों के छात्रों तथा शिक्षकों में बेरोजगारी फैली है। यह इसलिये है क्योंकि बहुत से कालेज तथा संस्थाएं निजी संस्थानों के हाथ में हैं जिसके कारण देश के शिक्षा स्तर में ह्रास हो रहा है। मैं जानना चाहूंगा कि गतिशील सिद्धान्तों के निर्माण तथा विश्वविद्यालयों के प्रशासन में सुधार लाने और भविष्य में छात्रों के लिये रोजगार प्रधान कार्यक्रम तैयार किये जाने के लिये क्या ठोस कदम उठाये जा रहे हैं ?

प्रो० एस० नूरुल हसन : जैसा कि निःसन्देह सभा को विदित है कालेजों को अधिकार में लेने की शक्ति इस सदन के पास नहीं है। यह हानि राज्य विधानों के अनुसार राज्य विधान सभाओं में निहित हैं।

श्री के० लकप्पा : अब संविधान में संशोधन किये जा रहे हैं। आपको अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए।

प्रो० एस० नूरुल हसन : कई राज्यों से निजी कालेजों के घटिया स्तरों के बारे में प्राप्त शिकायतों से हम चिन्तित हैं तथा हमने निजी तौर पर राज्य सरकारों को सुझाव

दिया है और हम उन्हें पुनः सुझाव देंगें कि शिकायत प्राप्त होने पर इस मामले पर ध्यान दें।

श्रीमती माया राय : क्या मंत्री महोदय श्री लकप्पा के प्रश्न के सम्बन्ध में यह बतायेंगे कि क्या सरकार व्यवसायिक विश्वविद्यालयों की स्थापना का विचार कर रहे हैं जोकि रोजगार प्रधान हो ? मुझे पता है कि ऐसा नहीं हुआ है परन्तु तनिक दूरदर्शिता से यह योजना तैयार की जा सकती है। क्या सरकार ने इस पर वास्तविक रूप से विचार किया है ?

प्रो० एस० नूरुल हसन : सरकार ने इस पर ध्यानपूर्वक विचार किया है। सरकार इस निर्णय पर पहुंची है कि उच्च शिक्षा का मामला शिक्षा को व्यवसायिक बनाने का नहीं है। सरकार का मत है कि उच्चतर शिक्षा का स्तर विशेष रूप से 10+2+3 के+2 का स्तर व्यवसायिक शिक्षा का युक्त स्तर है। अन्यथा इस पर व्यय बहुत होगा जोकि राष्ट्र वहन नहीं कर पायेगा।

श्री बी० के० दास चौधरी : वक्तव्य काफी विस्तृत है और यह प्रसन्नता की बात है कि सरकार ने शिक्षा पद्धति का आधुनिकीकरण शुरू कर दिया है। अब देश भर में 10+2+3 पद्धति रहेगी जिससे आवश्यकता के आधार पर शिक्षा का विविधीकरण किया जा सकेगा। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या नये कालेजों अथवा माध्यमिक स्तर के 10+2+3 के स्कूलों के पास अपने कार्यक्रम को पूरा करने के लिये पर्याप्त धन है ?

प्रो० एस० नूरुल हसन : हम ऊपर के दो स्तरों में व्यवसायित कोर्सों को चालू करने में इसलिये धीरे चल रहे हैं ताकि व्यवसायों में सेवा के अवसरों का मूल्यांकन किया जा सके। यहां मैं सेवा का रोजगार के अर्थ में उपयोग नहीं कर रहा अपितु समाज की सेवा के अर्थ में कर रहा हूं। इसलिये हम समझते हैं कि इस कार्यक्रम को अत्यन्त ध्यान से तैयार किया जाये। अन्यथा ऐसा हो सकता है कि अधिक तेज चलने से कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को सहायता देने की सोच रही है। अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। पांचवीं योजना को अंतिम रूप निर्णय होते ही यह निर्णय भी लिया जायेगा। परन्तु हम इसे व्यवसायिक बनाने के उद्देश्य से राज्यों को सहायता देना चाहते हैं।

श्रीमती एम० गोडफ्रे : मैं जानना चाहती हूं कि क्या राज्यों में प्राथमिक शिक्षा में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाई की जा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न उच्च शिक्षा के बारे में है प्राथमिक शिक्षा के बारे में नहीं है।

श्रीमती एम० गोडफ्रे : उच्च शिक्षा को रोजगारपूरक बनाने के लिये क्या सरकार कुछ तकनीकी स्कूलों की स्थापना करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर दे दिया गया है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मंत्री महोदय ने बताया था कि उच्च शिक्षा के सुधार के लिये किये गये उपायों में 'परीक्षा सुधार' भी एक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा

शिक्षा मंत्रालय ने देश में वैज्ञानिक शिक्षा में सुधार के लिये क्या कार्यवाही की है ? इसे विश्वविद्यालयों तथा राज्यों ने कहां तक स्वीकार किया है ?

प्रो० एस० नूरुल हसन : शिक्षा सुधार पर चर्चा विश्वविद्यालय शिक्षा पर राधाकृष्ण आयोग के समय से ही चल रही है। इसे कई समितियों ने दोहराया तथा अन्ततः कोठारी आयोग ने प्रगति के लिये इसे अनिवार्य बताया। 1972 में मंत्रालय ने विशिष्ट प्रस्ताव तैयार करने के लिये एक कार्यकारी दल की नियुक्ति की। उसने रिपोर्ट को तैयार करके. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रस्तुत किया जिसने इसकी भली-भांति जांच की और एक ठोस योजना का प्रारूप बनाया गया। देश के चारों क्षेत्रों में से प्रत्येक क्षेत्र की क्षेत्रीय कर्मशाला में इस पर चर्चा हुई जिसमें उपकुलपति, प्रोफेसर, अन्य अध्यापक और कुछ छात्रों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। उस चर्चा के आधार पर विशेष उपाय करने के लिए सहमति हुई। उन पर आगे फिर चर्चा हुई उदाहरण के लिए ग्रेडिंग पद्धति के बारे में कर्मशाला की सिफारिश को लिया जा सकता है। ग्रेडिंग पद्धति में एकरूपता लाने पर सभी विश्वविद्यालय एकमत हो गये और धीरे-धीरे उस दिशा में प्रगति हो भी रही है। कई विश्वविद्यालयों में इसे लागू कर दिया गया है। आयोग ने एक पुस्तिका निकाली है और मैं उसे संसद ग्रंथालय में रखवा दूंगा।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि पिछले पांच वर्षों के दौरान उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों का रुझान विज्ञान और प्रौद्योगिकी की ओर रहा है न कि ह्यूमेनिटीस ग्रुप की ओर। इस सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं कि सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कृषि शिक्षा और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की शिक्षा का विस्तार करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं। यह प्रश्न मैं इस लिए पूछ रहा हूं क्योंकि पांच वर्ष पहले ग्रामीण क्षेत्रों में जो छात्र सम्पन्न नहीं थे उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सकते थे। जो सम्पन्न थे उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए जिला मुख्यालयों में जाना पड़ता था।

प्रो० एस० नूरुल हसन : यह एक तथ्य है कि विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में कमी हो रही है जिससे आयोग और मेरे मंत्रालय को गहरी चिंता हो रही है।

बात पर्याप्त स्थान होने की नहीं है बल्कि तथ्य यह है कि उपलब्ध स्थान पूरे भरे ही नहीं जाते। हाल ही के वर्षों में छात्रों की रुचि वाणिज्य, अर्थशास्त्र, व्यापार प्रबन्ध आदि की ओर अधिक रही है। लेकिन विज्ञान का अभी भी बहुत महत्व है। जिसके बिना देश के कोने-कोने का विकास नहीं हो सकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमी दूर नहीं हो सकती। कृषि के बारे में मैं अधिक नहीं कह सकूंगा।

अध्यक्ष महोदय : यह काफी है।

Shri Ramavatar Shastri : Keeping in view the strides made in the field of education the U.G.C. gives grants to various universities and colleges for building hostels, Science wing and other buildings for similar purposes. Sometimes this grant is misused. The construction is started but it is never completed. I can cite the instance of Malti Dhari College, Naubatpur in district Patna. What steps the Government have taken to check this misuse ?

Mr. Speaker : This question relates to the improvement of higher education **and Not** to the construction of any building.

Shri Ramavatar Shastri : Sir, the grant is given to improve education. It is written "Provision for students' amenities" at No. 15. So my question should be replied to.

अध्यक्ष महोदय : आप जवाब पर न जायें। अपेक्षा से अधिक जानकारी दी जा चुकी है। इसी आधार पर आप और प्रश्न नहीं पूछ सकते। कुछ सीमा होनी चाहिये। आप तो इमारत के बारे में पूछ रहे हैं फिर खेल-कूद के बारे में पूछ सकते हैं। मुझे अफसोस है कि आप अध्यक्षपीठ के फैसले को चुनौती दे रहे हैं। मेरा विनिर्णय अन्तिम है।

नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशनों की प्रतियों का मुफ्त वितरण

*84. **श्री रेणुपद दास : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल बुक ट्रस्ट ने अपने स्टाक में बहुसंख्यक पुस्तकों को मुफ्त बांटने का निर्णय किया है और यदि हां, तो कितने प्रकाशन और उनकी कितनी प्रतियां बांटी गईं;

(ख) इसमें कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त थी; और

(ग) क्या इन पुस्तकों को कम मूल्य पर बेचने के लिए कोई प्रयत्न किये गये थे ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) सभा पटल पर विवरण रख दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने अपनी अनबिकी पुस्तकों के समस्त भण्डार को नि:शुल्क वितरण करने का कोई निर्णय नहीं लिया है। तथापि, न्यास ने 31-12-1969 तक प्रकाशित अपनी अनबिकी पुस्तकों को उपहार में देने का निर्णय 1974 में किया था। इस निर्णय के अनुसार 4.52 लाख रुपये की कीमत की 144 पुस्तकों की 1.29 लाख प्रतियां नि:शुल्क बांटी जा चुकी हैं। न्यास द्वारा उक्त निर्णय तदर्थ आधार पर तथा सरकार के अनुमोदन से लिया गया था। न्यास ने अब सरकार के ही अनुमोदन से अपने उन प्रकाशनों के भण्डार के वार्षिक निपटान के लिए कुछ नियम बनाए हैं जो निपटान के वर्ष से पांच से अधिक वर्ष पहले प्रकाशित किए गए थे और जिनकी वर्तमान बिक्री संतोषजनक नहीं है। निपटान के इन नियमों में पुस्तकों को घटी दरों अथवा अधिक छूट पर बेचने और राजाराममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान के माध्यम से जिला और ब्लाक स्तर के पुस्तकालयों अथवा प्रत्यक्ष रूप से स्कूल, कालेज तथा सार्वजनिक पुस्तकालयों को नि:शुल्क वितरण की व्यवस्था है। न्यास इन नियमों को कार्यान्वित करने के लिए कार्रवाई कर रहा है।

न्यास 1974 से ऐसे पुस्तक मेलों और प्रदर्शनियों में चुनी हुई पुस्तकें घटी दरों पर अथवा विशेष छूट से बेचने के लिए देता रहा है, जिन्हें वह आयोजित करता है अथवा जिनमें वह भाग लेता है। इसने थोक में भी विशेष छूट पर पुस्तकें बेची हैं। न्यास ने इस वर्ष के शुरू में आयोजित द्वितीय विश्व-पुस्तक मेले में घटी दरों पर 7,000/- रुपये के मूल्य की पुस्तकें बेचीं।

श्री रेणुपद दास : मैं जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के पास वर्षों से इतना भंडार कैसे एकत्र हो गया और पुस्तकें छपाने के लिए अगला आदेश देने से पहले पिछले भारी भण्डार को शीघ्र निपटान के लिए उपाय क्यों नहीं किये गये। जब इन प्रकाशनों की बाजार में मांग थी तो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास अथवा उनके एकमात्र विक्रेताओं ने व्यापारिक दृष्टिकोण क्यों नहीं अपनाया। क्या इन लोगों को उत्पादन, वितरण और अकार्यकुशलता के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता? क्या अब एकमात्र एजेंसी पद्धति को समाप्त कर दिया गया है? अगर ऐसा है तो पहले ही यह कदम क्यों नहीं उठाया गया जब कि उसी समय पता चल गया था कि इससे कुछ लाभ नहीं हो रहा और लोग इन पुस्तकों के पठन में रुचि नहीं रखते?

श्री डी० पी० यादव : हमें स्वयं पुस्तकों का भंडार जमा होने पर चिंता हो रही है। पिछले तीन या चार वर्षों से पुस्तकों की बिक्री में वृद्धि हो रही है? पहले पुस्तकें एकमात्र पुस्तक विक्रेता पद्धति के माध्यम से बेची जाती थीं। लेकिन अब उसमें परिवर्तन कर दिया गया है। पुस्तकें जमा होने के विभिन्न कारण हैं पर मैं सदस्य महोदय को आश्वासन देता हूं कि भविष्य में इस समस्या को उत्पन्न नहीं होने दिया जायेगा। अब हमने पद्धति में सुधार कर लिया है।

श्री रेणुपद दास : मैं यह जानकारी चाहता हूं कि बंगला में अब तक कितनी मूल पुस्तकें —अनुवाद नहीं—राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा प्रकाशित की गई हैं। चूंकि बंगला एक समृद्ध भाषा है और आधुनिक भारतीय भाषाओं में विविधता और मौलिकता में उसका अपना स्थान है। तब बंगला लेखकों को राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के लिए पुस्तक लिखने के लिए क्यों नहीं बुलाया गया?

श्री डी० पी० यादव : बंगला भाषा में कुल 65 पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं। मैं सदस्य महोदय को बता दूं कि लेखकों का चुनाव करने और उनका पैनल बनाने के लिए एक समिति बनी हुई है। मुझे खुशी होगी यदि इस बारे में कुछ सुझाव दिये जाते हैं।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने बहुत आकर्षक पुस्तकें प्रकाशित की हैं। लेकिन वे बाजार में नहीं मिलतीं। इन्हें बाजार में उपलब्ध कराने हेतु क्या ठोस उपाय किए गए हैं? न्यास के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए 1974 में जो उपाय किये गये थे उनके फलस्वरूप पुस्तकों के गुण और उनकी संख्या में वृद्धि सम्बन्धी क्या परिणाम निकले हैं?

श्री डी० पी० यादव : पुस्तकें अब सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग के माध्यम से मिल सकती हैं। विक्रय की हमारी अपनी ही प्रणाली है। हम चार क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा पुस्तकें बेच रहे हैं।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : वाणिज्यिक साधनों द्वारा विक्रय करने से कैसा रहेगा।

श्री डी० पी० यादव : हम उन्हें 50 प्रतिशत तक कमीशन देते हैं। इस बारे में कोई भी प्रतिबंध नहीं है। खरीदने वालों को भी हम छूट देते हैं। इस सम्बन्ध में यदि माननीय सदस्य को कोई कठिनाई है तो वे मुझे लिख सकते हैं। उस पर मैं अवश्य विचार करूंगा।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : मेरे प्रश्न के दूसरे भाग, जो 1974 से किये गये प्रयत्नों से सम्बन्धित है, का उत्तर नहीं आया है।

श्री डी० पी० यादव : में इस बात को मानता हूं कि हमारे स्टाक में पड़ी पुस्तकों की कुल लागत 76 लाख रुपये है। बिक्री 64 लाख रुपये की है।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के लिए पुस्तकें लिखने वाले लेखकों का चयन करने के सम्बन्ध में क्या नीति है? अभी हाल में स्वतंत्रता संग्राम के बारे में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने जिन-जिन पुस्तकों का चयन किया है, उन पुस्तकों को अन्तिम रूप से बोर्ड के किन-किन सदस्यों ने पूरा किया? इस पुस्तक के बंगला संस्करण में स्वतंत्रता संग्राम सम्बन्धी अध्याय है ही नहीं। इस पुस्तक का अंतिम उद्देश्य देश के क्रांतिकारियों, आजाद हिंद फौज द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के लिए दिये गये योगदान पर प्रकाश न डालना था। 2 वर्ष पहले न्यास द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक को वास्तव में इस बोर्ड के सदस्य के रूप में हमने ही पूरा किया था।

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ समय चाहिए।

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य : राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने क्या **हन्टर्स स्टेटिस्टिकल एकाउंट, इम्पीरियल गेजेटियर** तथा **गेम बर्डज आफ इंडिया** जैसी दुर्लभ पुस्तकों को पुनः प्रकाशित करने का कोई कार्यक्रम बनाया है? क्या न्यास इस प्रकार की दुर्लभ पुस्तकों को प्रकाशित करने पर विचार करेगा?

प्रो० एस० नुरुल हसन: जहां तक गेज़ेटियर का सम्बन्ध है, सभा इस बात को जानती है कि सरकार ने पिछले कई वर्षों से गेजेटियरों को पुनः लिखने की परियोजना शुरू की है। **भारत संस्करण** प्रकाशित हो चुका है, जो संसद् ग्रंथालय में भी उपलब्ध है। भारत सरकार तथा राज्य सरकारों की सहायता से डिस्ट्रिक्ट गेज़ेटियर प्रकाशित किये जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में कुछ राज्यों में बहुत प्रगति हो रही है और कुछ राज्यों में प्रगति की गति कुछ धीमी सी है। लेकिन हम इसे शीघ्र पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

हन्टर्स जैसी 19वीं सदी में प्रकाशित पुस्तकों को प्राईवेट प्रकाशक पुनः प्रकाशित कर रहे हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य समकालिक रुचि की पुस्तकों को प्रकाशित करना है ताकि ये पुस्तकें कम मूल्य में पाठकों को उपलब्ध हो सकें।

केरल में नारियल रोग

*85. **श्री हरी सिंह**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन } : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने जुलाई, 1976 में केरल में नारियल के वृक्षों में एक विशेष प्रकार के रोग का मुकाबला करने के लिए केरल सरकार को वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता देना स्वीकार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त रोग संबंधी तथ्य क्या हैं और इसको बढ़ने से रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

परन्तु मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पिछले महीने केरल के मुख्य मंत्री ने इस समस्या के बारे म हमसे बातचीत की थी। हमने कहा कि भारत सरकार को यदि कोई योजना भेजी जाती है तो उसे हर्ष होगा। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं ताकि कोई गलतफहमी न हो। हम केरल सरकार से योजना का इंतजार कर रहे हैं।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : केरल के पांच जिले नारियल के रोग से बुरी तरह से प्रभावित हैं जिसकी जानकारी सरकार को भी है। मंत्री महोदय ने कहा है कि जब भी केरल सरकार इस योजना को स्वीकार करेगी, तो इस पर विचार होगा। नारियल के सम्बन्ध में बहुत सी ऐसी समस्यायें हैं जिनका समाधान एकीकृत रूप से किया जाना चाहिए। एक नारियल बोर्ड के गठन किये जाने का भी प्रस्ताव था। यह प्रस्ताव इस समय किस अवस्था में है। इसे शीघ्र कार्यान्वित किया जाना चाहिए ताकि इस समस्या का समाधान एक राष्ट्रीय योजना के अन्तर्गत किया जा सके?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि पिछली बार हमने इस बारे में संसद सदस्यों, नारियल उत्पादक राज्यों तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों से बातचीत की थी। हमने योजना को विभिन्न राज्यों को भेजा और मुझे यह कहते हुए खुशी है कि अधिकांश राज्यों विशेषकर दक्षिणी राज्यों की प्रतिक्रिया इस सम्बन्ध में अच्छी है। केन्द्रीय सरकार इस योजना को और बढ़ाना चाहती है और यदि जरूरी हो तो केन्द्रीय सरकार सदन के सामने एक विधेयक लाने में भी संकोच न करेगी।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : केरल में नारियल उत्पादन के लिए केन्द्रीय सरकार से बहुत वित्तीय सहायता की तुरन्त आवश्यकता है। क्या मंत्री महोदय यह बताने की स्थिति में हैं कि सरकार इस योजना पर राज्य सरकार से योजना आने के तुरन्त बाद विचार करेगी?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : योजना पर विचार करने से पहले इस बारे मैं में कुछ नहीं कह सकता। हम इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करगें और हम इस बात को कह चुके हैं कि हम केरल सरकार की सहायता करना चाहते हैं।

श्री बी० बी० नायक : नारियल को लगने वाला रोग पश्चिमी तट के अन्य क्षेत्रों में भी फैल रहा है और अब तो यह रोग केले में भी फैलने लगा है परन्तु अभी मैं केवल नारियल के बारे में ही कहना चाहूंगा। मैं केरल के मुख्य मंत्री के प्रस्ताव का स्वागत करता हूं और उनकी बातचीत के अच्छे परिणाम निकले। चूंकि नारियल की फसल को किसी प्रकार के भाषायी क्षेत्र में सीमित नहीं किया जा सकता, अतः इसके बारे में किया गया कोई भी निर्णय अन्य क्षेत्रों पर भी लागू किया जाना चाहिए। क्योंकि यदि भूमि नमक वाली हुई तथा यदि भूमि सुधार की बात हुई तो फिर केरल को तो कुछ मिल जायेगा परन्तु कर्नाटक रह जायेगा। अतः नारियल के बारे में जब कोई निर्णय लिया जाये, तो वह सम्पूर्ण पश्चिमी तट के बारे में लिया जाना चाहिए। यदि उसका नाम कोंणन हो तथा उसे इस रोग से ग्रस्त सभी क्षेत्रों पर लागू किया जाना चाहिए।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : सैद्धांतिक रूप से तो मैं माननीय सदस्य के दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हूं परन्तु उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि यह रोग सब से अधिक केरल में फैला हुआ है और यदि इसे रोका न गया तो यह अन्य क्षेत्रों में भी फैल जायेगा । निःसंदेह इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम अन्य क्षेत्रों की अवहेलना कर रहे हैं ।

अध्यापकों की शिक्षा का कार्यक्रम

*87. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी**
श्री राम भगत पासवान } : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई शिक्षा पद्धति को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने अध्यापकों को शिक्षा के बारे में हाल ही में कोई नया कार्यक्रम बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

शिक्षा की नई पद्धति को ध्यान में रखते हुए, अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रमों में जो परिवर्तन आवश्यक हो सकते हैं उन पर चर्चा करने के लिए अध्यापक शिक्षा से संबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सूचीबद्ध सदस्यों, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की संबंधित समितियों के सदस्यों और कुछ विशेषज्ञों का एक संयुक्त अधिवेशन जून, 1976 में हुआ था । संयुक्त अधिवेशन में बी० एड० स्तर पर प्रारम्भिक बाल-शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा में अध्यापक शिक्षा के विशिष्ट कार्यक्रमों का अनुमोदन किया गया ताकि अर्हताप्राप्त व्यक्तियों को शिक्षा के पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक स्तरों पर अध्यापक शिक्षक तथा शिक्षा पर्यवेक्षक बनाया जा सके ? जहां तक माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तरों के लिए शिक्षक तैयार करने का प्रश्न है, इस संबंध में विभिन्न सुझावों और नीतियों पर चर्चा के उपरान्त, अन्तिम रूप से यह स्वीकार किया गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के प्रतिनिधियों की एक छोटी समिति अध्यापक शिक्षा और इसके पुनर्विन्यास पर एक प्रलेख का प्रारूप तैयार करेगी । यह भी निर्णय लिया गया था कि राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संयुक्त तत्वावधान में दिसम्बर, 1976 में होने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन में इस प्रलेख पर चर्चा की जाएगी। प्रलेख का प्रारूप अभी तैयार हो रहा है अतः नये कार्यक्रम की मुख्य बातें इसके तैयार होने के पश्चात् ही ज्ञात हो सकेंगी ।

Sardar Swaran Singh Sokhi : The statement which has been laid on the Table of the House does not contain reply to part (b) of my question, which is : "If so, the salient features thereof. In reply to this question it has been stated, "The draft document is under preparation and as such the salient features of the new programme will be known only after it has been developed."

It has also been stated in the statement that a joint session of the University Grants Commission Panel on Teachers Education, Members of the Concerned Committees of the National Council for Teachers Education and some experts was held which approved specialised teacher education programmes in the early childhood education for elementary education. So in this

connection I want to know whether a provision for special considerations of scheduled castes and scheduled tribes will be made in this specialised teachers education programme and if so, what will be that provision?

Shri D. P. Yadav : Mr. Speaker, Sir, there cannot be any special considerations so far as course and curriculum is concerned also several other facilities have already been provided for backward classes and we will continue this effort in future also. So far as course is concerned, I may submit that in view of our new education formula of 10+2 certain changes were essential and for that purpose this committee has been constituted.

Sardar Swaran Singh Sokhi : A meeting of the National Council of Educational Research and Training and University Grants Commission is to be held in December and I want to know whether National Council for Teachers has also been invited to participate in the same?

Shri D. P. Yadav : All concerned will be invited.

Shri Bibhuti Mishra : Mr. Speaker, sir, it was in 1920 when Non-Co-operation Movement was started and right from that time till this day a number of meetings at Government and non-Government level have been held to discuss the education system and several courses have been evolved for the purpose. I want to know from the Minister whether some criteria for building up character has been fixed by University Grants Commission's Teachers Council. I can quote certain examples before the House. For instance, Acharya Narinder Dev used to teach his pupils at Kashi Vidya Peeth while making them sit on a mat, Babu Bhagwan Dass also used to do the same thing. That used to inspire their character and after that the largest number of students who have been to jails belonged to this institution. Today also the largest number of this institution is serving in the country. I want to know what steps are being taken by our Government for building up the character through education? Yesterday our Education Minister was wearing a Gandhi-Cap on his head while he was sitting on ramparts of Red Fort but today that cap has vanished. That indicates the difference between yesterday and today. Therefore, I want to know what is being done by our Government for character building?

Mr. Speaker : I think you are pointing towards the character of teachers.

Shri Bibhuti Mishra : I am interested in the character of both, student as well as teacher. Today the teacher smokes and the same thing is done by the student too.

Shri D. P. Yadav : Regarding character building through education, it has always been our endeavour to keep its inputs intact. I am very much grateful to hon. Member for giving his time to time advice on the basis of which I planned many schemes.

Shri Ramavatar Shastri : Mr. Speaker, sir, I know how many teachers will be trained by the Government annually by this programme of Teachers Training. May I know if the Government has made any plan for that and if so, what is that plan?

Shri D. P. Yadav : In our country there are approximately 24 lakhs Primary and Middle school teachers. It will not be possible for us to train them all just in one day. But a new scheme for the same has been evolved by the National Teachers Research Council through Central Government. We shall train 15 thousands teachers per year through contact and correspondence Course. Several other schemes have also been evolved for the same and if a notice is given I will explain them also.

उत्तर प्रदेश में गन्ने के मूल्य में कमी

*92. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में गत दो सीजन की तुलना में गन्ने के मूल्य कम हुए हैं;

(ख) क्या खुले बाजार में गन्ने का मूल्य बढ़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क), (ख) और (ग) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचनानुसार, 1973-74, 1974-75 और 1975-76 के मौसमों में चीनी फैक्ट्रियों द्वारा निम्नलिखित मूल्य दिए गए थे :—

मौसम	फैक्ट्रियों द्वारा दिए गए मूल्य प्रति क्विंटल		
1973-74	रु० 13.25	पश्चिमी और केन्द्रीय उत्तर प्रदेश के लिए	
	रु० 12.25	पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए	
1974-75	रु० 13.25	पश्चिमी और केन्द्रीय उत्तर प्रदेश के लिए	6-12-74 तक
	रु० 12.25	पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए	
	रु० 14.50	पश्चिमी और केन्द्रीय उत्तर प्रदेश के लिए	7-12-74 के मौसम के अन्त तक
	रु० 13.50	पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए	
1975-76	रु० 13.25	पश्चिमी और केन्द्रीय उत्तर प्रदेश के लिए	
	रु० 12.25	पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए	

(ख) और (ग) लगभग जून, 1976 से खुले बाजार में लेवी-मुक्त चीनी के मूल्यों में बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति देखी गई थी । अन्य बातों के अलावा, उत्पादन में गिरावट आने के फलस्वरूप बाजार में सट्टेबाजी की प्रवृत्ति, मिठास प्रदान करने वाले अन्य तत्वों की सीमित उपलब्धता, त्यौहार-मौसमों के लिए चीनी की प्रत्याशित मांगों और लेवी-मुक्त चीनी के टैरिफ मूल्य में वृद्धि होना इसके कारण हो सकते हैं। मूल्यों में बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति पर काबू पाने के लिए, सरकार ने समय-समय पर लेवी-मुक्त चीनी की और अधिक मात्राएं निर्मुक्त की हैं और उन्होंने खुले बाजार में इस जिन्स की समान आमद को बनाए रखने के लिए अन्य विनियामक उपाय भी किए हैं । यदि स्थिति की मांग होती है, तो सरकार के पास और अधिक लेवी-मुक्त चीनी निर्मुक्त करने सम्बन्धी योजना तैयार है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : विवरण से पता चलता है कि 1974-75 में पश्चिमी और मध्य यू० पी० के लिए गन्ने का मूल्य 14.50 रुपये और पूर्वी यू० पी० के लिए 13.50 रुपये निर्धारित किया गया था । उसी विवरण में यह बताया गया है कि 1975-76 में पश्चिमी और मध्य यू० पी० के लिए मूल्य 13.25 रुपये और पूर्वी यू० पी० के लिए 12.25 रुपये था । विवरण में यह भी बताया गया है :

"लगभग जून, 1976 से खुले बाजार में लेवी-मुक्त चीनी के मूल्यों में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति देखी गई थी। अन्य बातों के अलावा, उत्पादन में गिरावट आने के फलस्वरूप बाजार में सट्टेबाजी की प्रवृत्ति, मिठास प्रदान करने वाले अन्य तत्वों की सीमित उपलब्धता, त्यौहार-मौसमों के लिए चीनी की प्रत्याशित मांगों और लेवी-मुक्त चीनी के टैरिफ मूल्य में वृद्धि होना इसके कारण हो सकते हैं ।"

मैं जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में गन्ने के मूल्य में कमी चीनी मिल मालिकों के कहने पर या उनके दबाव की है। अन्यथा, मेरी समझ में पश्चिमी और पूर्वी यू० पी० के

बीच इस प्रकार के भेदभाव का कोई कारण क्यों रखा गया है ? दूसरे, 1973 में चरण सिंह सरकार के समय में क्या यह सच नहीं है कि गन्ने का मूल्य 16 रुपये प्रति क्विंटल था ? इसे कम करने का निर्णय किसने लिया ? क्या चीनी उद्योगपतियों के कहने पर या उनके दबाव में आकर केन्द्र ने राज्य सरकार को गन्ने के मूल्य बदलने के लिए कहा था ?

श्री शाह नवाज खान : गन्ने का मूल्य कृषि मूल्य आयोग के परामर्श से केन्द्रीय सरकार निर्धारित करती है। आयोग लेवी चीनी के मूल्य जैसी अन्य बातों को विचार में रखकर गन्ने की वास्तविक उत्पादन लागत निकालता है। गन्ना उत्पादन करने वाले मुख्य राज्यों से भी परामर्श किया जाता है। इन सभी लोगों के परामर्श से गन्ने का न्यूनतम कानूनी मूल्य निर्धारित किया जाता है।

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरा दूसरा प्रश्न पूर्वी और पश्चिमी यू० पी० में भेदभाव के बारे में था। क्या यह चीनी की मात्रा के कारण है ?

श्री शाह नवाज खां : यह मुख्यतः पूर्वी और पश्चिमी यू० पी० में वसूली में अन्तर के कारण है।

श्री एस० एम० बनर्जी : विवरण में बताया गया है :

"मूल्यों में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति पर काबू पाने के लिए, सरकार ने समय समय पर लेवी-मुक्त चीनी की और अधिक मात्रायें निर्मुक्त की हैं और उन्होंने खुले बाजार में इस जिन्स की समान आमद को बनाए रखने के लिए अन्य विनियामक उपाय भी किए हैं। यदि स्थिति की मांग होती है, तो सरकार के पास और अधिक लेवी मुक्त चीनी निर्मुक्त करने सम्बन्धी योजना तैयार है।"

उन्होंने जन्माष्टमी के लिए चीनी की मात्रा बढ़ा दी है। मैं इससे खुश हूं। परन्तु लेवी चीनी में वृद्धि के अलावा, खुले बाजार में चीनी का मूल्य कम करने के लिए और कौन से कदम उठाय गए हैं ? मैं यह प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि चीनी का मूल्य 4.50 रुपये से बढ़कर 5 रुपये हो गया है और यह जन्माष्टमी के समय 5.25 रुपये हो जायेगा। क्या सरकार ने कोई अन्तिम निर्णय लिया है और क्या वह यू० पी० में चीनी कारखानों का राष्ट्रीयकरण करने की घोषणा करने के लिए तैयार है ?

श्री शाह नवाज खां : सरकार ने देश में चीनी के कुल उत्पादन का 65 प्रतिशत लेवी चीनी के रूप में निर्धारित किया है, जो 2.15 रुपये प्रति किलो के निर्धारित मूल्य पर वितरित की जायेगी। मुक्त चीनी का मूल्य निर्धारित नहीं किया जाता और मूल्य बढ़ता घटता रहता है। जैसा कि सभा को मालूम है कि भार्गव फार्मूले के अनुसार मुक्त चीनी की बिक्री से अतिरिक्त वसूली का 50 प्रतिशत उत्पादक को मिलना चाहिए। अतः यदि मूल्य थोड़ा बहुत बढ़ जाता है तो पहले तो मूल्यों के ऊंचे स्तर सम्बन्धी कोई कानूनी स्तर नहीं हैं और दूसरे, उत्पादक को उसका हिस्सा मिलता है।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या मैं यह समझ लूं कि बाजार में बेची जाने वाली चीनी के मूल्य की कोई अधिकतम सीमा नहीं है ? इसका अर्थ हुआ कि खुले बाजार में चीनी का मूल्य कितना भी हो सकता है और सरकार निस्सहाय है। आखिर, मूल्य कौन निर्धारित करता है ? क्या सट्टेबाज या व्यापारी लोग ऐसा करते हैं ?

श्री शाह नवाज खां : जैसा कि मैंने कहा है, चीनी के कुल उत्पादन का 65 प्रतिशत सरकार द्वारा ले लिया जाता है और लेवी चीनी के रूप में बांटा जाता है। शेष 35 प्रतिशत बाजार में मुक्त रूप से बेची जाती है । परन्तु जब हम देखते हैं कि मूल्य अनुचित रूप से काफी बढ़ रहे हैं तो हम बाजार में लेवी-मुक्त चीनी की मात्रा बढ़ा देते हैं ताकि मूल्य कम हों।

Shri Narsingh Narain Pandey : The hon. Minister has stated that they release 35 per cent sugar as free quota and this is done so that arrears of cane growers can be paid with the fifty per-cent and with the remaining 50 per cent the factories can compensate their losses and put their mills in order. I want to know whether under this policy arrears of Rs. 18·67 crore pertaining to the current season—1975-76, Rs. 4·26 crore of 1974-75 and Rs. 3·42 crore pertaining to earliet seasons are still outstanding against the mills through out the country? All this works out to about Rs. 26 crore. 50 per cent of it relates to Uttar Pradesh and largest part of it pertains to Eastern U.P. and Bihar. If so, under this policy what penal action has been taken against the sugar mill owners so as to ensure payment of cane price before the next season? May I know whether it is a fact and whether you have made any assessment that any body has invested some part out of 35 per cent free sugar for the improvement of the factory or Government themselves financed these mills? Arrears of Rs. 20 lakh are outstanding against the Ghugali Sugar Factory and the U.P. Government are giving it Rs. 50 lakh and are trying to give it the bank credit guarantee. How then the cane growers are proposed to be satisfied?

Shri Shahnawaz Khan : It is correct that there is an arrear of about Rs. 8·81 crore in Uttar Pradesh pertaining to current season but it should not be forgotten that total purchases are more than Rs. 150 crore. Thus it comes to about 3 per cent only.

Shri Narsingh Narain Pandey : There is no question of percentage. Arrears must be paid.

Shri Shahnawaz Khan : It is right. The U.P. Government has decided that those mill-owners, who delay payment for more than two weeks, will have to pay penal interest. At present it is 12 per cent. It is proposed to be raised to 15 per cent. One mill owner has also been arrested and arrears have been recovered as arrears of land revenue. Similarly all state Governments are taking stringent measures.

Shri Narsingh Narain Pandey : I had asked a very specific question that whether arrears of about Rs. 30 crore of cane growers are outstanding against mills throughout the country and out of it Rs. 13 crore pertain to U.P. and it relates not only to current season but to previous seasons also and what penal action has been taken against them? I want to know whether it is a fact that under the policy framed by you in regard to free sugar arrears of cane growers will be paid with 50 per cent and with the remaining 50 per cent the mills will be improved? But no payment has been made to cane growers. So what penal action has been taken? May I know whether it is also a fact that you gave Rs. 50 lakh to a mill owner in my area during the current season?

Shri Shahnawaz Khan : I am not aware of it. I can tell it later on. The money which is to be paid from realisation of cess is over and above the minimum statutory cane price and as more than minimum statutory price plus 50 per cents has been paid in U.P. so there is not much in arrears.

श्री नरेन्द्र कुमार : माननीय मन्त्री के अनुसार वह उचित मूल्य क्या है जब लेवी चीनी और लेवी-मुक्त चीनी के मूल्यों में कमी-बेशी एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाती है जो मुनाफाखोरी और सट्टेबाजी के अलावा कुछ नहीं है, और सरकार उसमें हस्तक्षेप करती है ?

दूसरे, क्या उन्हें विश्वास है कि चीनी अधिक देने से अन्य आर्थिक ताकतों पर निगरानी रखी जायेगी ताकि चीनी के बढ़ते मूल्य कम किए जा सकें ? श्री पाण्डेय ने इसके कारण बताये हैं : यदि सट्टेबाजों और जमाखोरों के पास काफी अधिक स्टाक जमा करने की पर्याप्त क्षमता है तो आप चाहे कितनी भी मात्रा में चीनी दें उसका कोई प्रभाव नहीं होगा।

श्री शाह नवाज खां : मिलों को छोड़कर जहां कुल मात्रा का सरकार को पता है—यह सरकार के नियन्त्रण में है, किसी भी व्यक्ति द्वारा रखी जाने वाली चीनी की मात्रा पर प्रतिबन्ध है। व्यापारी निर्धारित मात्रा से अधिक नहीं रख सकते।

जब लेवी चीनी का मूल्य बढ़ने लगता है, तो हम बाजार में लेवी-मुक्त चीनी अधिक भेजते हैं और मूल्य तुरन्त कम हो जाते हैं। हमने अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर के लिए 30,000 टन अधिक लेवी मुक्त चीनी रिलीज की है।

Shri Sarjoo Pandey : There is a widespread resentment among cane growers throughout the country that they do not get reasonable price for sugarcane particularly when Government have raised the revenue, prices of fertilizers have also increased and labour charges are also high but the price which the farmers get is very less. During the last Budget Session the hon. Minister had stated that there was no particular policy for fixing the price of sugarcane but it is seen that if the farmer grows some crop other than sugarcane in that area what will be his income. I want to know whether Government is making any formula under which the farmer can get reasonable price of sugarcane? At present he wants Rs. 20 per quintal. What is proposed to be done by Government in this regard?

Shri Shahnawaz Khan : Government have appointed a committee to go into the cost of production of sugarcane and other foodgrains and the Bureau of Industrial cost and Prices is also seized of this matter. They have appointed a sub-committee which is going into the entire matter and we hope to receive its report by the next one month or so.

प्रश्नों के लिखित उतर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

वनस्पति तैयार करने में आयातित खाद्य तेलों का उपयोग

*83. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वनस्पति तैयार करने में आयातित खाद्य तेलों का अधिक उपयोग करने के लिए हाल ही में अनुदेश जारी किए जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) इसका वनस्पति के उत्पादन तथा उत्पादन लागत पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) वनस्पति तैयार करने वाले एककों को आयातित तेलों की निर्बाध रूप से तथा समय पर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) सीधी खपत करने के लिए देशी तेलों पर भार कम करने और परम्परागत देशी तेलों की अधिक मात्रा उपलब्ध करने हेतु वनस्पति निर्माताओं से कहा गया है कि वे 15 जुलाई, 1976 से वनस्पति तैयार करने में अनिवार्य रूप से 50 प्रतिशत तक आयातित तेलों का इस्तेमाल करें।

(ख) वनस्पति निर्माताओं को आयातित तेलों की अधिक प्रतिशतता में निरन्तर सप्लाई करने से काफी हद तक बिना किसी बाधा के इसके उत्पादन को सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी। इस समय आयातित तेलों के मूल्य जानबूझ कर देशी तेलों के मूल्यों की अपेक्षा कम रखे जाते हैं ताकि वनस्पति और देशी खाद्य तेलों के मूल्यों पर अच्छा प्रभाव पड़े।

(ग) सरकार के अनुदेशों के अधीन, भारत के राज्य व्यापार निगम ने अगस्त और नवम्बर, 1976 के बीच सप्लाई करने के लिए लगभग 1 लाख मीटरी टन आयातित तेलों का ठेका किया था। राज्य व्यापार निगम के पास 15 जुलाई, 1976 को 37,000 मीटरी

टन का जो स्टाक था उसको मिलाकर यह स्टाक वर्ष के अन्त तक उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। राज्य व्यापार निगम ने बन्दरगाहों पर स्थित कस्बों और दिल्ली, गाजियाबाद, मोदीनगर और अमृतसर जैसे प्रमुख उपभोक्ता केन्द्रों पर अतिरिक्त भण्डारण क्षमता किराये पर ली थी। रैंकों में बन्दरगाहों से वनस्पति उत्पादक क्षेत्रों को रेल से तेल भेजने की व्यवस्था की गई है। वनस्पति फैक्टरियों से यह कहा गया है कि वे आयातित तेलों की शीघ्र तथा लगातार निकासी और कम से कम साप्ताहिक आधार पर तेलों को उठाने के कार्य को सुनिश्चित करें।

भूमि सुधारों के फलस्वरूप कृषि श्रमिकों को लाभ

86. **श्री समर मुकर्जी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये भूमि सुधारों के फलस्वरूप एक प्रतिशत से भी कम कृषि श्रमिकों को लाभ पहुंचा है;

(ख) क्या 5 करोड़ भूमिहीन मजदूरों में से केवल 1.8 लाख मजदूरों को ही लाभ पहुंचा है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) वर्ष 1971 के दशवार्षिक गणना के अनुसार देश में 476 लाख कृषि मजदूर हैं। कृषि मजदूर वह है, जो अपनी जीविका का अधिकांश भाग कृषि मजदूरी से कमाता है। जोत की अधिकतम सीमा सम्बन्धी राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार जोत की अधिकतम सीमा के सम्बन्ध में किए गए उपायों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप अब तक 22 लाख एकड़ से अधिक भूमि फालतू घोषित की गई है। इसमें से 8.5 लाख एकड़ भूमि 4,05,000 कृषि मजदूरों और अन्य पात्र व्यक्तियों को वितरित की गई। बंजर भूमि, गांव सभा भूमि, आदि का वितरण भी साथ-साथ किया जा रहा है। पिछले कई वर्षों के दौरान 160 लाख एकड़ से अधिक ऐसी भूमि वितरित की गई। यद्यपि, भूमि सुधार सम्बन्धी नीति का उद्देश्य यह है कि यथा सम्भव अधिक से अधिक ऐसे व्यक्तियों को भूमि उपलब्ध की जाये, जिनको भूमि की आवश्यकता है, परन्तु, अनुमान है कि सबकी मांग पूरी करने के लिए जोत की अधिकतम सीमा के उपायों से पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं होगी। जोत की अधिकतम सीमा सम्बन्धी उपायों से उपलब्ध भूमि का वितरण करना ही कृषि अर्थ-व्यवस्था के विकास की समेकित नीति का भाग है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र समिति का गठन

*88. **श्री एम० एस० पुरती :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में जनसंख्या का दबाव कम करने के लिए एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र समिति का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्य कौन-कौन हैं और उसके कृत्य क्या हैं ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री के० रघुरमैया) : (क) दिल्ली महानगर क्षेत्र तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए विकास योजनाओं को बनाने और उनके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक उच्चाधिकार प्राप्त बोर्ड का गठन किया है। बोर्ड द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विशिष्ट समस्याओं पर विचार करने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त बोर्ड ने इस मन्त्रालय के राज्य-मन्त्री की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

I. उच्चाधिकार प्राप्त बोर्ड का गठन :

1.	केन्द्रीय मन्त्री, निर्माण और आवास मन्त्रालय	अध्यक्ष
2.	केन्द्रीय राज्य मन्त्री, पोत परिवहन तथा परिवहन मन्त्रालय	सदस्य
3.	केन्द्रीय राज्य मन्त्री, निर्माण और आवास मन्त्रालय	,,
4.	केन्द्रीय राज्य मन्त्री, गृह मन्त्रालय	,,
5.	केन्द्रीय राज्य मन्त्री सिंचाई मन्त्रालय	,,
6.	केन्द्रीय राज्य मन्त्री, योजना	,,
7.	केन्द्रीय राज्य मन्त्री, संचार	,,
8.	केन्द्रीय उप-मन्त्री, रेलवे	,,
9.	केन्द्रीय उप-मन्त्री, वित्त	,,
10.	मुख्य मन्त्री, उत्तर प्रदेश	,,
11.	मुख्य मन्त्री, राजस्थान	,,
12.	मुख्य मन्त्री, हरियाणा	,,
13.	मुख्य कार्यकारी पार्षद, दिल्ली	,,
14.	उपराज्यपाल, दिल्ली	,,
15.	महापौर, दिल्ली	,,
16.	संयुक्त सचिव (आवास), निर्माण और आवास मन्त्रालय	सदस्य सचिव

उच्चाधिकार प्राप्त बोर्ड का कार्य

(1) यह सुनिश्चित करना कि महानगर क्षेत्र के लिए (आस पास के शहर सहित) और यदि आवश्यक हो तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए भी भाग लेने वाले प्रत्येक राज्यों के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन एजेन्सियों के माध्यम से समन्वित योजनाओं को तैयार करना;

(2) चरणवार तथा एकीकृत आधार पर योजनाओं को तैयार करने और कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था को सुनिश्चित करना ताकि प्लान अथवा प्लानों में स्वीकृत प्रस्तावों के आधार पर सभी क्षेत्रों का विकास सन्तुलित ढंग से हो।

(3) अलग अलग क्षेत्रों में योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न एजेंन्सियों का मार्ग-दर्शन करना;

(4) बदलती आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार प्लान में संशोधन करने के लिए अलग-अलग क्षेत्रों की विभिन्न आयोजन एजेन्सियों से समय समय पर आने वाले किसी प्रस्ताव पर विचार करना।

II. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए उच्चाधिकार प्राप्त बोर्ड की समिति

1.	केन्द्रीय राज्य मन्त्री, निर्माण और आवास मन्त्रालय	अध्यक्ष
2.	मुख्य मन्त्री, उत्तर प्रदेश अथवा उनके प्रतिनिधि . .	सदस्य
3.	मुख्य मन्त्री, राजस्थान अथवा उनके प्रतिनिधि . .	,,
4.	मुख्य मन्त्री, हरियाणा अथवा उनके प्रतिनिधि	
5.	मुख्य कार्यकारी पार्षद, दिल्ली महानगर परिषद्	,,
6.	अपर-सदस्य (निर्माण) रेलवे बोर्ड . . .	,,
7.	महानिदेशक (सड़क) तथा अपर-सचिव, पोतपरिवहन और परिवहन मन्त्रालय	,,
8.	योजना आयोग के प्रतिनिधि . . .	,,
9.	उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण . .	,,
10.	अपर-सचिव, गृह मन्त्रालय	,,
11.	संयुक्त सचिव (आवास), निर्माण और आवास मन्त्रालय	सदस्य-सचिव

उच्चाधिकार प्राप्त बोर्ड के कार्य

क्षेत्र की योजना बनाने से सम्बन्धित मामलों पर विचार करना, निधियों की व्यवस्था करना। रीजन में शामिल क्षेत्रों को बढ़ाना तथा अन्य सम्बन्धित मामले।

गुजरात में भूमि का वितरण तथा अन्य सुविधाएं दिया जाना

*89. **श्री अरविन्द एम० पटेल**
श्री एन० आर० वेकारिया } : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष गुजरात राज्य में भूमिहीन किसानों को कुल कितनी कृषि भूमि वितरित की गई;

(ख) क्या उस राज्य के भूमिहीन किसानों को कुछ अन्य सुविधायें जैसे ढोर खरीदने, पम्प सेट लगाने या बीज एवं उर्वरक खरीदने आदि के लिए ऋण भी दिए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऋण के रूप में कुल कितनी धनराशि दी गई है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) जून, 1975 तथा जून, 1976 के बीच भूमिहीन कृषि मजदूरों तथा अन्य पात्र व्यक्तियों को 4,173 एकड़ फालतू भूमि बांटी गई। गुजरात में उच्च न्यायालय द्वारा जोत की अधिकतम सीमा के विरुद्ध अन्तः कालीन निषेधाज्ञा स्वीकृत करने के कारण जोत की अधिकतम सीमा के उपायों के क्रियान्वयन में रुकावट आई। यह निषेधाज्ञा इस वर्ष मार्च में समाप्त की गई थी और उसके पश्चात् शीघ्र ही कानून के क्रियान्वयन के लिए सब कदम उठाये गए। इस विवरण में उल्लिखित अवधि के दौरान वितरित की गई अधिकांश फालतू

भूमि जोत की अधिकतम सीमा के कानूनों के क्रियान्वयन से एकत्र की गई, जो कि राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार संशोधन करने से पहले लागू थे । इस उद्देश्य की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत फालतू भूमि के अलाटियों को वितरित करने के लिए 87,000 रुपये की एक छोटी सहायता भी दी गई थी।

केरल में सूखे की स्थिति

*90. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केरल राज्य में अभाव की स्थिति का कोई मूल्यांकन किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने राहत की तथा अन्य कौन-कौन से उपायों की योजना बनाई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) केन्द्रीय सरकार ने केरल राज्य में अभाव की स्थिति का कोई मूल्यांकन नहीं किया है । उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्य में मानसून विलम्ब से आया और चालू मौसम के दौरान इसका फसलों पर असर हुआ। हालांकि इस मौसम में बाद में वर्षा की स्थिति में सुधार हुआ, फिर भी राज्य में कुल वर्षा अपर्याप्त है ।

(ख) सरकार द्वारा छठवें वित्त आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर लिए जाने के परिणामस्वरूप राज्य सरकारों को आयोग द्वारा उन्हें दी जाने वाली मार्जिन धन-राशि की सहायता से अपने निजी संसाधनों से तथा अपनी योजनाओं के परिव्यय का उपयुक्त पुनः समायोजन करके राहत कार्यों के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था करनी होती है । केन्द्रीय सहायता केवल योजना के लिए अग्रिम सहायता के रूप में आवश्यकतानुसार दी जाती है । राज्य सरकार ने अभी-अभी सूचित किया है कि किसानों और कृषि श्रमिकों को कष्टों से राहत देने के लिए उन्हें केन्द्र से वित्तीय सहायता की जरूरत पड़ेगी। उनके विस्तृत प्रस्ताव की प्रतीक्षा है।

असम में सुबन्सिरी नदी पर बहु-प्रयोजनीय बांध का निर्माण

*91. **श्री विश्वनारायण शास्त्री** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुबन्सिरी और दिवांग नदी पर बहु-प्रयोजनीय बांध के निर्माण के लिए परियोजना तथा इंजीनियरिंग प्रतिवेदन तैयार कर लिए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना पर काम कब आरम्भ किया जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख) माननीय सदस्य का आशय सम्भवतः ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी देहांग से है । सुबन्सिरी और देहांग पर बहुप्रयोजनी परियोजनाओं के लिए विस्तृत अन्वेषण करने का कार्य असम सरकार द्वारा किया जा रहा है और बांध स्थल तथा जलाशय क्षेत्र के सर्वेक्षण, नीव के सम्बन्ध में अन्वेषण, और भू-वैज्ञानिक मानचित्रण का कार्य हो रहा है। इनको पूरा कर लेने के पश्चात परियोजना और इंजीनियरी रिपोर्टें तैयार की जाएंगी । ब्रह्मपुत्र बेसिन म

संचय जलाशयों तथा अवरोधक बांधों के लिए अन्य सम्भव स्थलों का भी पता लगा लिया गया है जिसमें एक दिवांग पर भी शामिल है किन्तु अभी तक अन्वेषण कार्य सुबन्सिरी और देहांग पर ही किए गए हैं।

परियोजना रिपोर्टों के तयार हो जाने और उनका अनुमोदन हो जाने के उपरान्त ही उन्हें राज्य योजना में शामिल किए जाने पर विचार किया जा सकेगा।

स्कूल छोड़ने वाले बच्चे

*93. **श्रीमती बिभाघोष गोस्वामी :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की अधिक प्रतिशतता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री जी० पी० यादव) : (क) और (ख) स्कूल स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों की दर का हाल ही में कोई अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि सरकार भारी बरबादी तथा निश्चलता के प्रति चिन्तित है।

(ग) सरकार को इस स्थिति की पूरी जानकारी है। शिक्षा सम्बन्धी बरबादी को जिसमें स्कूल छोड़ना भी शामिल है, रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(1) प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को स्कूलों में सहायक सेवायें देना।

(2) शिक्षा सम्बन्धी बरबादी की दर विशेषतया स्कूल छोड़ने वालों को रोकने के लिए अध्यापकों तथा उनके व्यावसायिक संगठनों के लिए स्थिति निर्धारण पाठ्यक्रम।

(3) स्कूल छोड़ने वालों के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू करना, जिससे वे आटवीं कक्षा तक अपनी प्रारम्भिक शिक्षा पूरी कर सकें और उसके बाद आगे की शिक्षा ले सकें।

व्यावसायिक तथा तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश के लिए प्रतिबन्ध

*94 **श्री बीरेन्द्र सिंह राव :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के कुछ विश्वविद्यालयों ने व्यावसायिक तथा तकनीकी संस्थाओं में राज्य के बाहर के छात्रों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाया है;

(ख) केवल राज्यों में वास्तविक निवासियों को ही ऐसी संस्थाओं में शिक्षा सुलभ की जायेगी इसके लिए क्या केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया है; और

(ग) राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और नागरिकों के देश में कहीं भी शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार के बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और प्रौद्योगिकी संस्थानों में राज्यों से बाहर के छात्रों को दाखिला देने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। राज्य विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है और एकत्र की जा रही है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) 1960 में और फिर 1963 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने यह सिफारिश की थी कि तकनीकी संस्थाओं में दाखिले को निवास स्थान अथवा जन्म स्थान और इसी प्रकार के अन्य कारणों के आधार पर सीमित नहीं करना चाहिए। राष्ट्रीय एकता समिति ने भी 1968 में यह सिफारिश की थी कि :

"छात्र के लिए राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में दाखिले के प्रयोजन के लिए राज्य के निवास स्थान का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होना चाहिए। इसके यथाशीघ्र सभी राज्यों में लागू करना चाहिए। यह राज्य की शैक्षिक संस्थाओं की क्षमता के अन्तर्गत होगा कि वे उक्त राज्य के स्कूल बोर्ड, विश्वविद्यालय अथवा कालेज की परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को दाखिले में वरीयता दें"।

केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से इस सिफारिश को स्वीकार करने और कार्यान्वित करने के लिए आग्रह किया है।

बम्बई में सरकारी कालोनियों में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों द्वारा दिया गया अभ्यावेदन

***95. श्री राजा कुलकर्णी : क्या निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई शहर में 21 सरकारी कालोनियों के क्वार्टरों में रहने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों ने वर्ष 1975 के अन्त में तथा वर्ष 1976 के प्रारम्भ में यह अभ्यावेदन दिया है कि महाराष्ट्र सरकार से बातचीत करके किराया खरीद के आधार पर तथा प्राथमिकता आबंटन द्वारा उन व्यक्तियों को वैकल्पिक आवास दिए जायें जो सेवा निवृत्त होने वाले हैं अथवा पहले ही सेवा निवृत्त हो चुके हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) ऐसे अभ्यावेदन बम्बई की सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट स्टाफ क्वाटर्स रेजिडेन्स वेलफेयर एसोसिएशन से प्राप्त हुए हैं।

(ख) महाराष्ट्र सरकार को यह सुझाव दिया गया है कि महाराष्ट्र आवास बोर्ड निम्न आय वर्ग आवास योजना तथा मध्यम आय वर्ग आवास योजना के अधीन समय समय पर लोगों को बिक्री के लिए पेश किए गए मकानों/फ्लैटों में से कतिपय प्रतिशतता उन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए आरक्षित रखे जायें जो या तो सेवा-निवृत्त हो गए थे अथवा होने वाले थे।

जल संसाधनों के बारे में राष्ट्रीय नीति

***96. श्री राम सहाय पांडे : क्या कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र से जल संसाधनों के बारे में कोई राष्ट्रीय नीति बनाने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) सिंचाई आयोग और राष्ट्रीय कृषि आयोग ने जल संसाधनों के बारे में राष्ट्रीय नीति निर्धारित करने की सिफारिश की है।

(ख) अभी तक कोई अन्तिम फैसला नहीं किया गया है।

Inter-State River Water Disputes

***97.** SHRI NATHU RAM AHIRWAR : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) the number of Inter-State river water disputes pending for the last one decade; and

(b) the number of river water disputes, out of them, resolved upto 30th June, 1976 and the number of those yet to be resolved?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI KEDAR NATH SINGH) : (a) The major Inter-State river water disputes pending for the last one decade related to the use and development of the waters of the Narmada, Godavari, Krishna. Differences also persisted on use of Cauvery waters.

(b) The following river water disputes, have been resolved upto 30th June, 1976 :—

(i) The Krishna Waters Disputes Tribunal gave its further report containing the final order in May, 1976 for the Krishna waters, which has been published in the Gazette of India on 31st May, 1976.

(ii) An agreement with regarding to sharing of the Godavari wateis upto 2300 IMC among the concerned States viz. Andhra Pradesh, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra and Orissa pending decision of the Godavari Tribunal and without prejudice to their claims before the Tribunal was reached in December, 1975.

(iii) An agreement for Construction of four projects each by Gujarat and Madhya Pradesh in the Narmada Basin pending decision of the Narmada Tribunal and without prejudice to their claims before the Tribunal was reached in March, 1975. It has also been agreed that the 75% dependable flow of the Narmada available for use is 28 million acre-feet and that Rajasthan and Maharashtra could use 0·5 M.A.F. and 0·25 M.A.F. of Narmada waters.

The following important matters regarding the above water disputes remain to be resolved :

(a) sharing of remaining waters of the Godavari (among the concerned States) and other relevant issues to be decided by the Godavari Tribunal;

(b) sharing of Narmada waters between Gujarat and Madhya Pradesh, the height of Navagam Dam and other relevant issues to be decided by the Narmada Tribunal.

As regarding Cauvery, efforts to enable the States to reach satisfactory settlement are continuing.

ग्रामीण महिलाओं के लिए कल्याण योजना

***98. श्री अर्जुन सेठी**
श्री डी० जी० चन्द्रगौडा } : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण महिलाओं के कल्याण की योजना की देख रेख के लिए मन्त्रालय ने एक विशेष निदेशालय स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस निदेशालय द्वारा आधुनिक कृषि उत्पाद, पोषाहार योजनाओं, जनसंख्या, शिक्षा तथा व्यस्क साक्षरता में ग्रामीण महिलाओं के भाग लेने को भी प्रोत्साहन दिया जायेगा, और

(ग) यदि हां, तो इस निदेशालय के अन्य कृत्य क्या होंगे ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) प्रस्ताव अभी तक विचाराधीन है।

(ख) व (ग) प्रश्न नहीं उठता।

एशियाटिक सोसायटी आफ इंडिया, कलकत्ता

*99. **श्री रानेन सेन**
श्री सोमनाथ चटर्जी } : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाटिक सोसाइटी आफ इंडिया, कलकत्ता वित्त तथा प्रशासन के मामले में बहुत खराब हालत में है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या हैं और इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) सरकार ने, एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता की वित्तीय कठिनाइयों तथा कुप्रबन्ध के बारे में कुछ प्रेस रिपोर्टें देख ली हैं।

(ख) राज्य सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि वह हमें इस सम्बन्ध में एक विस्तृत रिपोर्ट भेज दे ताकि इस मामले पर आगे विचार किया जा सके।

पंजाब में कपास

100. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में कपास के विकास के और केन्द्र सरकार द्वारा कोई विशेष ध्यान दिया जा रहा है;

(ख) क्या पंजाब में विगत तीन वर्षों के दौरान कपास का उत्पादन बढ़ा है;

(ग) क्या केन्द्र द्वारा सघन कपास विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कपास की फसल पर जमीन से तथा आकाश से छिड़काव करने के लिए कोई कदम उठाये गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां। भारत सरकार पहले ही पंजाब में एक वृहत् केन्द्रीय प्रायोजित सघन कपास जिला कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है।

(ख) जी हां। जैसा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	उत्पादन (लिंट की प्रत्येक 170 कि० ग्राम की, 000 गांठें)
1972-73	1075.0
1973-74	1157.3
1974-75	1193.3

पंजाब से अभी वर्ष 1975-76 के कपास के उत्पादन के अन्तिम अनुमान उपलब्ध नहीं हुए हैं।

(ग) तथा (घ) भारत सरकार व्यक्तिगत कृषकों तथा कृषि-उद्योग निगमों एवं सहकारी संस्थाओं दोनों को वनस्पति रक्षण के उपकरणों की लागत पर 25 प्रतिशत आर्थिक सहायता दे रही है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत महामारी के क्षेत्रों में फसलों पर कृमि/ रोगों के उन्मूलन के लिए पंजाब सरकार को वर्ष 1976-77 के दौरान कपास की फसल पर पिंक बाल वर्म के विरुद्ध हवाई छिड़काव करने के लिए 4,20,000 एकड़ क्षेत्र का नियतन किया गया है। आबंटित क्षेत्र को हवाई छिड़काव के अंतर्गत लाने के लिए राज्य सरकार को संक्रियागत लागत पर 29.40 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता दी जायेगी, जो अधिक से अधिक 7 रुपये प्रति एकड़ है।

ग्राम्य जल सप्लाई योजना के लिये पांचवीं योजना के अन्तर्गत परिव्यय

643. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्राम्य जल सप्लाई योजना के लिए पांचवीं योजना के अन्तर्गत कुल कितने परिव्यय की व्यवस्था की गई है;

(ख) इस योजना पर अब तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है; और

(ग) यह योजना कुल कितने गांवों में लागू की जा रही है?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) पांचवीं पंच वर्षीय योजना के प्रारूप में ग्रामीण जलपूर्ति की योजनाओं के लिए कुल 573 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान है।

(ख) इन योजनाओं पर 31-3-76 तक 115.47 करोड़ रुपये तक खर्च होने की आशा है।

(ग) पांचवीं पंच वर्षीय योजना के प्रारूप में यह परिकल्पना की गई है कि 1.16 लाख ग्राम इसमें आ जायेंगे।

ग्राम्य जल सप्लाई योजना के लिये धन का आबंटन

644. **सरदार मोहिन्दर सिंह गिल :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ग्राम्य जल सप्लाई योजनाओं के लिए वर्ष 1976-77 के दौरान कुल कितनी राशि आबंटित की गई है; और

(ख) क्या इस कार्य हेतु पंजाब के लिए भी कोई आबंटन किया गया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) राज्य क्षेत्र का वार्षिक प्लान 1976-77 में ग्रामीण जल पूर्ति योजनाओं के लिए 65.44 करोड़ रुपये का नियतन किया गया है।

(ख) 4 करोड़ रुपये।

Central Aid for Drought hit Areas of M.P.

645. SHRI G. C. DIXIT : Will the Minister of AGRICULTURAL AND IRRIGATION be pleased to state the amount proposed to be given during 1976-77 by the Central Government to M.P. for drought hit areas ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI PRABHUDAS PATEL) : There is no such proposal.

महिला कालेज छात्राओं के लिए आवासीय स्थान की कमी

646. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष तौर पर बड़े शहरों में महिला कालिज छात्राओं के लिये आवासीय स्थान की बेहद कमी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस पर कोई आसान हल सुझाया है; और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) और (ख) बड़े शहरों में महिला कालेज छात्रों के लिए आवास के स्थान की कमी का कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं किया गया है । तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार 1974-75 में केवल 9.9% महिला छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधाएं उपलब्ध थीं । महिलाओं के लिए छात्रावासों के निर्माण के लिए आयोग 75% की सीमा तक सहायता प्रदान करता रहा है । इसके अतिरिक्त चालू योजना के दौरान, आयोग केन्द्रीय शहरों में कालेजों के विकास के लिए विशेष सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है । अन्तर कालेज आधार पर उपलब्ध इस सहायता का उपयोग छात्रावास व्यवस्था के लिए भी किया जा सकता है । 30 सितम्बर से एक अक्टूबर 1975 तक हुए उपकुलपतियों के सम्मेलन ने यह सिफारिश की थी कि छात्रावासों के निमार्ण को अनिवार्य समझा जाना चाहिए और महिला छात्रावासों के मामले में आयोग की सहायता को बढ़ा कर शत प्रतिशत कर देना चाहिए।

राजस्थान में चुकन्दर से चीनी

647. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में गंगानगर स्थित चीनी उद्योग ने चुकन्दर से चीनी तैयार करने में अच्छी सफलता प्राप्त की है ;

(ख) क्या चुकन्दर से चीनी तैयार करने में गन्ने से चीनी तैयार करने की अपेक्षा कम लागत आती है और यह कार्य कृषि के दृष्टिकोण से भी लाभप्रद है क्योंकि चुकन्दर की काश्त के साथ अन्य फसलें भी प्राप्त की जा सकती हैं ;

(ग) क्या चुकन्दर से चीनी तैयार करने में मुख्य कठिनाई यह है कि इसकी काश्त कम भूमि पर होती है और प्रति हैक्टेयर इसकी उपज भी कम होती है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) गंगानगर चीनी मिल्स के क्षेत्र में मुख्य कठिनाई यह है कि इस क्षेत्र में ऐसे सयम में जबकि चुकन्दर की फसल के लिए पानी की बहुत आवश्यकता होती है, नहरों के बंद हो जाने से पर्याप्त मात्रा में चुकन्दर की पैदावार नहीं की जाती है।

(घ) बताया जाता है कि राज्य सरकार पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं सुलभ करने की योजना तैयार कर रही है ।

अभी तक आवास-स्थल प्राप्त न कर सकने वाले भूमिहीन श्रमिकों की अनुमानित संख्या

648. **श्री वयालार रवि :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति की घोषणा के बाद 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमिहीनों की कुल कितने आवास स्थल वितरित किये गये ; और

(ख) उनके राज्यवार आंकड़े क्या हैं और इस कार्य को तेजी से करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं तथा ऐसे भूमिहीन श्रमिकों को अनुमानित कुल संख्या कितनी है जिन्हें आवास-स्थल वितरित किये जाने शेष हैं ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) जून, 1975 के अन्त तक राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों से यह पता चलता है कि जिन व्यक्तियों को आवास-स्थल आबंटित किए गए थे, उनकी संख्या लगभग 32 लाख थी और जुलाई, 1976 के अन्त तक उनसे प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार यह संख्या बढ़कर लगभग 69 लाख हो गई है ।

(ख) जून, 1975 और जुलाई, 1976 के अन्त तक राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर एक विवरण लोक सभा के पटल पर रखा है । [ग्रंथालय में रखा गया/ देखिये संख्या एल० टी० 11105/76] अनुमानत: अन्य 44 लाख भूमिहीन परिवारों को

अभी भी आवास-स्थल दिए जाने हैं । इस योजना पर 5 और 6 मार्च, 1976 को नई दिल्ली में हुई मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में विचार-विमर्श हुआ था और सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वे इस योजना के कार्यान्वयन को प्राथमिकता दें।

Permission for use of Voluntary Disclosures on Slum Clearance in Madhya Pradesh

649. SHRI HUKUM CHAND KACHWAI : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 10 on the 18th March, 1976 regarding Grant to Madhya Pradesh for construction of Houses and State :

(a) whether Central Government have finalised the proposal to permit Madhya Pradesh Government to spend a sum of rupees twenty five crores out of the total amount received by way of voluntary disclosures on slum clearance in Madhya Pradesh; and

(b) if not, the time by which it will be finalised?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI K. RAGHURAMAIAH : (a) The Government have found that receipts from the issue of bonds under the Voluntary Disclosures Scheme would not constitute any additionality to the Plan resources and will not, therefore, be available for any schemes other than those already incorporated in the Plan.

(b) Does not arise.

बिहार, मध्य प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल में शरणार्थी पुनर्वास कार्यक्रम का पूरा होना

650. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार, मध्य प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में शरणार्थी पुनर्वास कार्यक्रम अभी पूरा नहीं हुआ है ;

(ख) क्या तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से आए तथा मध्य प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल में आकर बसे शरणार्थियों से इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उनमें से बहुत से लोगों को अभी तक कृषि-भूमि अथवा आवासीय स्थल आदि प्राप्त नहीं हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं।

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) से (ग) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए प्रवासियों के पुनर्वास कार्यक्रम कृषकों के लिए भूमि तथा गैर-कृषकों के लिए लघु व्यापार में सुविधाओं की उपलब्धता के अनुसार वर्ष प्रति वर्ष बनाए जाते हैं। बिहार और मध्य प्रदेश में (39 परिवारों को छोड़कर जिनमें से 22 परिवारों को पुनर्वास स्थलों में भेजा जा रहा है) इस प्रकार के कार्यक्रम पूरे हो चुके हैं और परिवारों को पुनर्वास स्थलों पर भेज दिया गया है। पुनर्वास के पात्र व्यक्तियों से किसी तरह की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

पश्चिम बंगाल में प्रवासियों के मामले में, उस राज्य में पुनर्वास की अवशिष्ट समस्या के प्रश्न की जांच करने के लिए एक कार्यकारी दल स्थापित किया गया था । कार्यकारी दल ने 10-3-1976 को अपनी रिपोर्ट दे दी है। उक्त रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा निर्णय ले लिए जाने के बाद इस पर आगे कार्यवाही की जाएगी।

हिमाचल प्रदेश में चारा और घास अनुसंधान संस्थान

651. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश में एक क्षेत्रीय चारा तथा घास अनुसंधान संस्थान खोलने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस अनुरोध पर क्या निर्णय लिया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी, हां। हिमाचल प्रदेश में भारतीय चरागाह तथा चारा अनुसंधान संस्थान का एक उप-केन्द्र के संबंध में निवेदन प्राप्त हुआ है।

(ख) भारतीय चरागाह तथा चारा अनुसंधान संस्थान, झांसी के निदेशक को हिमाचल प्रदेश में एक उप केन्द्र खोलने की सम्भावनाओं के संबंध में जांच करने का आदेश दे दिया गया है। उनकी रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् ही इस पर निर्णय किया जाएगा।

652. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य इस वर्ष अनाज की भारी कमी का सामना कर रहा है हालांकि देश में अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध है ;

(ख) यदि हां, तो इस राज्य को अनाज की सप्लाई में कमी के क्या मुख्य कारण हैं ;

(ग) विगत तीन महीनों के दौरान अर्थात् अगस्त, 1976 तक इस राज्य को कितने खाद्यान्नों का आबंटन किया गया है; और

(घ) क्या इस राज्य ने और अधिक खाद्यान्नों की मांग की थी परन्तु केन्द्र सरकार से सप्लाई कम हुई थी; और यदि हां, तो उसे कम खाद्यान्न देने के क्या कारण हैं ?

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) राज्य सरकार के पास पहले ही काफी स्टाक उपलब्ध था। गुजरात सरकार ने पिछले तीन महीनों अर्थात् जून से अगस्त, 1976 तक के दौरान केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों का आबंटन करने के लिए कोई भी मांग नहीं की थी और इसलिए उन्हें कोई आबंटन नहीं किया गया था।

सायल एण्ड लैण्ड यूज कैपेबिलिटी सर्वे आर्गेनाइजेशन

653. **श्री वसन्त साठे :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सायल एण्ड लैण्ड यूज कैपेबिलिटी सर्वे आर्गेनाइजेशन की स्थापना के बारे में क्या प्रगति हुई है,

(ख) केन्द्रीय सरकार की ओर से विशिष्ट निदेशों के बावजूद उपयुक्त विधान के न होने के कारण विभिन्न राज्यों में भूमि तथा नयी संरक्षण के कार्य में हुई प्रगति असंतोष-जनक है, और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) अधिकांश राज्यों में मृदा तथा भूमि उपयोग संबंधी सर्वेक्षण संगठन स्थापित किए गए हैं। संघ राज्य क्षेत्रों में मृदा सर्वेक्षण संबंधी संगठन अभी स्थापित किए जाने हैं। पांचवीं योजना के दौरान राज्य मृदा सर्वेक्षण संबंधी संगठनों को मजबूत बनाने/उनका सृजन करने की केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना चल रही है। केन्द्रीय स्तर पर कृषि विभाग के अन्तर्गत अखिल भारतीय मृदा तथा भूमि उपयोग संबंधी सर्वेक्षण संगठन 80 फील्ड पार्टियों की स्वीकृत संख्या से स्रवण क्षेत्रों के मृदा तथा भूमि उपयोग सर्वेक्षण, प्राथमिकता वाली पनधाराओं के आलेखन और संघ राज्य क्षेत्रों का मृदा सर्वेक्षण संबंधी अनुरोध पूरा करने का काम कर रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अन्तर्गत देश के 10:10 लाख के मान में तथा मृदा सर्वेक्षणों, मृदा वर्गीकरण, व्याख्या और मृदा सर्वेक्षण संबंधी प्रशिक्षण विषयक एक मृदा मानचित्र तैयार करने के लिए 120 पार्टियों की स्वीकृत संख्या से राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण तथा भूमि उपयोग नियोजन निदेशालय स्थापित किया गया है।

(ख) और (ग) जी नहीं। अधिकांश राज्यों में मृदा तथा नमी के संरक्षण संबंधी कार्यक्रमों के लिए उपयुक्त विधान बनाए गए हैं। अन्य राज्यों से भी आवश्यक विधान बनाने का अनुरोध किया गया है।

विभिन्न राज्यों में मृदा तथा आर्द्रता संरक्षण संबंधी कार्यक्रम राज्य की योजना में धनराशि के लिए की गई व्यवस्था के अनुसार नियोजित करके चलाए जाते हैं। केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार भी नदी घाटी परियोजनाओं के 29 स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण कार्यक्रम के लिए राज्यों को 50 प्रतिशत ऋण तथा 50 प्रतिशत अनुदान के आधार पर सहायता प्रदान कर रही है।

सरकारी आवासों में रहने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों से पानी तथा बिजली के मीटरों हेतु नकद जमानत

654. **श्री आर० के० सिन्हा** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के सरकारी आवासों में लगे बिजली तथा पानी के मीटरों के लिए नकद जमानत के स्थान पर केन्द्र सरकार गारंटी-पत्र जारी किया करती थी और नई दिल्ली नगर पालिका उसे स्वीकार किया करती थी ;

(ख) क्या अब नई दिल्ली नगर पालिका ने 8 जून, 1976 के अपने संकल्प संख्या 29 के अनुसार, नकद जमानत के बदले में केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए गारंटी-पत्रों को स्वीकार करने की सुविधा देना बंद करने का निर्णय किया है और सरकारी आवासों में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों से 80 रुपए प्रति मीटर की दर से नकद राशि जमा करने को कहा है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा यह कदम उठाए जाने के क्या विशेष कारण हैं।

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) जी हां। किन्तु घरेलू बिजली के कनेक्शन के लिए 80 रुपए की दर से ली जाने वाली यह नकद जमानत प्रति किलोवाट है न कि प्रति मीटर तथा इसके साथ कम से कम 40 रुपए अथवा लगातार तीन मास की बिजली की खपत की औसतन राशि के बराबर इनमें जो भी अधिक हो, ली जाती है। जहां तक पानी के मीटरों की नकद जमानत राशि का प्रश्न है, इसका निर्णय कमेटी ने अभी करना है।

(ग) इस संबंध में आए अभ्यावेदनों पर विचार किया जा रहा है।

कोयम्बटूर तथा तिरुचिरापल्ली में नये विश्वविद्यालय खोलना

655. **श्री मुरासोली मारन :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में कोयम्बटूर तथा तिरुचिरापल्ली स्थानों पर नए विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव त्याग दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) और (ख) तमिल नाडु सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रस्ताव को त्यागा नहीं गया है, उक्त सरकार ने इन स्थानों पर उत्तर-स्नातक विश्वविद्यालय केन्द्रों का विकास करने के प्रश्न की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की है। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय स्थापित करने से संबंधित प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

केरल में उर्वरकों के मूल्य

656. **श्री एम० के० कृष्णन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से उर्वरकों के मूल्यों में और कमी करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय लिया गया है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय नेताओं के स्मारक

658. **कुमारी मणिबेन वल्लभभाई पटेल :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में सरकार ने राष्ट्रीय नेताओं के स्मारकों पर कितनी धनराशि खर्च की है ;

(ख) पंडित पंत, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, डा० राजेन्द्र प्रसाद और श्री लाल बहादुर शास्त्री के स्मारकों पर अलग अलग कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) गत तीन वर्षों में पण्डित जवाहर लाल नेहरू के स्मारकों पर कितनी धनराशि खर्च की गई और इस में से कितनी धनराशि नेहरू संग्रहालय, तीन मूर्ति भवन पर खर्च की गई है।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख रख दी जाएगी।

दिल्ली के चावड़ी बाजार काम्पलैक्स का माडल फिर से तैयार करने की योजना

659. **श्री दीनेन भट्टाचार्य**
श्री एन० ई० होरों } : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई मास्टर प्लान को पूरी तरह बदल कर दिल्ली के चावड़ी बाजार काम्पलैक्स का माडल फिर से तैयार करने की एक योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) तथा (ख) यह सच है कि दिल्ली के चावड़ी बाजार क्षेत्र के पुनर्विकास के लिए दिल्ली नगर निगम के कुछ प्रस्ताव थे तथा उसने 15 जुलाई 1976 तक सुझाव मांगे थे। इस संबंध में सरकार को संसद सदस्यों से भी सुझाव प्राप्त हुए थे तथा इन सुझावों पर दिल्ली नगर निगम को रिपोर्ट देने के लिए भेजा गया था। पुनर्विकास प्रस्ताव इस समय दिल्ली विकास प्राधिकरण के विचाराधीन है तथा यह मामला केवल प्रस्ताव के रूप में ही है। तथापि, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह निर्णय किया है कि असमविन्यास उद्योगों तथा कागज़ के गोदामों को चावड़ी बाजार से दूरस्थ क्षेत्रों में स्थानान्तरित किया जाएगा जिनका दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मास्टर प्लान के उपबन्धों के अनुसार विकास किया जा रहा है। असमविन्यास व्यापार तथा उद्योग को मास्टर प्लान के उपबन्धों के अनुसार पुनःस्थापित किया जाएगा।

कुछ राज्यों के औद्योगिक नगरों में वायु तथा जल प्रदूषण

660. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु कर्नाटक तथा बिहार के औद्योगिक नगरों में सरकार वायु तथा जल-प्रदूषण का किस हद तक मुकाबला कर सकी है; और

(ख) इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 बनाया है जिसे पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और बिहार सहित 15 राज्यों में लागू किया गया है।

इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकारों ने जल प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण राज्य बोर्डों का गठन किया है जो अपने राज्यों की नदियों में प्रदूषण के विस्तार के सर्वेक्षण पर पहले ही कार्रवाई कर रहे हैं। उद्योगों को यह आवश्यक है कि वे नदियों में स्राव को बहाने से पहले बोर्डों से सम्मति ले लें।

महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1969 के अन्तर्गत महाराष्ठ जल प्रदूषण निवारण बोर्ड का गठन किया है जो महाराष्ट्र में औद्योगिक नगरों सहित जल प्रदूषण के नियन्त्रण पर आवश्यक कार्रवाई कर रहा है।

तमिलनाडु में, आपूर्ति, मल शोधन तथा निपटान समस्याओं से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिए विशेषज्ञ निकाय के रूप में सबसे पहले 1913 में जल और मल शोधन पर एक समिति गठित की गई थी। राज्य सरकार इस मामले में व्यापक कानून बनाने पर भी विचार कर रही है।

केन्द्रीय सरकार वायु प्रदूषण नियन्त्रण पर सक्रिय रूप से एक कानून बना रही है। राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है वे अपने राज्यों में पर्यावरणीय समिति/बोर्ड गठित करने के लिए कदम उठाएं।

वक्फ सम्पत्ति की कथित अवैध बिक्री

661. **मौलाना इसहाक सम्भली :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भटिण्डा (पंजाब) में टेलीफोन एक्सचेंज के निकट एक भू-खण्ड का ईदगाह के रूप में उपयोग किया जा रहा था तथा उसे वक्फ सम्पत्ति घोषित कर दिया गया था और इसे 7 अगस्त, 1971 के भारतीय राजपत्र में क्रम संख्या 281 के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया था;

(ख) क्या उक्त सम्पत्ति को अवैध रूप से बेच दिया गया है और वक्फ को इस सम्पत्ति से वंचित कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या यह देखने के लिए कोई जांच की जा रही है कि यह सम्पत्ति वक्फ को वापस मिल जाए और दोषी व्यक्तियों को दण्ड मिले ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

आगरा में ताजमहल तथा अन्य ऐतिहासिक स्मारकों के लिये प्रवेश शुल्क

662. **श्री के० एम० मधुकर**
चौधरी राम प्रकाश } : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगरा में ताजमहल तथा अन्य ऐतिहासिक स्मारकों के लिए प्रवेश शुल्क 50 पैसे से बढ़ाकर 2 रुपए कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने आगरा में ताज और अन्य ऐतिहासिक स्मारकों के लिए प्रवेश-

शुल्क नहीं बढाया है। फिर भी यह पता चला है कि उत्तर प्रदेश सरकार यथार्थ रूप में कुछ दूसरे प्रकार का उदग्रहण (चंदा) जमा कर रही है, जिसका पता लगाया जा रहा है।

राष्ट्रीय पार्कों तथा शरण स्थलों (सेंक्चुरीज़) का विकास

663. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय पार्कों तथा शरण स्थलों के विकास के लिए कोई योजना बनाई है ;

(ख) 'प्रोजेक्ट टाईगर' के लिए भी चालू वर्ष के दौरान कोई नियतन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो चुने गए उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां यह योजना चल रही है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) तथा (ख) जी हां।

(ग) (1) भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय पार्कों तथा शरण स्थलों के विकास की योजना के अन्तर्गत अब तक निम्नलिखित राज्यों को केन्द्रीय सहायता मंजूर की गई है:—

1. असम
2. गुजरात
3. मध्य प्रदेश
4. मणिपुर
5. उड़ीसा
6. राजस्थान
7. तमिलनाडु
8. उत्तर प्रदेश
9. पश्चिम बंगाल

2. इस समय निम्नलिखित राज्यों में बाघों के 9 संरक्षण स्थान हैं:—

1. असम
2. बिहार
3. कर्नाटक
4. मध्य प्रदेश
5. महाराष्ट्र
6. उड़ीसा
7. राजस्थान
8. उत्तर प्रदेश
9. पश्चिम बंगाल

गन्ने की काश्त की लागत

664. श्री एन० आर० लक्ष्मी नारायणन : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री दिनांक 16 अप्रैल 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2507 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1975-76 में राज्यवार गन्ने की काश्त की प्रति एकड़ लागत क्या रही तथा गन्ने की प्रति एकड़ औसत उपज क्या रही ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल): 1975-76 के लिए मुख्य फसलों की खेती की लागत का अध्ययन करने के कार्यक्रम में गन्ने के विस्तृत सर्वेक्षण को शामिल नहीं किया गया है। महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाड और उत्तर प्रदेश के राज्यों के लिए पिछले वर्षों में अध्ययन किए मुख्य नमूनों में से एक उप नमूने का केवल एक सर्वेक्षण किया गया था। परन्तु विश्वविद्यालयों द्वारा जिन्हें फील्ड कार्य सौंपा गया है, इन उप नमूनों के आंकडों की जांच की जा रही है अथवा आंकड़े संग्रहीत किए जा रहे हैं। गन्ने की खेती/उत्पादन की लागत के बारे में उपलब्ध अद्यतन सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

1975-76 के वर्ष के गन्ने के क्षेत्र, उत्पादन और प्रति हेक्टार औसत उपज के अनुमान सभी राज्यों से अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए अनुमानों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है।

विवरण

1973-74 में गन्ने के प्रति हेक्टार खेती की लागत और प्रति क्विंटल उत्पादन की लागत के अनुमान :

राज्य	प्रति हेक्टार खेती की लागत (रुपए)		प्रति क्विंटल उत्पादन की लागत (रुपए)	
	लागत ए2	कुल लागत सी	लागत ए2	कुल लागत सी
1	2	3	4	5
पंजाब	2063.04	4128.82	3.52	7.97
महाराष्ट्र	3894.81	6204.99	4.69	7.82
तमिलनाडु	3857.75	5605.22	4.90	7.13
उत्तर प्रदेश	1534.76	3337.31	3.01	7.81

टिप्पणी—1. लागत ए2 (अर्थात् नकद तथा जिंस के रूप में खर्च) अदा की गई लागत अथवा वस्तु संबंधी आदानों, भाड़े पर लिए गए मानव श्रम, बैल तथा मशीन के श्रम (भाड़े पर लिया गया और अपना दोनों) पर नकद और जिंस के रूप में किए गए व्यय तथा पट्टे पर ली गई भूमि के लिए अदा किये गये लगान के संबंध में है। कुल लागत सी, लागत ए2 (अर्थात नकद एवं वस्तु के रूप में किये गए व्यय) में स्वामित्व वाली भूमि के लगान संबंधी आकलित मूल्य, अपनी अचल पूंजी पर ब्याज और पारिवारिक श्रम के आकलित मूल्य को जोड़कर निकाली जाती है।

2. प्रति क्विंटल उत्पादन की लागत प्रति हैक्टार उपज को प्रति हैक्टार खेती की लागत (उपोत्पाद का निवल मूल्य) से भाग देकर निकाली जाती है।

3. ये अनुमान अनन्तिम हैं ।

राष्ट्रीय दूध ग्रिड

665. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी**
श्री धामनकर } : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में राष्ट्रीय दूध ग्रिड स्थापित करने का काम वर्ष 1978 तक पूरा कर लेने का है; और

(ख) यदि हां, तो उन नगरों के नाम क्या हैं जो ग्रिड से लाभान्वित होंगे ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) जी हां। 'आपरेशन फ्लड कार्यक्रम' के अंतर्गत दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास को तर्कसंगत ग्रामीण दुग्ध क्षेत्रों से जोड़ने के लिए भण्डारण के स्थानों तथा लम्बी दूरी के परिवहन की सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है, जिसकी 1978 तक पूर्ण होने की संभावना है। ये सुविधाएं राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड की नींव डालेगी।

(ख) प्रारम्भ में राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड से बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास शहर लाभान्वित होंगे।

बेलगाम, कर्नाटक में गन्ने की पेराई क्षमता तथा चीनी का उत्पादन

666. **श्री ए० के० कोत्रा शेट्टी** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कर्नाटक के बेलगाम डिवीजन में गत तीन वर्षों के दौरान सहकारी तथा गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में प्रत्येक चीनी कारखाने में गन्ने की पेराई क्षमता कितनी-कितनी थी, चीनी की प्रतिशतता क्या थी, चीनी का वार्षिक उत्पादन क्या था और गन्ना-उत्पादकों को गन्ने के लिए किस दर पर भुगतान किया गया ?

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 11106/76]

केरल के थान्नीरमुकोम में 'साल्ट वाटर बैरियर' का निर्माण

667. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के थान्नीरमुकोम में साल्ट वाटर बैरियर के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) केन्द्र ने राज्य सरकार को कुल कितनी वित्तीय सहायता दी है; और

(ग) इस परियोजना पर कुल कितनी राशि खर्च की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) थान्नीरमुकोम साल्ट वाटर बैरियर स्कीम में बेम्बानी कर्नुल के सकरे भाग पर थान्नीरमुकोम में तीन दौरों में एक रेग्यूलेटर का निर्माण करने की परिकल्पना की गई है ताकि धान के खेतों के बचाव के लिए नमकीन जल के प्रवेश को नियंत्रित किया जा सके। केरल सरकार ने सूचित किया है कि पहले दौर का कार्य हर प्रकार से पूरा हो चुका है। दूसरे दौर का कार्य भी, कुछ छोटी मदों को छोड़कर, जिन पर काम चल रहा है, पूरा हो चुका है। तीसरे दौर के अन्तर्गत, मध्यम भाग अर्थात् दक्षिणी बंध के 'काफर' बांध के एक ओर का काम पूरा हो चुका है और इससे इस परियोजना को जनवरी, 1976 में चालू करना संभव हो सका है।

(ख) इस कार्य की वित्त-व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा आयोजना के लिए निर्धारित राशि में से की जा रही है।

(ग) इस परियोजना पर जून, 1976 के अंत तक 3.68 करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका था।

पंजाब में जल संसाधनों का सर्वेक्षण करने के लिये सहायता

668. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र में वृद्धि करने की दृष्टि से पंजाब के जल संसाधनों का कोई सर्वेक्षण आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या इस संबंध में केन्द्र ने राज्य को कोई सहायता दी है?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) पंजाब सरकार ने सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र बढ़ाने की दृष्टि से जल संसाधनों का सर्वेक्षण शुरू किया है। इस प्रयोजन के लिए एक अलग जल संसाधन निदेशालय स्थापित किया गया है। यह निदेशालय नीचे लिखी दो परियोजनाओं पर काम कर रहा है।

(1) पंजाब राज्य में भूमिगत जल के जांच और जल संसाधनों के समेकित उपयोग की परियोजना।

(2) पंजाब राज्य में भूमिगत जल के विकास का पद्धतिवार अध्ययन और जल संसाधनों का इष्टतम प्रबंध।

(ग) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड क्रमबद्ध भूजल विज्ञान संबंधी सर्वेक्षण और भूमिगत जल स्रोतों के मूल्यांकन का अध्ययन करके राज्य सरकार की सहायता कर रहा है। कुल 50,362 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में से मार्च, 1975 के अंत तक 42,565 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का भूजल विज्ञान संबंधी सर्वेक्षण कर लिया गया था। 1975-76 के दौरान, 4,355 वर्ग किलोमीटर और क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया था। बोर्ड ने घग्घर नदी की घाटी में विशेष भूमिगत जल की एक संतुलन परियोजना भी शुरू की है, जिसके अंतर्गत पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों के कुछ हिस्से आते हैं। यह परियोजना भूमिगत जल के परिमाणात्मक अनुमान की पद्धति का विकास करने, सतही तथा भूमिगत जल के समेकित उपयोग और भूमिगत जल के कृत्रिम रिचार्ज की दृष्टि से शुरू की गई है।

अनुसंधान संस्थाओं के उद्योगों के साथ सहयोग संबंधी योजना

669. **श्री वरके जार्ज** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुसंधान ने संस्थाओं के उद्योगों के साथ सहयोग के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो०एस०नुरुल हसन) : (क) तथा (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, विश्वविद्यालय प्रणाली में विज्ञान विभागों तथा उनके अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशालाओं तथा उद्योग के बीच संयोजन स्थापित करने की आवश्यकता को, मान्यता दे दी है। इस प्रयोजन के लिए भौतिक, जीव विज्ञान (जिसमें कृषि शामिल है) तथा इंजीनियरी विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में विश्वविद्यालय प्रणाली से बाहर विश्वविद्यालयों तथा अन्य प्रयोगशालाओं के

बीच पारस्परिक हित के क्षेत्रों में तथा सहयोगी कार्यक्रमों को प्रोन्नत करने के लिए आयोग को परामर्श देने के लिए, विज्ञान अनुसंधान परिषद् तथा विज्ञान पैनलों को गठित किया गया है।

दो प्रणालियों के बीच वैज्ञानिकों के विनिमय को प्रोत्साहन देने के लिए, जिससे उनके बीच आपसी सहयोग बड़े, आयोग ने दो प्रकार की राष्ट्रीय उपसदस्यता का गठन किया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत एक वर्ष के दौरान तीन महीनों की अवधि के लिए अथवा पांच वर्षों की अवधि के दौरान 3 बार तीन-तीन महीनों की अवधि के लिए विश्वविद्यालय से एक वैज्ञानिक कार्य करने के लिए प्रयोगशाला में जा सकता है। दूसरी प्रकार की उपसदस्यता के दौरान, एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला अथवा उद्योग से विश्व-विद्यालय प्रणाली में अध्यापन और अनुसंधान के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। दोनों मामलों में यह आशा की जाती है कि वैज्ञानिक को उसका मूल विभाग/संस्था उसको पूरे वेतन का भुगतान करेगा जब वह प्रयोगशाला अथवा विश्वविद्यालय में कार्य कर रहा हो और आयोग यात्रा खर्च और स्थान से बाहर रहने के खर्च की ओर 500 रुपए प्रति माह देगा।

आयोग, चुने गए विभागों के लिए विशेष सहायता का एक कार्यक्रम रखता है। इन विभागों में कार्य से संबंधित कार्यक्रमों में शुद्ध तथा आर० एण्ड डी० उन्मुख अनुसंधान शामिल है। बाद वाले कार्य-क्रम के परिणामों से उद्योग को सहायता मिलने की आशा की जाती है। कुछ विश्वविद्यालयों ने भी उद्योगों के लिए सलाहकारी सेवा की व्यवस्था की है।

दिल्ली में अलाटियों को भूमि का वितरण तथा अन्य सहायता

670. **श्री झारखंडे राय : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के विभिन्न गांवों (पंचायत क्षेत्रों) में कितने हरिजन तथा खेतिहर मजदूरों को भूमि बांटी गई है; और

(ख) क्या बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए उन्हें कोई सहायता दी गई अथवा कोई प्रबंध किया गया; यदि किया गया, तो क्या ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) दिल्ली के विभिन्न गांवों (पंचायत क्षेत्रों) में 4538 व्यक्तियों, को भूमि आबंटित की गई है, जिसमें से 2609 हरिजन हैं।

(ख) सीमांत कृषक तथा कृषि श्रमिक विकास एजेंसी, दिल्ली भूमि के समतलन, पम्पसेट लगाने, पक्के कुओं के निर्माण, आदि के लिए प्रत्येक लाभानुभोगी को बैंकों से अधिक से अधिक 5,000 रु० का ऋण प्राप्त करने में अलाटियों की सहायता करती है। यह एजेंसी लिए गए कुल ऋण पर अधिक से अधिक 33⅓ प्रतिशत तक राजसहायता भी देती है। बकाया धनराशि लाभानुभोगियों से आसान किश्तों में वसूल की जाती है।

पांचवीं योजना में शिक्षा पर परिव्यय

671. **श्री एम० कतामुत्तु**
श्री भान सिंह भौरा } : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थायी समिति ने पांचवी योजना में शिक्षा पर अपर्याप्त परिव्यय के बारे में गंभीर चिन्ता व्यक्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी हां।

(ख) पांचवी पंचवर्षीय आयोजना को अन्तिम रूप देने की दृष्टि से, सरकार ससाधनों की स्थिति का पुनरीक्षण कर रही है।

राष्ट्रीय बाढ़ आयोग

672. श्री भान सिंह भोरा
श्री प्रसन्नभाई मेहता
श्री सी० जनार्दनन } : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के बारे में 22 मार्च, 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1071 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के सदस्य कौन-कौन हैं और यह आयोग प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर देगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : सरकार द्वारा हाल ही में स्थापित किए गए राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की संरचना इस प्रकार है :—

1. अध्यक्ष	(पूर्णकालिक)
2. बाढ़ नियंत्रण के दो विशेषज्ञ	सदस्य
3. एक अर्थ-शास्त्री	सदस्य
4. एक सस्य-वैज्ञानिक	सदस्य
5. केन्द्रीय जल आयोग, गंगा बांढ़ नियंत्रण आयोग और ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग के प्रतिनिधि	सदस्य (अंशकालिक)
6. एक सदस्य-सचिव	सदस्य-सचिव

आयोग से कहा गया है कि वह अपनी सिफारिशें यथासंभव शीघ्र, लेकिन हर हालत में दो वर्षों के अन्दर दे दें।

Implementation of Urban Land Ceiling Regulation Act, 1976 in States

673. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) the area of land taken over by Government in different States under Land Ceiling after the passing of the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act; and

(b) whether States had to pay compensation for acquiring this land?

The Minister of Works and Housing (Shri K. Raghuramaiah) : (a) All persons are required to submit to the competent authorities appointed for administering the law, detailed statements of their holdings and surrender to the Government excess vacant lands in their ownership or possession. The last date for filing these statements in the States where the Act came into force in the first instance will expire on the 14th August, 1976, which is being extended upto the 15th September, 1976. Extension of time will be applicable to those States also which have since adopted this Act. The proceedings for declaring excess vacant lands and acquiring it will start only thereafter. It is not, therefore, possible at present to indicate the extent of land that may be acquired by State Governments.

(b) Yes, Sir, as provided in Section 11 of the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976.

तिलहन, खाद्य तेल, गुड़, खली तथा कपास के मूल्यों में वृद्धि

674. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छह महीनों के दौरान तिलहन, खाद्य तेल, गुड़, खली, अपरिष्कृत कपास तथा सूत के मूल्यों में कोई वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो महीने-वार मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) और (ख) तिलहनों, खाद्य तेलों, गुड़, खली, कच्ची कपास, और कपास के रेशों के थोक मूल्यों की सूचकांक संख्या में 6 महीनों से अधिक की महीने-वार वृद्धि/कमी को प्रदर्शित करने वाला विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी०-11107/76।]

वर्ष 1971 की कृषि जनगणना

675. **श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1971 की कृषि जनगणना के अनुसार 25 एकड़ से अधिक भूमि वाले लोगों के पास 1.5 करोड़ एकड़ कृषि योग्य भूमि परती या बेकार पड़ी हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो खाद्य उत्पादन में हो रही इस राष्ट्रीय हानि को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) यह सत्य है कि 1970-71 की कृषि गणना की उपलब्धियों से पता चला है कि 25 एकड़ और उससे अधिक की बड़ी जोतों में 64 लाख हेक्टार कृषि योग्य भूमि खाली पड़ी हुई है।

(ख) आपरेशनल जोतों में इस प्रकार की खाली पड़ी भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए उपयुक्त उपाय अपनाने तथा इस उद्देश्य के लिए यदि आवश्यक समझा जाए तो उपयुक्त कानून बनाने के लिए राज्य सरकारों को कहा गया है।

पांचवीं योजना में शिक्षा मंत्रालय के लिए वित्तीय नियतन

677. **श्री के० मालन्ना** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना में शिक्षा मंत्रालय के वित्तीय नियतन में बहुत कटौती कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय के लिए वास्तव में कितनी राशि नियत की गई है और योजना प्रारूप को देखते हुए पांचवीं योजना में उसके लिए कितनी कमी की गई है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) पांचवीं पंचवर्षीय आयोजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

मणिपुर में पौधे लगाये जाना

678. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर सरकार ने मणिपुर की पहाड़ियों में वन रोपण की अविलम्ब आवश्यकता की ओर केन्द्रीय सरकार का ध्यान दिलाया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार कि क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों के समेकित विकास के लिए केन्द्रीय अनुदान सहायता के रूप में अब तक 39 लाख रु० की धनराशि दी जा चुकी है। इन विकास कार्यों में वन रोपण भी शामिल है।

अंधे और बहरे स्नातक

679. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने अंधे और बहरे स्नातक हैं ; और

(ख) उनमें से कितनों को केन्द्रीय सरकार द्वारा रोज़गार दिया गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख) इस प्रकार के आंकड़ों को एकत्रित करने के संगठन के अभाव के कारण इस देश में नेत्रहीन और बधिर स्नातकों की संख्या के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

पश्चिम दिल्ली की कालोनियों से बुनकरों का नन्द नगरी में स्थानान्तरण

680. **श्री सरजू पाण्डे** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी दिल्ली की कालोनियों से सैंकड़ों बुनकरों को यमुना पार की "नन्द-नगरी" नामक पुनर्वास कालोनी को भेज दिया गया है ;

(ख) क्या पुनर्वास के लिए उनमें से प्रत्येक को 25 वर्ग गज का प्लाट दिया गया है ;

(ग) क्या इतनी भूमि उनके रहने और उनके हथकरघों को लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है जिससे उनकी जीविका का एकमात्र साधन समाप्त हो जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो बुनकरों को उनके हथकरघों को लगाने के लिए भूमि देने हेतु क्या कार्य-वाही की गई है अथवा की जायेगी ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) 25 वर्ग गज के प्लाट केवल रिहायशी प्रयोजनों के लिए दिए गए हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बुनकरों को हथकरघों की संख्या के अनुसार हथकरघे लगाने के लिए विभिन्न आकार के प्लाट अलाट करने के प्रस्ताव पर अभी निर्णय नहीं लिया है।

दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापकों के पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों का पृथक साक्षात्कार

681. **श्री अमर सिंह चौधरी** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति को यह प्रपत्र जारी किया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के विभागों तथा इससे सम्बद्ध कालेजों में अध्यापकों के पदों के लिए भविष्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों का 'इन्टरव्यू' अलग लिया जाये ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रपत्र का सार क्या है; और

(ग) क्या इस प्रकार के प्रपत्र भारत में सभी विश्वविद्यालयों को जारी किए गए हैं, और यदि नहीं, तो विभिन्न राज्यों में स्थित 'ओपन' विश्वविद्यालयों को ये प्रपत्र कब तक भेजे जाने की संभावना है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को एक पत्र भेजा है जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रार्थियों का पहले अलग से साक्षात्कार (इन्टरव्यू) किया जाए। उसके बाद सामान्य वर्ग से संबंध रखने वाले प्रार्थियों का साक्षात्कार चयन समिति द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रार्थियों के संबंध में की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, अलग से किया जाए। इसी प्रकार का पत्र सभी विश्वविद्यालयों को भेजने का प्रस्ताव आयोग के विचाराधीन है।

Manufacture of Fertilizers from Bones in Madhya Pradesh

682 **Shri Bhagirath Bhanwar** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the number of industries in Madhya Pradesh manufacturing fertilizers from bones together with the locations and annual production; and

(b) how does the Madhya Pradesh State compare with other States in regard to manufacturing of compost fertilizers?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudass Patel) : (a) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

(b) A statement showing present production *vis-a-vis* targets of rural and urban compost in different States/U.Ts. is attached.

[Placed in the Library. *See* No. L.T.-11108/76]

Rural compost production has exceeded the target in 9 State s/U.Ts. Madhya Pradesh ranks third among these, achievement being 117% of the target.

The target of urban compost production has been exceeded/achieved in 7 States/U.Ts. Madhya Pradesh with 63% achievement of the target ranks 9th among those States which have achieved more than 60% of the target.

केरल को गेहूं और चावल की आवश्यकता

683. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिदिन प्रति वयस्क व्यक्ति 12 औंस और अवयस्क के लिये 6 औंस के हिसाब से उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरण हेतु केरल राज्य को प्रतिमास कितने चावल और गेहूं की आवश्यकता होती है ; और

(ख) क्या केन्द्र द्वारा राज्य को उतना खाद्यान्न दे दिया जाता है ?

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) 1.94 लाख मीटरी टन।

(ख) केरल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताएं, केन्द्रीय पूल के खाद्यान्नों के किए गये आबंटनों और राज्य के पास स्थानीय अधिग्रस्त से उपलब्ध चावल से पूरी की जा

रही है। केन्द्रीय पूल में गेहूं और चावल की कुल उपलब्धता, कमी वाले अन्य राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, बाजार में उपलब्धता, बफर स्टाक बनाने की आवश्यकता और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुये केरल को उसकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उपयुक्त जरूरतों को पूरा करने के लिए यथा सम्भव खाद्यान्नों का अधिकतम मात्रा में आबंटन किया जा रहा है। जनवरी, 1976 से अगस्त, 1976 तक केन्द्रीय पूल से केरल को किए गये खाद्यान्नों के मासिक आबंटन इस प्रकार हैं :—

(हजार मीटरी टन में)

माह	आबंटन		
	चावल	गेहूं	जोड़
जनवरी	45.0	48.0	93.0
फरवरी .	54.0	39.0	93.0
मार्च	54.0	39.0	93.0
अप्रैल . . .	54.0	40.0	94.0
मई . . .	70.0	35.0	105.0
जून . . .	75.0	35.0	110.0
जुलाई . .	80.0	35.0	115.0
अगस्त . .	85.0	36.0	121.0

नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा और नियन्त्रण) अधिनियम, 1976 को लागू करने के लिए समिति की स्थापना

684. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने व्यापक मूल्यांकन के लिए नगरीय भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए एक समिति (केन्द्रीय समन्वय समिति) का गठन किया है या राज्य सरकार ने कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति में किस-किस राज्य के कौन-कौन व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं और उनके निर्देश पद क्या हैं ?

(ग) इस समिति द्वारा अपना अन्तरिम और अन्तिम प्रतिवेदन सरकार को कब तक दिये जाने की सम्भावना है ;

(घ) इस समिति ने अब तक कितने राज्यों का दौरा किया है और उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ङ) समिति के प्रति राज्यों की अब तक क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय समन्वय समिति की नियुक्ति के आदेशों की एक प्रतिलिपि संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखी गई । **देखिए** संख्या एल० टी०-11109/76] ।

(ग) समिति भारत सरकार के विचार करने तथा निर्णय करने के लिए सिफारिशें बनाती हैं । अतः इसको कोई अन्तरिम अथवा अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करनी है ।

(घ) समिति की तीसरी बैठक राजस्थान राज्य में जयपुर में हुई । समिति को राज्यों का दौरा नहीं करना है परन्तु समिति, यदि सुविधाजनक अथवा वांछनीय समझे तो राज्यों में बैठक कर सकती है ।

(ङ) समिति को राज्यों से उनके प्रतिनिधियों द्वारा जिन्होंने समिति के विचार-विमर्श में भाग लिया तथा इसके विचारार्थ प्रस्तुत की गई समस्याओं को सुलझाने में सहायता की, पूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है ।

शिक्षा प्रणाली में एकरूपता

685. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश भर में शिक्षा प्रणाली में एकरूपता लाने के प्रश्न पर विचार कर रही है;

(ख) क्या प्रत्येक स्कूल में व्यावसायिक शिक्षा को पाठ्यंक्रम का अभिन्न अंग बनाया जायेगा; और

(ग) स्कूल शिक्षा को समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातंत्र के प्रति जागरूक बनाने के लिये मंत्री महोदय द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह बताया गया है कि देश के सभी भागों में व्यापक तौर पर शिक्षा का एक जैसा ढांचा रखना लाभदायक होगा । अन्तिम उद्देश्य 10+2+3 पद्धति को अपनाना होना चाहिए । केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, जिसके सदस्य सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री हैं, उसने इस पद्धति को स्वीकार कर लिया है और राज्यों से पद्धति को कार्यान्वित करने के लिए आग्रह करता रहा है । इस पद्धति को अधिकांश राज्यों ने अपना लिया है और अन्य राज्य इस मामले पर विचार कर रहे हैं ।

(ख) माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के व्यावसायीकरण के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति संकल्प में यह बताया गया है : "इस स्तर पर तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाओं को बढ़ाने की आवश्यकता है । माध्यमिक तथा व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था मौटे तौर पर, उन्नत अर्थ-व्यवस्था तथा वास्तविक रोजगार अवसरों की जरूरतों के अनुरूप होनी चाहिए । तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा को माध्यमिक स्तर पर प्रभावी रूप से सार्थक बनाने के लिए इस प्रकार का संयोजन आवश्यक है "।

उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम, जिला स्तर पर रोजगार अवसरों के सर्वेक्षण के आधार पर लागू किए जाएंगे । आशा की जाती है कि वे क्षेत्र की आवश्यकता तथा स्टाफ एवं उपस्कर की उपलब्धता के आधार पर चुने हुए विद्यालयों में लागू किए जाएंगे ।

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का विशेष पहलू, विविधता तथा शैक्षिक एवं व्यावसायिक दोनों पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करना होगा । इस पद्धति का दूसरा आवश्यक पहलू व्यावसायिक विषयों की पर्याप्त संख्या में व्यवस्था करना होगा, जो सामान्यतः सात्रिक होंगे, किन्तु पद्धति को ऐसा रूप दिया जाएगा कि छात्र को शैक्षिक विषय से व्यावसायिक विषय में स्थानान्तरित किया जा सकेगा, जिसमें अपने अध्ययन को अंशकालिक तथा पत्राचार पाठ्यक्रमों के द्वारा आगे जारी रखने के लिए व्यवस्था होगी ।

(ग) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् ने 10 वर्षीय स्कूली पाठ्यचर्या एक ढांचा तैयार किया है जिसे अपनाने हेतु राज्य सरकारों को भेज दिया गया है । पाठ्यचर्या को ऐसा रूप दिया गया है, जिससे कि देश की जरूरतें पूरी की जा सकें तथा शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का एक साधन बनाया जा सके । छात्रों में जांच की वैज्ञानिक शैली पैदा करने एवं उनके तार्किक दृष्टिकोण को विकसित करने के उद्देश्य से विज्ञान तथा गणित को कक्षा दस तक की स्कूली शिक्षा का एक अभिन्न अंग बनाया गया है । कार्य अनुभव को स्कूली शिक्षा का एक मुख्य पहलू बनाया गया है । इसका उद्देश्य छात्रों में श्रम के महत्व की भावना भरना, कार्य के प्रति सही अभिरुचियां विकसित करना तथा उत्पादकता के सिद्धांत पर जोर डालना है । विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं भाषाओं के शिक्षण को ऐसा रूप दिया जाएगा ताकि सामाजिक जागरूकता, प्रजातांत्रिक महत्वों के विकास, सामाजिक न्याय की भावना और राष्ट्रीय एकता की प्रोन्नति को सुनिश्चित किया जा सके । सामाजिक विज्ञान के शिक्षण से बच्चे परम्परा की सराहना करने और साथ-साथ अनावश्यक और अप्रचलित बातों को जानने एवं उन्हें त्यागने के योग्य बन सकेंगे । उसी प्रकार वैज्ञानिक विषयों का अध्ययन, यौन, जाति, धर्म, भाषा अथवा क्षेत्र पर आधारित रूढ़िवाद और पूर्व-धारणाओं को समाप्त करने में सहायक होगा । सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का उद्देश्य मानवतावाद धर्म-निर्पेक्षता, समाजवाद और प्रजातंत्र के महत्व और आदर्शों को प्रोन्नत करना होना चाहिए ।

अनेक राज्यों ने, उन्हें भेजे गए प्रारूप-ढांचे में रुचि दिखाई है ।

कृषि उत्पादों के मूल्य

686. श्री एम० कल्याण सुन्दरम : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कपास, गन्ना, पटसन, तम्बाकू, मूंगफली और मक्की जैसे कृषि उत्पादों के बाजार भाव क्या हैं ; और

(ख) गत दो वर्षों में उपर्युक्त वस्तुओं के मूल्य क्या थे ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) तथा (ख) एक विवरण-पत्र संलग्न है ।

विवरण

थोक मूल्यों के सूचकांक

(आधार 1961-62 = 100)

	वर्तमान सूचकांक (31-7-76)	1975 का तदनुरूपी सूचकांक (2-8-75)	1974 का सूचकांक (3-8-74)
कच्ची कपास . .	406.2	275.1	390.1
गन्ना . .	214.5	207.1	195.9
कच्ची पटसन . .	171.9	162.8	146.5
कच्चा तम्बाकू . .	302.6	264.9	300.8
मूंगफली . . .	307.2	368.2	422.7
मक्का . . .	249.5	399.5	488.9

सहकारी/संयुक्त खेती के लिए निधि

687. **श्री डी० के० पण्डा :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमिहीन श्रमिकों को जिन्हें सरकारी भूमि अथवा अधिकतम सीमा से फालतू भूमि वितरित की गई है, उन्हें संगठित करके आपात स्थिति की अवधि में बड़े भू-भागों में कोई सहकारी खेती अथवा संयुक्त खेती का कार्य आरम्भ किया गया है ; और

(ख) क्या ऐसी कोई योजना है तथा ऐसी सहकारी खेती के विकास के लिए विशेष निधियां आबंटित की जायेंगी और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां): (क) व (ख) राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्र प्रशासनों से सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

वर्ष 2001 तक देश में जनसंख्या का घनत्व

688. **चौधरी नीतिराज सिंह :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगर तथा ग्राम योजना संगठन के सर्वेक्षण प्रतिवेदन से यह ज्ञात होता है कि देश में जनसंख्या का घनत्व 1971 में 178 प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 2001 में लगभग 288 प्रति वर्ग किलोमीटर हो जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस अवधि में ग्रामीण जनसंख्या में 22.5 करोड़ तथा नगरीय जनसंख्या में लगभग 27 करोड़ की वृद्धि हो जायेगी; और

(ग) उक्त प्रतिवेदन की अन्य सिफारिशों की रूपरेखा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री के० रघुरामैया): (क) से (ग) सम्भवतः इसका संदर्भ नगर तथा ग्राम आयोजना संगठन द्वारा तैयार किये गये ?"राष्ट्रीय शहरीकरण नीति" की अप्रोच पेपर में दी गई रूप रेखा से है जो भारत के रजिस्ट्रार जनरल के प्रकाशन में दी गई जनसंख्या के आंकड़े पर आधारित है। सरकार उन सभी विचारों पर सहर्ष स्वतः विचार करेगी जो सरकार के विशेषज्ञों तथा संगठनों और अन्य लोगों द्वारा भी व्यक्त किए जायेंगे तथा देश के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर परिस्थिति का अपने ही मूल्यांकन के आधार पर अपनी नीति बनाएगी। अतः सरकार के अपने किसी भी विशेषज्ञ द्वारा व्यक्त किए गये विचारों पर सरकार की प्रतिक्रिया बताना सम्भव नहीं है।

वर्षा आरम्भ होने के कारण नई गन्दी बस्तियां

689. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली के समीप नई पुनर्वास बस्तियां वर्षा आरम्भ होते ही नई गन्दी बस्तियां बन गईं ;

(ख) क्या आवास, जल निकासी, चिकित्सा सुविधा आदि के बारे में कोई तैयारी किये बिना नई बस्तियों में जनता को भेज दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो उनकी समस्याओं को हल करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री के० रघुरामैया) (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली के विभिन्न भागों में 27 पुनर्वास कालोनियों का विकास किया है जहां झुग्गी-झोंपड़ी समूहों से हटाए गए लोगों को बसाया गया है। इन सभी कालोनियों में पक्की सड़कें, ईंट की गलियां, सड़क की बिजली, जल-निकासी, स्कूल, पार्क, हैण्डपम्पों व नलकूपों द्वारा जलपूर्ति, शुष्क तथा जलवाही शौचालय, दूरदर्शन केन्द्र, पर्याप्त बस सेवा, स्वास्थ्य सुविधायें आदि जैसी समस्य मूलभूत सुख-सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। पानी को जमा होने से रोकने के लिए भी प्रबन्ध किए गए हैं।

बागमती नदी परियोजना

690. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बागमती नदी (बिहार) की मुख्य धारा नेपाल के तराई क्षेत्र में मनुस-कारा की ओर मुड़ रही है जिससे वर्तमान रूप में बागमती नदी परियोजना की योजना के पूर्णतः बेकार हो जाने की संभावना है, और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख) 1974 से बागमती नदी में, नेपाल के क्षेत्र में हरकटवा गांव के निकट मनुस्मरा नदी की ओर सरकने की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। यदि यह प्रवृत्ति जारी रही तो बागमती नदी के मनुस्मरा नदी में मिल जाने और इसके फलस्वरूप होने वाले परिणामों की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। चूंकि नेपाल के अन्दर किये जाने वाले उपाय, जो नेपाल के महामहिम सम्राट की सरकार की सहमति के बिना नहीं किए जा सकते, तत्काल किए जाने

सम्भव नहीं हैं, इसलिए राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि वह ऐसे तटबंध बनाने की स्कीम तैयार करे, जो पूर्णता हमारे देश के अन्दर हों, ताकि बागमती नदी के मार्ग के सम्भाव्य परिवर्तन से जो हानि होने की आशंका है उससे बचा जा सके ।

जल की उपलब्धता में असन्तुलन

691. **श्री अन्नासाहेब गोटखिन्डे :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न क्षेत्रों में जल की उपलब्धता में बहुत अधिक असन्तुलन है; और

(ख) यदि हां, तो फालतू जल वाले क्षेत्रों से जल की कमी वाले क्षेत्रों को एक बेसिन से दूसरे बेसिन में जल अंतरित करने की सम्भावनाओं की किस प्रकार जांच की जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख) देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच सिंचाई सुविधाओं के मामले में भारी असन्तुलन विद्यमान है। देश में, कुल मिला कर, विशाल जल-संसाधन हैं लेकिन उनका वितरण समान नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ क्षेत्रों में बाढ़ें आ जाती हैं और कुछ क्षेत्रों में सूखा पड़ जाता है। इन समस्याओं को कम से कम करने और सिंचाई सुविधाओं में विद्यमान असमानताओं को घटाने के लिए यह जरूरी है कि पहले विभिन्न बेसिनों, उप-बेसिनों और क्षेत्रों में फालतू पानी और उसकी कमी की स्थिति का गहराई से अध्ययन किया जाए और सूखा-प्रवण क्षेत्रों को जल के अन्तर्बेसिन और अन्तर्क्षेत्रीय अन्तरण की प्राथमिकताएं निर्धारित की जाएं। पांचवीं योजना में ऐसे अध्ययन करने के लिए 2.45 करोड़ रुपये के अनुमान का अनुमोदन किया गया है और केन्द्रीय जल आयोग में इस कार्य के लिए आवश्यक संगठन की स्थापना की गयी हैं ।

कोसी सलाहकार बोर्ड का सुझाव

692. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री कोसी सलाहकार बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन के बारे में 10 मई, 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3669 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोर्ड ने अप्रैल, 1976 के पश्चात् कोई अन्य प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसमें कुछ नये सुझाव/सिफारिशें दी गई हैं; और

(ग) नेपाल सरकार के साथ क्या प्रयास किये गये हैं अथवा किये जा रहे हैं तथा उनका अब तक क्या परिणाम निकला है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा नहीं होता ।

(ग) अभी तक नेपाल के महामहिम सम्राट की सरकार के साथ इस मामले पर विचार-विमर्श नहीं किया जा सका है। लेकिन नेपाल के महामहिम सम्राट की सरकार के साथ यथोचित समय पर इस मामले को उठाने का प्रयत्न किया जाएगा ।

उड़ीसा में साक्षरता अभियान

693. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में साक्षरता अभियान में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) हरिजनों और आदिवासियों में साक्षरता के आंकड़े क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) उड़ीसा में 0-4 वर्ष आयुवर्ग को छोड़कर जनता में साक्षरता की प्रतिशतता 1961 की जनगणना के अनुसार 25.69 और 1971 की जनगणना के अनुसार 30.02 थी। जनगणना में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के बारे में साक्षरता के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। 1961 और 1971 में उड़ीसा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की प्रतिशतता निम्नलिखित थी । इस प्रतिशतता में 0-4 आयुवर्ग भी शामिल है।

	जनगणना 1961	जनगणना 1971
अनुसूचित जाति	11.57	15.61
अनुसूचित जनजाति	7.36	9.46

Setting up of Central University at Port Blair

694. **SHRI SHANKAR DAYAL SINGH :** Will the Minister of **EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up a Central University at Port Blair so as to enable the citizens of Andaman and Nicobar to get education facilities; and

(b) whether this University would be an open University on the pattern of Shantiniketan?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (PROF. S. NURUL HASAN) : (a) & (b) No proposal to set up a Central University at Port Blair is under consideration of the Central Government.

Uniformity in Panchayat Raj System

695. **SHRI CHIRANJIB JHA :** Will the Minister of **AGRICULTURE AND IRRIGATION** be pleased to state whether Government propose to bring uniformity in the Panchayati Raj System throughout the country with a view to strengthen national unity and achieving decentralisation of power?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION (SHRI SHAH NAWAZ KHAN): No, Sir. Panchayati Raj is a State subject.

राष्ट्रीय ग्रन्थागार, कलकत्ता में पुस्तकाध्यक्ष की नियुक्ति

696. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रन्थागार, कलकत्ता में अभी पुस्तकाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई है;

(ख) क्या इस बीच ग्रन्थागार के कार्यकरण में कुप्रबन्ध होता रहा है और हजारों पुस्तकों, पत्रिकाओं और पाण्डुलिपियों को कीड़े खा रहे हैं और वे मौसम के प्रभाव से खराब हो रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार के आदेश पर जिस समिति ने इस मामले की जांच की थी उसकी सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए अविलम्ब कोई कार्यवाई की जाएगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) आशा की जाती है कि नियुक्ति शीघ्र की जाएंगी ।

(ख) सरकार के ध्यान में कुप्रबन्ध का कोई भी मामला नहीं आया है । पुस्तकाध्यक्ष की अनुपस्थिति में, एक प्रबन्ध समिति उसके कार्यों की देखभाल करती है । पुस्तकालय में एक सुविकसित परिक्षण एकक है जो अपनी जरूरतों की देखभाल करने के अतिरिक्त इस सम्बन्ध में अन्य पुस्तकालयों की सहायता भी करती है । इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि पुस्तकालय में संग्रहों की क्षति न हो, आवश्यक सावधानियां बरती जाती हैं ।

(ग) सरकार द्वारा 1968 में गठित पुनरीक्षण समिति की अधिकांश सिफारिशें कार्यान्वित की जा चुकी हैं । बाकी बची कुछेक सिफारिशों को, निदेशक की नियुक्ति के बाद, जो विचाराधीन है, हाथ में लिया जाएगा ।

कृषि की 'नो टिल' (बिना जुताई) प्रणाली

697. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कृषि की 'नो टिल' (बिना जुताई) प्रणाली आरम्भ किये जाने की व्यवहार्यता की सरकार ने जांच की है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) क्या सरकार को पता है कि कुछ विकसित देशों में अधिकाधिक भूमि में बिना जुताई अथवा कम-से-कम जुताई प्रणाली से खेती की जा रही है जिससे लागत में कमी हो और भूमि अधिक उर्वरा हो ?

(क) कृषि की जुताई रहित या "शून्य जुताई" कृषि शुरू करने की सम्भावनाओं के बारे में कुछ कृषि अनुसंधान केन्द्रों और विश्वविद्यालयों में परीक्षण चल रहे हैं । मूल रूप से "जुताई रहित" कृषि पद्धति के पीछ अधारभूत सिद्धान्त यह है कि कृषि उपकरणों के स्थान पर रासायनिक खरपतवारनाशकों का प्रयोग किया जाये । इस पद्धति में बीज की क्यारियां तैयार नहीं की जाती और अकुंरण अवस्था में खरपतवारों को उपयुक्त मात्रा में खरपतवार नाशक दवाइयां छिड़क कर खत्म किया जाता है । इस तकनीक को किसानों को प्रस्तावित करने से पहले यह जरूरी है कि खरपतवारनाशक रसायनों के विकृति उत्पादों और बहुफसली कृषि पद्धति में बाद की फसलों पर उनके प्रभाव के बारे में और जानकारी प्राप्त की जाय ।

(ख) "जुताई रहित" पद्धति पर विभिन्न अनुसंधान संस्थानों जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नयी दिल्ली, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, गो० ब० पंत कृषि और प्राद्यौगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर आदि में अनुसंधान प्रयोग चल रहे हैं ।

एक प्रयोग में मक्का के बाद गेहूं बोया गया और कोई जुताई नहीं, दो, चार, छः और आठ जुताइयां की गई । इन उपचारों के साथ-साथ खरपतवार नियंत्रण के उपचार

भी किये गये । प्राप्त नतीजों से पता चला कि जहां खरपतवारों को नहीं सटाया वहां 6 जुताइयां आवश्यक हैं। फिर भी जब वार्षिक और बारहमासी खरपतवारों को वहां से हटा दिया गया तो कोई जुताई न करने पर भी इतनी पैदावार हुई जितनी कि 4, 6 और 8 जुताइयां करने पर होती है ।

एक और परीक्षण में जब जहां मक्का के ढूठों को पैराक्वेट (एक खरपतवार नाशी रसायन) छिड़ककर नष्ट किया गया तो उपज इतनी अच्छी हुई जितनी कि मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करने पर होती है। पैराक्वेट के छिड़काव ने और खरपतवारों को भी नष्ट कर दिया, और, इसलिए कोई भी जुताई न करने पर 4-6 बार जुताई करने जैसी उपज मिली ।

भारत में अन्य कृषि अनुसंधान केन्द्रों में भी ऐसे ही नतीजे मिले ।

(ग) हां, अमरीका जैसे देशों में 'जुताई रहित विधि' खेती में अपनाई जा रही है, खासकर मिट्टी कटाव वाले क्षेत्रों में कटाव से होने वाली हानि को रोकने के लिये और बारानी भूमि क्षेत्रों में नयी संरक्षण बढ़ाने के लिए । यह काम ढूठों की पतवार करके या खेत में छोड़े गये सूखे खरपतवार की पतवार करके किया जा रहा है ।

माल्पे मत्स्य-ग्रहण पत्तन

698. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माल्पे मत्स्य-ग्रहण पत्तन का कार्य आरम्भ हो गया है;

(ख) पत्तन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) पत्तन का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) माल्पे मात्स्यकी बन्दरगाह पर कार्य मानसून के पश्चात शीघ्र आरम्भ होगा । टैन्डरों और समझौतों को पहले से ही अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

(ख) माल्पे पर मात्स्यकी बन्दरगाह 4.5 मीटर तक मात्स्यकी जहाजों को खीचने की डिजाइन क्षमता रखती है । इसके किनारे और बांध 455.5 मीटर की लम्बाई के हैं जो 10 मीटर लम्बाई वाली 210 यंत्री-कृत नावों को संभालने के लिये काफी हैं । 14 मीटर के 40 पर्स-सौनर्स और 18-23 मीटर के 23 गहन समुद्र मात्स्यकी जलयान । इन नावों के आपरेशन से प्रति वर्ष 7.8 करोड़ रुपये के मूल्य की 25,500 मीटरी टन मछली पकड़ने की सम्भावना है जिसमें 4.6 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा के रूप में होंगे ।

(ग) आशा है कि बन्दरगाह अप्रैल, 1979 तक तैयार हो जाएगी ।

"स्लो स्टार्ट टु अर्बन लैण्ड डेक्लेरेशन" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार

699. **श्री जगन्नाथ मिश्र**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन
श्रीमती पार्वती कृष्णन } : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 मई, 1976 के एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र में "स्लो स्टार्ट टू अर्बन लैण्ड डेक्लेरेशन" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) जी, हां।

(ख) यह कहना ठीक नहीं है कि शहरी भूमि की घोषणा का प्रारम्भ धीमी गति से किया गया है। जिन राज्यों में कानून लागू हो गया है उनमें किसी भी व्यक्ति के पास सीमा से अधिक रिक्त भूमि का विवरण दाखिल करने के लिए अन्तिम तारीख प्रथमत: 14 अगस्त, 1976 है जिसे 15 सितम्बर, 1976 तक बढ़ाया जा रहा है। बढ़ाया गया यह समय उन राज्यों पर भी लागू होगा जिन्होंने इस अधिनियम को अपना लिया है । जिन राज्यों में इस समय नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 लागू है वे इन विवरणों को लेने और आगे की कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार ह।

चावल की आवश्यकता और जड़ फसलें

700. **डा० के० एल० राव** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जो प्रति वर्ष 40 लाख टन से अधिक चावल का उत्पादन करते है।

(ख) भाग (क) में निर्दिष्ट देशों में तथा भारत में चावल की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है, और

(ग) क्या भारत में चावल की कुछ आवश्यकता को आलू जैसी जड़ फसलों वाली के द्वारा पूरा किया जा सकता है, और यदि हां, तो ऐसी फसलों को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) तथा (ख) एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) आलू जैसी कन्द फसलों से काफी कैलोरी प्राप्त होती है और इनके अधिक उपभोग से औसत भारतीय आहार में कैलोरी की जो कमी है वह पूरी की जाएगी । केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने आलू जैसी कन्द फसलों का उत्पादन बढ़ाने और उपभोक्ताओं को खाद्य की गौण मदों के रूप में कन्द फसलों का उपभोग बढ़ाने के बारे में शिक्षा देने के लिए कार्यक्रम शुरू किये हैं ।

विवरण

धान का उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति धान की उपलब्धि

देश	धान के रूप में उत्पादन (क) (दस लाख मीटरी टन)	प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति चावल की उपलब्धि (ख) (किलोग्राम में)
संयुक्त राज्य अमेरिका	5.2	3.3
ब्राजील	6.8	46.4
बंगला देश	17.2	उ० न०
बर्मा	8.4	147.5
चीन	115.3 (घ)	132.0
भारत	40.3 (चावल) 60.4 (धान)	59.9 (ग)
इन्डोनेशिया	22.8	82.7
जापान	15.9	111.1
कोरिया गणराज्य	5.9	111.9
फिलिपाइन	5.6	86.1
थाईलैण्ड	13.2	161.5
वियतनाम	11.4 (ङ)	169.4 (च)

(क) भारत के अलावा अन्य देशों के आंकड़े वर्ष 1974 के संबंध में हैं (स्रोत : एफ० ए० ओ० प्रोडक्शन ईयर बुक, 1974) । भारत के आंकड़े वर्ष 1974-75 के अखिल भारतीय अंतिम अनुमान पर आधारित हैं।

(ख) भारत के अलावा अन्य देशों के प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति की उपलब्धि संबंधी आंकड़े खाद्य एवं कृषि संगठन के "फूड बैलेंस शीट्स, 1971" में प्रकाशित किए गए हैं।

(ग) वर्ष 1975 के हैं (अनंतिम)।

(घ) खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुमान।

(ङ) इसमें वियतनाम जनतंत्रीय गणराज्य के उत्पादन के 42 लाख मीटरी टन (जिनका अनुमान खाद्य एवं कृषि संगठन ने लगाया है) और वियतनाम गणराज्य के 72 लाख मीटरी टन (गैर-सरकारी अनुमान) शामिल हैं।

(च) वियतनाम गणराज्य के हैं। उत्तरी वियतनाम के आंकड़े 140.4 किलोग्राम हैं।

मछली का उत्पादन

701. **श्री राजदेव सिंह** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस तथ्य के बावजूद कि हमारा समुद्र तट बहुत लम्बा है और हमारे आन्तरिक संसाधन बहुत अधिक हैं, विश्व में प्रतिवर्ष पकड़ी जाने वाली मछलियों की तुलना में हमारे यहां कठिनाई से दो प्रतिशत मछली पकड़ी जाती है तथा भारतीय अनुमानित क्षमता की तुलना में छठे भाग से भी कम मछली पकड़ी जाती हैं;

(ख) क्या जापान और इण्डोनेशिया जैसे देश तथा सोवियत संघ भी हमारी तुलना में हिन्दमहासागर से अधिक मछली पकड़ते हैं;

(ग) क्या हमारे आंतरिक संसाधन बहुत व्यापक हैं तथा उन से बहुत कम मछली पकड़ी जाती हैं; और

(घ) यदि हां, तो हमारे विदोहन कार्य और संसाधनों में भारी अन्तर को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) मत्स्य उत्पादन का मौजूदा स्तर संसाधनों के कुछ अनुमानों के अनुसार इसकी क्षमता का केवल छठवां भाग है । इस समय विश्व में मछली के कुल उत्पादन का लगभग 3.5 प्रतिशत उत्पादन भारत में होता है।

(ख) भारतीय महासागर से जापान, इन्डोनेशिया और रूस जैसे देश अलग-अलग 5 प्रतिशत से कम मछली का उत्पादन करते हैं, जबकि भारत लगभग 48 प्रतिशत मछली का उत्पादन करता है।

(ग) भारत में बहुत अधिक अन्तर्देशीय मात्स्यकी संसाधन हैं, जिनका ठीक ढंग से विकास होने पर बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा सकता है।

(घ) समुद्री मात्स्यकी की दिशा में मूल सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है और तट पर, तट से दूर तथा दूर से पानी में मात्स्यकी संसाधनों के उपयोग के मामले में सहायता दी जा रही है। अन्तर्देशीय मात्स्यकी के बारे में मत्स्य पालन के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाने और सघन मत्स्य-पालन की तकनीकें अपनाकर उत्पादन के स्तर में सुधार करने पर बल दिया जा रहा है।

डेरी विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की लागत

702. **श्री धामनकर** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डेरी विकास योजना के क्रियान्वयन पर कितनी लागत आयेगी और विश्व बैंक द्वारा किस सीमा तक इसके वित्त पोषण का प्रस्ताव है, और

(ख) डेरी विकास, डेरी मशीन फैक्टरी, पशुपालन टीका (वैक्सीन) निर्माण, आधुनिकीकरण आदि के लिए क्या कार्यक्रम बनाया गया है और इससे विदेशी मुद्रा में कितनी वार्षिक बचत होने का अनुमान है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) शायद इस प्रश्न का संबंध पांचवीं योजना में विश्व बैंक की सहायता से प्रारम्भ की जा रही डेरी विकास

योजनाओं से है। पांचवीं योजना में छः समेकित पशु तथा डेरी विकास परियोजनाओं को प्रारम्भ करने का विचार है। इस समय लगभग 117.41 करोड़ रूपये की कुल लागत से राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में तीन परियोजनाएं प्रारम्भ की गई हैं। विश्व बैंक लगभग 59.24 करोड़ रुपये का सुगम ऋण प्रदान करेगा।

(ख) इस परियोजना में संकर प्रजनन कार्यक्रम, कृत्रिम गर्भाधान, तकनीकी आदान, स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रारम्भ करने तथा प्रारम्भिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों, एपेक्स स्तर पर डेरी विकास निगम के साथ दुग्ध यूनियनों की स्थापना करने का विचार है। इस परियोजना में किसी डेरी मशीनरी फैक्टरी की व्यवस्था नहीं है, परन्तु टीकों का निर्माण क्षेत्रीय रोग-निदान प्रयोगशालाओं और जैविक पशु-चिकित्सा टीकों के उत्पादन के संयंत्रों के माध्यम से किया जायेगा। इस परियोजना के अन्तर्गत मध्यम आकार की डेरी संयंत्रों की स्थापना करने का विचार है, जो ग्रामीण दुग्ध क्षेत्रों में उचित रूप से उत्पादक केन्द्रों से जोड़े जायेंगे।

इन प्रयासों के फलस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा बचाना सम्भव होगा, इसका अभी निर्धारण नहीं किया गया है।

वृक्षारोपण

703. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या और अधिक वृक्ष लगाने के लिए कोई देशव्यापी कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या इस बारे में देश की शिक्षा संस्थाओं की सहायता मांगी गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी क्रियान्विति के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) तथा (ख) जी हां।

(ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं।

केरल में पजास्सी परियोजना का अनुमान

704. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में पजास्सी परियोजना का मूल अनुमान क्या है जब वह 1961 में आरम्भ की गई थी;

(ख) अब तक कितनी राशि खर्च हो चुकी है;

(ग) इस के पूरा करने के लिए कितनी राशि और चाहिए; और

(घ) इसके पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) से (घ) पजहासी परियोजना को मूलतः अप्रैल, 1964 में 4.42 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर मंजूरी दी गई थी। इस परियोजना पर अब 17.40 करोड़ रूपये की लागत आने का अनुमान है। इस परियोजना पर मार्च, 1976 के अन्त तक 6.72 करोड़ रुपया खर्च हो चुका था और इस प्रकार परियोजना को पूरा करने के लिए 10.68 करोड़ रुपये बचे थे। इस परियोजना के क्रियान्वयन में देर होने का कारण यह है कि राज्य सरकार परियोजना के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था नहीं कर सकी है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा आन्ध्र प्रदेश में चावल तथा धान की वसूली

705. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम ने चालू वर्ष में आन्ध्र प्रदेश में कितने चावल और धान की वसूली की;

(ख) गोदाम की सुविधा न उपलब्ध होने के कारण कितना चावल और धान खुले में पड़ा है; और

(ग) वर्षा के कारण कितना चावल और धान खराब हो गया है?

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) :

(क)	चावल . .	9,93,748 मीटरी टन
	धान .	3,55,307 मीटरी टन
(ख)	चावल .	2,02,000 मीटरी टन
	धान	3,42,000 मीटरी टन
	गेहूं	1,89,000 मीटरी टन
(ग)	चावल . . .	100 मीटरी टन
	गेहूं . . .	224 मीटरी टन

LOSSES DUE TO CYCLONES IN THE COUNTRY

706. **SHRI BIBHUTI MISHRA** : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) the loss of life and property in Andhra Pradesh, Madras, Kerala, Karnataka and Gujarat as a result of cyclones in various parts of the country upto 9th August, 1976; and

(b) the amount of assistance provided by Government therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI PRABHUDAS PATEL) : (a) A statement showing the loss of life and property reported by the cyclones hit States is appended.

(b) Consequent upon the acceptance by Government of the recommendations of the Sixth Finance Commission, the relief measures are required to be financed by the State Governments from their own resources with the help of 'margin' money allowed to them by the Commission and suitable readjustment of their Plan outlays. Central assistance is provided, where necessary, by way of advance plan assistance. Gujarat State has made a request for advance plan assistance. A Central Team would be visiting the State shortly to assess their needs.

Statement

Gujarat :

1. Human Lives lost	69
2. Useful cattle lost	1,097
3. Other animals lost	29,539
4. Houses collapsed	12,827
5. Houses damaged	48,084
6. Huts collapsed	19,592
7. Huts damaged	82,205
8. Cropped area damaged	8,353 hect.
9. Loss to public properties and as roads, Bridges, Irrigation works, Municipal Properties, Schools etc., excluding Industrial Units.	Valued at Rs. 1,063 lakhs.

Karnataka :

1. Human life lost		1
2. Seriously wounded		2
3. *Houses damaged*		
(a) Fully		46
(b) Partially		84
	Total	130

Maharashtra :

1. Human lives lost	33
2. Houses damaged	219
3. Cropped area damaged	677 hect.
4. Damage to boats	91

कावेरी डेल्टा परियोजना के लिए सहायता

707. **श्री पी० गंगा रेड्डी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने कावेरी डेल्टा सुधार (मोडरेशन) परियोजना के लिए सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) कावेरी डेल्टा आधुनिकीकरण स्कीम का अभी अनुमोदन नहीं किया गया है और कावेरी के जल के उपयोग से सम्बन्धित अन्तर्राज्यीय पहलुओं के कारण यह स्कीम केन्द्रीय जल आयोग में मंजूरी के लिए विचाराधीन है। केन्द्रीय सरकार को तमिलनाडु सरकार से इस परियोजना के लिए किसी विशेष केन्द्रीय सहायता का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) यह सवाल पैदा नहीं होता।

Check on Spread of Rajasthan Desert

708. SHRI LALJI BHAI: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) the measures being taken by the Central Government to contain the spread of desert in Rajasthan.

(b) whether U.N.O. or some other country is giving any kind of assistance for this programme; and

(c) if so, the facts thereof and the expenditure incurred in this regard during the last three years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SHAH NAWAZ KHAN): (a) The Central Government has been taking a number of steps in order to contain and develop the desert areas of Rajasthan. The measures being taken are:

(i) Under central sector, Command Area Development Programme has been taken up with World Bank assistance to optimise production. This programme includes lining of canals, construction of roads, afforestation, on-farm development, village water supplies, etc;

(ii) Groundwater survey, under UNDP/SF Project for Rajasthan and Gujarat, was carried out from 1971 –1974 in the districts of Bikaner, Nagaur, Churu, Jhunjhuna and Sikar in Rajasthan;

(iii) Groundwater study, under UNDP/SF Project in Ghaggar River Basin, over an area of 10,005 Sq. Km. in the State of Rajasthan, has been initiated;

(iv) The Centrally Sponsored Scheme for Drought Prone area Programme is in operation in ten main districts and six tehsils in three contiguous districts of Rajasthan. The schemes provide for integrated development covering the sectors of agriculture, groundwates development, afforestation, cattle and sheep development, etc.;

(v) The Centrally Sponsored Scheme of Social Forestry is being implemented in the semi-arid region of Rajasthan from the current year. The scheme envisage development of afforestation in the wastelands and community lands;

(vi) The Central Arid Zone Research Institute, Jodhpur is conducting research on items related to the problems of the desert regions including technology for desert agronomy and afforestation including methods and stabilisation of shifting sand dunes, establishing shelter belts and wind brakes, range management, etc.;

(vii) Rajasthan Canal Project is an important step in this direction. To accelerate construction, advance plan assistance was provided by Government of India in 1975-76.

(b) Yes Sir

(c) The expenditure incurred under various schemes is as follows :

In the command area development of the Rajasthan Canal Project, a sum of Rs. 1,452·00 lakhs was spent during 1974-75 and 1975-76. The total estimate for the project is $174 million (including IDA loan of $ 83 million);

For surveying ground water in Gujarat and Rajasthan a sum of $ 6·54 lakhs was spent as UNDP contribution along with Rs. 104·11 lakhs as Government of India contribution;

For studying ground water in the Ghaggar River Basin an amount of $ 1·67 lakhs has been approved as UNDP contribution whereas Government of India contribution will be Rs. 176·01 lakhs.

इंजीनियरिंग कालेजों और संस्थानों के पाठ्यक्रम में व्यापार-प्रबन्ध

709. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इंजीनियरिंग कालेजों और संस्थानों के पाठ्यक्रम में व्यापार-प्रबन्ध (बिजनेस मैनेजमेंट) को प्रारम्भ करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : इंजीनियरी पाठ्यक्रमों में प्रथम डिग्री स्तर पर औद्योगिक संगठन तथा इंजीनियरी प्रबन्ध जैसे प्रबन्ध के तत्वों को पाठ्यचर्या में शामिल किया जाता है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने अपने अध्ययन बोर्ड के माध्यम से इंजीनियरी पाठ्यचर्या में उक्त विषय को समुचित महत्व दिए जाने की आवश्यकता पर बल दिया है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को मकानों के लिए स्थान दिया जाना

710. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कितने लोगों को राज्यवार मकानों के लिए स्थान वास्तव में दिए गये हैं और उन में से कितने उन स्थानों पर गत वर्ष झोंपड़ी बना सके हैं; और

(ख) प्रधान मन्त्री के नये आर्थिक कार्यक्रम को क्रियान्विति के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के बावजूद इस कार्य में धीमी गति के क्या कारण है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) तथा (ख) चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास-स्थल देने की योजना के अन्तर्गत आवास स्थलों का आबंटन करने के मामले में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों तथा इन दोनों श्रेणियों के अलावा अन्य व्यक्तियों में कोई भेदभाव नहीं है, अतः अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों को इस योजना के अधीन किए गए आवंटन के बारे में कोई पृथक आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। देश के आवास-स्थल हीन लगभग 113 लाख परिवारों में से 69 लाख परिवारों को विभिन्न राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा आवास-स्थल पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं। यह देश की कुल मांग के 60 प्रतिशत से अधिक है। अतः इस योजना के कार्यान्वयन में की गई प्रगति संतोषजनक समझी गई। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है वे शेष परिवारों को भी आवास स्थल शीघ्र आवंटित कर दें।

चीनी उद्योग में रुग्ण एकक

711. **सरदार मोहिन्दर सिंह गिल** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चीनी उद्योग के रुग्ण एककों की सहायता के लिए कुछ नयी योजनाएं अन्तिम रूप से तैयार कर ली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि रखी गई है; और

(ग) क्या रुग्णता के कारणों का पता लगाने के लिए कोई व्यवस्था की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) चीनी उद्योग समेत चुने हुए उद्योगों में रुग्णता का पूर्वानुमान लगाने के लिए एक योजना तैयार की गई

है। इससे इन उद्योगों को आधुनिकीकरण तथा पुनर्वासन के लिए अपनी उत्पादकता तथा प्रतियोगिता सम्बन्धी क्षमता सुधारने के लिए उन्हें नरम शर्तों पर ऋण दिया जाएगा।

(ख) फिलहाल कोई विशिष्टि राशि निर्धारित नहीं की गई है।

(ग) चीनी उद्योग में रुग्णता के कारणों की जांच करने के लिए विशेषकर किसी तन्त्र की स्थापना नहीं की गई है। टर्म-वित्तीय संस्थान तथा वाणिज्यिक बैंक प्रारम्भिक अवस्था में ही रुग्णता का पता लगाने के लिए अनुश्रवण प्रणाली की स्थापना में लगे हुए हैं ताकि इससे पूर्व कि यूनिट वास्तव में रुग्ण हों, आवश्यक उपचारी उपाय शुरू किए जा सकें।

Central Aid for Poultry and Piggery Farms in M.P.

712. SHRI G.C. DIXIT : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether Government of Madhya Pradesh have sought financial assistance from the Centre on priority basis for the farmers of Madhya Pradesh in setting up poultry and piggery farms in that State; and

(b) if so, the amount sanctioned therefor and the main features of the scheme?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI PRABHUDAS PATEL): (a) Yes, Sir.

(b) A total grant of Rs. 7 lakhs was made available during 1975-76 to the State Government of Madhya Pradesh for implementing poultry projects benefiting Small/Marginal Farmers and Agricultural Labourers in the districts of Durg, Raisen, Ujjain and Jabalpur; for piggery production in the district of Jabalpur and sheep production in Mandsaur district.

Poultry, piggery and sheep rearing programmes providing for breeding, health and nutrition cover and procurement and marketing of the produce are to be taken up in intensive compact areas in different States and Union Territories benefiting Small/Marginal Farmers and Agricultural Labourers, mainly in accordance with the recommendations made by the National Commission on Agriculture. These programmes are on subsidy-cum-loan basis. Under the poultry, piggery and sheep production programmes, the identified beneficiaries of Small Farmers will be provided subsidy at the rate of 25%, Marginal Farmers and Agricultural Labourers at the rate of 33-1/3% of the Capital investment required for setting up production units. In respect of poultry production, unit will be of the size of 50—100 layers. The sheep production unit will be of 20 ewes and one ram and the pig production unit of 3 sows. The loans for these programmes will be arranged from the institutional sources.

It is planned to take up 60 projects under poultry, 50 under piggery and 55 under sheep production programmes in the country during the current Plan period. In each of the identified project areas, it is contemplated to assist, 3,000 families in setting up poultry production units, 500 families under piggery production and 3,000 families under sheep production programmes. Fifth Plan outlay of Rs. 20 crores has been provided for poultry, piggery and sheep production programmes.

Central Assistance for Mass Housing Schemes for J.J. Dwellers in Madhya Pradesh

713. SHRI G.C. DIXIT : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) whether Madhya Pradesh Government have requested the Central Government for financial assistance for a mass Housing Scheme for jhuggi-jhonpri dwellers in the State who have been granted land ownership rights as a result of the implementation of land reforms; and

(b) if so, the broad outlines thereof ?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI K. RAGHURAMAIAH): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

दालों और वाणिज्यिक फसलों का बुवाई क्षेत्र और उनका उत्पादन

714. श्री एस० आर० दामाणी : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दालों और औद्योगिक कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाने वाली प्रमुख वाणिज्यिक फसलों में से प्रत्येक को कितने एकड़ भूमि में बोया जाता है और उनका उत्पादन कितना है;

(ख) वर्ष प्रति वर्ष उसमें वृद्धि के बावजूद उनके उत्पादन के क्या कारण हैं; और

(ग) उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) 1974-75 के अंतिम अनुमानों के अनुसार दालों और औद्योगिक कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाने वाली प्रमुख वाणिज्यिक फसलों का प्रत्येक का क्षेत्रफल और उत्पादन निम्न प्रकार से था :—

फसल	क्षेत्रफल	उत्पादन
	('000 हैक्टार)	('000 मीटरी टन)
1. कुल दालें . .	22577.8	10396.3
2. तिलहनें (पांच प्रमुख)	15586.3	8363.8
3. कपास (लिंट) .	7620.6	7079.5*
4. पटसन**	664.3	4470.5***
5. गन्ना (गुड़) . . .	2771.2	14313.1

*प्रत्येक 170 किलोग्राम की हजार गांठें।

**संशोधित अनुमान।

***प्रत्येक 180 किलोग्राम की हजार गांठें।

(ख) असमान उत्पादन का मुख्य कारण वर्षानुवर्ष प्रागामी वृद्धि के बजाय यह है कि गन्ने को छोड़कर ये फसलें अधिकांशत: वर्षा पोषित हालातों में पैदा की गई हैं। तथा इन फसलों के लिए वास्तविक क्षेत्र कम उपजाऊ स्तर की सीमान्त भूमि का है। परिणामत: प्रतिकूल मौसम के हालातों ने खेती की सुधरी हुई प्राद्योगिकी से होने वाले लाभांशों को कम कर दिया था तथा उत्पादन के रुख को काफी हद तक प्रभावित कर दिया। वर्षों में जब मौसम के हालत अनुकूल रहे तो अधिक उत्पादन प्राप्त किया गया है जबकि सूखे के समय में उत्पादन का स्तर कम हो गया।

(ग) संभाव्य क्षमता वाले क्षेत्रों में सघन खेती के उपायों को अपनाने, बहुफसली खेती के कार्यक्रमों के अन्तर्गत अल्पावधि किस्मों की खेती द्वारा इन फसलों के अन्तर्गत अतिरिक्त क्षेत्र लाने, सुधरी हुई कृषि प्रणालियों को अपनाने के लिए किसानों को शिक्षित करने, मुख्य और लघु सिंचाई परियोजनाओं के कमांड के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्रों में खेती, विशेषकर तिलहनों और कपास की खेती के विस्तार आदि के माध्यम से इन फसलों के उत्पादन में सुधार लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

भूमि पाने वालों के लिए आंध्र प्रदेश को केन्द्रीय सहायता

715. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने नये भूमि पाने वालों को यथावश्यक पूरी सहायता देने के लिए कोई योजना बनाई है ताकि वे आवंटित भूमि पर कृषि कर सकें;

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में तथ्य क्या है ?

(ग) क्या वह योजना केन्द्रीय सरकार को आवश्यक अनुदानों की मंजूरी के लिए भेज दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीप्रभुदास पटेल) : (क) से (घ) : आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा यह बताया गया है कि फालतू भूमि के अलाटियों को वित्तीय सहायता देने के लिए भारत सरकार के सुझाव के अनुसरण में योजनाएं तैयार की जा रही हैं।

तमिलनाडु आवास बोर्ड द्वारा निर्मित एक कमरे वाले मकानों की लागत में कमी

716. **श्री एम० कतामुतु :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु आवास बोर्ड 350 रुपए मासिक अथवा उससे कम आय वाले कमजोर वर्गों के लिए 14,000 रुपए प्रति मकान की लागत वाले एक कमरे वाले 1,500 मकान बना रहा है; और

(ख) क्या 1500 रुपए एक साथ अदा करने और आगामी 20 वर्षों में प्रति मास 100 रुपए अदा करने की शर्तें हैं ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री के० रघुरमैया) : (क) तमिलनाडु आवास बोर्ड ने मद्रास शहर में त्यागाराय नगर और माईलापुर में समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए जिनकी मासिक आय 350 रुपए से अधिक नहीं है, 760 अपार्टमेन्टों का निर्माण कार्य आरम्भ किया है । इनमें से प्रत्येक अपार्टमेन्ट में एक-सोने का कमरा, एक छोटी रसोई तथा भोजन कक्ष एक स्नान गृह तथा पन संडास हैं। इनमें से प्रत्येक फ्लैट की कीमत त्यागाराय नगर में 14,600 रुपए तथा माईलापुर में 14,500 रुपए है (इसमें भूमि की लागत शामिल है)

(ख) इन अपार्टमेंटों की अलाटमेन्ट के लिए विहित शर्तें हैं:—

(i) त्यागाराय नगर में 1,460 रुपए तथा माईलापुर में 1,450 रुपए का प्रारम्भिक अधो-भुगतान ।

(ii) 20 वर्ष की अवधि के लिए 110 रुपए की मासिक किस्त ।

To be answered on the 16th August, 1976

Loans and Grants given to Vastu Vypar Nigam, M.P.

717. SHRI BHAGIRATH BHANWAR: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) the amount of loans and grants given by the Central Government to the Vastu Vyapar Nigam (Commodity Trading Corporation) of Madhya Pradesh for the purchase of food grains and the total value of transaction done by the Corporation in the past three years;

(b) whether Government have received any complaints in regard to irregularities committed by the Corporation;

(c) whether the Madhya Pradesh Government have been asked to wind up the Corporation; and

(d) the advantage (usefulness) in running two parallel Corporations, the Madhya Pradesh Vastu Vyapar Nigam and the Food Corporation of India, by the State and the Central Government respectively.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE) : (a) The Central Government have not given any loans and grants to the Vastu Vyapar Nigam (Commodity Trading Corporation) of Madhya Pradesh for the purchase of foodgrains. The Government of Madhya Pradesh have reported that this Nigam was established on 3-4-74. The value of transactions done by the Nigam as reported by M.P. Government is a under :—

(in rupees)

Year	Purchases	Sales
1974-75	23,61,88,640·00	17,21,15,399·00
1975-76	17,65,56,492·00	33,55,39,830·00

(b) and (c) No, Sir.

(d) Apart from foodgrains, the Nigam also deals with other essential commodities of mass consumption such as edible oils and pulses. The State Government who have set up the Corporation consider its continuation necessary from the point of view of controlling prices and having effective control over the distribution of essential commodities. They have also expressed the view that the role of this Corporation vis-a-vis the Food Corporation of India is complementary and not competitive.

गुजरात की वेल्वादार अभयारण्य में पशुओं की मृत्यु

718. **श्री भागीरथ भंवर :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल की वर्षा में वेल्वादार अभयारण्य (गुजरात) में 900 हिरनों के मरने का समाचार मिला है और यदि हां, तो उस वर्ष में कितने और पशु पक्षी नष्ट हुए और भविष्य में ऐसी हानि को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) इस अभयारण्य में कुल कितने हिरन तथा अन्य पशु हैं; और

(ग) इस पर प्रति वर्ष केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि खर्च की जाती है ।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) वेल्वादार शरण-स्थल में हाल के तूफान तथा वर्षा के कारण 923 काले मृग नष्ट हुए है। किन्हीं अन्य पशुओं या पक्षियों के नष्ट होने की सूचना नहीं मिली है। इसका अध्ययन करने तथा उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करने के लिए गुजरात सरकार का एक समिति का गठन करने का प्रस्ताव है। इसमें मुख्य वन्य प्राणि वार्डन तथा एक प्रमुख स्थानीय वन्य प्राणि विशेषज्ञ होंगे ।

(ख) 1974 के अनुमानों के अनुसार मृगवन (शरण-स्थल) में लगभग 2,500 काले मृग हैं। वहां कोई अन्य पशु या पक्षी नहीं पाए जाते हैं।

(ग) राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाने वाले वार्षिक व्यय नीचे दिए गये हैं :—

वर्ष	राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार
	रु०	रु०
1973-74	—	22,905
1974-75	1,948	1,21,553
1975-76	14,706	1,20,089

Open Universities

719. SHRI BHAGIRATH BHANWAR : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether there is a proposal to set up open universities in the country and whether they have any special importance in the field of education; and

(b) the number of such universities proposed to be started in the country for the present and the locations thereof ?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (PROF. S. NURUL HASAN) : (a) and (b) The matter regarding establishment of an Open University is under consideration of the Government.

कमला नदी के तटबन्धों के निर्माण के लिये भारत-नेपाल समझौता

720. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री कमला नदी पर तटबंधों के लिए भारत नेपाल समझौते के बारे में 10 मई, 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3651 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल में कमला नदी पर बाढ़ के लिए तटबंधों के विस्तार संबंधी परियोजना प्रतिवेदन इस बीच पूरा कर लिया गया है, यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या 15 वर्षों से अधिक समय पूर्व नेपाल सरकार के साथ उक्त तटबंधों के बारे में कोई समझौता किया गया था और यदि हां, तो उक्त समझौते की मुख्य बातें क्या हैं और उसे कार्यान्वित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं।

(ग) क्या भारत और नेपाल दोनों में बाढ़ एवं सूखे की समस्याओं के हल के लिए नेपाल में कमला नदी पर सीसपानी स्थान पर बाढ़ निरोधक एवं सिंचाई बांध का निर्माण करने का प्रस्ताव था; और

(घ) यदि हां, तो उसके निर्माण के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख) : बिहार राज्य की सरकार ने सूचित किया है कि नेपाल और बिहार के इंजीनियरों द्वारा किए गए संयुक्त सर्वेक्षण के आधार पर और नेपाल के महामहिम सम्राट की सरकार द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए एक कच्ची रिपोर्ट तैयार की गई है जिसकी राज्य सरकार द्वारा जांच की जा रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार, कमला नदी के दोनों किनारों पर मिरचैया तक बनाए जाने वाले तटबंधों की लम्बाई 65 किलोमीटर होगी, जिनसे भारत के 62,000 हेक्टेयर क्षेत्र और नेपाल के 34,000 हेक्टेयर क्षेत्र को सुरक्षा प्राप्त होगी ।

निर्माण से पहले के विस्तृत सर्वेक्षण और बाद में स्कीम के क्रियान्वयन के लिए यह जरूरी है कि भारत सरकार और नेपाल के महामहिम सम्राट की सरकार के बीच करार हो।

(ग) और (घ). पिछले कुछ समय से नेपाल और भारत के बीच दोनों देशों के लाभ के लिए संयुक्त नदियों के जल संसाधनों के विकास की संभाव्य स्कीमों पर बातचीत होती रही है। अभी तक कोई निश्चय नहीं हो सका है।

केरल में बत्तखों की मृत्यु के बारे में जांच

721. **श्री वयालार रवि :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केरल में बत्तखों की बड़ी संख्या में हुई मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच की है;

(ख) यदि हां, तो उसका निष्कर्ष क्या है और इस के पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) प्रभावित लोगों को आर्थिक राहत देने की लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी नहीं। राज्य सरकार ने केरल में बत्तखों की मृत्यु के कारण की खोज करने के लिए एक दल भेजने हेतु भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के निदेशक से अनुरोध किया था। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के निदेशक ने सूचना दी कि उन्होंने विशेषज्ञ दल भेजने से पहले प्राथमिक प्रयोगशाला अन्वेषणों के लिए सामग्री सप्लाई करने के लिए अनुरोध किया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि निदेशक पशुपालन, केरल द्वारा बताया गया है कि केरल के पशुपालन विभाग के रोग अन्वेषण स्कंध तथा केरल कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किए गए प्राथमिक अन्वेषणों के परिणामों में कीटनाशी औषधियों में जहर युक्त तीव्र पेस्टूरेलोसिस् होने का अन्देशा है। तथा केरल कृषि विश्वविद्यालय द्वारा बत्तखों की मृत्यु के कारण का पता लगाने के लिए विस्तृत प्रयोगशाला अन्वेषण किए गए हैं जिनके पता लगने पर पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपाय किए जा सकते हैं।

(ग) यह पता चला है कि केरल सरकार ने प्रत्येक किसान को मरी हुई प्रत्येक बत्तख के लिए प्रति बत्तख 2 अंडे देने तक की लागत निशुल्क सहायता देने का निर्णय किया है जो अधिकतम 500 रु० प्रति किसान तक होगी तथा अधिकतम 2,500 रु० तक प्रति किसान को न्यूनतम ब्याज पर ऋण प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।

केरल में निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाएं पूरी करने के लिए राशि

722. **सी० जनार्दनन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने पहले ही निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं को पूरी करने के लिए अतिरिक्त धनराशि मांगी है ;

(ख) जिन सिंचाई परियोजनाओं में प्रगति हो रही है उनके नाम क्या हैं और उनके पूरा हो जाने पर कितनी भूमि में सिंचाई होने लगेगी; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर सकारात्मक है तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ग) हाल ही में केरल सरकार से उनकी चार चल रही बृहत सिंचाई परियोजनाओं अर्थात् कुट्टियाडी, पम्बा, पजहासी और कल्लड़ परियोजनाओं के लिए केन्द्र द्वारा अतिरिक्त धनराशि नियत किए जाने का अनुरोध प्राप्त हुआ है। 1976-77 के लिए इन परियोजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान किए जाने के प्रश्न पर इस समय भारत सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

(ख) राज्य में सात चालू बृहत सिंचाई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इनके नाम हैं, पेरियार घाटी, कल्लड, पम्बा, कुट्टियाडी, चिन्नलूपुर कन्हीरापुझा और पजहासी। इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर 3.53 लाख हेक्टर भूमि के लिए सिंचाई की सुविधाओं की व्यवस्था हो जाएगी। राज्य ने मुवत्तपुझा और चिमनी मुपलो नामक दो नई बृहत सिंचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध में भी प्रारम्भिक कार्य हाथ में ले लिए हैं। इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर 0.78 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी।

माध्यमिक कक्षाओं में इलैक्ट्रानिक्स का पढ़ाया जाना

723. **श्री सरदार मोहिन्दर सिंह गिल** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के महत्वपूर्ण वैज्ञानिक संस्थानों से चुने गए इलेक्ट्रानिक्स विशेषज्ञों के एक परामर्शदाता दल ने माध्यमिक कक्षाओं से इलेक्ट्रानिक्स की दिशा देने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निकट भविष्य में इस दिशा में कुछ कदम उठाने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) तथा (ख) रा० शै० अनु० तथा प्र० परि० द्वारा इलैक्ट्रानिक्स में एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति स्थापित की गई थी, जिसमें टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, केन्द्रीय इलैक्ट्रानिक्स इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली आदि जैसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में से चुने हुए व्यक्ति लिए गए हैं।

उक्त ग्रुप ने यह सिफारिश की है कि इलेक्ट्रानिक्स को मिडिल स्कूल स्तर पर मूल्यांकन (आप्रिशियेशन) पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाना तथा उसको विज्ञान पाठ्यक्रमों का एक अभिन्न अंग बनाना चाहिए। माध्यमिक स्तर पर, इस पाठ्यक्रम को जो अब भौतिकी का अंग है भविष्य में समेकित विज्ञान कार्यक्रम में शामिल करने की सिफारिश की गई है।

इन सिफारिशों पर रा० शै० अनु० तथा प्र० परिषद् के उपयुक्त विभाग विचार कर रहे हैं।

पंजाब को चीनी की सप्लाई

724. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने चीनी की कम सप्लाई करने और इसके परिणामस्वरूप वहां पर चीनी के मूल्यों में वृद्धि होने के बारे में केन्द्र को लिखा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्र की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां।

(ख) इस वर्ष चीनी के उत्पादन में गिरावट को देखते हुए विभिन्न राज्यों को लेवी चीनी का आवंटन सावधानी के साथ करना पड़ा है और इसलिए जनवरी 1976 से पंजाब राज्य का लेवी-चीनी का मासिक कोटा 6,081 मीटरी टन के चल रहे स्तर से बढ़ाना सम्भव नहीं हुआ है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में भौतिक शिक्षा प्राध्यापकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत ग्रेड I

725. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालयों और कालेजों में काम कर रहे भौतिक शिक्षा प्राध्यापकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत ग्रेड दे दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन्हें उक्त ग्रेड कब से दिए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस भेद-भाव के क्या कारण हैं और उन्हें उक्त ग्रेड कब से दिए जाएंगे?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, केन्द्रीय विश्वविद्यलयों के, शारीरिक शिक्षा के लेक्चररों के वेतनमानों को जहां कहीं भी ये विद्यमान हों, 1-1-1973 से अन्य संकायों के लेक्चररों के वेतनमानों के आधार पर परिशोधित कर दिया गया है।

वियतनाम से वापस आये लोगों का पुनर्वास

726. **श्री नारायण चन्द पराशर**: क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वियतनाम से लौटे कुछ लोगों ने अपने पुनर्वास के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन्हें भारत में पुनः बसाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है और विलम्ब के क्या कारण हैं तथा उनके पुनर्वास के लिए समुचित और पर्याप्त व्यवस्था कब तक की जाने की सम्भावना है?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : इस प्रकार के 591 प्रत्यावासी देश में वापस आए हैं। 33 व्यक्तियों के उन 4 परिवारों सहित, जिन्हें सहायता की आवश्यकता थी, सभी प्रत्यावासी अपने मूल

स्थानों, जिनमें से अधिकांश तमिलनाडु में तथा कुछ पंजाब व महाराष्ट्र को चले गए हैं। इन प्रत्यावासियों के पुनर्वास के सम्बन्ध में तमिल नाडु सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यह विचाराधीन ।

हिमाचल प्रदेश में नेहरू युवक केन्द्र

727. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के लिए मंजूर किये गये नेहरू युवक केन्द्र खोले जा चुके हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे किस-किस तिथि को खोले गये; और

(ग) यदि नहीं तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं और इन्हें कब तक खोला जायेगा?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : **(क) से (ग)** हिमाचल प्रदेश में अभी तक छः नेहरू युवक केन्द्र संस्वीकृत किये गये हैं । ये केन्द्र छम्बा, हमीरपुर, सोलन, ऊना, कुल्लू और बिलासपुर में हैं । छम्बा, हमीरपुर और सोलन स्थित तीनों केन्द्र क्रमशः 22-12-72, 29-12-72, और 22-12-72 से कार्य कर रहे हैं । युवक समन्वयकों के न होने के कारण शेष केन्द्र कार्य नहीं कर रहे हैं । उनका चयन करने के लिए शीघ्र ही कदम उठाए जा रहे हैं। युवक समन्वयकों की नियुक्ति होते ही केन्द्र खोले जाएंगे।

तमिल नाडु में चीनी मिलों द्वारा गन्ने की पेराई बंद किया जाना

728 **श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान तमिलनाडु में गैर सरकरी क्षेत्र की 40 चीनी मिलों तथा सहकारी क्षेत्र की 7 चीनी मिलों द्वारा गन्ने की पेराई बन्द किये जाने की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : : (क) जी हां । तथापि, सहकारी चीनी फैक्ट्री, अमरावती इस समय कार्य कर रही है।

(ख) राज्य सरकार के अनुसार निम्नलिखित कारण हैं :—

(1) 1974-75 के दौरान राज्य भर में अभूतपूर्व सूखा पड़ने से चीनी फैक्ट्रियों के लिए गन्ने की उपलब्धता पर असर पड़ा है।

(2) गन्ने का गुड़ के निर्माण में प्रयोग होना ; और

(3) किसानों को अन्य प्रतियोगी फसलों से अपेक्षाकृत अच्छा लाभ होना ।

(ग) गन्ने की पर्याप्त पैदावार सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने 1975-76 के मौसम के लिए गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य से 1.50 रुपये प्रति क्विंटल अधिक देने की घोषणा की थी और फैक्ट्रियों को गन्ना उत्पादकों को गन्ने के मूल्य का शीघ्र भुगतान करने के लिए कहा है। रजिस्टर्ड गन्ना क्षेत्रों से गुड़ निर्माताओं को गन्ना देने की मनाही करने पर भी विचार किया जा रहा है।

गुजरात में पशु और डेरी विकास

729. **श्री अरविन्द एम० पटेल**
श्री एन० आर० बेकारिया } : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना में गुजरात राज्य में पशुओं और डेरियों के विकास के लिए कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी मुख्य बातें क्या हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) जी हां।

(ख) गुजरात में 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित पशु और डेरी विकास योचनाएं चालू की गई हैं।

(क) पशु विकास योजनाएं

(1) अहमदाबाद, राजकोट, मेहसाना, सूरत, कैरा और बड़ौदा में स्थित 6 सघन पशु विकास परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। साबरकंथा और जूनागढ़ में इसी प्रकार की परियोजनाएं स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

2. विभिन्न जिलों में 12 मुख्य ग्राम ब्लाक बनाए गए हैं तथा लगभग 1 लाख पशुओं और भैंसों की प्रजननीय संख्या को पूरा करते हैं।

3. गौशाला विकास और पशु प्रजनन संस्थान

30 गौशालाओं और 7 पशु प्रजनन संस्थाओं को सहायता दी गई है। वर्तमान पशुओं के सुधार करने के लिए अथवा प्रबन्धकीय राजसहायता के रूप में इन संस्थानों को सहायता बढ़ा दी गई है।

4. राज्य और केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म

मोरवी, भुज, थारा, माण्डवी और जूनागढ़ में स्थापित की गई 5 राज्य पशु प्रजनन फार्मों को जारी रखा गया है। सुर्ती भैंसों के लिए एक केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म धमरोड में स्थापति किया गया है।

5. केन्द्रीय पशुयूथ पंजीयन योजना

यह योजना गुजरात में पशुओं की गिर और कंकरेज नस्लों तथा भैंसों की सुर्ती नस्ल के लिए स्थापित की गई है क्योंकि इन नस्लों के प्रजनक प्रदेशी इसी राज्य में पाए जाते हैं। यह योजना आगामी वृद्धि के लिए देशी जर्म प्लाज्म की श्रेष्ठतम उपलब्ध सामग्री का पता लगाने के विचार से बनाई गई है।

6. लघु और सीमांत कृषकों तथा कृषि श्रमिकों को सहायता

संकर प्रजनित पशुओं पर आधारित डेरी उद्योगों को चलाने के लिए अहमदाबाद, बड़ौदा, साबरकंथा, बलसाद, भारौच और सूरत के जिलों में अभिज्ञात लाभानुभोगियों हेतु जोकि लघु और सीमांत कृषक हैं, एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्वीकृत की गई है।

7. कृत्रिम गर्भाधान योजना

इस योजना के अन्तर्गत मेहसाना, राजकोट, अहमदाबाद आदि के चुने हुए क्षेत्र आते हैं जिसका उद्देश्य विदेशी नस्ल अर्थात जर्सी, होल्सटेन, फ्रीसियन के उच्च क्वालिटी के हिमित वीर्य से संकर प्रजनन करके दुग्ध उत्पादन बढ़ाना है।

8. सहकारी समितियों से सांडों की खरीद

प्रजनन उद्देश्यों हेतु पशु चिकित्सालयों और औषधालयों के माध्यम से अन्य गांवों में वितरण करने के लिए सरकार द्वारा इस प्रकार से सांड खरीदे गये हैं ।

9. दाने और चारे की विकासात्मक योजना

इस योजना के अन्तर्गत सुधरी हुई चारे की फसलों प्रवेश और चरागाह का सुधार किया जा रहा है।

(ख) डेरी विकास परियोजनाएं

आपरेशन फलड कार्यक्रम जो साबरकंथा, बड़ौदा, कैरा, अहमदाबाद, मेहसाना और बानसकंथा में चालू है, के अन्तर्गत आनन्द और मेहसाना स्थित 2 दुग्ध उत्पादक फैक्ट्रियां बढ़ाई गई थीं और 2 नई उत्पादन फैक्ट्रियां स्थापित की गई थीं जिस से दूध की प्रतिदिन 6.50 लाख लिटर की कुल क्षमता हो गई । डेरी विकास के अन्तर्गत पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चालू की जा रही अन्य योजनाएं निम्न प्रकार से हैं :—

1. जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों और फीडर समितियों का वित्तीय सहायता
2. उपभोक्ता सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता
3. बान्नी विकास योजना
4. जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ
5. गुजरात डेरी विकास निगम के लिए शेयर पूंजी अशंदान
6. गुजरात डेरी विकास निगम के लिए ऋण
7. आनन्द में डेरी सांइस महाविद्यालय का विकास
8. तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र (राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, आनन्द के लिए अनुदान सहायता)।

End to Practice of Carrying Night Soil

730. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 660 on the 15th March, 1976 regarding Practice of Carrying Night Soil on heads and state;

(a) whether in response to the memorandum signed by 82 Members and presented to the Prime Minister in February, 1976, Government have issued instructions to all the State Governments for putting an end to the practice of carrying night-soils on head;

(b) whether Government propose to give assistance to the State Governments for putting an end to this evil practice; and

(c) the other main demands made in the memorandum submitted to the Prime Minister?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI H.K.L. BHAGAT) : (a) Yes, Sir. The State Governments have been advised to consider the problem in right earnest and forward a viable scheme for abolition of this obnoxious practice as quickly as possible. They have also been advised to consider the question of abolition of the practice through suitable legislation. Recently, as per recommendations of the High Powered Implementation Committee set up in this Ministry to examine the recommendations of the Committee on Urban Waste, the State Governments have been requested to establish a pilot project for night soil service on the model of Singapore. The salient features of the Singapore model are given in the Annexure.

(b) The Central Government have circulated a pilot scheme to all State Governments and Union Territory Administrations for conversion of dry latrines into sanitary ones, in one or two towns having population ranging 20 thousands to 50 thousands. The Central Government is providing complete grant assistance for this scheme in selected towns towards the work of laying sewers, construction of sewer appurtenance structures and septic tanks etc. An outlay of Rs. 2·30 crores has been approved in the Fifth Five Year Plan for this scheme.

(c) The other main demands indicated in the representation are as follows:

(i) Provision of houses with modern amenities and ownership rights;

(ii) Treating such employees on the same rooting as the Class IV employees of the Government.

These matters entirely fall within the purview of the State Governments.

STATEMENTS

Parameters for pilot projects on night soil service on Singapore Model

(1) The cities selected under this programme must have partial sewerage system to facilitate disposal of collected night soil.

(2) Area in the city to be covered by the scheme shall be such that this area may not, in all probability, be sewered within the next 10 years.

(3) As the introduction of this scheme will necessitate carrying out structural modifications in the existing types of dry latrines, a vigorous public education campaign should be taken up.

(4) The State Government/Local Body should procure and provide the residents of the area with pails of standard size at the rate of two pails for each house for daily replacement.

(5) The State Government/Local body should provide suitably designed vehicles for carrying the pails.

(6) As the introduction of the scheme will not achieve elimination of manual handling of night soil, hygenic facilities like gloves etc. should be provided to the personnel.

(7) Depots should be constructed at selected points to flush the contents of the pails into the sewerage system and clean and dis-infect the pails.

(8) Provision of abundent water supply under pressure at the depot sites is the most important pre-requisite.

(9) Careful hygienic considerations should be given in the construction, maintenance and operation of these depots. The disadvantages due to odour, shock loads on plants, etc., need to be minimised.

(10) In places where vehicles may not have access to individual residences, suitably designed wheel barrows should be provided to facilitate the personnel to carry more number of pails to the vehicles.

(11) There should be strict supervision to ensure proper maintenance of pails and the carriage of pails without spilling.

मुस्लिम वक्फ के बारे में प्रतिवेदन

732. **श्री रानेन सेन**
मौलाना इसहाक सम्भली } : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्गीय प्रो० हमायूं कबीर ने मुस्लिम वक्फ के बारे में एक प्रतिवेदन पेश किया था;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की थीं ;

(ग) क्या सरकार ने उन में से किसी सिफारिश को क्रियान्वित किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केरल में आदिवासी खण्डों में सहकारी समितियां

733. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल राज्य के आदिवासी खण्डों में सहकारी समितियां स्थापित की हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन समितियों के कार्यकरण की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस राज्य में सहकारी समितियों द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों को अब तक क्या सुविधाएं दी गई हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां।

(ख) अधिकतर सोसायटियां बहु-उद्देश्यीय सहकारी सोसायटियां हैं और उनके कार्य, अन्य बातों के साथ-साथ, ये हैं :—

(1) सदस्यों में कृषि ऋणों और उपभोग ऋणों का वितरण ।
(2) कृषि निवेशों का वितरण ।
(3) कृषि उत्पाद और लघु वन उत्पाद का विपणन ।
(4) सदस्यों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण ।
(5) छोटे वन ठेकों के कार्यों को हाथ में लेना आदि ।

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के निमित्त सहकारी सोसायटियों द्वारा अपने सदस्यों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाती हैं :—

(1) सदस्यों को कृषि ऋण तथा उपभोग ऋण देना ।
(2) सदस्यों को कृषि निवेशों का वितरण ।
(3) सहकारी फार्मों की स्थापना करना ।
(4) सदस्यों के कृषि उत्पाद तथा लघु वन उत्पाद का विपणन ।
(5) सदस्यों आदि को आवश्यक वस्तुओं का वितरण ।

इनके अलावा, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां सभी प्रकार की अन्य सहकारी सोसायटियों की सदस्यता की पात्र हैं और ऐसी सोसायटियों से लाभ उठा रही हैं ।

ग्रामीण विकास द्रुत कार्यक्रम के अधीन श्रमिकों को कम मजूरी का भुगतान

734. **श्री राम सहाय पांडे :**
श्री आर० एन० बर्मन
श्री प्रसन्न भाई मेहता : } क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक शासकीय मूल्यांकन के अनुसार अनेक राज्यों ने वर्ष 1971-74 के दौरान ग्रामीण रोजगार के द्रुत कार्यक्रम के अधीन केन्द्र द्वारा निर्धारित सीमाओं की अपेक्षा श्रमिकों को कम मजूरी का भुगतान किया था अथवा निर्माण सम्बन्धी सामग्री पर कम व्यय किया था ;

(ख) क्या केन्द्र ने चाहा था कि राज्य 142.74 करोड़ रुपए की लागत से 2860 लाख जन दिवसों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करें परन्तु उन्होंने केवल 125.40 करोड़ रुपए खर्च कि ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या भावी नीति बनाई गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) ग्राम रोजगार की त्वरित योजना के मार्गदर्शक सिद्धांन्तों में यह व्यवस्था की गई थी कि एक जिले के लिए निश्चित की जाने वाली मज़दूरी की दर जिले में कृषि मज़दूरों के लिए गैर-मौसमी दर के बराबर होगी और किसी भी तरह 100 रुपए महीने से अधिक नहीं बढ़ेगी । इस प्रकार उन राज्यों में जहां अदा की गई मजदूरी 100 रुपए की अधिकतम सीमा से कम थी वहां दरें केवल गैर-मौसमी मजदूरी की दरों के सदृश्य थीं जो अनेक राज्यों में 100 रुपए महीने से कम थी । मार्गदर्शक सिद्धांन्तों में मज़दूरी की न्यूनतम दर निश्चित नहीं की गई थी जबकि अधिकतम दर की सीमा निर्धारित की गई थी । इसी प्रकार सामग्री के मामले में भी, उस हद तक सीमा निर्धारित की गई थी जिस तक वे उपयोग में लाई जा सकती थीं और अधिकतम सीमा का उल्लेख किया गया था ताकि परिसम्पत्तियों के स्थायित्व को सुनिश्चित किया जा सके । अत: यह देखा जा सकता है कि राज्य सरकारों ने कम मज़दूरी अदा नहीं की थी अथवा सामग्री पर कम व्यय नहीं किया ।

(ख) व (ग) यह विचार किया गया था कि 50 करोड़ रुपए के निवेश से प्रत्येक वर्ष 825 लाख श्रमदिन पैदा किए जाएंगे । इस प्रकार 142.74 करोड़ रुपए के निवेश से 3 वर्षों के लिए 2499 लाख श्रमदिनों का अपेक्षित लक्ष्य निर्धारित किया जा सकता था। 142.74 करोड़ रुपए की आवंटित धनराशि के मुकाबले में ग्राम रोजगार की त्वरित योजना पर 125.70 करोड़ की धनराशि व्यय की गई थी । पैदा किए गए श्रमदिन 3154 लाख श्रमदिन तक थे । रोजगार के श्रमदिनों का लक्ष्य कम निवेश पर भी आगे बढ़ गया।

सौराष्ट्र क्षेत्र में पेय जल की कमी

735. **श्री अरविन्द एम० पटेल**
श्री एन० आर० बेकारिया } : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में पेय जल की भारी कमी है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे जिलों के नाम क्या हैं और उन में कितने गांव हैं जिन्हें कमी का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्यों को गांवों में पानी सप्लाई करने के लिए अनुदान

736. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को गांवों में पानी की सप्लाई करने के लिये अनुदान दिये हैं ; और —

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1974 और 1975 में राज्यवार, कितनी धनराशि दी गई?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए ग्रामीण पेय जल योजनाएं राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

"लैवी" चीनी का "रिलीज" किया जाना

737. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मार्किट में और लेवी "चीनी" रिलीज करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख) भारत सरकार जनवरी, 1976 से उचित मूल्य की दुकानों से उपभोक्ताओं में वितरण करने के लिए प्रतिमास 2.05 लाख मीटरी टन लेवी चीनी की नियुक्ति करती रही है। इस वर्ष चीनी के उत्पादन में गिरावट आने के कारण लेवी चीनी की सीमित उपलब्धता को देखते हुए लेवी चीनी की निर्मुक्ति की मात्रा में वृद्धि करना सम्भव नहीं हुआ है।

वनस्पति का उत्पादन

738. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों में वनस्पति का कुल कितना उत्पादन हुआ है; और

(ख) इस वर्ष के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है?

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जनवरी से जून, 1976 तक छः महीनों के दौरान वनस्पति का 2.89 लाख मीटरी टन उत्पादन हुआ था।

(ख) वनस्पति की मांग, तेल की उपलब्धता, मूल्य-स्तर आदि जैसे विभिन्न तथ्यों द्वारा उत्पादन-स्तर शासित होता है। आशा है कि 1976 में 5.5 लाख मीटरी टन के आस-पास उत्पादन होगा।

मिलों और पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के बीच दीर्घकालिक ठेका

739. **मौलाना इसहाक सम्भली** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या मिलों तथा पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के बीच बी० ट्विलस की बिक्री के बारे में कोई दीर्घकालिक ठेका करने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये हाल ही में कलकत्ता में बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उस बैठक का क्या परिणाम निकला?

पूर्ति और पुनर्वास उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) बातचीत अभी पूरी नहीं हुई।

इंजीनियरी पाठ्यक्रमों पर प्रति व्यक्ति खर्च

740. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में इंजीनियरी पाठ्यक्रमों पर आने वाले प्रतिव्यक्ति खर्च का अनुमान लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) और (ख): जन-शक्ति अनुसन्धान प्रयुक्त संस्थान ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा कुछक 49 चुने गए इंजीनियरी कालेजों और 82 पालिटेक्निकों में वर्ष 1968-69 तथा 1971-72 के लिए प्रति छात्र व्यय का अध्ययन किया था। जैसा कि जन-शक्ति अनुसंधान प्रयुक्त संस्थान की रिपोर्ट में बताया गया है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, रुड़की विश्वविद्यालय, यादवपुर विश्वविद्यालय, प्रादेशिक इंजीनियरी कालेजों, अन्य इंजीनियरी कालेजों तथा पालिटक्निकों में अवर-स्नातक तथा उत्तर-स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए वर्ष 1968-69 और 1971-72 में प्रति व्यक्ति व्यय निम्न प्रकार है :—

आंकड़े रुपयों में

	1968-69		1971-72	
	अवर स्नातक	उत्तर स्नातक	अवर स्नातक	उत्तर स्नातक
1	2	3	4	5
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान .	5511	10368	6794	10643
रुड़की विश्वविद्यालय .	3543	8587	5670	11306
यादवपुर विश्वविद्यालय	4346	8667	7351	14560
प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज	2460	—	3496	—
अन्य कालेज .	3290	7395	4772	9832
	डिप्लोमा पाठ्यक्रम		डिप्लोमा पाठ्यक्रम	
पालिटेक्निक . . .	1764	—	2448	

कृषि सम्बन्धी नीति के बारे में सम्मेलन

741. **श्री एस० आर० दामाणी**
श्री अर्जुन मेठी
श्री एन० ई० होरो
श्री आर० एन० बर्मन
सरदार मोहिन्दर सिंह गिल } : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों के साथ हाल ही में हुए विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप निर्धारित कृषि सम्बन्धी नई नीति की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) उसकी क्रियान्वित करने के लिये कौन से तरीके निर्धारित किये गये हैं; और

(ग) आगामी चार या पांच वर्षों के दौरान प्रमुख अनाजों तथा नकदी फसलों का कितना न्यूनतम उत्पादन लक्ष्य रखा गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) से (ग) जैसा योजना आयोग द्वारा प्रकाशित की गई 1976-77 की वार्षिक योजना में उल्लेख किया गया है, कृषि के विकास को बढ़ाने तथा उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की नीति की मुख्य बातों में उर्वरकों की खपत बढ़ाना, सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र बढ़ाना, बड़े व्यापक पैमाने पर अधिक उपज देने वाली किस्मों को प्रारम्भ करना और मृदा संरक्षण उपायों को अपनाना शामिल हैं । जून-जुलाई 1976 के दौरान केन्द्रीय कृषि और सिंचाई मंत्री और विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों कृषि/मंत्रियों के बीच हुए विचार विमर्श का मुख्य विषय, उपर्युक्त उल्लिखित नीति के व्यापक ढांचे के अंतर्गत वर्ष 1976-77 के दौरान कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए अपेक्षित उपायों का पता लगाना था । इस विचार-विमर्श के दौरान सिंचित तथा सुनिश्चित वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाली किस्मों के अंतर्गत क्षेत्र बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया गया था। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वे राष्ट्रीय चावल अभियान तथा विशेषकर उन अभिज्ञात जिलों में, जहां इस समय उर्वरक की खपत कम है, परन्तु जल्दी ही खपत में काफी वृद्धि होने की संभावना है, उर्वरक वर्धन अभियान को भी सफलतापूर्वक त्रियान्वित करने के लिए सब आवश्यक कदम उठायें । फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि निगरानी तथा वनस्पति संरक्षण सेवाओं के विस्तार पर बल दिया गया था। चावल, गेहूं, बाजरा आदि की अधिक उत्पादनशील तथा रोग-रोधी किस्मों का, जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों सहित विभिन्न कृषि जलवायु सम्बन्धी परिस्थितियों के लिए योग्य हों, विकास करने के लिए अनुसंधान सम्बन्धी प्रयासों को तीव्र करने की आवश्यकता पर बल दिया गया था । सिंचाई के क्षेत्रों में राज्यों को सलाह दी गई थी कि वे अतिरिक्त सिंचाई की क्षमता तैयार करने के अलावा, उपलब्ध सिंचाई का अनुकूलतम उपयोग करें । कमांड क्षेत्र विकास के सम्बन्ध में जो सुझाव दिये गये हैं, उनमें क्षेत्र (आन-फार्म) विकास, खेत की नालियों का निर्माण, फसल के उपयुक्त प्रतिमानों का विकास और जल-निकास की व्यवस्था शामिल है । मृदा संरक्षण के सम्बन्ध में जल-क्षेत्र के आधार पर मृदा संरक्षण के उपाय करने, झूम खेती का नियंत्रण करने, भूमि सुधार और क्षारीय अम्लीय भूमि का सुधार करने पर बल दिया गया । राज्यों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे प्रारम्भिक

सहकारी कृषि ऋण समितियों को मजबूत बनायें, अतिदेयता का स्तर कम करें तथा कृषकों को ऋण की सप्लाई बढ़ायें।

इन बैठकों में, जिनका मुख्य उद्देश्य वर्ष 1976-77 के फसल के उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त करना था, अगले चार या पांच वर्षों में प्रमुख धान्यों तथा नकदी फसलों के न्यूनतम उत्पादन के स्तरों को निर्धारित करने के प्रश्न पर विचार विमर्श नहीं किया गया था।

खरीफ उत्पादन तथा खाद्यान्नों का निर्यात

742. **श्री एस० आर० दामाणी**
श्रीमती भार्गवी तनकप्पन } : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान खरीफ की फसल में खाद्यान्न का कितना उत्पादन होने की सम्भावना है ;

(ख) रक्षित भंडारों की स्थिति और अधिक अच्छी बनाने के लिए इसमें से कितना अनाज उपलब्ध होने की सम्भावना है; और

(ग) क्या खाद्यान्नों के निर्यात की कोई योजनायें हैं, और यदि हां, तो उनके तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) चालू खरीफ मौसम (1976-77) के खरीफ-अनाजों के उत्पादन के पक्के अनुमान केवल कृषि वर्ष की समाप्ति अर्थात् अगस्त, 1977 के बाद उपलब्ध होने की आशा है। उत्पादन अनुमान न होने के कारण यह कहना सम्भव नहीं है कि उसमें से कितनी मात्रा खाद्यान्नों के रक्षित भण्डारों की स्थिति और अधिक अच्छी बनाने के लिए उपलब्ध हो पाएगी।

(ग) सीमित आधार पर बढ़िया बास्मती चावल, जौ और दाल की कुछ विशिष्ट किस्मों के अलावा फिलहाल खाद्यान्नों के निर्यात करने की कोई योजना नहीं है।

बड़े नगरों में मकान बनाने का कार्य

743. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मकान बनाने के काम की गति, विशेषकर बड़े नगरों में, धीमी पड़ गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इस कार्य को पुनः तेज करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : (क) से (ग) बड़े शहरों में सरकारी/गैर सरकारी क्षेत्रों में भवन निर्माण गतिविधियों के सम्बन्ध में अद्यतन आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, सामान्य पूल वास के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के बजट अनुमान में पिछले वर्ष 7 करोड़ रुपये की तुलना में चालू वर्ष में 9 करोड़ रुपये हैं। इसी प्रकार आवास तथा नगर विकास निगम ने वर्ष 1974-75 में 25,289 मकानों के लिए 67 योजनाओं की तुलना में वर्ष 1975-76 में 38,567 मकानों के लिए 163 योजनाएं

मंजूर कीं । नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत रिक्त भूमि पर कुछ पूर्वोपायों की शर्त पर मकान बनाने के लिए भी मार्गदर्शन जारी कर दिए हैं । भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों को वास स्थल देने की योजना की द्रुतगति से कार्यान्वयन के कारण कई राज्यों में ग्रामीण मकानों का निमार्ण किया जा रहा है । इस प्रकार आमतौर पर नगर संकुलनों में अधिकतम सीमा के अन्तर्गत रिक्त भूमि में निर्माण की गतिविधि को छोड़कर जहां नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम लागू है, यह विश्वास करने के लिए कोई कारण नहीं है कि आवास की गतिविधि में प्रभाव पड़ा है । वस्तुतः ऋण देने के लिए हाल ही में रिजर्व बैंक ने भी राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए मार्गदर्शन जारी कर दिए हैं ।

नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा पाठकों की मांग का अनुमान लगाने में असफल रहना

744. **श्री रेणु पद दास :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) (i) पाठकों की मांग का अनुमान लगाने, (ii) सस्ती दर पर पुस्तकें प्रकाशित करने, और (iii) समस्त देश में व्यापक रूप से प्रचार करने में नेशनल बुक ट्रस्ट के असफल रहने के क्या कारण हैं ; और

(ख) नेशनल बुक ट्रस्ट विक्रताओं को कितनी कमीशन देता है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है ।

विवरण

ट्रस्ट उन पाठकों के ज्ञान में वृद्धि करने की दृष्टि से ऐसी सामान्य शिक्षा-प्रद पुस्तकें प्रकाशित करता है जिन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है । यह ऐसी भी पुस्तकें प्रकाशित करता है जो राष्ट्रीय तथा भावात्मक एकता जैसे सामाजिक उद्देश्य को पूरा करती है, हालांकि ये पुस्तकें व्यापारिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं होती उद्देश्य यह है कि वर्तमान मांग की मात्रा पर विचार किए बिना, जनता को अच्छी पुस्तकें उपलब्ध की जाएं ताकि अन्त में मांग को काफी बड़ी मात्रा में बढ़ाया जा सके । यह नीति सफल रही है तथा ट्रस्ट ने अपने प्रकाशनों की कुल औसत बिक्री का लगभग 50% का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है ।

पुस्तकों का मूल्य निर्धारित करते समय ट्रस्ट के सम्मुख लाभ का कोई ध्यय नहीं होता है । पुस्तक निर्माण की वर्तमान लागत तथा निमार्ण के पर्याप्त उच्च स्तर को समुचित रूप से बनाए रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पुस्तकों की कीमतें यथा सम्भव कम रखी जाती हैं ।

ट्रस्ट ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय प्रतिनिधि नियुक्त किए हैं और अपनी प्रोत्साहन देने वाली गतिविधियों को व्यापक बनाया है तथा अपनी विवरण व्यवस्था का प्रसार किया है। आशा है कि इसकी पुस्तकें जन साधारण तक अब बड़ी आसानी से पहुंच सकेंगी।

ट्रस्ट द्वारा व्यापारियों को दिया जाने वाला कमीशन 25% से लेकर 50% तक है, जो खरीद की मात्रा, नगद बिक्री आदि पर निर्भर करता है ।

तमिलनाडु में कारखानों द्वारा दिया गया गन्ने का मूल्य

745. **श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायणन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तमिलनाडु सरकार ने चीनी मिलों द्वारा वर्ष 1975-76 के मौसम के लिए गन्ने का प्रतिटन कितना मूल्य दिये जाने की सिफारिश की थी और तमिलनाडु में कारखानों द्वारा, कारखाने-वार, वास्तव में कितना मूल्य दिया गाया ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) : अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 11110/76]

तमिलनाडु में कारखानों द्वारा गन्ने का मूल्य क्रियान्वित न किया जाना

746. **श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायणन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडू में चीनी कारखानों ने 1969-70 से 1971-72 के सीज़नों में राज्य सरकार द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार मूल्यों को क्रियान्वित किया है ;

(ख) तमिलनाडु में चीनी कारखानों द्वारा उन मूल्यों को क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं जिनको लागू करने का परामर्श राज्य सरकार ने 1972-73 के सीज़न से दिया था; और

(ग) क्या संयुक्त पुंजी कम्पनियों के अन्तर्गत चीनी मिलों का राष्ट्रीकरण करने के सम्बन्ध में द्रमुक सरकार द्वारा की गई सिफारिश को देखते हुए केन्द्रीय सरकार का विचार उन चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करने का है जिन्होंने चीनी उत्पादन बनाए रखने के हित में तथा उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा परामर्श दिए गए मूल्य को लगातार क्रियाविन्त नहीं किया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) : (क) : राज्य सरकार से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रखी दी जाएगी।

(ख) जिन फैक्ट्रियों ने तमिलनाडु सरकार द्वारा बताए गये मूल्यों का भुगतान नहीं किया था उनके वर्षवार ब्यौरे इस प्रकार हैं।

वर्ष	फैक्ट्रियों की संख्या	बताए गये कारण
1972-73	1	
1973-74	3	वित्तीय कठिनाई
1974-75	1	

1975-76 में चार फैक्ट्रियों को छोड़कर सभी चीनी फैक्ट्रियों ने राज्य सरकार द्वारा सुझाए गये गन्ने के मूल्यों का भुगतान करना मान लिया है। राज्य सरकार चार फैक्ट्रियों को भी सुझाये गये मूल्यों का भुगतान करने के लिए राजी करने का प्रयास कर रही हैं।

(ग) केवल इन चार फैक्ट्रियों का राष्ट्रीकरण करने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जैसलमेर राजस्थान में मरुस्थल राष्ट्रीय पार्क (डेजर्ट नेशनल पार्क) के लिए अनुदान

747. **श्री हरि सिंह :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकर ने वर्ष 1975-76 के लिये जैसलमेर जिले में प्रस्तावित मरुस्थल राष्ट्रीय पार्क के लिए राजस्थान सरकार को दी गई आरम्भिक अनावर्त विकास अनुदान की राशि वापस ले ली है, और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त अनुदान की राशि वापस लिये जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार द्वारा कुल 14.85 लाख रुपये की अनुवर्ती लागत का प्रशासनिक अनुमोदन किया गया था और 1975-76 के लिए 3.65 लाख रुपये का व्यय भी मंजूर किया गया था, बशर्ते कि योजना को हाथ में लेने से पूर्व राजस्थान सरकार अनुमोदन के लिए स्कीम की प्रबंध योजना भारत सरकार को प्रस्तुत करे। राज्य सरकार से जनवरी, 1976 के अंत तक प्रबंध योजना प्राप्त नहीं हुई थी जिससे 1975-76 में योजना को कार्यन्वित करने के लिए कोई समय नहीं रह गया था। इसे तथा इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि एक अन्य ऐसे क्षेत्र के बारे में सुझाव विचारार्थ प्राप्त हुए थे जिसमें मरुभूमि की अधिक विशेषताऐं थी, 1975-76 के लिए मंजूर की गई 3.05 लाख रुपये की राशि वापिस ले ली गई थी।

दिल्ली दुग्ध योजना की दूध उत्पादन योजना

748. **श्री हरि सिंह :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1976 में दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध का उत्पादन दुगना कर देने की योजना की घोषणा की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बाते क्या ह ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी नहीं जून, 1976 में दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दी गई सूचना से उस समय दुग्ध वितरण की स्थिति अर्थात दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा प्रतिदिन 3.25 लाख लिटर और नये डेरी संयंत्र द्वारा 1.30 लाख लिटर होने के संबंध में ही बताया गया था। यह भी बताया गया था कि 1977 के अन्त तक दोनों डेरी संयंत्र उत्तरोत्तर वृद्धि करके प्रति दिन 7.50 लाख लिटर तक दुध वितरण करने लगेंगे कि जिससे राजधानी में तरल दूध की अनुमानित कुल मांग की पूरी होने की आशा है।

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना की प्रतिदिन की संभाल क्षमता उत्तरोत्तर 3.75 लाख लिटर तक बढ़ाई जा रही है। इस समय प्रतिदिन कुल 3.35 लाख लिटर दूध का वितरण किया जा रहा है। 1976-77 के अंत तक दिल्ली दुग्ध योजना की प्रतिदिन की वितरण क्षमता संभवतः बढ़ाकर 3.75 लाख लिटर कर दी जाएगी। तब तक कुछ संयंत्र निजी जिनको बदलने का काम चल रहा है बदल कर शुरू किये जा चुके होंगे।

शहर की दूध की शेष मांग की पूर्ति के लिए एक दूसरा डेरी संयंत्र (मदर डेरी) स्थापित किया गया है जिसकी संभाल क्षमता 4 लाख लिटर प्रतिदिन है। इस समय मदर

डेरी प्रतिदिन लगभग 1.35 लाख लिटर दूध वितरण कर रही है । मशीन से दूध बचने के लिए शहर में और अधिक दुग्ध विक्रय बूथ बनाए जा रहे हैं और 1977 के अन्त तक संयंत्र द्वारा दूध के वितरण की क्षमता 3-4 लाख लिटर प्रतिदिन हो जाने की संभावना है ।

आन्ध्र प्रदेश में खाद्यान्न भण्डारण की समस्या

749. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने खाद्यान्न भण्डारण की समस्या की ओर केन्द्रीय सरकार का ध्यान दिलाया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : बहुत ही अच्छी अधिप्राप्ति होने के कारण आन्ध्र प्रदेश में भण्डारण क्षमता पर दबाव पड़ा है और राज्य सरकार ने इसकी ओर ध्यान दिलाया है । गोदामों का निर्माण कर, विभिन्न श्रोतों से किराये पर गोदाम लेकर, खुले प्लिथों, हवाई क्षेत्रों आदि का इस्तेमाल कर अपेक्षित भण्डारण क्षमता का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय किए गए हैं। इन उपायों के करने से आन्ध्र प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के पास 1-10-75 को उपलब्ध 5.51 लाख मीटरी टन भण्डारण क्षमता 25-7-1976 को बढ़कर 19.21 लाख मीटरी टन हो गई है ।

दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों का सर्वेक्षण

751. **श्री एम० राजगोपाल रेड्डी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों के सर्वेक्षण के बारे में 15 मार्च, 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 604 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वेक्षण कार्य इस बीच पूरा कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्षेत्र में विकास कार्य कब तक आरंभ हो जाएगा ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) बाग काले खा, पदम नगर, मोतिया बाग, सराय रोहिल्ला के कुछ क्षेत्रों का सर्वेक्षण पूर्ण हो चुका है ।

(ख) इस क्षेत्र से झुग्गियां हटा ली गई हैं किन्तु इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में अनधिकृत संरचनाए अब भी विद्यमान हैं । सर्वेक्षण पूर्ण होने पर तथा इन व्यक्तियों के पुर्नवास का प्रबंध होने के बाद ही इन क्षेत्रों का विकास कार्य आरम्भ किया जा सकता है । इन क्षत्रों का विकास कार्य किस तिथि तक आरम्भ किया जाएगा, यह बताना संभव नहीं है।

खाद्यान्नों का भण्डारण

752. **सरदार स्वर्ण सिंह सोढी**
श्री भाऊ साहेब धामनकर
श्री पी० गंगा रेड्डी : : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष बहुत अच्छी फसल हो जाने के कारण भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्न जमा करने के लिये भंडार-गृहों और गोदामों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या देश में भंडार-गृहों की कमी के कारण करोड़ों रुपयों का खाद्यान्न वर्षा तथा गर्मी के कारण खराब हो जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो खाद्यान्नों की रक्षा करने के लिये सरकार का क्या व्यवस्था करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) अच्छी अधिप्राप्ति होने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से निकासी में कमी होने के परिणामस्वरूप, भारतीय खाद्य निगम की भण्डारण क्षमता पर कुछ प्रभाव पड़ा है। चट्टों की ऊंचाई बढ़ाकर, बेकार/इस्तेमाल के अनुपयुक्त स्टोर्स का शीघ्र निपटान कर, अतिरिक्त स्थान किराये पर लेकर, अस्थायी भण्डारण के लिए अतिरिक्त गोदामों/प्लिथों आदि का निर्माण कर भण्डारण स्थानों में वृद्धि करने के लिए कई एक पग उठाये गए हैं । इसके परिणामस्वरूप, भारतीय खाद्य निगम के पास पहली अक्तूबर, 1975 को उपलब्ध 81.4 लाख मीटरी टन की भण्डारण क्षमता 1-7-1976 को बढ़कर 152.0 लाख मीटरी टन हो गई है ।

(ख) और (ग) खाद्यान्नों का उचित ढंग से भण्डारण करने के लिए यथासम्भव सभी प्रकार की सावधानी बरती जा रही है ताकि उन्हें क्षति आदि से बचाया जा सके । स्टाक का निरीक्षण करने की रफ्तार को तेज़ कर दिया गया है और प्रधूमन आदि जैसे रोगनिरोधक उपायों को पूर्ण तया लागू किया जा रहा है । इस बारे में भी सावधानी बरती जा रही है कि ऊंचे प्लिथों पर रखे गए खाद्यान्नों को रेन-प्रूफ पोलीथीन की चादरों से पार्याप्त निभारों के साथ ढका जाए ताकि क्षति का कम से कम मौका पैदा हो।

शहरी भूमि (अधिकत सीमा और विनियमन अधिनियम) 1976 के अधीन छूट

753. **सरकार स्वर्ण सिंह सोखी**
श्री रामावतार शास्त्री : } : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम के अधीन कुछ छूट की घोषणा की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस प्रकार की छूट दिए जाने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) जी, नहीं। सरकार ने किसी भी छूट की घोषणा नहीं की, किन्तु नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 में सरकारों, कतिपय संस्थानों, संगठनों आदि की रिक्त भूमि के लिए स्वतः छूट का प्रावधान है तथा धारा 20, 21, तथा 22 में भी कतिपय परिस्थितियों में कुछ एक रिक्त भूमि अधिनियम के उपबंधों से छूट का प्रावधान है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

गुजरात तट पर गहरे समुद्र में मछली पकड़ना

754. **श्री अरविन्द एम० पटेल**
श्री एन० आर० वेकारिया } : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात तट पर मछली पकड़ने वालों को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिये प्रोत्साहित करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और अब तक क्या परिणाम निकले हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) और (ख) गहन समुद्र मात्स्यकी को प्रोत्सान देने के लिये केन्द्रीय सरकार और गुजरात सरकार विभिन्न साधन अपना रही है । गहन समुद्र मात्स्यकी के लिये वाणिज्यिक संभाव्यताएं स्थापित करने के विचार से समन्वेषी मात्स्यकी परियोजना द्वारा कांडला और बम्बई के साथ आधारों के रूप में आयोजित किए गए संसाधन सर्वेक्षणों के अलावा पोलिश सहायता से एक वाणिज्यिक सर्वेक्षण शीघ्र किए जाने का प्रस्ताव है। 30 गहन समुद्र मात्स्यकी जलयानों के आयात के लिये एक योजना के अन्तर्गत गुजरात कृषि-मेराइन निगम 23 मीटर लम्बाई के दो मेक्सिको जलयानों का आयात कर रही है । विश्व बैंक ने दो आधारों, नामत: वेरावल और मंगराल से मात्स्यकी के समेकित विकास में रूचि दिखाई है । इन दोनों स्थलों पर बन्दरगाह की सुविधाएं, अन्य अवस्थापनात्मक सुविधाए तथा मात्स्यकी जलयानों के प्रवेश की सुविधाएं विश्व बैंक की सहायता से उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

गुजरात में भूमि हीन व्यक्तियों के लिए आवास स्थल

755. **श्री अरविन्द एम० पटेल** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार उस राज्य में भूमिहीन व्यक्तियों को आवास स्थल देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक जिलावार कितने व्यक्तियों को यह लाभ दिया गया है ;

(ग) क्या मकान बनाने के लिए सहायता भी दी गई थी; और

(घ) यदि हां, तो क्या ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) (क) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन लोगों को वास स्थल देने की योजना का कार्यान्वयन गुजरात में गुजरात सरकार द्वारा 1972 से किया जा रहा है, प्रारम्भ में यह केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में 31 मार्च, 1974 तक रही और इसके बाद न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के रूप में राज्य क्षेत्र में रही । इस योजना के 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में सम्मलित होने के कारण, इसमें कुछ गति आई।

(ख) 30 जून, 1976 तक गुजरात में वास स्थल दिए गए व्यक्तियों की जिलेवार संख्या का एक विवरण लोकसभा के पटल पर रखा है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

जिले का नाम	जून 1976 तक लाभ भोगियों की संख्या
1. कैरा	18,470
2. मेहसाना	18,441
3. बड़ोदा	25,604
4. पंचमहल	3,427
5. जूनागढ़	29,317
6. बनासकांठा	6,925
7. डांग	875
8. सुरेन्द्र नगर	5,308
9. जामनगर	10,893
10. गांधी नगर	1,690
11. कच्छ	6,636
12. भावनगर	29,209
13. अमरेली	16,387
14. बुलसर	12,011
15. भड़ोच	17,823
16. साबरकांठा	5,395
17. अहमदाबाद	8,451
18. राजकोट	13,653
19. सूरत	18,350
कुल	2,48,865

केरल के जनजाति क्षेत्र में सिंचाई के लिए केन्द्रीय सहायता

756. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में उन जिलों के नाम क्या हैं जहां सिंचाई की क्षमता 5 प्रतिशत से कम है; और

(ख) क्या राज्य में विशेषकर जनजाति क्षेत्रों में सिंचाई के लिए केन्द्रीय सहायता दी गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) जिला वार सूचना अभी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) सिंचाई एक राज्य विषय है और राज्य सरकारों द्वारा सिंचाई परयोजनायों के क्रियान्वयन के लिए धन अपनी समग्र विकास योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध किया जाता है । राज्य की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है जो किसी खास विकास क्षेत्र या परियोजना से संबंधित नहीं होती ।

1975-76 के दौरान केन्द्र द्वारा राज्य सरकार को विशेष अग्रिम योजना सहायता के रूप में 2.10 करोड़ रुपए कुछ चल रही बृहत सिंचाई परियोजनाओं के लिए दिए जगए थे जिससे कि उनके क्रियान्वयन में तीव्रता लाई जा सके ।

राज्य की जन जाति योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्राध्यापकों की भर्ती के लिय सुझाई गई अर्हताएं

757. **श्रीमती सावित्री श्याम :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय ने हाल ही में प्राध्यापकों की भर्ती के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सुझाई गई आवश्यक न्यूनतम अर्हताओं के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो उसके निर्देशपद क्या हैं ; और यह समिति अपनी अन्तरिम तथा अंतिम रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देगी ; और

(ग) इस समिति से संबद्ध व्यक्तियों के नाम क्या हैं और उनका दर्जा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गयी सूचना के अनुसार समिति के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है ।

(ग) समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल हैं :—

1. प्रो० यू० एन० सिंह, सम-कुलपति — अध्यक्ष
2. प्रो० के० बी० रोहतगी, निदेशक, साउथ दिल्ली कैम्पस
3. श्री महेन्द्र सिंह, कालेजों के डीन
4. प्रो० आर० एस० शर्मा, प्राध्यापक एवं इतिहास विभाग के प्रमुख
5. डा० बी० एम० भाटिया, प्रिंसिपल, हिन्दु कालेज
6. श्री रुद्र दत्त, प्रिंसिपल, पत्राचार पाठ्यक्रम स्कूल
7. श्री बी० पी० सिंह, वाणिज्य के रीडर, वाणिज्य विभाग
8. श्री वाई० एन० लेहन, इतिहास के लैक्चरर, हस्तिनापुर कालेज
9. डा० विजय शंकर वर्मा, भौतिकी के लैक्चरर
10. श्री आर० ए० मेनन, अर्थशास्त्र के रीडर
11. श्री एम० एम० शर्मा, गणित के लैक्चरर, हिन्दु कालेज
12. डा० पी० एन० अरोड़ा, गणित के लेक्चरर, दयाल सिंह कालेज

आसाम में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम

758. **श्री विश्वनारायण शास्त्री :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम ने आसाम में अब तक कितने गोदामों का निर्माण किया है ;

(ख) इन गोदामों की कुल भण्डारण क्षमता कितनी है ;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा आसाम में और अधिक गोदामों का निर्माण करने की योजना है ; और

(घ) आसाम में भारतीय खाद्य निगम के पास किराए पर लिए गए गोदामों सहित कुल भंडारण क्षमता कितनी है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : भारतीय खाद्य निगम के असम में 14 केन्द्रों पर अपने निजी गोदाम (खाद्य विभाग द्वारा हस्तान्तरित गोदामों समेत) हैं जिनकी कुल क्षमता 94,400 मीटरी टन है।

(ग) जी हां। लगभग 75,000 मीटरी टन क्षमता का अतिरिक्त निर्माण करने की योजना बनाई गई है।

(घ) असम में भारतीय खाद्य निगम के पास किराए के गोदामों समेत मौजूदा भण्डारण क्षमता लगभग 3.36 लाख मीटरी टन है।

Scheme to Save Narayanpur and Railway Station Area from Erosion by Ganga in Bihar

759. SHRI G.P. YADAV: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether Bihar Government have submitted any estimates of the scheme to save the Narayanpur area and Railway Station area from erosion by Ganga, to the Central Government for their approval and

(b) if so, the action proposed to be taken by the Central Government in this regard ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI KEDAR NATH SINGH): (a) and (b) The State Government of Bihar have reported that a scheme for construction of Gogri Narainpur Retired Line costing Rs. 35·41 lakhs has been approved. Work on this scheme has already started and 70% of the work has been completed till now. This scheme, when completed, will afford protection to Narainpur Railway Station and the adjoining areas from erosion by the Ganga.

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों के आबंटन के लिए विशेष लाटरी निकाला जाना

760. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों के आबंटन के लिए विशेष लाटरी निकाले जाने के बारे में 5 अप्रैल, 1976 के अतरांतिकत प्रश्न संख्या 1936 के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजौरी गार्डन में डी० डी० ए० के फ्लैटों के आबंटन हेतु 'विशेष लाटरी' जिसे मई, 1976 में निकाले जाने का आश्वासन दिया गया था, वस्तुत: निकाली गई थी, यदि नहीं, तो इस विशेष लाटरी के निकालने में विलम्ब के क्या कारण हैं, और

(ख) क्या उन व्यक्तियों द्वारा दी गई पेशगी राशि पर व्याज देने का विचार है जो फ्लैटों के आबंटन हेतु "सामान्य लाटरी" (जो नवम्बर, 1975 में निकाली गई थी) के

अन्तर्गत सफल घोषित किए गए थे तथा जो अगस्त, 1976 तक फ्लैटों का आबंटन न होने की स्थिति में ब्याज इस तारीख को देय हो जाता है?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) जी नहीं। यह कार्य निर्धारित समय पर नहीं किया जा सका क्यों कि उस समय फ्लैटों के लिए बिजली मुहैया नहीं की जा सकी थी। फ्लैटों के आबंटन के लिए "विशिष्ट लाटरी" अब 24 अगस्त, 1976 को निकाली जाएगी।

(ख) पंजीकरण राशि पर ब्याज 'विशिष्ट लाटरी' की तारीख तक दे दिया जाएगा।

टाट की बोरियों की सप्लाई में धोखाधड़ी

761. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाचार पत्रों में प्रकाशित इस आशय का समाचार देखा है कि भारतीय खाद्य निगम को टाट की बोरियों की सप्लाई में धोखाधड़ी के कारण, पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश में किसानों को कई करोड़ रूपयों का नुकसान हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) सरकार ने तारीख 23-6-76 को हिन्तुस्तान टाइम्स और फाइनेंशियल एक्सप्रेस में प्रकाशित समाचार देखा है। भारतीय खाद्य निगम और अधिप्राप्ति करने वाली अन्य सरकारी एजेंसियां पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के माध्यम से अपनी अपेक्षित बोरियां प्राप्त करती हैं। हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने सुचित किया है कि उन्हें कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। पंजाब सरकार ने बताया है कि कम वज़न की बोरियां सप्लाई करने के बारे में कुछ रिपोर्टें उनके नोटिस में आई हैं और वे उसके लिए आंकड़े इकट्ठे कर रह हैं।

Procurement of Wheat and Rice

762. SHRI NATHU RAM AHIRWAR
SHRIMATI PARVATI KRISHNAN
SHRI RAMAVATAR SHASTRI
SHRI BIBHUTI MISHRA : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) the quantity of wheat and rice procured this year by the Food Corporation of India;

(b) the State-wise break-up thereof and whether all the States have achieved their targets of procurement of foodgrains; and their target?

(c) If not, the names of the States which have not achieved

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE): (a) As per information available upto 11th August 1976, the Food Corporation of India have procured 23·0 lakh tonnes of rice (including paddy in terms of rice) and 13·9 lakh tonnes of wheat out of 1975-76 crop.

(b) & (c) Statements showing procurement targets of rice and wheat, total quantities procured and procurement made by the Food Corporation of India are attached (Annexure I and II). [Placed in the Library. See. No.L.T.11111/76.] In the case of rice, the States of Gujarat, Kerala, Ma dhya Pradesh, Maharashtra and West Bengal have not yet achieved their targets.

In the case of wheat, Bihar, Jammu & Kashmir and Maharashtra have not yet achieved their targets.

भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि का वितरण

763. श्री नाथूराम अहिरवार
श्री एम० कतामुत्तु
श्री एस० पी० भट्टाचार्य
श्री डी० के० पंडा
श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे
श्री वाई० ईश्वर रेड्डी
श्री सरोज मुकरजी
श्री शंकर दयाल सिंह } : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत 30 जून, 1976 तक भूमिहीन व्यक्तियों को कुल कितनी एकड़ भूमि आबंटित की गई है ;

(ख) उसके राज्यवार आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) जिन व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई है; उसमें से कितने हरिजन और आदिवासी हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 11112/76**]

खाद्यान्नों की मांग का मूल्यांकन

764. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति न्यूनतम खपत और जनसंख्या में अनुमानतः वृद्धि के आधार पर देश में खाद्यान्नों के लिए प्रभावी मांग का अनुमान लगाना सरकार के लिए संभव है ताकि सरकार वास्तव में आधार पर खाद्य-पदार्थों, विशेषकर खाद्यान्नों के उत्पादन की योजना बना सके ; और

(ख) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिंदे) : जी हां।

(ख) संतुलित आहार देने के लिए खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति न्यूनतम आवश्यकता के बारे में सूचना राष्ट्रीय पोषाहार संस्था, हैदराबाद से प्राप्त कर ली गई है। खाद्यान्नों की कुल आवश्यकताओं का अन्दाजा लगाने के लिए इसको ध्यान में रखा जा रहा है। तथापि, यहां यह उल्लेखनीय है कि संतुलित आहार में खाद्यान्नों के अलावा, सब्जियों, फलों, दूध और दूध के पदार्थ, मास मछली, अंडे आदि जैसे कई अन्य खाद्य पदार्थ शामिल हैं । क्योंकि

खाद्यान्नों के अलावा खाद्य मदों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता पौषाहार संबंधी आवश्यकताओं से कम पड़ती है और बहुत सारे मामलों में उनके मूल्य अधिकांश लोगों के लिए बहुत ही अधिक होते हैं. यह आवश्यक होगा कि संतुलित पौष्टिक आहार में निर्धारित किए गए स्तर से भी अधिक मात्रा में खाद्यान्न लिए जाएं। इसको देखते हुए सरकार उपलब्ध वित्तीय संसाधनों तथा सिंचाई, उर्वरकों और अन्य आदानों की उपलब्धता संबंधी दबाव को देख हुए खाद्यान्नों के उत्पादन में यथासंभव अधिकतम उत्पादन दर प्राप्त करने का प्रयत्न कर तेरही है।

केरल को कमी के महीनों में खाद्यान्न आवंटन में वृद्धि का अनुरोध

765. **श्री एन० श्री कान्तन नायर**
श्री सी० एच० मोहम्मद कोया } : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार केरल राज्य को जून से सितम्बर के कमी के महीनों में खाद्यान्न आवंटन में वृद्धि करने का है ;

(ख) क्या राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में कोई निवेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क), (ख) और (ग) : केरल सरकार की ओर से 20 अप्रैल, 1976 को यह अनुरोध किया गया था कि मई, 76 से अक्तूबर, 76 तक आबंटन को बढ़ाकर प्रति माह 80,000 मीटरी टन चावल और 20,000 मीटरी टन गेंहूं कर दिए जाएं। केन्द्रीय कृषि और सिंचाई मंत्री को केरल शासन के खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री से 9 जुलाई, 1976 को एक अनुरोध प्राप्त हुआ था जिसमें उन्होंने जुलाई, अगस्त और सितम्बर के महीनों के लिए केन्द्रीय पूल से केरल को चावल के किए जाने वाले आबंटन को बढ़ाकर 95,000 मीटरी टन करने के लिए कहा था। जून से अगस्त, 1976 तक के महीनों के लिए केरल के खाद्यान्नों के आवंटन को बढ़ा दिया गया है जो इस प्रकार है :—

(हजार मीटरी टन में)

माह	आबंटन		
	चावल	गेंहू	जोड़
1976			
जून .	75.0	35.0	110.0
जुलाई	80.0	35.0	115.0
अगस्त	85.0	36.0	121.0

सितम्बर, 1976 के लिए भी, अगस्त, 1976 के आवंटन स्तर पर ही खाद्यान्नों का आवंटन बनाए रखने का विचार है।

केरल के पास खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडार

766. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर**
श्री सी० एच० मोहम्मद कोया } : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय पूल से केरल को दिया जाने वाला चावल तथा गेंहूं का मासिक आवंटन राज्य में राशनिंग व्यवस्था की मांग पूरी करने में अपर्याप्त है ;

(ख) क्या राज्य सरकार के पास कोई सुरक्षित भण्डार है ; और

(ग) यदि हां, तो खाद्यान्नों की मात्रा के आकड़े क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) : केन्द्रीय पूल में चावल की समूची उपलब्धता, अन्य कमी वाले राज्यों की सापेक्षा आवश्यकताओं, बजार में उपलब्धता, पर्याप्त बफर स्टाक तैयार करने की आवश्यकता और अन्य संगत बातों को देखते हुए केरल सरकार को उनकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उपयुक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यथासंभव अधिकतम मात्रा में गेहूं और चावल के आबंटन किए जा रहे हैं । इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार स्थानीय रूप से भी चावल की कुछ मात्रा अधिप्राप्त करती है और वे भी राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए उपलब्ध हैं। केन्द्रीय पूल से गेहूं और चावल के किए गए आबंटनों और स्थानीय रूप से अधिप्राप्त किए गए स्टाक उपलब्ध होने से, केरल सरकार उचित मूल्य की दुकानों से प्रति वयस्क प्रति दिन 160 ग्राम और प्रति अवयस्क उससे आधी मात्रा में गेहूं और चावल की सप्लाई को बनाए हुए है ।

(ख) और (ग) सामान्यतया केन्द्रीय सरकार ही खाद्यान्नों के बफर स्टाक को रखती है । तथापि, राज्य सरकार उनको केन्द्रीय पूल से आबंटित किए गए स्टाक में वृद्धि करने के लिए केरल सिविल सप्लाइज़ कार्पोरेशन की एजेंसी के माध्यम से चावल का कुछ स्टाक बना रही है । केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिशेष राज्यों से उनको आबंटित किए गए चावल के लेवी मुक्त स्टाक में से और भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदे गए और केन्द्रीय सरकार द्वारा उनको आबंटित किए गए नेपाली चावल में से ही ऐसा किया जा रहा है। बताया जाता है कि केरल सरकार की ओर से केरल स्टेट सिविल सप्लाइज़ कार्पोरेशन द्वारा रखा गया चावल का स्टाक 12,191 मीटरी टन है।

कलकत्ता विश्वविद्यालय के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की समिति की सिफारिशें

767. **श्री रानेन सेन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त समिति ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के बारे में कुछ सिफारिशें की हैं तथा क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उनकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, कलकत्ता विश्वविद्यालय के पुर्नगठन तथा विकास के प्रश्न की जांच करने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त की गई समिति की रिपोर्ट पर आयोग द्वारा सितम्बर, 1974 में विचार किया गया था। आयोग ने यह इच्छा व्यक्त की थी कि पहले तो समिति की रिपोर्ट के संबंध में पश्चिम बंगाल की सरकार तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय के विचार आमंत्रित किए जाएं।

समिति की कुछेक सिफारिशों के संबंध में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने अपने विचार भेज दिए हैं किन्तु पश्चिम बंगाल की सरकार ने अपने विचार अभी तक नहीं भेजे हैं। आयोग ने सितम्बर, 1975 में हुई अपनी बैठक में इन पर विचार किया था। आयोग ने यह चाहा था कि रिपोर्ट की जटिलताओं पर राज्य सरकार, कलकत्ता विश्वविद्यालय तथा अन्य सम्बन्धित विश्वविद्यालयों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए एक समिति नियुक्त की जाए। तदनुसार, यह समिति नियुक्त की जा चुकी है और इसका कार्य प्रगति पर है।

विक्टोरिया मेमोरियल हाल, कलकत्ता संबधी समिति

768. श्री रानेन सैन
श्री इन्द्रजीत गुप्त } : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या रे समिति ने विक्टोरिया मैमोरियल हाल, कलकत्ता के सुधार के बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां।

(ख) प्रोफैसर निहार रंजन रे की अध्यक्षत में गठित समिति ने विक्टोरिया मैमोरियल कलकत्ता की पुनः अभिस्थापना के लिए सिफारिशें की थीं, ताकि इसे समय (पीरियड) संग्रहालय के रूप में परिवर्तित किया जा सके। जिस समय का इस संग्रहालय को प्रतिनिधित्व करना है, वह लगभग 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 19वीं शताब्दी के अन्त तक के भारतीय इतिहास के लगभग 150 वर्ष का समय होना चाहिए।

प्रस्तावित पुनः अभिस्थापना के अनुसार, समिति ने स्थान का नितान्त पुनः आबंटन और विद्यमान मूर्तियों तथा प्रदर्शनीय वस्तुओं की पुनः व्यवस्था करने की भी सिफारिश की। इन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, समिति ने यह सुझाव दिया था कि वर्तमान दोनों वीथियों—जो अब रायल तथा पोर्टेट वीथियों के नाम से प्रख्यात हैं, तथा प्रवेश सभा कक्ष को जन-वीथी के रूप में परिवर्तित किया जाए, जिनमें उक्त अवधि में लोगों के जीवन और उनके व्यवसायों को चित्रित किया जाए। साथ ही समिति ने यह भी सिफारिश की कुछ अन्य वीथियों की भी किसी ऐसे तरीके से अभिस्थापना की जाए ताकि उनमें उक्त प्रतिनिधित्व समय के भारतीय लोगों की कला, शिल्प, उत्पादक वस्तुओं, उद्योगों और व्यवसायों की सचित्र प्रदर्शनीय वस्तुओं का समावेश किया जा सके।

समिति ने यह भी सिफारिश की कि वर्तमान कलकत्ता कक्ष का कुछ ऐसे ढंग से विस्तार और उसे व्यवस्थित किया जाए कि इसमें प्रदर्शनीय वस्तुएं इस कक्ष को कलकत्ता नगर के मूल उदगम स्थान और वृद्धि को दर्शाने वाले, सभा कक्ष का अत्यन्त महत्वपूर्ण आकर्षित केन्द्र बना दें।

साथ ही समिति ने इस संग्रहालय की संचित प्रदर्शनीय वस्तुओं को पुनः व्यवस्थित रूप से रखने के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिए हैं। इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए समिति ने संग्रहालय के लिए अतिरिक्त तकनीकी स्टाफ और संग्रहालय की पुनः अभिस्थापना और पुनर्गठन से सम्बन्धित वास्तविक कार्य की देखभाल तथा पथप्रदर्शन करने के लिए एक निरीक्षण समिति के गठन का सुझाव दिया।

भारत सरकार ने विक्टोरिया मैमोरियल, कलकत्ता की एक समय संग्रहालय के रूप में पुनः अभिस्थापना करने हेतु विशेषज्ञ समिति द्वारा की गयी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। यह निर्णय किया गया है कि इस संग्रहालय द्वारा प्रतिनिधित्व के लिए शामिल की जाने वाली अवधि भारतीय इतिहास के 200 वर्ष अर्थात् 1700-1900 तक की अवधि होनी चाहिए।

उर्वरकों की मांग

769. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया**: क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष उर्वरकों का आयात नाम मात्र का ही होगा,

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने चालू वर्ष के लिए उर्वरकों की मांग का कोई अनुमान लगाया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं, और

(घ) क्या गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि होगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) आवश्यकताओं और देशी उत्पादन के बीच अन्तर पूरा करने के उद्देश्य से चालू वर्ष के दौरान उर्वरकों का आयात करना जरूरी होगा।

(ख) और (ग) 1976-77 के लिए 36 लाख मीटरी टन उर्वरकों की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है। पोषक तत्व-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है।

(लाख मीटरी टनों में)

एन०	पी०	के०	एन० पी० के०
26.50	6	3.50	36

(घ) जी हां। 1975-76 में 15.35 लाख मीटरी टन नाइट्रोजन और 3.2 लाख मीटरी टन पी०$_2$ ओ०$_5$ के उत्पादन की तुलना में 1976-77 के लिए 19.5 लाख मीटरी टन नाइट्रोजन तथा 4.85 लाख मीटरी टन पी०$_2$ ओ०$_5$ के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

भूमिहीन श्रमिकों के लिए आवास-स्थल

770. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया**: क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष जुलाई तक देश में भूमिहीन श्रमिकों को कुल कितने आवास-स्थल वितरित किए गए; और

(ख) क्या राज्य सरकारों ने इन स्थलों पर मकानों के निर्माण के लिए पहल की है?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया): (क) राज्य सरकारों से जुलाई, 1976 की समाप्ति तक प्राप्त विवरणों में यह दिखाया गया है कि देश में लगभग 69 लाख भूमिहीनों मजदूरों को आवास-स्थल दिए गए हैं।

(ख) कुछ राज्य सरकारों अर्थात् तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश आदि ने ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आबंटित आवास-स्थलों पर मकान बनाने के लिए पहल कर दी है।

राज्यों में खाद्यान्न तथा रेशे का उत्पादन तथा वर्षा

771: **श्री नवल किशोर सिंह**: क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे करेंगे कि:

(क) देश में वर्षा एवं फसलों के संबंध में राज्यवार नवीनतम स्थिति क्या है; और

(ख) वर्ष 1976-77 में खाद्यान्न तथा रेशों के उत्पादन के राज्यवार लक्ष्य क्या हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे): (क) केरल में 31 मई को मानसून समय पर आया और प्रायद्वीप के कुछ भागों में तेजी से फैल गया। किन्तु मानसून जून के दूसरे और तीसरे सप्ताह के दौरान विशेषकर दक्षिण में काफी कम सक्रिय था। दक्षिण में और कुछ पूर्वी राज्यों में, जून, 1976 के अन्तिम सप्ताह में मानसून पुनः आया, परन्तु देश के कई भागों में जुलाई, 1976 के प्रथम सप्ताह तक यह कमजोर रहा। देश के अधिकांश भागों में मानसून जुलाई के दूसरे सप्ताह से सक्रिय हुआ। 11 अगस्त, 1976 को समाप्त होने वाले चार सप्ताह के दौरान देश के विभिन्न भागों में व्यापक वर्षा हुई। उर्वरकों की सुगम उपलब्धि, अच्छे बीजों की सप्लाई और सिंचाई का उचित प्रबन्ध तथा कृषि कार्यों के लिए बिजली की सप्लाई से खरीफ की फसलों में सहायता मिलेगी।

विभिन्न राज्यों में खाद्यान्नों, कपास और कच्ची पटसन तथा मेस्ता की बुवाई के बारे में उपलब्ध सूचना नीचे दी गई है।

खाद्य फसलें

धान, मक्का, ज्वार, बाजरा और दालें खरीफ मौसम की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं।

पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक, जैसे धान उत्पादक प्रमुख राज्यों में धान का प्रतिरोपण पूरे जोर से चल रहा है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान का प्रतिरोपण शीघ्र ही पूरा होने वाला है।

महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे प्रमुख राज्यों में बाजरा और ज्वार की बुवाई प्रगति पर है। मक्का उत्पादन करने वाले सभी राज्यों में मक्का की बुवाई करीब-करीब पूरी हो चुकी है। अरहर और अन्य खरीफ दालों की बुबाई पूरी हो गई है।

यदि मानसून की वर्तमान गति आने वाले पखवाड़े में बनी रही तो आशा है कि सभी राज्य पूरे क्षेत्र में बुवाई कर लेंगे।

कपास

उत्तर में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कपास की बुवाई सामान्य हो गई है और फसल की स्थिति संतोषजनक है। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में बुवाई प्रगति पर है, यद्यपि मानसून में रुकावट के कारण इसमें कुछ देरी हो गई। यदि मानसून की वर्तमान गति बनी रही तो इन राज्यों में भी क्षेत्र के सामान्य हो जाने की आशा है।

कच्ची पटसन और मेस्ता

प्राप्त सूचना के अनुसार पटसन और मेस्ता का उत्पादन 1975-76 की अपेक्षा काफी मात्रा में अधिक होने की आशा है।

(ख) योजना आयोग द्वारा वर्ष 1976-77 के लिए खाद्यान्नों और रेशेवाली फसलों के राज्यवार लक्ष्य जैसे कि वार्षिक योजना, 1976-77 में दिए हैं, निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष 1976–77 के लिए फसल उत्पादन के लक्ष्य

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	खाद्यान्न (लाख टनों में)	कपास (170 किलोग्राम की लाख गांठों में)	पटसन और मेस्ता (180 किलोग्राम की लाख गांठों में)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	92.00	4.24	3.50
2.	असम	25.50	—	10.00
3.	बिहार	100.00	—	8.50
4.	गुजरात	48.00	23.29	—
5.	हरियाणा	47.00	4.50	—
6.	हिमाचल प्रदेश	11.00	—	—
7.	जम्मू और कश्मीर	11.60	—	—
8.	कर्नाटक	69.00	9.00	—
9.	केरल	15.50	—	—
10.	मध्य प्रदेश	123.00	4.34	—
11.	महाराष्ट्र	87.00	14.82	—
12.	मणिपुर	3.40	—	—
13.	मेघालय	1.40	0.04	0.68
14.	नागालैण्ड	0.92	—	0.01
15.	उड़ीसा	59.00	—	5.50
16.	पंजाब	88.00	13.23	—

1 2	3	4	5
17. राजस्थान	75.00	3.70	—
18. सिक्किम	0.30	—	—
19. तमिलनाडु	81.00	3.71	—
20 त्रिपुरा .	3.52	0.02	1.05
21. उत्तर प्रदेश	210.00	0.56	1.04
22. पश्चिम बंगाल	90.00	—	32.00
23. संघ राज्य क्षेत्र .	5.00	—	—
योग (1) से (23) तक .	1247.14	81.47	62.28
योग अखिल भारत . .	1160.00	75.00	65.00

नई शिक्षा प्रणाली के उच्च शिक्षा तत्व

772. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया**
श्री विभूति मिश्र } : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नई शिक्षा प्रणाली के उच्च शिक्षा तत्वों का पता लगाने के लिए कोई कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस बारे में स्थायी पैनलों की स्थापना की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, आयोग के विषय पैनलों से, दो और तीन वर्षीय प्रथम डिग्री पाठ्यक्रमों की विषय सूची तथा स्तरों के प्रश्न तथा अन्य संबंधित प्रश्नों की जांच करने के लिए लिए कहा गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विज्ञान, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान में पैनल नियुक्त किए हैं।

दिल्ली में सहकारी ग्रुप आवास समितियों का सम्मेलन

773. **श्री झारखण्डे राय** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री दिल्ली ग्रुप आवास सहकारी समितियों के बारे में 22 मार्च, 1976 के तारांकित प्रश्न संख्या 189 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों की समिति ने 8 फरवरी, 1976 को सम्पन्न ग्रुप आवास सहकारी समितियां के सम्मेलन में की गई सिफारिशों की जांच कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो समिति ने क्या प्रतिवेदन दिया है ;

(ग) सहकारी ग्रुप आवास योजना पर दिल्ली विकास प्राधिकारण संबंधी समिति ने 31 मार्च, 1975 को क्या प्रतिवेदन दिया था ;

(घ) ऐसी अन्य समितियों के नाम क्या हैं जिन्होने दिल्ली में सहकारी गृह समूह योजना के बारे में अध्ययन किया है अथवा अध्ययन कर रही है ; और

(ङ.) सरकार ने इन प्रतिवेदनों पर क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) से (ङ) ग्रुप आवास सहकारी समितियों के सम्मेलन में प्रस्तुत की गई मांगों पर अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

Coordination between State Warehousing Corporation, F.C.I. and C.W.C.

774. SHRI M.C. DAGA: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) how the State Warehousing Corporations, the Food Corporation of India and the Central Warehousing Corporation ensure coordination with each other; and

(b) whether there is overlapping of work in the absence of coordination among them resulting in financial loss to Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE): (a) A Statement is attached.

(b) Does not arise.

Statement

In order to ensure coordination at the Central level amongst various Government agencies like Food Corporation of India, Central Warehousing Corporation etc., a Central Storage Committee has been constituted consisting of representatives of the Union Food Department, Food Corporation of India, Central Warehousing Corporation, National Cooperative Development Corporation, Railways etc. The main function of this committee which meets from time to time is to ensure that construction of godowns/warehouses by different agencies is taken up in a coordinated and planned manner so as to avoid duplication of construction effort amongst them.

2. At the State level also, coordination is effected through State level coordination committees formed by most of the State Governments. These committees include representatives of the State Government, the State Warehousing Corporation, the Central warehousing Corporation, Cooperatives, Food Corporation of India, etc.

Water Pollution Control Boards

775. SHRI M.C. DAGA : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) the names of the States in the country where Water Pollution Control Boards have been constituted and in what manner; and

(b) the problems for which work has been done or has been started under these Boards by the States ?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI K. RAGHURAMAIAH): (a) The following States have constituted the State Boards for Prevention and Control of Water Pollution under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, on dates given against them :—

(1) Andhra Pradesh . .	24-1-1976
(2) Assam	2-6-1975
(3) Bihar	7-11-1974
(4) Gujarat	15-10-1974
(5) Haryana	19-9-1974
(6) Himachal Pradesh . .	26-11-1974
(7) Jammu & Kashmir . .	2-3-1976

(8) Karnataka .	21-9-1974
(9) Kerala . .	12-9-1974
(10) Madhya Pradesh	23-9-1974
(11) Punjab . .	30-7-1975
(12) Rajasthan .	7-2-1975
(13) Uttar Pradesh .	3-2-1975
(14) West Bengal .	20-9-1974

In addition the Maharashtra Government had constituted the Maharashtra prevention of Water Pollution Board under the Maharashtra prevention of Water Pollution Act, 1969. Similarly Orissa Government had constituted a Board under the Orissa River Pollution Prevention Act, 1953.

(b) From the reports received from the State Governments, the State Boards are seized of the problem of the control of the Water Pollution in their respective States. The sources of pollution are being identified and necessary action taken as per the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 to abate pollution.

Provision of Civic Amenities in Trans-Yamuna Colonies in Delhi

776. SHRI M.C. DAGA
SHRI K. M. MADHUKAR } : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) the number of people shifted and the number of houses constructed in new trans-Yamuna colonies in Delhi and the number of people who still sleep under the open sky;

(b) whether garbage of the city is dumped near these colonies resulting in mass breeding of flies there, and if so, the remedial action proposed to be taken by Government; and

(c) the time by which the basic amenities like proper drainage and removal of water logging will be provided in those colonies?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI-K. RAGHURAMAIAH): (a) About 37,000 families have been shifted to the trans-Yamuna resettlement colonies of Khichripur, Kalyanpuri, Trilokpuri, Himmatpuri, New Seemapuri, New Seelampur, Gokalpur and Nand Nagri during the last one year. No survey of the number of people who have constructed houses has been conducted. It is estimated that about 50% of the allottees have constructed pucca houses. The remaining 50% have put up kuchha structures.

(b) No, Sir.

(c) The drainage arrangements have been provided in all the Resettlement Colonies. Arrangements have been made to avoid water logging.

Loss due to Cyclones in the Country

777. SHRI M. C. DAGA : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) the number of cyclones that have hit the country during the last three months and the break up of loss of life crop and property State-wise; and

(b) the Central assistance given to the affected States against the fund sought by them State-wise ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION (SHRI PRABHUDAS PATEL): (a) One cyclonic storm hit the country during the last three months. A statement showing the break up of the loss of life, crop and property is appended.

(b) Consequent upon the acceptance by Government of the recommendations of the Sixth Finance Commission, the relief measures are required to be financed by the State Governments from their own resources with the help of 'margin' money allowed to them by the Commission and suitable readjustment of their Plan outlays. Central assistance is provided where necessary, by way of advance plan assistance. Request for Central assistance has been received from the Government of Gujarat. A Central Team would be visiting the State shortly to assess the needs of the State.

Statement

Gujarat :

1. Human Lives lost.	69
2. Useful cattle lost	1,097
3. Other animals lost	29,539
4. Houses collapsed	12,827
5. Houses damaged	48,084
6. Huts collapsed	19,592
7. Huts damaged	82,205
8. Cropped area damaged	8,353 hect.
9. Loss to public properties such as roads, bridges, irrigation works Municipal properties, schools etc., excluding Industrial Units.	valued at Rs. 1,063 lakhs.

Karnataka :

1. Human life lost	1
2. Seriously wounded	2
3. Houses damaged	
(a) Fully	46
(b) Partially	84
Total	130

Maharashtra

1. Human lives lost	33
2. Houses damaged	219
3. Cropped area damaged	677 hect.
4. Damage to boats	91

चावल, गेहूं, पटसन और कपास की उत्पादन लागत

778. **श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975-76 में चावल, गेंहूं , पटसन, कपास और मंगफली की उत्पादन लागत क्या थी ; और

(ख) 1975-76 में सरकार ने उनका वसूली मूल्य क्या निर्धारित किया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) इस मंत्रालय द्वारा प्रमुख फसलों की खेती की लागत का अध्ययन करने के लिए प्रारम्भ की गई वृहत्त योजना के अंतर्गत वर्ष 1975-76 के दौरान धान के, जो अध्ययन के लिए प्रमुख फसल के रूप में ली गई, उत्पादन की लागत के आंकड़े असम और उत्तर प्रदेश, गेहूं के बिहार, पंजाब और पश्चिम बंगाल, कपास के आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु तथा मूंगफली के उड़ीसा राज्य में एकत्र किए गए। किसी भी राज्य में इस वर्ष के दौरान अध्ययन के लिए प्रमुख फसल के रूप में जूट नहीं चुनी गई। उपनमूने के आधार पर धान के उत्पादन की लागत के आंकड़े कई राज्यों में एकत्र किए गए हैं। एजेंसियां तथा सामान्यत: कृषि विश्वविद्यालय, जिन्हें योजना के अन्तर्गत फील्ड कार्य सौंपा गया है, अभी वर्ष 1975-76 के इन आंकड़ों की जांच संकलन कर रहे हैं । इस प्रकार वर्ष 1975-76 के लागत के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं

हुए हैं। तथापि, इन फसलों के उत्पादन की लागत के अद्यतन उपलब्ध अनुमान विवरण 1 में दिए गए हैं। [ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल०टी०-11113/76]

(ख) धान तथा गेहूं के सम्बन्ध में सरकार द्वारा वर्ष 1975-76 के विपणन मौसम के लिए निर्धारित किए गए अधिप्राप्ति मूल्य विवरण 2 में दिए गए हैं। कपास, जूट तथा मूंगफली के लिए अधिप्राप्ति मूल्य निर्धारित नहीं किए गए थे। तथापि, कपास एवं जूट, के लिए निर्धारित किए गए न्यूनतम साहाय्य मूल्य विवरण 2 में दिए गए हैं। मूंगफली के लिए साहाय्य मूल्य निर्धारित नहीं किए जाते ।

स्कूल एवं कालेज को पाठ्य-पुस्तकों के मूल्य स्थर करने संबंधी निर्देश

779. **श्री शशि भूषण**
779. **श्री वयालार रवि** } : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूल और तथा कालेज की पाठ्य-पुस्तकों के मूल्यों को स्थिर करने के लिए कोई निदेश जारी किए हैं ; और

(ख) गत एक वर्ष में इन पुस्तकों के मूल्यों की क्या स्थिति रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों को, सभी स्तरों पर पाठ्य, संदर्भ तथा सिफारिश की गई पुस्तकों के निर्माण के लिए, छपाई का सफेद कागज 2750/-रु० प्रति मीटरी टन की रियायती दर पर नियमित रूप से आबंटित किया गया है तथा उन्हें यह सुनिश्चित करने के अनुदेश जारी किए जा चुके हैं कि कागज की रियायती कीमत का लाभ छात्रों को इसी प्रकार की पुस्तकों के कम किए गए मूल्यों के रूप में दिया जाए। कुल मिलाकर, इससे राज्यों को पाठ्य पुस्तकों के मूल्यों को स्थिर करने में सहायता मिली है। पिछले एक वर्ष में 14 राज्यों में पाठ्य पुस्तकों के मूल्य घटे हैं ।

दिल्ली में नई बसाई गई कालोनियों में नागरिक सुविधाओं पर अमल

780. **श्री एच० एन० मुकर्जी**
श्री चन्द्र शेखर सिंह } : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में नई बसायी गई त्रिलोकपुरी, खिचड़ीपुर, कल्याणपुरी कालोनियों में नालियां, बिजली, सड़कों , आदि तथा अन्य नागरिक सुविधाओं पर सरकार ने कितनी धनराशि व्यय की है तथा उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) मानसून आरम्भ होने के पश्चात् इन कालोनियों की स्थिति क्या है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इन पुनर्वास कालोनियों में नालियों, बिजली, सड़कों और अन्य नागरिक सुविधाओं पर 31-7-1976 तक 144.74 लाख रुपए खर्च किए । ब्योरा इस प्रकार है :

त्रिलोकपुरी	67.88 लाख रुपए
खिचड़ीपुर कल्याणपुरी	76.86 लाख रुपए
योग	144.74 लाख रुपए

(ख) इन सुविधाओं से इन कालोनियों में रहन-सहन की दशा में सन्तोषजनक सुधार हुआ है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा पश्चिम बंगाल को खराब चावल के दिए जाने के बारे में शिकायतें

781. श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल को खराब चावल बेचने के लिए भारतीय खाद्य निगम के बारे में सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) पश्चिम बंगाल को अच्छा चावल सप्लाई करने के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) भारत सरकार को पश्चिमी बंगाल सरकार से इस संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं । तथापि, जांच करने से पता चला है कि कुछेक मामले, जिनके बारे में पश्चिमी बंगाल सरकार यह महसूस करती थी कि सप्लाई किया गया चावल विनिर्दिष्टयों के अनुरूप नहीं था, भारतीय खाद्य निगम के ध्यान में लाए गए थे । भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि ऐसे 44 मामलों में से, 33 भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई विनिर्दिष्टियों के अनुरूप थे और 11 अन्य मामलों में स्टाक को रोक लिया गया था ताकि उन्हें सप्लाई करने और विधायन करने के बाद जारी किया जा सके। तथापि, मुख्य समस्या यह दिखाई देती है कि पश्चिमी बंगाल के उपभोक्ता सेला-चावल खाने के आदी हैं, लेकिन भारतीय खाद्य निगम के पास अधिकांश चावल कच्चे किस्म का था । सरकार अधिशेष राज्यों में धान से अधिकाधिक सेला-चावल तैयार करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए प्रयत्न कर रही है ।

कृष्णा जल परियोजना के बारे में न्यायाधिकरण का पंचाट

782. श्री के० मालन्ना : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृष्णा जल परियोजना के बारे में न्यायाधिकरण के पंचाट पर पुनर्विचार करने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या राज्य सरकारें भी न्यायाधिकरण के निर्णय की घोषणा से पूर्व कोई परियोजनाएं तैयार करने को उत्सुक नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में कितनी प्रगति हुई है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) कृष्णा न्यायाधिकरण का अंतिम आदेश अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अनुसार भारत के राजपत्र में 31 मई, 1976 को प्रकाशित किया गया था और पक्ष राज्य उसे मानने के लिए आबद्धा हैं। केन्द्रीय सरकार का न्यायाधिकरण के पंचाट का पुनरीक्षण करने का विचार नहीं है।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे न्यायाधिकरण के फैसलें को ध्यान में रख कर अपनी परियोजना रिपोर्टों में संशोधन करें और उन्हें तकनीकी जांच के लिए भेजें।

कर्नाटक में सिंचाई सुविधाओं के लिए केन्द्रीय अनुदान

783. **श्री के० मालन्ना : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार अपनी सिंचाई परियोजनाओं तथा बिजली के कन्डक्टरों, जिनकी कमी के कारण लघु सिंचाई योजनाओं की प्रगति तथा सिंचाई संबंधी पम्प सैटों को बिजली देने का कार्य रुका हुआ है, के लिए बड़े पैमाने पर धन प्राप्त करने के प्रयास कर रही है;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधि हाल में केन्द्रीय सरकार के सम्बन्धित अधिकारियों से मिले थे और उनको देश में 5 लाख हैक्टर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता उत्पन्न करने के देश व्यापी कार्यक्रम के रूप में पांचवीं योजना में बड़ी, मध्यम तथा लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत अतिरिक्त भूमि लाने के राज्य के निर्धारित लक्ष्यों को पूर करने के लिए राज्य की आवश्यकताओं के बारे में अवगत कराया था; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) सिंचाई परियोजनाओं के लिए और अधिक धन की व्यवस्था करने के प्रश्न पर राज्य की वार्षिक योजना पर विचार-विमर्श करते समय विचार किया जाएगा।

जहां तक सिंचाई पम्पसैटों को बिजली से चलाने के लिए अपेक्षित कन्डक्टरों को प्राप्त करने का संबंध है, केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने इस मामलें को कर्नाटक राज्य बिजली बोर्ड के साथ उठाया है।

समयबद्ध व चरणबद्ध आवास कार्यक्रम

784. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों तथा जिनके पास मकान नहीं हैं मकान देने का केन्द्रीय सरकार का एक समयबद्ध व चरणबद्ध कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संबंध में मकानों की मांग तथा सप्लाई की स्थिति क्या है?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया): (क) तथा (ख) केन्द्रीय सरकार केवल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए मकान बनाती है। जहां तक सामान्य लोगों का सम्बन्ध है, मकान या तो संबंधित व्यक्तियों द्वारा स्वयं अथवा राज्य आवास बोर्डों, सुधार न्यासों, विकास प्राधिकरणों अथवा सहकारी समितियों सहित अन्य निर्माताओं द्वारा बनाए जाते हैं।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए सामान्य पूल में मकान बनाने का कार्यक्रम इस अर्थ में चरणबद्ध है कि अपेक्षित सभी मकान किसी एक समय में नहीं बनाए जाते हैं और न ही बनाए जा सकते हैं परन्तु जो निधियों की उपलब्धता के अनुसार एक वर्ष से दूसरे वर्ष तक चरणबद्ध किए जाते हैं। ये इस अर्थ में समयबद्ध है कि भवन के प्रत्येक सैट, जिसका निर्माण कार्य आरम्भ किया गया है, की पूर्णता के लिए समय अनुसूची होती है। इसके अलावा कोशिश यह होती है कि प्रत्येक वर्ष में मकानों की कतिपय संख्या का निर्माण आरम्भ किया जाए ताकि वर्तमान मांग पर आधारित कतिपय लक्षित परितुष्टि को कतिपय समय के अन्तर्गत प्राप्त किया जा सके। तथापि, इस कार्यक्रम का वास्तविक कार्यान्वयन हर वर्ष निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है

(ग) सामान्य पूल में मकानों की मांग, उपलब्धता, निर्माणाधीन क्वार्टरों तथा वर्ष 1976-77 में निर्माण के लिए प्रस्तावित क्वार्टरों का विवरण संलग्न है।

विवरण

सामान्य पूल में मकानों की मांग, उपलब्धता, निर्माणाधीन क्वार्टरों तथा वर्ष 1976-77 में निर्माण के लिए प्रस्तावित क्वार्टर :

नगर का नाम	मांग	उपलब्धता	वर्ष 1976-77 में निर्माणाधीन क्वार्टरों तथा निर्माण के लिए प्रस्तावित क्वार्टरों की संख्या
दिल्ली	98891	41943	3931
कलकत्ता .	29156	1915	1800+84 होस्टल सूट
बम्बई .	24025	3578	1050
मद्रास .	7832	1019	72
फरीदाबाद	1649	1353	—
चण्डीगढ़	6168	658	124
नागपुर	4442	1093	—
बंगलौर	1279	144	—
शिमला .	3873	563	108

टिप्पणी :—(i) वर्ष 1975-76 के दौरान गाजियाबाद में 200 क्वार्टरों के निर्माण का कार्य आरम्भ किया गया है तथा वर्ष 1976-77 के दौरान 300 क्वार्टरों के निर्माण का प्रस्ताव है।

(ii) इन्दौर में 80 क्वार्टरों का निर्माण आरम्भ किया गया है ।

(iii) दिल्ली के मामले में मांग, वर्ष 1972-74 की आबंटन अवधि में प्राप्त हुए आवेदनों के आधार पर है । अन्य नगरों के मामले में मांग 1-1-75 की स्थिति के अनुसार है।

नागालैण्ड में उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय कैम्पस का खोला जाना

785. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैण्ड में कैम्पस खोलने के बारे में उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग द्वारा क्या प्रगति की गई है ;

(ख) क्या विश्वविद्यालय ने अब तक जनजाति अध्ययन में कोई प्रगति की है, यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) क्या अध्यापकों के पद भरने के मामले में सरकार स्थानीय लोगों के लिए स्थान आरक्षित करने पर विचार कर रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) उत्तरी पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय का नागालैंड कैम्पस 1974 में स्थापित किया गया था। नागालैण्ड सरकार ने कैम्पस के लिए 1200 एकड़ भूमि स्थायी स्थान के तौर पर उपलब्ध की है।

(ख) जी, हां। विश्वविद्यालय के शिक्षक और छात्र जन-जाति अर्थव्यवस्था, भाषाओं तथा इतिहास से संबंधित अध्ययन कर रहे हैं। विश्वविद्यालय एक सतत शिक्षा कार्यक्रम भी चला रहा है।

(ग) विश्वविद्यालय में जन-जातीय लोगों के लिए शिक्षण पदों का आरक्षण सिद्धांत रूप में मान लिया है, और इससे संबंधित ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

समयबद्ध सिंचाई कार्यक्रम

786. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास समस्त देश के लिए समयबद्ध सिंचाई कार्यक्रम है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) केन्द्रीय सहायता से राज्यवार सिंचित भूमि के आँकड़े क्या हैं ;

(ग) क्या हाल ही में हुई कृषि मंत्रियों की बैठक में इस मामले का पुनर्विलोकन किया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) यह अनुमान लगाया गया है कि अन्ततः सिंचाई शक्यता लगभग 107 मिलियन हैक्टेयर होगी जिसमें 57 मिलियन हैक्टेयर बृहत्त और मध्यम सिंचाई परियोजनाओ के अन्तर्गत और 50 मिलियन हैक्टेयर लघु सिंचाई स्कीमों के अन्तर्गत होगी। इसकी तुलना में, चौथी योजना के अन्त तक 21.4 मिलियन हैक्टेयर क्षमता बृहत्त/मध्यम स्कीमों और 24.3 मिलियन हैक्टेयर क्षमता लघु सिंचाई स्कीमों के द्वारा सृजित कर ली गई थी। पांचवीं योजना के मसौदे में 12.2 मिलियन हैक्टेयर की अतिरिक्त शक्यता के सृजन की परिकल्पना की गई है जिसमें से 6.2 मिलियन हैक्टेयर बृहत्त/मध्यम परियोजनाओं से और 6 मिलियन हैक्टेयर लघु स्कीमों से सृजित की जानी है। शेष शक्यता अगली 5 या 6 पंच वर्षीय योजनाओं के दौरान सृजित किए जाने की सम्भावना है।

(ख) सिंचाई एक राज्य विषय है और सिंचाई स्कीमों का आयोजन और क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। राज्यों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता सामान्यतः ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है और वह किसी खास परियोजना या विकास क्षेत्र से संबंधित नहीं होती। 1975-76 के अन्त तक 20.22 मिलियन हैक्टेयर की सिंचाई क्षमता वृहत/मध्यम परियोजनाओं के द्वारा और 25.20 मिलियन हैक्टेयर की सिंचाई क्षमता लघु स्कीमों के द्वारा प्राप्त कर ली गई थी। इनका राज्य वार ब्यौरा संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल०टी०-11114/76]

(ग) और (घ) अभी हाल में राज्य मंत्रियों की बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ सिंचाई विकास की स्थिति पर भी विचार विमर्श किया गया था। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि जहां कहीं भी वे प्रगति में किसी प्रकार की ढ़ील देखें वहां योजना क्षेत्र के परिव्यय में और संस्थागत निवेश में वृद्धि करके उसमें तेजी लाएं।

नदी घाटी परियोजनाओं के कमांड क्षेत्रों में कृषि तथा सहायक उद्योग

787. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि वित्त निगम से देश की नदी घाटी परियोजनाओं के कमाण्ड क्षेत्रों में कृषि तथा सहायक उद्योगों के विकास के लिए योजनाएं तैयार करने को कहा गया है, और

(ख) तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश और बिहार सरकारों के अनुरोध पर कृषि वित्त निगम ने उत्तर प्रदेश में गंडक कमांड क्षेत्र के कुछ भागों, शारदा सहायक और राम गंगा सिंचाई परियोजनाओं तथा बिहार में गंडक और सोन परियोजनाओं के समेकित कमांड क्षेत्र विकास की परियोजना रिपोर्टें तैयार की हैं।

परियोजना रिपोर्टें तैयार करने में छोटी/सहायक नदियों के कमांड परियोजना क्षेत्रों के रूप में लिए गए हैं। सामाजिक आर्थिक तथा अन्य सर्वेक्षण किए गए हैं। आन फार्म विकास के लिए मार्गदर्शी क्षेत्रों के सर्वेक्षण के आधार पर अनुमान तैयार किए गए हैं, जिसके अंतर्गत

कई निकास कमांड आते हैं। परियोजना रिपोर्टों में जिन पहलुओं पर विचार किया गया है, उनमें ये शामिल हैं--वित्तीय सहायता देने की पद्धतियां, संगठनात्मक व्यवस्था, आन फार्म विकास, भूमिगत जल का उपयोग, ग्रामीण विद्युतिकरण तथा ग्रामीण विकास की अन्य योजनाएं जैसे मात्स्यकी, मुर्गी पालन, पशु पालन, बागवानी, कृषि पर आधारित उद्योग, कस्टम सेवा यूनिट सड़कों के निर्माण सहित परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था आदि। परियोजना रिपोर्टों के अन्तर्गत गंडक परियोजना (उत्तर प्रदेश) का 21,250 एकड़ कमांड क्षेत्र, शारदा सहायक परियोजना (उत्तर प्रदेश) का 16600, एकड़ राम गंगा परियोजना (उत्तर प्रदेश) का 26000 एकड़, मंडक परियोजना (बिहार) का 11300 एकड़ और और सोन परियोजना (बिहार) का 7900 एकड़ क्षेत्र आता है।

बंगिया साहित्य परिषद्

788. **श्री सरोज मुकर्जी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल प्रोफैसर, डा० सुनीति चटर्जी ने केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री को लिखा है कि बंगिया साहित्य परिषद् को कठिनाई तथा वित्तीय संकट से निकालने के लिए कुछ न कुछ किया जाना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय महत्व को इस पुरातन संगठन के लिए, जो लम्बे समय से साक्षरता की परम्परा निभा रही है, मंत्रालय का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या मंत्रालय को उक्त परिषद् की स्थिति की जानकारी है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बंगिया साहित्य परिषद् के कार्यों एवं उसकी वित्तीय आवश्यकताओं की जांच करने के लिए भारत सरकार ने एक सदस्यीय समिति नियुक्त की है। उक्त समिति की रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।

दिल्ली उच्चतर माध्यमिक परीक्षा का स्कूलवार परिणाम

789. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के विभिन्न स्कूलों में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में, विज्ञान तथा कला ग्रुपों में, अलग-अलग, 1976 में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए ; और

(ख) जिन स्कूलों में परिणाम संतोषजनक नहीं रहे हैं वहां शिक्षा स्तर सुधारने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) दिल्ली प्रशासन के अनुसार, 1976 की उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में दिल्ली के विभिन्न स्कूलों के विज्ञान वर्ग के उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशतता 59.7 और कला वर्ग के विद्यार्थियों की 68.2 थी।

(ख) जिन स्कूलों के परीक्षाफल संतोषजनक नहीं समझे गए हैं उनके प्रिंसिपलों और अध्यापकों से दिल्ली प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है । निम्नलिखित कुछ अन्य कदम भी उठाए गए हैं :—

(i) उपचारात्मक अध्यापन ।

(ii) कमजोर विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति पर बल देना ।

(iii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि घर पर विद्यार्थियों के अध्ययन पर उचित ध्यान दिया जाए अभिभावकों से सहयोग प्राप्त करना ।

(iv) उचित शिक्षण कार्य को सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों का बार बार आकस्मिक निरीक्षण करना ।

(v) अच्छे अध्यापकों का सम्मान करना और जिन अध्यापकों के परीक्षा परिणाम अच्छे नहीं हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही करना ।

वर्ष 1982 में होने वाले एशियाई खेल

790. श्री चन्द्रशेखर सिंह : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में 1982 में होने वाले एशियाई खेलों का आतिथ्य करने के लिए आवेदन किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है;

(ग) उक्त खेलों में कितने देशों के भाग लेने की संभावना है ; और

(घ) उक्त खेलों के लिए अब क्या-क्या तैयारियां की जा चुकी हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (घ) : भारतीय ओलिम्पिक संघ के अध्यक्ष के अनुसार, एशियाई खेल संघ ने भारतीय ओलिम्पिक संघ के 1982 के एशियाई खेल नई दिल्ली में आयोजित करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इस स्तर पर यह कहना संभव नहीं है कि एशियाई खेल संघ के कितने सदस्य देश इन खेलों में भाग ले सकेंगे, जिनका आयोजन छः साल बाद होना है। हालांकि 1982 में होने वाले एशियाई खेलों के प्रदर्शन के लिए की जाने वाली तैयारियों का मूल्यांकन मौटे तौर पर कर लिया गया है, फिर भी भारतीय ओलिम्पिक संघ तथा अन्य सम्बन्धित निकायों द्वारा पूर्ण ब्यौरे तैयार किए जाएंगे ।

गांवों में प्राथमिक विद्यालय

791. श्री चन्द्र शेखर सिंह : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के 6 लाख गांवों में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं ; और

(ख) गांवों में गत तीन वर्षों में कितने लड़के एवं लड़कियों ने प्राथमिक स्तर तक शिक्षा पाई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 1970-71 में 3,71,208 प्राथमिक स्कूल थे।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के स्तरों के अनुसार शिक्षित लड़के और लड़कियों के बारे में सूचना महा-रजिस्ट्रार के कार्यालय द्वारा दशक के आधार पर एकत्रित की जाती है। आखिरी जनगणना 1971 में हुई थी जिसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर तक 2,96,37,000 लड़के और 1,23,29,000 लड़कियां शिक्षित थे।

राष्ट्रीय आवास नीति

792. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय आवास नीति के लिए सरकार ने हाल ही में विशेषज्ञों के एक कार्यकारी दल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दल ने सरकार को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) जी, हां। आवास से संबंधित समस्त उपलब्ध सामग्री की जांच करने तथा विशेषज्ञ अध्ययन के क्षेत्रों पर रिपोर्ट देने के लिए इस मंत्रालय द्वारा एक कार्यकारी दल नियुक्त किया गया था।

(ख) तथा (ग) रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और विचाराधीन है।

चावल की नई किस्म

793. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अन्तर्गत संस्थाओं ने चावल की कुछ नई किस्मों का विकास किया है ;

(ख) क्या इनमें रोग नहीं लगता; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान): (क) तथा (ख) अनेक अधिक उपज देने वाली किस्में जो कुछ महत्वपूर्ण नाशकीटों तथा रोगों की प्रतिरोधी हैं, उनका विकास अखिल भारतीय समन्वित चावल सुधार प्रायोजना के अधीन किया गया है, जिसमें केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कृषि विश्वविद्यालय, तथा राज्य सरकारों के चावल अनुसंधान केन्द्र भाग ले रहे हैं।

(ग) कुछ महत्वपूर्ण किस्मों की प्रमुख रूपरेखा निम्न प्रकार है :—

विजया—झुलसा रोधी तथा टिड्डा और तुंगरो के प्रति सहष्णु।

रत्ना———कोथ निकालने की अवस्था में तुंगरो विषाणु तथा तना छेदक रोक के लिए सहष्णु।

जयन्ती—झुलसा रोधी तथा हरे टिड्डे के प्रति सहष्णु।

वाणी——झुलसा रोधी तथा हरे टिड्डे के प्रति सहष्णु।

आर० पी० डब्ल्यू-6–13
आर० पी० डब्ल्यू-6–17
शक्ति
} गाल मिज रोधी

सी० आर० 94 एम० आर० 1550
सी० आर० 59 एम० आर० 1523
} गाल मिज रोधी तथा भूरे टिड्डे के प्रति सहष्णु

जया——झुलसा रोधी ।

अनेक विभेद जिनमें बहुविध प्रतिरोधी विभेद हैं उनके उपज संबंधी मूल्यांकन को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

बासमती चावल की सुधरी हुई किस्म

794. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि वैज्ञानिकों ने बासमती चावल की सुधरी हुई किस्मों का विकास किया है ;

(ख) क्या उक्त किस्मों के कारण निर्यात आय में वृद्धि होने की सम्भावना है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान): (क) जी, हां ।

(ख) नई किस्मों की निर्यात सम्भावना का अभी मूल्यांकन किया जाना है।

(ग) उन्नत साबरमती, पूसा-33, पी० ए० यू० मुटंट बासमती 370 तथा आर० पी० 9:7-11-1-2 अच्छी उत्पादन क्षमता, सुगंध तथा अच्छी किस्मों की विशेषताओं से युक्त हैं। ये स्थानीय किस्मों से बेहतर हैं तथा निर्यात बाजार के लिए क्षमता युक्त हो सकती हैं। उपज की श्रेष्ठता 10–25 प्रतिशत तक रहती है।

बाल अपराध संबंधी परियोजना

795. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **शिक्षा, सामाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाज कल्याण विभाग ने बाल अपराध सम्बन्धी दो परियोजनाएं मंजूर की हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं को चलाने के लिए कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई गई है; और

(ग) तत्संबन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग) इस विभाग ने बाल अपराध के संबंध में अब तक 85,330 रुपये की कुल लागत की दो अनुसंधान परियोजनाएं मंजूर की हैं ।

"ग्रैटर बम्बई में बाल अपराध के सम्बन्ध में अध्ययन" परियोजना, जो जनवरी, 1976 में मंजूर की गई थी और लगभग एक वर्ष के समय में पूरी हो जाएगी, बाल अपराध विधायी उपबन्धों की पर्याप्तता तथा ग्रैटर बम्बई में अपराधियों के लिए संस्थागत और गैर-संस्थागत सेवाओं की उपलब्धि की समस्याओं की जांच करेगी ।

"अपराध का मूल्यांकन---व्यक्तित्व तथा घटना का पारिस्परिक प्रभाव" परियोजना, जो नवम्बर, 1975 में मंजूर की गई थी, पश्चिम बंगाल में बाल अपराधियों के व्यक्तित्व की विशेषताओं का तथा जिन कारणों से वे अपराधी बने, उन कारणों का अध्ययन करेगी ।

शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 का प्रवर्तन

796. **श्री डी० के० पंडा :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 के प्रवर्तन के समय केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से अनुपूरक उपायों की सिफारिश की थी, और

(ख) यदि हां, तो वे किस प्रकार के हैं और राज्य सरकारों की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) जी हां ।

(ख) जिन राज्यों में शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 लागू होना है उन राज्य सरकारों को उनके वैधानिक क्षमता के अन्तर्गत निम्नलिखित उपाय करने के लिए अनुरोध किया गया था :—

(i) रिक्त शहरी भूमि पर कर लगाना;

(ii) ऐसी भूमि जो निर्दिष्ट सीमा से अधिक है, उस शहरी भूमि पर बने भवनों पर कर लगाना ;

(iii) निर्दिष्ट सीमा से अधिक इमारती क्षेत्रों पर कर लगाना;

(iv) विकसित भूमि पर विकास प्रभार लगाना ;

(v) प्रस्तावित उद्देश्य के विपरीत उपयोग में लाई जाने वाली भूमि पर परिवर्तन प्रभार लगाना;

(vi) कृषि भूमि को बिना आज्ञा के नगर संकुलन में बदलने पर प्रतिबंध लगाना; और

(vii) मास्टर प्लान/आंचलिक विनियमन/नगरपालिका उपविधि के कपितय प्रतिबन्धों को जो नगर अधिकतम सीमा की भावना के प्रतिकूल हैं दूर करना ।

उपर्युक्त उपायों का कार्यान्वयन करना है इसे सामान्यत: राज्य सरकारें जानती हैं ।

विकलांगों का पुनर्वास

797. **श्री डी० के० पंडा :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकलांगों के पुनर्वास सम्बन्धी सरकार की कोई राष्ट्रीय नीति है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) तथा (ख) सरकार की नीति विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा, प्रशिक्षण पुनर्वास और कल्याण को बढ़ावा देना है। इस नीति के अनुसार अब तक निम्नलिखित उपाय किये गए हैं :—

(1) 9वीं कक्षा से डाक्टरल स्तर तक, जिसमें व्यावसायिक और पत्राचार पाठ्यक्रम भी शामिल हैं, अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां दी जाती हैं।

(2) विकलांग व्यक्तियों से सम्बन्धित स्वंयसेवी संगठनों को भवनों के निर्माण कर्मचारियों के वेतनों, उपकरण और फर्नीचर खरीदनें, पुस्तकें खरीदने या उनकी प्रतिलिपियां तैयार करने, सैमिनारों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों अनुसंधानों और सर्वेक्षणों तथा पत्रिकाएं, पुस्तिकाएं, पुस्तकें इत्यादि मुद्रित कराने के लिए सहायक अनुदान दिए जाते हैं।

(3) विकलांग व्यक्तियों को नौकरी दिलाना, सुसाध्य बनाने के लिए कारखानों में प्रशिक्षण की योजना बनाई गई है तथा विशेष रोजगार कार्यालयों की स्थापना की गई है। इनके अतिरिक्त उत्कृष्ट विकलांग कर्मचारियों तथा उनके नियोक्ताओं को प्रति वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार दिये जाते हैं।

(4) ऐसे उपकरणों के विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे विकलांग व्यक्ति अपनी बाध्यताओं पर काबू पा सकें।

(5) सामान्य समुदाय के साथ निर्योग्य व्यक्तियों के एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए "समेकित शिक्षा" की संकल्पना को लोकप्रिय बनाया जा रहा है।

(6) चार प्रमुख वर्गों के विकलांग व्यक्तियों से सम्बन्धित राष्ट्रीय संस्थानों को नमूने के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव है जिनमें अनुसंधान और सहायक सेवाओं के तत्वों को एकत्रित रूप से लिया जायेगा।

फार्म अनुसंधान

799. **चौधरी नीतिराज सिंह :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फार्म अनुसंधान के लिये तथा कृषि में मौलिक अनुसंधान को सुदृढ़ करने के लिये विशेष पीठ (चेयर) स्थापित किये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो यह पीठ कहां-कहां पर स्थापित किये जायेंगे और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या विदेशों में काम कर रहे भारतीय वैज्ञानिकों की इन पीठों को भरने के बारे में प्रतिक्रिया सन्तोषजनक नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और सुविख्यात भारतीय वैज्ञानिकों को इन पीठों पर आसीन करने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है/अथवा क्या उपाय किये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) जी, हाँ, सरकार ने प्रतिष्ठावान प्राध्यापकों के लिए रु० 3,000/- प्रति मास पर विशिष्ठ पदों तथा राष्ट्रीय शिक्षावृत्ति भौगियों के लिये विश्वविद्यालय प्राध्यापकों के (1500-2500) वेतन-मान में प्राध्यापकों के पद बनाने हेतु पांचवीं योजना स्कीम को अनुमोदित कर दिया है।

(ख) ये पद कृषि विश्वविद्यालयों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के संस्थानों तथा कुछ सामान्य विश्वविद्यालयों में बनाये जाएंगे। ठीक स्थानों का निर्णय कृषि अनुसंधान की राष्ट्रीय वरीयताओं के आधार पर किया जा रहा है। स्कीम में प्रस्तावित 35 पदों में से 10 विशिष्ट पद होंगे तथा 25 प्राध्यापकीय पद होंगे जो राष्ट्रीय 'फैलो' कहलायेंगे।

(ग) विदेशों में स्थित वैज्ञानिकों से अभी सम्पर्क स्थापित नहीं किया गया है। इस योजना को अन्तिम रूप देने के बाद विदेशों में स्थित वैज्ञानिकों को, अपने दूतावासों के माध्यम से, इसका विस्तृत विवरण भेज दिया जायेगा।

नेशनल बुक ट्रस्ट और अकादमियों के पास पड़ी अन बिकी पुस्तकें

800. **चौधरी नीतिराज सिंह**
श्री एस० ए० मुरुगन्तम
श्री एन० ई० होरो
श्री वसन्त साठे } : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल बुक ट्रस्ट की 95 प्रतिशत पुस्तकों के अनबिकी रह जाने के कारण प्रकाशन के लिये पुस्तकों का गलत चुनाव किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो भविष्य में इसकी आवृत्ति को रोकने के लिये क्या उपाय किये गये है अथवा करने का विचार है ;

(ग) यदि नहीं, तो पुस्तकों के अनबिकी रह जाने के अन्य क्या कारण हैं ;

(घ) क्या साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी तथा संगीत नाटक अकादमी के प्रकाशनों की भी यही स्थिति है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उनकी कितने प्रतिशत पुस्तकें अभी अनबिकी हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ङ) विभिन्न प्रकाशनों के बारे में मुद्रित प्रतियों की संख्या के अनुसार कुल अन-बिके स्टाक की प्रतिशतत: इस प्रकार है :—

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास	पिछले 5 वर्षों के प्रकाशनों का 50%
साहित्य अकादमी	अकादमी के प्रत्यक्ष प्रकाशनों का 29.2%
ललित कला अकादमी और समकालीन कला प्रकाशन	27.59 प्रतिशत
बहुरंगी पुनः उद्धरण	66.88%
संगीत नाटक अकादमी	59.52%

2. यह कहना ठीक नहीं है कि प्रकाशनों की बिक्री संबंधी स्थिति के लिए पुस्तकों का घटिया चयन जिम्मेदार है। शीर्षकों का वाणिज्य विचार से नहीं बल्कि अलग-अलग संगठनों के हित के विशिष्ट क्षेत्रों के बारे में बड़ी सावधानी से चयन किया जाता है। चयन सलाहकारी निकायों की सिफारिशों के आधार पर किये जाते हैं जिनमें विख्यात लेखकों, विद्वानों और कलाकारों को शामिल किया जाता है।

साक्षर लोगों में पुस्तकें पढ़ने की कम प्रवृत्ति और साथ ही पुस्तकें खरीदने के लिए आर्थिक साधनों का अभाव ऐसे मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से लोकप्रिय सामग्री की पुस्तकों की भी सामान्य रूप से बिक्री धीमी रही है। दूसरी ओर उन पुस्तकों की, जिन्हें सामाजिक प्रयोजनों से प्रकाशित किया गया है, जिन्हें (ग्रंथों का) साहित्य के विकास और साहित्य संबंधी अन्तर-क्षेत्रीय मूल्यांकन के प्रसार के लिए निकाला गया है, इसके अतिरिक्त विशिष्ट विषयों की अच्छी पुस्तकों और उन पुस्तकों की, जो अपना अनुसंधान मूल्य रखती है, सभी की बिक्री पर धीमी आंकी गई है। फिर भी मुख्य बात यही है कि इन प्रकाशनों ने समय की गति के साथ-साथ अपना मूल्य नहीं खोया है।

पुस्तकों की बिक्री की व्यवस्था संस्थावार नीचे बताई गई है:

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास

निकाय ने "सील सेलिंग एजेंसी" की अपनी पुरानी व्यवस्था में संशोधन करने के लिये मार्च, 1976 से कुछ कदम उठाए गए हैं ताकि धीरे-धीरे वह स्वयं पुस्तकों की सीधी बिक्री कर सके। इससे निकाय को अपने भाषा प्रकाशन या तो स्वयं या अपनी मर्जी के एजेंटों के जरिए, ऐसी शर्तों पर बेचने का अवसर प्राप्त होता है जो इसके लिए अत्यन्त लाभदायक तथा सुविधाजनक हो। निकाय बंगलौर, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, कानपुर और पुने जैसे महा-नगरों में अपने अंग्रेजी, हिन्दी और मराठी के प्रकाशनों की बिक्री की व्यस्वथा करने में भी सफल हुआ है। अपनी बिक्री व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए भी कदम उठाए गए है तथा पुस्तक व्यापार, पुस्तकालयों आदि से अपने सर्म्पकों को विकसित करने के लिए क्षेत्र प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। निकाय ने प्रकाशन प्रभाग के साथ उनके बिक्री केन्द्रों के जरिए अपने प्रकाशनों की बिक्री के लिए भी व्यवस्था की है।

साहित्य अकादमी

नई दिल्ली में अकादमी के कार्यालय और बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में उसके क्षेत्रीय कार्यालयों में बिक्री संबंधी व्यवस्थाएं विद्यमान हैं। इसके आलावा कुछ भाषाओं (अर्थात्

असमी, बंगला, गुजराती, मलयालम, मराठी, उड़िया, सिंधी तमिल और तेलुगु) में पुस्तकों की बिक्री के लिए संबंधित 18 पुस्तक विक्रेताओं को मुख्य एजेंटों के रूप में नियुक्त किया गया है। सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग ने भी अपने बिक्री केन्द्रों के जरिए अकादमी के प्रकाशनों को बेचने की जिम्मेदारी ली है। अकादमी ने स्वयं ही बिक्री करके भी अच्छे परिणाम हासिल किये हैं और इसके लिए उन्होंने प्रत्यक्ष सम्पर्क किये तथा बिक्री बढ़ाने के अन्य साधन भी अपनाए।

ललित कला अकादमी

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय के बिक्री केन्द्रों (डिपो), प्रिंस आफ वेल्स म्यूजियम, बम्बई और सभी प्रमुख शहरों के प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेताओं के अलावा, नई दिल्ली में अकादमी के कार्यालय और साथ ही बम्बई कलकत्ता तथा दिल्ली में स्थित प्रकाशन प्रभागों के बिक्री केन्द्रों में बिक्री के लिए प्रकाशन उपलब्ध हैं।

अकादमी का कोई सील एजेंट अथवा अन्य स्टाकिस्ट नहीं है तथा सारे आर्डरों का स्वंय ही निपटान करती है।

संगीत नाटक अकादमी

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय के बिक्री केन्द्रों (डिपो) और अकादमी के कार्यालय में बिक्री की व्यवस्था विद्यमान हैं। एक विख्यात पुस्तक विक्रेता (मुंशीराम मनोहर लाल, नई दिल्ली) को भी कुछ प्रमुख प्रकाशनों की बिक्री के लिए कमीशन के आधार पर नियुक्त किया गया है।

सं० एफ० 7-6/76-योजना-I

खाद्यान्नों का रक्षित भण्डार

801. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपाण्डे**
श्रीमती पार्वती कृष्णन् } : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्यान्नों के रक्षित भण्डार सम्बन्धी लक्ष्य प्राप्त कर लिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार के पास खाद्यान्न की कितनी मात्रा है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 70 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का बफर स्टाक तैयार करने का निर्णय किया था। तथापि, सरकार ने एक तकनीकी ग्रुप नियुक्त किया है जो कि उत्पादन की प्रवृत्तियों और जनसंख्या में वृद्धि तथा अन्य संगत बातों को ध्यान में रखते हुए देश में अब तैयार किए जाने वाले बफर स्टाक के आकार की भी साथ-साथ जांच करेगा। तकनीकी ग्रुप की सिफारिशें प्राप्त होने पर सरकार तैयार किए जाने वाले बफर स्टाक के आकार के बारे में निर्णय करेगी।

सरकार (केन्द्र और राज्य दोनों के पास) के जून, 1976 के अन्त को लगभग कुल 170 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का स्टाक (बफर तथा कार्यचालन दोनों) था।

कालम्मावाड़ी बांध परियोजना

802. **श्री अण्णसाहेब गोर्टाखडे : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूधगंगा परियोजना जो आम तौर से दक्षिण महाराष्ट्र में कालम्मावाडी बांध परियोजना के नाम से जानी जाती है, महाराष्ट्र और कर्नाटक के राज्यों के बीच एक संयुक्त परियोजना होगी;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों मुख्य मंत्रियों द्वारा टी० एम० सी० (अरब घनफुट) में परियोजना की आवश्यकताओं, नहर के रेखा-निर्धारण में संभवतया किये जाने वाले परि-वर्तनों, ऐसी फसलों का ब्यौरा जिनके लिए पानी प्रयुक्त किया जायेगा और अनुमानित खर्च के विभाजन सम्बन्धी मामलों पर विचार-विमर्श किया गया है;

(ग) यदि हां, तो पूर्ण हुए करारों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या कृष्णा जल विवाद न्यायधिकरण के पंचाट के बाद इस परियोजना को स्वीकृति दे दी गई है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) जी हां।

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि इस मामले पर दोनों मुख्य मंत्रियों के बीच विचार-विमर्श नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण के पंचाट को ध्यान में रखते हुए संशोधित परियोजना रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

केरल में मानसून न आने से कृषि उत्पादन को हानि

803. **श्री वयालार रवि : क्या कृषि और सिंचाई** त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष मानसून न आने से केरल के कृषि उत्पादन को अनुमानतः कितनी हानि हुई है; और

(ख) इससे प्रभावित हुए किसानों को राहत देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और इन कठिनाइयों पर काबू पाने के लिये राज्य की सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) राज्य सरकार से मानसून न आने के कारण कृषि उत्पादन की हानि के बारे में कोई विशिष्ट रिपोर्ट प्राप्त नहीं ई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा की नई पद्धति पर सुझाव मांगना

804. श्री दीननेन भट्टाचार्य : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुत सी राज्य सरकारों ने अपने राज्यों के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को परामर्श दिया है कि वे माध्यमिक शिक्षा में 11वीं श्रेणी के स्थान पर 10वीं श्रेणी की पद्धति लागू करें ;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों ने यह परिवर्तन लागू कर दिया है और क्या इस बारे में केन्द्र से कोई सुझाव मांगा गया था, और

(ग) शिक्षा की नई पद्धति की सिफारिश किस आधार पर की गई थी?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) शिक्षा की 10+2+3 की नयी पद्धति को आरम्भ करने का प्रश्न राज्य सरकारों के विचाराधीन रहा है । इस पद्धति को लागू करने से संबंधित वर्तमान स्थिति अनुबन्ध में दी गई है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा हाल ही में दस-वर्षीय स्कूली पाठ्यचर्या के लिए एक ढांचा तैयार किया गया था तथा इसे राष्ट्रीय शिक्षा विद् सम्मेलन द्वारा, जिसमें सभी राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, अनुमोदित किया गया था। उक्त पाठ्यक्रम की संरचना को अपनाने के लिए सभी राज्य सरकारों को उपलब्ध करा दिया गया है ।

कोठारी आयोग (1964-66) की सिफारिश पर भारत सरकार ने 1968 में एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई जिसमें देश में व्यापक तौर पर एक समान शैक्षिक ढांचे को अपनाने का सुझाव दिया, जिसका मूल उद्देश्य 10+2+3 पद्धति अपनाना है। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने भी सिफारिश की है, कि नई शिक्षा पद्धति को देश-भर में पांचवी पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्त तक लागू कर दिया जाना चाहिए ?

विवरण

निम्नलिखित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने शिक्षा की इस नई पद्धति को पहले ही अपना लिया है :—

1. आन्ध्र प्रदेश
2. असम
3. बिहार
4. गुजरात
5. जम्मू व काश्मीर
6. कर्नाटक
7. केरल

8. महाराष्ट्र
9. सिक्किम
10. त्रिपुरा
11. उत्तर प्रदेश
12. पश्चिम बंगाल
13. अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
14. अरुणाचल प्रदेश
15. चण्डीगढ़
16. दादरा और नागर हवेली
17. दिल्ली
18. गोवा दमन व दीव
19. लक्ष्यद्वीप

नीचे लिखे राज्यों का 1977-78/1978-79 से इस नई पद्धति को अपनाने का विचार है :—

1. हरियाणा
2. हिमाचल प्रदेश
3. मणिपुर
4. नागालैण्ड
5. उड़ीसा
6. राजस्थान
7. तमिलनाडु

यह मामला निम्नलिखित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के विचाराधीन है :—

1. मध्य प्रदेश
2. मेघालय
3. पंजाब
4. मिजोरम
5. पाण्डिचेरी ।

सुवर्ण रेखा परियोजना पर समझौता

805. श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुवर्णरेखा परियोजना पर काम आरम्भ हो गया है, क्या पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए है; यदि नहीं, तो इस मार्ग में क्या कठिनाइयां है ; और

(ख) क्या नदी के निचले बेसिन से पानी का निकास आरम्भ हो गया है, क्या समुद्र की ओर सीधे कटाव की अनुमति दी गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) सुवर्णरेखा बहुप्रयोजनी परियोजना पर काम अभी शुरू नहीं हुआ है। सुवर्णरेखा नदी के जल के विकास के कार्य का संबंध बिहार उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के राज्यों से है। इस बीच बिहार और उड़ीसा के बीच एक समझौता हो चुका है। उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल की सरकारों से आपस में समझौता करने का अनुरोध किया गया है।

(ख) उड़ीसा राज्य की सरकार ने सूचित किया है कि सुवर्णरेखा की निचली पहुंचों में खलजोरी और चिताई नामक दो जल निकास स्कीमों की जांच कर रही है । उसने यह भी बताया है कि इस समय समुद्र में बाटागांव और माटीकंचा स्थानों पर दो सीधे कटावों के प्रस्तावों की जांच भी की जा रही है। काम शुरू करने का निश्चिय करने से पहले समुद्र कटाव के प्रस्तावों का नमूना-अध्ययन करने का प्रस्ताव है ।

शिक्षा की नई पद्धति के कारण अध्यापकों की आवश्यकता

806. श्री श्यामसुन्दर महापात्र : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या शिक्षा की नई पद्धति 10+2+3 के कारण भारत में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिये कितने और अध्यापकों की अवश्यकता पड़ेगी और क्या इससे कुछ अध्यापकों की छंटनी की जायेगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव): शिक्षा के राज्य विषय होने के कारण शिक्षकों की मांगों का मूल्यांकन राज्य सरकारों द्वारा किया जायेगा। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को तैयार करने से सम्बन्धित कार्य निर्धारण जिला स्तर पर किये जाने वाले सर्वेक्षणों के सम्पन्न होने के उपरान्त ही किया जायेगा । यह सर्वेक्षण कार्य पहले ही कुछ राज्यों द्वारा आरम्भ कर दिया गया है । व्यावसायिक अध्ययन के पाठ्यक्रमों को अंतिम रूप देने के बाद ही स्टाफ की मांगों पर निर्णय किया जा सकता है । राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् सर्वेक्षण करने, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यचर्याएं तैयार करने और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने में राज्य सरकारों की सहायता कर रही है । शिक्षा की नई पद्धति के कार्यान्वयन से शिक्षकों की छंटनी होने की कोई संभावना नहीं है।

स्त्री शिक्षा

807. श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पांचवीं योजना अवधि में भारत में स्त्री शिक्षा का लक्ष्य क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : पांचवीं पंचवर्षीय आयोजना के सौदे में, स्कूल स्तर पर लडकियों के नामांकन का लक्ष्य इस प्रकार दिया गया है :—

कक्षा/आयुवर्ग		वर्ष 1978-79 तक तदनुरूपी आयुवर्ग में शामिल की प्रतिशतता
I-V	6–11	82
VI-VIII	11–14	33
IX-XI-XII	14–17	15

पांचवीं योजनावधि में वयस्क साक्षरता अभियान

808. श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजनावधि में वस्यक साक्षरता अभियान के लिए कोई द्रुत कार्यक्रम बनाया जाना है, और

(ख) क्या साक्षरता अभियान के लिए कोई विदेशी सहयोग भी लिया जा रहा है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) पांचवीं आयोजना की नीति में प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रमों की बड़े पैमाने में व्यवस्था है, जिसमें सामाजिक और आर्थिक विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों को कार्यात्मक साक्षरता से संबद्ध किया जाना शामिल है । मुख्य कार्यक्रम इस प्रकार है :-

(i) 15-25 आयु वर्ग के लिए गैर औपचारिक शिक्षा,

(ii) निरक्षर कृषकों के लिए किसान कार्यात्मक साक्षरता परियोजना;

(iii) महिलाओं के लिये कार्यात्मक साक्षरता ;

(iv) शहरी कामगारों के लिये गैर औपचारिक शिक्षा;

(v) प्रौढ शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता; और

(vi) नव-साक्षरों के लिये साहित्य का प्रकाशन ।

(ख) गैर-औपचारिक शिक्षा हेतु विशिष्ट शिक्षा प्राप्त करने वाले वर्गों के लिए समस्योन्मुख शिक्षा सामग्री (प्रोटो-टाइप) के निर्माण की परियोजना हेतु यूनेस्कों से प्राप्त 8,500 डालर (70,960/- रुपये के बराबर) की सहायता के अलावा उक्त किसी भी कार्यक्रम के लिए विदेशी सहयोग प्राप्त नहीं हुआ है ।

Visit of Cricket Teams

810. SHRI SHANKAR DAYAL SINGH : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) the names of the countries cricket teams of which are likely to visit India as also the names of the countries to be visited by Indian Cricket Team in 1976-77; and

(b) whether talks for the exchange of cricket teams, with Pakistan are also going on ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF CULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) According to the information given by the Board of Control for Cricket in India, a cricket team from New Zealand, and the M.C.C. Cricket team from U. K., are scheduled to visit India during November, 1976 to February, 1977. The Indian Cricket team visited New Zealand and West Indies during early 1976. There is no proposal to send the Indian Cricket team abroad upto April, 1977.

(b) The Board of Control for Cricket in India is exploring with its Pakistani counter part the possibility of exchange of cricket teams between the two countries.

Visit of Ping Pong team from China

811. SHRI SHANKAR DAYAL SINGH: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether a ping pong team from China is likely to visit India or vice versa in the near future; and

(b) if so, the facts thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF CULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) The Table Tennis Federation of India has no proposal either to invite a Table Tennis team from China or to send an Indian Table Tennis team there.

(b) Does not arise.

Konar and Tilaiya Water Projects of D.V.C.

†812. SHRI SHANKAR DAYAL SINGH : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) the position of Konar and Tilaiya Water Projects of the D.V.C.;

(b) whether any funds have been allocated for these projects;

(c) if so, the particulars thereof; and

(d) When the work on these projects is likely to commence?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI KEDAR NATH SINGH) : (a) Both these schemes involve inter-State aspects between Bihar and West Bengal. The agreement on various issues concerning these States, which, inter-alia, include utilisation of waters of the Tilaiya and Konar reservoirs for irrigation in Bihar, is at present under discussions between the two States.

(b) & (c) An outlay of Rs. 10 crores has been tentatively provided for these schemes during the Fifth Five Year Plan as under :—

Tilaiya Diversion Scheme :	Rs. 4·00 crores
Konar Irrigation Scheme :	Rs. 6·00 crores
	Rs. 10·00 crores

An outlay of Rupees one crore has been provided in the State Annual Plan for 1976-77 for these two schemes subjects to the approval of the schemes by the Planning Commission.

(d) These schemes could be considered for clearance by the Planning Commission after an agreement is reached between Bihar and West Bengal to resolve the inter-State aspects. Implementation of these schemes would, however, depend on these being found technically feasible and economically viable and on the availability of funds with the State Government in their Annual Plans.

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सहकारी आवास समितियों को अलाट की गई भूमि

813. **श्री मौलाना इसहाक सम्भली :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कितनी सहकारी आवास समितियों को भूमि अलाट की है तथा उन्हें उनका कब्जा दिया है ;

(ख) कितनी समितियों ने पूरा भुगतान कर दिया है किन्तु उन्हें अभी तक भूमि का कब्जा नहीं दिया गया है ;

(ग) इन समितियों को कब तक कब्जा दे दिया जाएगा; और

(घ) जिन समितियों को अभी तक भूमि नहीं दी गई है उन्हें कब तक भूमि अलाट कर दी जायगी ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) सहकारी गृह निर्माण समितियों को भूमि केवल दिल्ली प्रशासन द्वारा ही अलाट की जाती है। अब तक 93 ऐसी समितियों को भूमि आबंटित की गई है।

(ख) 2 सहकारी गृह निर्माण समितियों ने भुगतान किया है परन्तु उनको भूमि अलाट नहीं की गई है।

(ग) इन 2 समितियों की भूमि अलाट करने के प्रश्न पर अभी निर्णय नहीं किया गया है ।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली के स्कूलों में असफल छात्रों को पुनः दाखिला न दिया जाना

814. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :** क्या **शिक्षा. समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के स्कूलों में ऐसे छात्रों को पुनः दाखिला नहीं दिया जा रहा है जो मार्च-अप्रैल, 1976 में हुई उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में असफल रहे थे, और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में शिक्षा विभाग द्वारा कोई निर्देश जारी किया गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) दिल्ली स्कूल शिक्षा नियमावली, 1973 के अनुसार "ऐसे छात्र को, जो किसी लोक परीक्षा में असफल हो जाता है, उस कारण से विद्यालय या विद्यालय की उस कक्षा में जिसकी परीक्षा में वह सम्मिलित हुआ था, पुनः प्रवेश करने से इन्कार नहीं किया जाएगा।" इस बात को ध्यान में रखते हुए, असफल छात्रों को दाखिला न दिए जाने के बारे में, कोई निर्देश अथवा अनुदेश जारी करने का प्रश्न नहीं उठता। कुछ ऐसे उदाहरण हो सकते

हैं, जब किसी छात्र के एक स्कूल में अनुत्तीर्ण हो जाने पर और उसके द्वारा किसी अन्य स्कूल में पुनः दाखिला चाहने पर उसे अन्य परिसीमाओं के कारण दाखिला न मिल सका हो।

दिल्ली में सहकारी समूह आवास समितियों को ऋण

815. श्री मौलाना इसहाक सम्भली : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सहकारी समूह आवास समितियों को ऋण के रूप में कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता है;

(ख) आवास तथा नगरीय विकास निगम, जीवन बीमा निगम तथा दिल्ली सहकारी वित्त समिति लि० ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इन समितियों को ऋण देने के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की है अथवा उपबन्ध किया है और ऋण पर ब्याज की दर क्या होगी; और

(ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा इन समितियों को ऋण न देने के क्या कारण हैं जबकि व्यक्तिगत रूप से मकान बनाने के लिए इससे ऋण मिल सकता है?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) आवास तथा नगर विकास निगम तथा जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण दिए जाने के लिए कोई धनराशि अलग से नहीं रखी जाती है। पृथक-पृथक योजनाएं प्राप्त की जाती हैं तथा उन पर गुणावगुण आधार पर विचार किया जाता है।

(ग) व्यक्तियों को दिए गए ऋण मध्यम आय वर्ग तथा निम्न आय वर्ग आवास योजनाओं जैसी विशिष्ट सामाजिक आवास योजनाओं के अधीन आते हैं। ग्रुप आवास योजना ऐसी योजनाओं की किसी श्रेणी के अधीन नहीं आती।

चीनी के उत्पादन शुल्क में छूट

816. श्री डी० डी० देसाई : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1976-77 के सीज़न में चीनी के उत्पादन शुल्क में छूट देना पुनः आरम्भ करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस छूट का लाभ गन्ना उत्पादकों को दिया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) 1976-77 मौसम के लिए चीनी नीति के विभिन्न पहलुओं जिसमें उत्पादन शुल्क में छूट देने की आवश्यकता भी शामिल है, पर विचार-विमर्श प्रारम्भिक अवस्था में है और इस अवस्था में कुछ अधिक बताना सम्भव नहीं है।

खरीफ की फसल पर मानसून के विलम्ब का प्रभाव

817. **श्री डी० डी० देसाई:** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष मानसून के देर के आने के कारण खरीफ की फसल की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, और

(ख) यदि हां, तो इसकी राज्यवार स्थिति क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल): (क) तथा (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार इस वर्ष मानसून के देर से आने के कारण खरीफ की फसल की सामान्य संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। तथापि केरल तथा कर्नाटक के भागों में धान की फसल पर कुछ हद तक प्रभाव पड़ने की सूचना मिली है ।

गुजरात में जीरे (क्यूमिन) की फसल को हानि

818. **श्री डी० डी० देसाई:** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में जीरे की फसल में कीड़ा लगने के समाचार मिले हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन रोगों पर कोई अनुसंधान कार्य किया जा रहा है; और

(ग) क्या गुजरात सरकार ने इस रोग को फैलने से रोकने के लिये कोई कदम उठाये हैं ?

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां): (क) जी, हां, राज्य के कृषि विभाग के अनुसार, उत्तरी गुजरात में लगभग 70 प्रतिशत जीरे की फसल को 'जीरा अंगमारी' नामक रोग की क्षति पहुंची है। रोग की भंयकरता का कारण जनवरी, 1976 के दौरान असामायिक वर्षा तथा बादल छाये रहना बताया गया है।

(ख) जी, हां, गुजरात कृषि विश्वविद्यालय ने समस्या को समझ लिया है और उन्होंने इस पर अनुसंधान कार्य प्रारम्भ कर दिया है।

(ग) जी, हां, राज्य के कृषि विभाग ने समाचार-पत्रों तथा आकाशवाणी के माध्यम से किसानों को चेतावनी दी है तथा उनको निवारक उपाय बताकर उनका मार्गदर्शन किया है तथा इस रोग के विरुद्ध निवारक उपाय बताने के लिए प्रदर्शनों के आयोजनों की व्यवस्था भी की है ।

कर्नाटक में चक्र नदी घाटी पर सिंचाई सुविधाएं

819. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय:** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना के अंतर्गत चक्र नदी को कर्नाटक स्थित दक्षिण कोमोना जिले से मोड़ा जा रहा है ; और यदि हां, तो कब ;

(ख) क्या इससे दक्षिण कोमोना जिले की लगभग 5000 एकड़ भूमि सिंचाई सुविधा से वंचित हो जायेगी ; और

(ग) चक्र नदी घाटी के लोगों को सिंचाई सुविधायें प्रदान करने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) से (ग) चक्र पन-बिजली स्कीम में चक्र नदी बेसिन से जल के व्यपवर्तन की परिकल्पना की गई है ताकि शरावती पन-बिजली परियोजना की ऊर्जा-क्षमता में वृद्धि की जा सके। इस स्कीम के अन्तर्गत चक्र नदी पर और चक्र नदी की सहायक नदी सवेहकलू नदी पर एक-एक बाँध का और जल सवाहक प्रणाली का निर्माण किया जाना है। इस स्कीम के अन्तर्गत कुद्रेमुख लौह-अयस्क परियोजना को बिजली की सप्लाई की जाएगी। इस परियोजना पर काम शुरू हो गया है ।

चक्र पन-बिजली स्कीम की रिपोर्ट में चक्र नदी बेसिन में सिंचाई का विकास करने का कोई उल्लेख नहीं है और न ही राज्य सरकार से चक्र बेसिन में किसी बृहत माध्यम स्कीम के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

राजस्थान नहर पर कार्य

821. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या **कृषि और सिंचाई** [मंत्री] राजस्थान नहर पर कार्य के संबध में 19 जनवरी, 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 745 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक राजस्थान मुख्य नहर का कितनी लम्बाई तक कार्य पूरा हो चुका है ;

(ख) इसकी उप नहरों तथा सहायक नहरों की लम्बाई कितनी है और कितनी लम्बाई तक कार्य पूरा हो चुका है ;

(ग) कौन-कौन से कार्य अभी तक निर्माण के लिये शेष हैं और इनके कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(घ) पूरी हो जाने पर नहर से देश को कुल कितना लाभ होगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) चरण-I में परिकल्पित राजस्थान मुख्य नहर जिसकी कुल लम्बाई लगभग 400 किलोमीटर है, लगभग 204 किलोमीटर लम्बी पोषक नहर सहित पूरी की जा चुकी है।

(ख) तथा (ग) प्रथम चरण में शाखा तथा वितरण नहरों की कुल लम्बाई लगभग 3000 किलोमीटर है। अभी तक पूरा किया गया काम इस प्रकार है :—

लाइन्ड	1471 किलोमीटर
अनलाइन्ड	854 किलोमीटर
योग	2325 किलोमीटर

निर्माण के लिए निलम्बित कार्य की मुख्य मदें हैं; चरण-I के बकाया कार्य और राजस्थान नहर परियोजना के चरण-II के कार्य, जिसमें 256 किलोमीटर लम्बी मुख्य नहर और 3500 किलोमीटर लम्बी शाखा तथा वितरण-नहरों का कार्य शामिल है।

आशा है कि परियोजना के चरण-I के कार्य, केवल वितरण प्रणाली की लाइनिंग को छोड़कर जिसे अगले तीन वर्षों तक चालू रखा जाएगा, 1976-77 तक पर्याप्त मात्रा में पूरे कर लिए जाएंगे। चरण-II, जिसका निर्माण कार्य अब चल रहा है, के पूरा करने का कार्यक्रम अभी राज्य सरकार द्वारा तैयार किया जाना है। यदि धन उपलब्ध हो सका तो इस परियोजना के छठी योजना के दौरान पूरा हो जाने की सम्भावना है।

(घ) राजस्थान नहर परियोजना (चरण-I तथा चरण-II) के पूरी तरह से विकसित हो जाने पर प्रति वर्ष 1254 हज़ार हैक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई होने का अनुमान है।

राष्ट्रीय कृषि औद्योगिक ग्रिड I

822. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने राष्ट्रीय कृषि औद्योगिक ग्रिड की स्थापना करने की आवश्यकता का समर्थन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) और (ख) कृषि औद्योगिक कम्पलैक्स की स्थापना के विचार के लिए कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय ने उत्पादन को संसाधन तथा विपणन कार्यों के साथ समन्वित करने के लिए पहल की है। खाद्य विभाग ने **बिहार** और **कर्नाटक** में बल्गेरिया के सहयोग से कृषि औद्योगिक 'कम्पलैक्स' स्थापित करने की एक योजना तैयार की है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इन दोनों राज्यों के प्रायोजन क्षेत्रों में, सब्जियों, फलों तथा अन्य फसलों की विभिन्न किस्मों के परीक्षण तथा उत्पादन, संसाधन, विपणन तथा निर्यात के क्षेत्र में वैज्ञानिक तकनीक के उपयोग की सभावना का पता लगाने के लिए पहली जुलाई, 1976 से प्रारम्भ तीन वर्ष की अवधि के लिए 11,73,000/– रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। विस्तृत प्रायोजना योजना आयोग के विचाराधीन है।

बिहार में बीज निगम के लिए केन्द्रीय सहायता

823. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने राज्य में बीच निगम की स्थापना के लिये सहायता दिये जाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल): (क) जी हां । हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य बीज निगम की स्थापना के लिए परियोजना रिपोर्ट की एक प्रति भेजी है ।

(ख) भारत सरकार इस परियोजना रिपोर्ट की जांच कर रही है और जांच पूरी होने पर निर्णय लेगी ।

नारियल बोर्ड

824. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन**: क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने यह कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नारियल बोर्ड की स्थापना का निर्णय किया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) तथा (ख) सरकार नारियल पैदा करने वाले राज्यों के परामर्श से नारियल बोर्ड की स्थापना के प्रस्ताव की जांच कर रही है । इस संबंध में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

सिंचाई की प्रगति

825. **श्री नवल किशोर सिंह**: क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 20 सूत्री कार्यक्रम के सन्दर्भ में वर्ष 1976-77 के दौरान सिंचाई के प्रत्येक तरीके में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) पांचवीं योजनावधि के शेष वर्षों के लिये लक्ष्य क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख) 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत पांचवीं योजना के अन्तिम चार वर्षों अर्थात् 1975–76 से 1978–79 में बृहत और मध्यम स्कीमों से 5 मिलियन हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि की सिंचाई की परिकल्पना की गई है ।

1975-76 में 1.05 मिलियन हैक्टेयर की सिंचाई क्षमता का निर्माण किया गया था। 1976-77 में 1.20 मिलियन हैक्टेयर की सिंचाई क्षमता और पांचवीं योजना के अन्तिम दो वर्षों में शेष सिंचाई क्षमता का निर्माण किया जाना है ।

ग्रुप आवास सहकारी समितियों में कमियां

826. **श्री के० एम० मधुक** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) भूखंड आवास के आधार पर सहकारी समितियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि आवंटित न किए जाने के क्या कारण हैं जबकि उस ने पर्चियां निकाल कर बहुत से भूखंड विभिन्न व्यक्तियों को आवंटित किए हैं;

(ख) वर्तमान सहकारी ग्रुप आवास योजना में विभिन्न कमियां कौन-कौन सी हैं जो ग्रुप आवास सहकारी समितियां के संयुक्त संघ तथा अन्य एजेंसियों द्वारा सरकार के नोटिस में लाई गई हैं; और

(ग) इन कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया): (क) भूमि की अत्यधिक कमी है अत: केवल सहकारी ग्रुप आवास समितियों की भूमि अलाट करने का निर्णय लिया गया था।

(ख) ग्रुप आवास समितियों के संयुक्त संघ ने यह अभ्यावेदन दिया है भूमि इनके सदस्यों के कार्यस्थान के समीप सस्ती दरों पर दी जाए, सामान्य भूमि किराया लिया जाना चाहिए तथा समितियों को अधिक क्षेत्र पर निर्माण करने की अनुमति देनी चाहिए और मकानों के निर्माण के लिए समितियों को सस्ते दरों पर ऋण दिया जाना चाहिए।

(ग) अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

संघ क्षेत्रों में भू-स्वामियों द्वारा गलत विवरणियां भरना

827. **श्री के० एम० मधुकर**: क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली तथा अन्य संघ क्षेत्रों के कुछ भू-स्वामी तथा अन्य व्यक्तियों ने गलत विवरणियां दी हैं और दे रहे हैं और भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियम के अन्तर्गत वे अपनी अतिरिक्त भूमि सौंप नहीं रहे हैं :—

(ख) यदि हां, तो दिल्ली तथा अन्य संघ क्षेत्रों में ऐसे कितने मामलों का पता चला है ;

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) भारत रक्षा नियम, 'आसुका' तथा ऐसे अन्य कानूनों के अन्तर्गत ऐसे कितने व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल): (क) से (घ) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र से इस प्रकार के किसी मामले की सूचना प्राप्त नहीं हुई है । अन्य संघ राज्य क्षेत्रों, जैसे कि पांडिचेरी और दादरा तथा नगर हवेली से भी जहां भूमी की अधिकतम सीमा संबंधी कानून क्रियान्वित किए जा रहे हैं, ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

खाद्यान्नों की मूल्य वृद्धि पर रोक

828. **श्री के० एम० मधुकर**: क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने गत कुछ महीनों में खाद्यन्नों के मूल्यों में तीव्र वृद्धि को घटाने के लिए दृढ़ प्रयास करने हेतु मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखे हैं;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त पत्रों का सार क्या है और उस पर राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) उपरोक्त पत्रों को जारी करने के बाद संघ क्षेत्रों तथा देश के विभिन्न भागों में कितने जमाखोरों तथा काला बाजारियों को गिरफ्तार किया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वे खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति को रोकने के लिए पग उठाएं । उनसे यह भी कहा गया था कि वे जमाखारों मुनाफाखोरों और कदाचार करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आंसुका, भारतीय सुरक्षा नियम और आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन तेजी से कार्यवाही करें । यह भी सुझाव दिया गया था कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्य की समीक्षा की जाए और यह देखें कि उसे किस हद तक पुनः सक्रिय किया जा सकता है । उन्हें यह भी सुझाव दिया गया है कि जो भी सहकारी समितियां अपने पास अनाजों और दालों का स्टाक रखे हुए हैं उन पर दबाव डाला जाए कि वे उस स्टाक को उचित मूल्यों पर बेच दें। इन मूल्यों में केवल लागत मूल्य और ऊपरी खर्चे ही शामिल हों ।

राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि उनके पास खाद्यान्नों के पर्याप्त स्टाक उपलब्ध हैं और उनको विश्वास है कि वे मूल्य रेखा को काबू में रख सकेंगे । यह भी बताया गया है कि जमाखारों, कालाबाजारियों और अन्य बेईमान व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही तेज कर दी गई है ।

(ग) जमाखोरों, कालाबाजारियों के विरुद्ध बराबर कार्यवाही की जाती है और अधिकांश राज्यों और संघ शासित प्रदेशों ने सूचित किया है कि उन्होंने उनके विरुद्ध इस अभियान को तेज कर दिया है ।

फुटबाल के खेल स्तर में सुधार

829. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या शिक्षा और समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा एक पृथक समिति गठित करके देश के फुटबाल खेल के स्तर में सुधार करने हेतु किसी व्यापक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) भारत में फुटबाल के खेल को प्रोत्साहित करने तथा उसका विकास करने के लिए आवश्यक कदमों पर अखिल भारतीय खेल परिषद् के अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा हाल ही में विचार किया गया था । समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई के लिए अखिल भारतीय फुटबाल संघ, भारतीय ओलम्पिक संघ और नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला को भेज दी गयी है ;

(ख) विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 11115/76]** ।

"प्रोजेक्ट टाइगर" और अन्य वन्य जन्तुओं की वृद्धि

830. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "प्रोजेक्ट टाइगर" का शुरु किये जाने के बाद न केवल बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है अपितु देश के नौ व्याघ्र संरक्षण वनों में अप्रत्यक्ष रूप से अन्य वन्य जन्तुओं की संख्या में भी वृद्धि हुई है जिनकी जान खतरे में थी; और

(ख) यदि हां; तो इससे अन्य वन्य जन्तुओं तथा सरीसृप आदि की संख्या में किस प्रकार वृद्धि होने में सहायता मिली है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां ।

(ख) "प्राजेक्ट टाइगर" का उद्देश्य पर्यावरण का समग्र रूप से संरक्षण है । इसके क्रियान्वयन के फलस्वरूप, वन्य-प्राणियों के प्राकृतिक-वास की स्थापना करने में सहायता मिली है । इस बात के निश्चित संकेत मिले हैं कि न केवल बाघों की संख्या में वद्धि हुई है, बल्कि आरक्षित स्थलों में कान्हा में कर्दम मृग, माणा में गैंडा गोल्डन लंगूर, कैब्ड लंगूर और बोना सुअर, लमचित्ता एवं रथम्भोर में मगरमच्छ और चिकारा, कार्बेट पार्क में घडियाल तथा मगरमच्छ जैसी खतरे मे पड़ी हुई किस्मों और अजगर, मानिटर, छिपकली, आदि अन्य सरीसृपों को भी संरक्षण मिला है । उनकी संख्या में भी वृद्धि हो रही है ।

पुस्तकें लिखने के लिए लेखकों को प्रोत्साहन

831. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनेस्को इन्टर नेशनल बुक कमेटी के चेयरमैन डा० सिगफ्रेड टोबर्ट ने यह विचार व्यक्त किया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की दृष्टि से भारत में पुस्तकों की रचना पूर्णतया प्रथम कोटि की है,

(ख) क्या उन्होंने भारतीय पुस्तक उद्योग के बारे में यह टिप्पणी की थी कि गत कुछ वर्षों में भारी संख्या में पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं तथा वे उच्च कोटि की हैं और उनकी विषय वस्तु बहुत अच्छी है,

(ग) क्या केंद्रीय सरकार विभिन्न विषयों पर पुस्तकें लिखने के लिये ख्याति प्राप्त लेखकों को प्रोत्साहन देती है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) भारतीय प्रकाशक संघ के समाचार बुलेटिन ने यह रिपोर्ट दी है कि डा० सिगफ्रेड टोबर्ट ने, जिन्होंने 26-5-76 को हुए संघ के वार्षिक सम्मेलन में एक विशेष अतिथि के रूप में भाग लिया था, "भारतीय प्रकाशन की प्रशंसा की जो पिछले कुछ समय से तीव्र प्रगति कर रहा है।"

(ग) और (घ) : सरकार, भारतीय लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न एजेंसियों के जरिएै अनेक योजनाएं चला रही हैं, जो इस प्रकार से हैं :—विभिन्न विषयों में विश्वविद्यालयों स्तर की पुस्तकों की पांडुलिपियां तैयार करने के लिए शिक्षा—शास्त्रियों को वि० अ० आयोग की शिक्षावृत्तियां, अंग्रेजी में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के लिए सहायता देने की राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की योजना; विश्वविद्यालय स्तर की मूल मानक पुस्तकें लिखने के लिए लेखकों को राष्ट्रीय पुरस्कार, सहित्यिक किस्म की उत्कृष्ट पुस्तकों के लिए साहित्य अकादमी के पुरस्कार, अहिंदी भाषी राज्यों के हिंदी लेखकों को पुरस्कार देना, नवसाक्षरों के लिए पुस्तकों/पांडुलिपियों की राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिता, आदि।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से मत्स्य पालन के विकास के लिए सहायता

832. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बता की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को दूसरे चरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से 24,78,800 पौंड की अतिरिक्त सहायता प्राप्त होगी;

(ख) यदि हां, तो चालू पंचवर्षीय योजना के लिये नियत 160 करोड़ रु० राशि की तुलना में 2 करोड़ रु० की यह सहायता बहुत ही कम है;

(ग) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने दक्षिण—पश्चिम तट पर मत्स्य पालन के विकास तथा खोज के प्रथम चरण में भी अंशदान दिया था; और

(घ) क्या इसने सर्वेक्षण अनुसन्धान नौकाऐं दी हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) "दक्षिण—पश्चिमी तट पर समुद्री मात्स्यकी अन्वेषण" के दूसरे चरण के लिए संयुक्त विकास कार्यक्रम की सहायता 24,78,800 डालर होगी ।

(ख) मात्स्यकी क्षेत्र के लिए पूरी पांचवीं योजना का परिव्यय लगभग 160 करोड़ रु० है । इसी परियोजना के लिए भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का अपेक्षित अंशदान तभी उचित होगा जबकि भारत सरकार का अंशदान 17,461,000 रु० होगा।

(ग) जी हां ।

(घ) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने 2 सर्वेक्षण जलयान प्रदान किए हैं जिनके नाम आर० वी० सर्डीनेल्ला और आर० वी० राष्ट्रेलिगर हैं ।

समेकित रूई विकास परियोजना के लिए विश्व बैंक सहायता

833. **श्री भाऊ साहेब धामनकर**: क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित रुई विकास परियोजना आरम्भ करने का कोई प्रस्ताब है, यदि हां, तो कब और इसके कब तक पूरी हो जाने की आशा है,

(ख) इस परियोजना के लिए धनराशि किस प्रकार जुटाई जायेगी और क्या विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ इस परियोजना के लिए कुछ ऋण देगा, यदि हां, तो कितना, और

(ग) इस परियोजना के अंतर्गत रूई उत्पादकों को अन्य कौन कौन सी सुविधायें प्रदान की जायेंगी और इनमें से कितने रूई उत्पादको द्वारा समेकित रूई विकास परियोजना के अन्तर्गत लाभ उठाये जाने की आशा है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां । भारत सरकार विश्व बैंक की सहायता से समेकित कपास विकास परियोजना 1976–77 से लागू कर रही है और वह 1980–81 तक पूरी हो जायगी ।

(ख) परियोजना की कुल अनुमानित लागत 360 लाख डालर में से 180 लाख डालर आदान ऋण प्रदान किया है और लागत का शेष 50 प्रतिशत भारत सरकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र के राज्य सरकारों द्वारा जहां कि यह मार्गदर्शी परियोजना लागू की जा रही है, पूरा किया जायेगा ।

(ग) परियोजना के अन्तर्गत कपास उगाने वालों को दी गई सुधरे उत्पादन की सुविधाएं निम्न प्रकार से है :—

(i) कपास की सुधरी किस्मों के प्रमाणीकृत बीज की सप्लाई ।

(ii) आदानों के वित्त पैकेज के लिए कपास उगाने वालों को योग्य बनाने के लिए लघु अवधि ऋण ।

(iii) सुधरी हुई कृषि तकनीकों के बारे में उत्पदकों को शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

(iv) उत्पादन में वृद्धि करने के लिए व्यक्तिगत किसान से सम्पर्क स्थापित करने के लिए विस्तृत कपास विकास सेवा ।

(v) कीट तथा रोग नियंत्रण सेवा की व्यवस्था ।

समेकित कपास विकास परियोजना के अंतर्गत 120000 फार्म परिवारों को उपरोक्त सुविधाऐं प्राप्त होने की सम्भावना है ।

खाद्यान्नों के लिए अतिरिक्त भण्डारण क्षमता

834. **श्री धामनकर**
श्री विभूति मिश्र } : **क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकार भांडागार निगमों द्वारा कितनी अतिरिक्त भण्डारण क्षमता अब तक बना गई है और भरपूर फसलों तथा अभूतपूर्व वसूली द्वारा उत्पन्न की गई बाहुल्य की असामान्य समस्या का सामना करने के लिये और कितनी क्षमता अभिग्रहण की जा रही है । किराये पर ली जा रही है; और

(ख) क्या राज्य सरकारों द्वारा खाद्यान्नों की उठान पिछले कुछ महीनों में कम हो गई है; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और ऐसी स्थिति को रोकने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पं० शिन्दे) : (क) अक्टूबर, 1975 से जून, 1976 के बीच भारतीय खाद्य निगम द्वारा तैयार की गई और किराये पर ली गई अतिरिक्त भण्डारण क्षमता लगभग 70.6 लाख मीटरी टन है जिसमें केंद्रीय तथा राज्य भाण्डागार निगमों से किराए पर ली गई अतिरिक्त भण्डारण क्षमता भी शामिल है । निगम निजी पार्टियों आदि से यथा-संभव अधिक से अधिक स्थान प्राप्त करने के लिए प्रत्येक प्रयास कर रहा है । पांचवी योजना की शेष अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष लगभग 10 लाख मीटरी टन की अतिरिक्त क्षमता तैयार करने से संबंधित प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

(ख) हाल ही में राज्य सरकारों द्वारा खाद्यान्नों की निकासी में कमी हुई है । खुले बाजार में उचित मूल्यों पर खाद्यान्नों की सुगम उपलब्धता होने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर दबाव कम हुआ है । ऐसी स्थिति में कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं है क्योंकि कम निकासी होने से सरकार को बफर स्टाक में वृद्धि करने में मदद मिलेगी ।

Implemeatation of 20-Point Programme by Educational Institutious

835. Shri Chiranjib Jha : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether all the educational institutions in the country have been asked to submit a report on the implimentation and progress of of 20-Point Economic proramme is also make their suggestions for the programme; and

(b) the number of these educational institutions where not a single point of the programme has been practically implemented by the institutions ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education, Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) & (b) The State Govts. & Union Territories were requested in April-May 1976 to submit reviews of the progress made in the implementation of 20-Point Economic Programme relating to education. These reviews have revealed that the economic programme relating to education has been implemented in all the States & Union Territories. Essential Commodities have been supplied to 3870 students hostels in Universties & Colleges benefitting 3,41,257 hostelers. Price of text-books and exercisebooks have been stablised and even reduced in some States. Over one lakh Book-banks in Schools and 2026 book-banks in Colleges have been set up.

Pauchayat Raj in States

836. Shri Chiranjib Jaha : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be please to state :

(a) the names of the States where Panchayat Raj System has been introduced fully; and

(b) the time by which it is likely to be introduced in the remaining States ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) and (b) : Panchayati Raj is a State subject. The Conference of Chief Ministers and State Ministers for Community Development and Panchayati Raj held in Madras in 1968 decided that the question of three-tier or two -tier structure of Panchayati Raj should be left to the option of the States. A statement showing state-wise position regarding the number of tiers of Panchayati Raj bodies constituted is laid on the Table of the House.

[*Placed in the Library. See No. L.T.*—11116/76]

दिल्ली में सरकारी क्वार्टरों का खाली करना

837. श्री प्रसन्न भाई मेहता
श्री वाई ईश्वर रेड्डी
श्री आर० के० सिन्हा } : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में अपने मकान होने के कारण जनवरी, 1976 के बाद कितने सरकारी कर्मचारियों ने सरकारी क्वार्टर खाली किये;

(ख) सरकारी क्वार्टर खाली न करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है, और

(ग) उनको इतनी दीर्घावधि तक सरकारी क्वार्टर रखने की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) से (ग) जिस सरकारी कर्मचारी का उसकी नियुक्ति के स्थान पर अपना मकान अथवा मकान का एक भाग है उसे सरकारी वास को खाली करना पड़ता है, परन्तु उसे मकान में रहने दिए जाने का विकल्प दिया जाता है यदि वह सरकारी वास के लिए मार्कीट दर पर लाइसेंस फीस दे देता है । उपर्युक्त निर्णय के अनुसार जनवरी, 1976 से अब तक 1661 अधिकारियों ने सरकारी वास खाली कर दिए हैं तथा 1792 अधिकारी मार्कीट दर पर लाइसेंस फीस देकर अभी भी मकानों में रह रहे हैं । इस निर्णय के अनुपालन में लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों को बेदखली) अधिनियम, 1971 के उपबंधों के अधीन किसी भी कर्मचारी को सरकारी वास से जबरन बेदखल नहीं किया गया है ।

फिर से बसाई गई नई बस्तियों में नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था न होना

838. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी-जून, 1976 के दौरान दिल्ली में अनधिकृत/गैर मान्यता प्राप्त स्थलों से कितने व्यक्ति हटाये गये हैं;

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों को प्लाट/बने बनाए मकान आवंटित किये गये हैं;

(ग) क्या उनमें से अधिकांश को उन स्थानों पर जहां उन्हें भेजा गया है नागरिक सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण अत्यधिक कठिनाई हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो उनकी शिकायतें दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) इस अवधि में लगभग 67,000 अनधिवासी परिवार स्थानांतरित किए गए है ।

(ख) तथा (ग) पात्र पाए गए सभी परिवारों को नई पुनर्वास कालोनियों में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित प्लाट दिए गए हैं । उनमें सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध की गई है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केरल में कांजीरा पुजहा सिंचाई परियोजना का पूरा होना

839. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कांजीरा-पुजहा सिंचाई परियोजना वर्ष 1961 में 3.5 करोड़ रुपये से आरम्भ की गई थी ।

(ख) परियोजना को पूरा करने में कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी; और

(ग) परियोजना को पूरा करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) से (ग) : कंजीरा भुजहा सिंचाई परियोजना को मूलत: मार्च, 1964 में 3.65 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर मंजूरी दी गई थी । इस परियोजना पर अब 13.75 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। मार्च, 1976 तक इस परियोजना पर 4.84 करोड़ रुपया खर्च हो चुका था। इस प्रकार परियोजना को पूरा करने के लिए 8.91 करोड़ रुपए शेष बचे हैं । इस परियोजना के क्रियान्वयन में देर होने का कारण यह है कि राज्य सरकार पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था नहीं कर सकी है ।

पाम्बा सिंचाई परियोजना, केरल की अनुमानित लागत

840. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाम्बा सिंचाई परियोजना (केरल) की 1961 में अनुमानित लागत क्या थी ;

(ख) अनुमानित लागत को कितनी बार पुनरीक्षित किया गया और वर्तमान अनुमान क्या है ;

(ग) अब तक कितनी धन राशि व्यय हो चुकी है; और

(घ) इसके चालू होने पर कितने हैक्टेयर भूमि को इससे लाभ पहुंचेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) से (घ) : पाम्बा सिंचाई परियोजना को मूल रूप से मार्च, 1964 में 3.83 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर मंजूर किया गया था । बाद में मई, 1975 में परियोजना की लागत संशोधित करके 20.16 करोड़ रुपए कर दी गई । 1976–77 के वर्ष की वार्षिक योजना पर विचार विमर्श के दौरान 22.16 करोड़ रुपए की लागत बताई गई । मार्च, 1976 के अन्त तक इस परियोजना पर 11 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं । परियोजना के पूर्ण हो जाने पर इससे 44000 हैक्टेयर क्षेत्र की वार्षिक सिंचाई हो सकेगी ।

गुजरात में कृषि विश्वविद्यालय

841. **श्री एन० आर० बेकारिया** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात राज्य में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना एवं कार्यकरण संबंधी तथ्य क्या हैं ?

गुजरात कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1972 में हुई थी। विश्वविद्यालय की स्थापना एवं कार्य संबंधी तथ्यों को प्रकट करने वाला वक्तव्य सदन में प्रस्तुत है ।

विवरण

गुजरात कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना फरवरी, 1972 में हुई और उसके बाद जून 1972 में राज्य सरकार ने अध्यापन, अनुसंधान और विस्तार प्रशिक्षण संस्थानों को इस विश्वविद्यालय को हस्तांतरित कर दिया । विश्वविद्यालय की शुरुआत 3 कैम्पस, जूनागढ़,

आनन्द और नवसारी, जहां कि कृषि महाविद्यालय हैं, से हुई। आनन्द कैम्पस में एक पशु चिकित्सा महाविद्यालय और एक डेअरी विज्ञान महाविद्यालय भी है । 42 अनुसंधान केंद्र और फार्म इस विश्वविद्यालय को हस्तांतरित कर दिये गये हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की समन्वित अनुसंधान प्रायोजना थी इस विश्वविद्यालय को हस्तांतरित कर दी गयी है । विश्वविद्यालय 13 कृषि विद्यालयों, एक गृह विज्ञान विद्यालय, 4 ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्रों, दो पशुपाल (स्टाकमेन) प्रशिक्षण केंद्रों, एक मुर्गीपालन प्रशिक्षण केंद्र और एक सिंचाई प्रशिक्षण केंद्र को चला रहा है । आनन्द में विस्तार-शिक्षा का एक संस्थान, जो अब विश्वविद्यालय के अधीन है विस्तार अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए एक क्षेत्रीय केंद्र भी है । यह केंद्र ग्राम सेविकाओं, ग्रामीण स्तर के कार्यकर्ताओं, स्वैच्छिक संस्थाओं के समाज-सेवी कार्यकर्ताओं को प्रायोगिक पोषण कार्यक्रम में और छोटे किसान एजेंसी कार्यक्रम से विस्तार कार्यकर्ताओं को भी अल्पकालीन व दीर्घकालीन प्रशिक्षण प्रदान करता है ।

चौथा कैम्पस, जो विश्वविद्यालय का प्रमुख कैम्पस होगा, दांतीवाडा में स्थापित किया जा रहा है । विश्वविद्यालय ने लगभग 1200 हैक्टर भूमि लेने का प्रस्ताव रखा है । इसमें से लगभग 600 हैक्टर भूमि इस विश्वविद्यालय को दी जा चुकी है और शेष भूमि अभी देनी है । दांतीवाडा में जिन प्रायोजनाओं को शुरु करने का सुझाव है वे हैं :—

1. शुष्क और अर्द्ध शुष्क क्षेत्रों की समस्याओं से संबंधित अनुसंधान केंद्र
2. पशुधन अनुसंधान केंद्र
3. कृषि शिक्षा और अनुसंधान का केंद्र
4. कृषि विज्ञान केंद्र (दीसा)

समग्र क्षेत्र के लिए मास्टर प्लान निश्चित किया जा चुका है और प्रायोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं। क्योंकि दांतीवाडा का निर्माण एक दम शुरु से किया जा रहा है। अतः पूरी बस्ती का निर्माण करना है । पूरी बस्ती के निर्माण में 284 लाख रुपए की लागत लगने का अनुमान है। वित्तीय प्रतिबंधों के कारण राज्य सरकार दांती वाडा कैम्पस के विकास के लिए पिछले दो वर्षों में पर्याप्त धनराशि नहीं दे सकी । फिर भी भवन का निर्माण पिछले वर्षों से शुरु किया जा चुका है और आवासीय क्वाटरों का लगभग एक तिहाई फरवरी 1977 तक बनकर तैयार हो जायेगा। अहमदाबाद में चल रहा प्रशासकीय कार्यालय भी इस वर्ष के अन्त में दांतीवाडा में स्थानांतरित कर दिया जायगा।

विश्वविद्यालय की भूमि में पिछले दो सालों में से पहले साल हरी खाद की फसल ली गयी और नाभिक बीज तैयार किये गये ।

लगभग 200 हैक्टर भूमि में पशुधन अनुसंधान केंद्र शुरु करने का प्रस्ताव है । 200 हैक्टर क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र अनुसंधान के लिए अलग रख दिया गया है । 40 हैक्टर छात्र फार्म के लिए अलग रख लिया गया है और शेष क्षेत्र नाभिक बीजों को तैयार करने के लिए और उत्पादन प्रदशनों के लिए प्रयोग में लाया जायेगा ।

दीसा में जहां पहले एक कृषि विद्यालय था, जिसके साथ एक फार्म संबद्ध था, एक कृषि विज्ञान शुरु किया जायेगा ।

कृषि विश्वविद्यालय ने छात्रों का आंतरिक मूल्यांकन करते हुए सिमिस्टर पद्धयति शुरू कर दी । इसने सभी कालेजों में एक रूप पाठ्यक्रम शुरू किये । संकाय के सुधार का कार्य-काम शुरु कर दिया गया है । शिक्षा को अधिक व्यावहारिक एवं समस्यामूलक बनाने के लिए पाठ्यक्रम का पुनर्वीक्षण किया गया है । 5वीं योजना में विभिन्न कालेजों को सुगठित करने का भी सुझाव है ।

राज्य के लिए बारानी खेती अनुसंधान बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हाल ही में सुगठित किया गया है । राजकोट में चल रही बारानी खेती प्रायोजना में कृषि अर्थशास्त्र एवं कृषि इंजीनियरिंग को भी शामिल कर लिया गया है । मूंगफली सौराष्ट्र क्षेत्र की महत्वपूर्ण फसल है और जूनागढ़ में मूंगफली तथा अन्य तिलहनी फसलों के अनुसंधान को सुगठित करने के लिए अग्रिम केंद्र खोलने का भी सुझाव है ।

दीसा में किसानों का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। सरदार पटेल शताब्दी वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय जनता से चंदा इकट्ठा किया और सरदार शताब्दी निधि से भी अनुदान लेकर जूनागढ़, नवसारी और आनन्द में तीन सरदार स्मृति केंद्र खोल रहा है । इन केंद्रों में संग्रहालय एवं सूचना केंद्र होंगे तथा किसानों के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भी शाखाऐं होंगी ।

विश्वविद्यालय में मूल विज्ञान एवं मानविकी के नए संकाय खोले गये हैं तथा कृषि इंजीनियरिंग व टेक्नोलोजी का संकाय भी खोला जा रहा है । जैसे ही राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को वन व मछलीपालन का अनुसंधान कार्य स्थानांतरित किया जायेगा वैसे यहां वन व मछलीपालन विभाग भी खोले जाने का प्रस्ताव है ।

राज्य की योजना में इस विश्वविद्यालय को कुल 9 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् 2.5 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता देगी ।

विश्वविद्यालय उपलब्ध साधनों के अंतर्गत पढ़ाई, शोध और विस्तार सेवा कार्यों को गठित करने का प्रयास कर रहा है । इस दिशा में शोध तथा विस्तार सेवा को गठित करके सुधारा जा रहा है ।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

तमिलनाडु वेतन संदाय अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : (1) मैं तमिलनाडु राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग)(चार) के साथ पठित तमिलनाडु वेतन संदाय अधिनियम, 1951 की धारा 14 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० ओ० एम० 1141 (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 5 मई, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु विधान मण्डल (रेल द्वारा निःशुल्क यात्रा) नियम, 1975 में कतिपय संशोधन किया गया है, सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई । **देखिए** संख्या एल० टी०-11078/76]

केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण बोर्ड, 1975–76 का वार्षिक प्रतिवेदन, तमिलनाडु राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रपति अधिनियम तथा नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचनाएं

निर्माण तथा आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) (1) मैं जल (प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 की उपधारा (1) के अन्तर्गत केंद्रीय जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण बोर्ड के वर्ष 1975–76 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई । **देखिए** संख्या एल० टी०-11079/76]।

(2) जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 40 की उपधारा (6) के अन्तर्गत केंद्रीय जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण बोर्ड के वर्ष 1974–75 के लेखे संबंधी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं)।

[ग्रन्थांलय में रखी गई । **देखिए** संख्या एल० टी० 11080/76]

(3) तमिलनाडु राज्य विधान मन्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1976 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राष्ट्रपति के निम्नलिखित अधिनियमों (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) मद्रास सिटी नगर निगम, तमिलनाडु जिला नगरपालिकायें और तमिलनाडु पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 22) जो दिनांक 1 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(दो) तमिलनाडु स्थानीय प्राधिकरण विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 23) जो दिनांक 1 जून, 1976 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(तीन) तमिलनाडु नगर परिषद् (विशेष अधिकारियों की नियुक्ति) अधिनियम, 1976 (1976 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 28) जो दिनांक 25 जून 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(चार) कोयम्बतूर नगर परिषद् (विशेष अधिकारी की नियुक्ति) संशोधन अधिनियम, 1976 (1976 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 29) जो दिनांक 25 जून 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखी गई । **देखिए** संख्या एल० टी०-11081/76]

(4) नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 46 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन :—

(एक) सा० सां० नि० 493 (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 3 अप्रैल, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 17 फरवरी, 1976 की सा० सां० नि० 85 (ङ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(दो) सा० सा० नि० 716 (हिंदी संस्करण) जो दिनांक 22 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 17 फरवरी, 1976 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 85 (ङ) के हिंदी संस्करण का शुद्धिपत्र दिया हुआ है ।

(तीन) नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) संशोधन नियम, 1976 (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 15 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 685 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) दूसरा संशोधन नियम, 1976 (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 22 मई, 1976 के भारत के राज-पत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 718 में प्रकाशित हुए ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । **देखिए** संख्या एल० टी०-11082/76]

घरेलू विद्युत उपकरण (गुण प्रकार नियन्त्रण) आदेश 1974

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० पी० मौर्य) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत घरेलू विद्युत उपकरण (गुण-प्रकार नियंत्रण) आदेश, 1976 (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति जो दिनांक 31 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० आ० 388 (ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । **देखिए** संख्या एल० टी०-11083/76]

वक्फ जांच समिति का अन्तिम प्रतिवेदन, 1976–77 विवरण, अधिसूनाएं तथा राष्ट्रपति अधिसूचनाएं आदि

कृषि तथा सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) वक्फ जांच समिति का अन्तिम प्रतिवेदन 1976 —भाग (1) और 2 की एक प्रति ।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन का हिंदी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । **देखिए** संख्या एल० टी०-11084/76]

(3) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) गन्ना (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1976 जो दिनांक 28 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 484 (ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) चीनी (वर्ष 1975–76 के उत्पादन के लिये मूल्य निर्धारण) दूसरा संशोधन आदेश, 1976, जो दिनांक 3 अगस्त, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 748 (ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । **देखिए** संख्या एल० टी०—11085/76]

(4) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 28943/ए/75-1 (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 17 फरवरी, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु चीनी व्यापारी लाइसेंसिंग आदेश, 1962 में कतिपय संशोधन किया गया है ।

(5) उपर्युक्त अधिसूचना सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । **देखिए** संख्या एल० टी०-11086/76]

(6) बम्बई काश्तकारी और कृषि भूमि (गुजरात पहला संशोधन) । 1976 जो दिनांक 25 मार्च, 1976 के गुजरात सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एच० एम०/76-75/एम०/टी० एन० सी०/1075/134879-जे में प्रकाशित हुए थे को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले विवरण का हिंदी संस्करण ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । **देखिए** संख्या एल० टी०-11087/76]

(7) बम्बई काश्तकारी और कृषि भूमि (गुजरात पहला संशोधन) नियम, 1976 संबंधी व्याख्यात्मक टिप्पणी का हिंदी संस्करण ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी०-11088/76]

(8) बम्बई काश्तकारी और कृषि भूमि (गुजरात पहला संशोधन) नियम, 1976 का हिंदी संस्करण सभा पटल पर न रखें जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिंदी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी०-11089/76]

(9) तमिलनाडु विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1976 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राष्ट्रपति के निम्नलिखित अधिनियमों (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) तमिलनाडु ऋणग्रस्त कृषक (अस्थायी राहत) अधिनियम, 1976 (1976 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 15) जो दिनांक 17 अप्रैल, 1976 के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) तमिलानडु ऋणग्रस्त व्यक्ति (अस्थायी राहत) अधिनियम, 1976 (1976 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 16) जो दिनांक 17 अप्रैल, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(तीन) तमिलनाडु ऋणग्रस्त कृषक तथा ऋणग्रस्त व्यक्ति (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1976 (1976 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 17) जो दिनांक 17 अप्रैल, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । **देखिए** संख्या एल० टी०-11090/76]

(10) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के वर्ष 1973–74 के वार्षिक प्रतिवेदन का शुद्धि पत्र (हिंदी अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी०--11091/76]

[केंद्रीय भांडागारण निगम (दूसरा संशोधन) नियम, 1976, खाद्य निगम (संशोधन) नियम, 1976, धान कुट्टन उद्योग (विनियमन तथा लाईसेंसिंग) संशोधन अधिनियम, 1976 तथा अधिसुचनाऐं।

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) भांडागारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 41 की उपधारा (3) के अन्तर्गत केंद्रीय भांडागारण निगम (दूसरा संशोधन) नियम, 1976 (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 13 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 449 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । **देखिए** संख्या एल० टी०-11092/76]

(2) तलिमनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित तमिलनाडु भांडागार अधिनियम, 1951 की धारा 27 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० ओ० एम० संख्या 4 (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 4 फरवरी, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु भांडागार नियम 1953 में कतिपय संशोधन किया गया है।

[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी०-11093/76]

(3) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 44 की उपधारा (3) के अन्तर्गत खाद्य निगम (संशोधन) नियम, 1976 (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 30 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 491 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी०–11094/76]

(4) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

चावल (दक्षिण क्षेत्र) लाने-ले-जाने पर नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1976, जो दिनांक 26 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 944 में प्रकाशित हुआ था ।

दक्षिण राज्य (चावल के निर्यात का विनियमन) (संशोधन) आदेश, 1976, जो दिनांक 26 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 945 में प्रकाशित हुआ था।

अन्तर्क्षेत्रीय गेहूं तथा गेहुं उत्पाद (लाने-ले-जाने पर नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1976 जो दिनांक 26 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 946 में प्रकाशित हुआ था।

गुजरात तथा दादरा और नागर हवेली चावल (निर्यात) तथा धान (लाने-ले-जाने पर नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1976, जो दिनांक 3 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 987 में प्रकाशित हुआ था।

दिल्ली बेलन मिल गेहूं उत्पाद (मिल द्वार तथा फुटकर) मूल्य नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1976 जो दिनांक 15 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 456 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

अन्तर्क्षेत्रीय गेहूं तथा गेहूं उत्पाद (लाने-ले-जाने पर नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 1976 जो दिनांक 26 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सा० सां० नि० 480(ङ) में प्रकाशित हुआ था।

सा० सां० नि० 1155 जो दिनांक 31 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशत हुई थी तथा जिसके द्वारा अनुसूची में उल्लिखित कतिपय आदेश रद्द किये गये हैं।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल० टी०–1095/76]

(5) धान कुट्टन उद्योग विनियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 22 की उपधारा (4) के अन्तर्गत धान कुट्टन उद्योग (विनियमन और लाइसेंसिंग) संशोधन नियम, 1976 (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 29 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 490(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल० टी०-11096/76]

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं और हरियाणा तथा तमिलनाडु कृषि उद्योग निगम, वार्षिक प्रतिवेदन 1974–75

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) :

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

उर्वरक (नियन्त्रण) चौथा संशोधन आदेश, 1976 जो दिनांक 18 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 345 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

उर्वरक (लाने-ले-जाने पर नियन्त्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 1976 जो दिनांक 20 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 348 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

उर्वरक (नियन्त्रण) पांचवां संशोधन आदेश, 1976, जो दिनांक 16 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 398 (ङ)

में प्रकाशित हुआ था तथा उसका शुद्धि पत्र जो दिनांक 17 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1037 में प्रकाशित हुआ था।

उर्वरक (नियन्त्रण) छठा संशोधन आदेश, 1976, जो दिनांक 23 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 418(ङ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखे गए । **देखिए** संख्या एल० टी०-11097/76]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

हरियाणा कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़ का वर्ष 1974—75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रन्थालय में रखी गई । **देखिए** संख्या एल० टी०—11098/76]

तमिलनाडु कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, मद्रास का वर्ष 1974–75 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रन्थालय में रखी गई । **देखिए** संख्या एल० टी०—11099/76]

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के लेखे, 1973–74, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लेखे 1973–74, विक्टोरिया स्मारक (संशोधन) नियम, 1976 तथा तमिलनाडु प्राइवेट कालेज (विनियमन) अधिनियम, 1976 ।

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय और संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) प्रौद्योगिकी संथान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के वर्ष 1973–74 के प्रमाणित लेखे (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन । [ग्रन्थालय में रखी गई । **देखिए** संख्या एल० टी०–11100/76]

(2) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत विश्विद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली, के वर्ष 1973–74 के वार्षिक लेखे (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन । [ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी०—11101/76]

(3) विक्टोरिया स्मारक अधिनियम, 1903 की धारा 5 के अन्तर्गत जारी किये गये विक्टोरिया स्मारक (संशोधन) नियम, 1976 (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 5 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां नि० 797 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखे गए । **देखिए** संख्या एल टी०-111102/76]

(4) तमिलनाडु राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1976 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तमिलनाडु प्राइवेट कालेज, (विनियमन)

अधिनियम, 1976 (1976 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 19) (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 17 अप्रैल, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०--11103/76]

राज्य सभा से संदेश
MESSAGES FROM RAJYA SABHA

महासचिव : मैं राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देता हूं :--

(एक) कि राज्य सभा ने 11 अगस्त, 1976 की अपनी बैठक में कारखान. (संशोधन) विधेयक, 1976 पास किया है ।

(दो) कि राज्य सभा ने 11 अगस्त 1976 को अपनी बैठक में आवश्यक वस्तु, (संशोधन) विधेयक, 1976 पास किया है ।

राज्य सभा द्वारा पास किए गए विधेयक
BILLS AS PASSED BY RAJYA SABHA

महासचिव : मैं राज्य सभा द्वारा पारित रूप में निम्नलिखित विधेयक सभा-पटल पर रखता हूं :--

(एक) कारखाना (संशोधन) विधेयक, 1976;

(दो) आवश्यक वस्तु, (संशोधन) विधेयक, 1976 ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

अस्पताल रोग संक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली के दो अस्पतालों में 100 शिशुओं की मृत्यु का समाचार

श्री मूल चंद डागा (पाली) : श्रीमान, मैं स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस संबंध में एक वक्तव्य दें :--

"ऐंटीबायोटिक्स के अविवेकपूर्ण इस्तेमाल के कारण हस्पताल रोग संक्रमण के परिणाम-स्वरूप दिल्ली के दो हस्पतालों में 100 शिशुओं की मृत्य का समाचार"।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : अस्पताल संक्रमण के कारण दिल्ली के अस्पतालों में 100 बच्चों की कथित मृत्य के बारे में प्रेस रिपोर्टों की ओर सरकार

का ध्यान आकर्षित किया गया है । नवजात बच्चों की मृत्य के अनेक कारण हैं जिनमें अतिसार भी एक कारण है बच्चों के अतिसार में आमतौर पर सालमोनेल्ला पाया जाता है किंतु सालमोनेल्ला न्यूपोर्ट, जो इस रोग की एक प्रतिरोधी किस्म है, का सितम्बर, 1975 में पहली बार कलावती सरन शिशु अस्पताल में पता चला था । तब से लेकर अब तक तीन अस्पतालों में 125 बच्चों में इस संक्रमण के होने का पता चला, जिनमें से 43 बच्चों की मृत्य हो गई । इन बच्चों की मृत्य ऐंटी-बायोटिक्स के अंधाधुंध इस्तेमाल के कारण नहीं हुई ।

दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में अस्पताल संक्रमणों का, जो कि अनेक प्रकार के हो सकते हैं, पता लगाने तथा उनसे निपटने के लिए पर्याप्त मशीनरी है । फिर भी, इस मामले के महत्व को देखते हुए सरकार ने इस नये किस्म के संक्रमण तथा अन्य अस्पताल संक्रमणों की जांच करने के लिये चार विशेषज्ञों का एक दल गठित किया है, जो इस नई किस्म के संक्रमण के साथ साथ अन्य अस्पताल संक्रमणों की जांच करेगा तथा एक महीने के भीतर और उपचारी उपायों के बारे में सुझाव देगा । इस विशेषज्ञ दल के विचारार्थ विषय और गठन संबंधी संकल्प की एक प्रतिलिपि सभा पटल पर रख दी गई है ।

संकल्प

हाल में, दिल्ली के अस्पतालों में अस्पताल क्रास संक्रमण का प्रकोप बढ़ जाने की सूचना मिली है । सरकार को इस बात का भी पता चल गया है कि कुछ अस्पतालों के बाल-चिकित्सा बोर्डों में 'सालमोनेल्ला न्यूपोर्ट' नामक एक उग्र किस्म का संक्रमण हो रहा है और इससे अपेक्षाकृत अधिक शिशुओं की मौतें भी हुई हैं । भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद-विस्व स्वास्थ्य संगठन ने अभी अभी जनवरी, 1976 में 'अस्पताल क्रास संक्रमण की सूक्ष्म-जीव विज्ञान संबंधी जांच' नामक एक संयुक्त कार्य गोष्ठी में अस्पताल में क्रास संक्रमण की समस्या पर विचार किया ।

दिल्ली के अस्पतालों में आयु संक्रमण और खासकर सालमोनेल्ला न्यूपोर्ट कितना फैला हुआ है, ऐसे संक्रमण का स्रोत क्या है, यह फैलता कैसे है, ऐसे संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं और क्या उपाय बरतने की जरूरत है, इन सब बातों पर विचार करने के लिए सरकार ने एक दल नियुक्त करने का निर्णय लिया है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

1. डा० ऐल० एन० महापात्र, प्राध्यापक सूक्ष्मजीवविज्ञान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ।
2. डा० आर० आर० अरोड़ा, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली ।
3. डा० ओ० पी० शर्मा, स्वास्थ्य सेवा निदेशक, दिल्ली ।
4. डा० शरद कुमार, स्वास्थ्य सेवा उप महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा-महानिदेशालय—संयोजक ।

इसके निर्देश पद इस प्रकार होंगे :—

(1) दिल्ली के अस्पतालों में सालमोनेल्ला न्यू पोर्ट नामक रोग होने, इसका स्रोत, मृत्य और रुगणता के हिसाब से इसका प्रभाव और इसे फैलने से रोकने के लिए अस्पताल अधिकारियों द्वारा अब तक किये गये उपायों की जांच करना।

(2) अस्पताल क्रास संक्रमण मोनिटर करने और उन पर नियंत्रण करने के लिए अस्पतालों में विद्यमान मशीनरी की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना, और

(3) ऐसे संक्रमणों का पता लगाने और उन पर नियंत्रण करने के लिए उपाय सुझाना। दल को चाहिए कि वह 15 सितम्बर, 1976 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक एक प्रतिलिपि भारत सरकार के सभी मत्रालयों/विभागों/राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री सचिवालय/लोक सभा सचिवालय/ राज्य सभा सचिवालय/स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय/दिल्ली प्रशासन/दिल्ली नगर निगम/नई दिल्ली नगरपालिका/दिल्ली छावनी बोर्ड/इस दल के सभी सदस्यों और संयोजक को भेजी जाय।

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सार्वजनिक सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाति किया जाय।

सी० आर० कृष्णमूर्ति,
संयुक्त सचिव

Shri M. C. Daga : About 125 infants have died due to this disease but it is very unfortunate that the Public Health Department has not been able to check the same. This infection was detected in September, 1975 in Lady Hardinge College/Hospital. Government have also learnt that Salmonella Newport has been detected in the paediatric wards of some of the hospitals and this has also resulted in higher mortality of infants. But nothing was done to check the disease.

In this connection, I would like to know how many infants have died due to this infection and the names of the hospitals in which casualties took place.

Secondly, I would like to know what precautions were taken after the disease was detected.

Thirdly, I would like to know who were carriers of this disease and how it was detected.

Fourthly, Did the Government seal the maternity homes of the hospitals where such incidents were taking place ?

Fifthly, what is the observation of All India Institute of Medical Sciences regarding Salmonella Newport and what remedial measures have been suggested by the institute to prevent this infection.

I would also like to know who are being held responsible for such type of incidences.

May I know whether these deaths took place due to lack of proper hygiene or medical aid ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य प्रश्न ही पूछते जा रहे हैं और इस प्रकार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को वादविवाद का रूप दे रहे हैं। नियम संख्या 197(2) में स्पष्ट लिखा गया है कि ऐसे विवरणों के बाद वाद-विवाद नहीं हो सकता; सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से प्रश्न पूछ सकता है। माननीय सदस्य से मेरा अनुरोध है कि वह संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री मूलचन्द डागा : सामान्य प्रक्रिया तो यह है कि मंत्री वक्तव्य देते हैं और उसके बाद सदस्य प्रश्न पूछता है। परन्तु यदि आप चाहते हैं तो मैं विशिष्ट प्रश्न ही पूछूंगा।

डा० कर्ण सिंह : मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि मैं स्वयं इस दुखद घटना से चिंतित हूं । यह सही है कि अस्पतालों में सफाई की कमी है और संक्रमण के मामलों में वृद्धि हुई है । विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद सालमोनेला न्यूपोर्ट के बारे में अनुसंधान कर रहे हैं और सरकार स्वयं भी यह जानना चाहती है कि इस संक्रमण रोग को किस प्रकार समाप्त किया जाय । संक्रमण के कई कारण हैं । हो सकता है कि कोई रोगी इसको अस्पताल में लाए या माता स्वयं इस रोग से पीड़ित हो और हो सकता है कि अस्पताल में संक्रमण रोग व्याप्त हो । जिन बच्चों की मृत्य हुई उनमें से कुछ अस्पताल में मरे और कुछ बच्चे जन्म के बाद अस्पताल में लाए गए और तत्काल उनकी मृत्य हो गई । कुछ बच्चे प्रसूति की निर्धारित तिथि से पूर्ण ही पैदा हो गए और ऐसे बच्चे कमजोर होते हैं और इस कारण कुछ मर भी जाते हैं । कुछ भी हो, हम इन सब पहलूओं पर विचार करेंगे । मैं यह स्वीकार करता हूं कि अस्पतालों में संक्रमण रोग की दर बहुत अधिक है और हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि क्या आवश्यक कार्यवाही की जाये । इन उपायों में अस्पतालों की सफाई, नर्सों की संख्या बढ़ाना, स्वच्छ तथा जीवाणु-नाशी सुविधाऐं प्रदान करना इत्यादि शामिल हैं । माननीय सदस्य यह धारणा न बनाऐं कि हम चुप बैठे है । हम इस समस्या के प्रति जागरुक हैं और आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं ।

इस बारे में हम इतना ही सुनिश्चित कर सकते हैं कि लापरवाही, सफाई के अभाव आदि के कारण होने वाली मौतों को रोका जा सके ।

मैं श्री डागा का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे सभा में कुछ कहने का अवसर दिलाया है । मैं उच्च शक्ति प्राप्त आयोग की रिपोर्ट आने पर मैं तुरन्त उचित कार्रवाई कर सकूंगा । ताकि अस्पतालों की सुविधाओं को और अच्छा बनाया जा सके ।

विशेषाधिकार समिति
COMMITTEE ON PRIVILEGES

18वां प्रतिवेदन

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बतूल) : मैं विशेषाधिकार समिति का अठारहवां प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं ।

समितियों के लिए निर्वाचन
ELECTION TO COMMITTEES

श्री डी० पी० यादव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत सरकार के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के दिनांक 1 मई, 1976 के संकल्प संख्या 31/1/76--एम के पैरा 1 के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें" ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत सरकार के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के दिनांक 1 मई, 1976 के संकल्प संख्या 31/1/76--एम के पैरा 1 के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अधीन केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री डी० पी० यादव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दिल्ली विश्वविद्यालय संविधियों की संविध 2 के खंड (1) के उपखंड (सोलह) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें दिल्ली विश्वविद्यालय की कोर्ट के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें। इस प्रकार निर्वाचित सदस्य दिल्ली विश्वविद्यालय या उस विश्वविद्यालय के मान्यताप्राप्त कालेज या संस्थान के कर्मचारी नहीं होंगे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली विश्वविद्यालय संविधियों की संविध 2 के खंड (1) के उपखंड (सोलह) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें दिल्ली विश्वविद्यालय की कोर्ट के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें। इस प्रकार निर्वाचित सदस्य दिल्ली विश्वविद्यालय या उस विश्वविद्यालय के मान्यता प्राप्त कालेज या संस्थान के कर्मचारी नहीं होंगे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

अनुदानों की अनुपूरक माँगें (तमिलनाडु), 1976-77
SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (TAMIL NADU) 1976-77

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं वर्ष 1976-77 के लिए तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में अनुदानों की अनूपूरक मांगों का विवरण प्रस्तुत करती हूं।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (पाँडिचेरी), 1976-77
SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (PONDICHERRY) 1976-77

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं वर्ष 1976-77 के लिये पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों का विवरण प्रस्तुत करती हूं।

इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (शेयरों का अर्जन) विधेयक
INDIAN IRON AND STEEL COMPANY (ACQUISITION OF SHARES) BILL

इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : मैं प्रस्ताव करता हूं : कि कम्पनी के कामकाज का उचित प्रबंध और देश की आवश्यकताओं के लिये अत्यावश्यक माल का उत्पादन जारी रखने और उसका विकास सुनिश्चित करने की दृष्टि से इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के कतिपय शेयरों के अर्जन का और उससे सुसंगत या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कम्पनी के कामकाज का उचित प्रबंध और देश की आवश्यकताओं के लिये अत्यावश्यक माल का उत्पादन जारी रखने और उसका विकास सुनिश्चित करने की दृष्टि से इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के कतिपय शेयरों के अर्जन का और उससे सुसंगत या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं ।

इडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (शेयरों का अर्जन) अध्यादेश, 1976 के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE. INDIAN IRON AND STEEL COMPANY (ACQUISITION OF SHARES) ORDINANCE, 1976

इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : मैं इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी (शेयरों का अर्जन) अध्यादेश, 1976 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी० 11104/76]

आंतरिक सुरक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1976 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प और आन्तरिक सुरक्षा (दूसरा संशोधन) विधेयक

STATUTORY RESOLUTION RE. DISAPPROVAL OF THE MAINTENANCE OF INTERNAL SECURITY (AMENDMENT) ORDINANCE, 1976 AND MAINTENANCE OF INTERNAL SECURITY (SECOND AMENDMENT) BILL

अध्यक्ष महोदय : अब श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा 12 अगस्त, 1976 को पेश किये गये निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा की जायेगी ।

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 16 जून, 1976 को प्रख्यापित आन्तरिक सुरक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1976 (1976 का अध्यादेश संख्या 5) का निरनुमोदन करती है ।"

और श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी द्वारा 12 अगस्त, 1976 को निम्न प्रस्ताव पर भी आगे चर्चा की जायेगी।

"कि आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

Shri Paripoornanand Paniuli (Tehri Garhwal) : While opposing the Resolution of Shri Somnath Chatterji I welcome the Amendment Bill brought by the hon. Minister of Home Affairs which has been brought in the interest of 60 crore people of this country. People at large have welcomed these measures. Certain persons of the apposition, who are opposing M.I.S.A. cannot tolerate the arrest of economic offenders and smugglers. You can imagine the situation prior to emergency as to how these people used to take side with antisocial elements. For these reasons the emergency was imposed. They have not appreciated the action against economic offenders.

श्री सोमनाथ चटर्जी : विधेयक का आर्थिक अपराधियों के साथ कोई वास्ता नहीं है। वह विधेयक कल लाया जा रहा है। इस विधेयक का आर्थिक अपराधियों या तस्करों से कोई सम्बन्ध नहीं है।

Shri Paripoornanand Paniuli : These economic offenders used to take shelter under the courts and escape. After implementation of MISA the prices of commodities have come down, the production has inc eased, striks etc. have been eliminated and the attempts to create political instability have been checked.

I agree with Shri Indrajit Gupta that stern action should be taken against the economic offenders and the elements engaged in sabotage. I agree that M.I.S.A. has been misused by our bureaucracy. But the Prime Minister has directed to the Chief Ministers to deal with the matter sternly.

So long as our country is passing through an economic emergency, the emergency should continue. Just imagine if M.I.S.A. is withdrawn as demanded by the opposition, what would be the position ? The elements that are presently under check would again come to the surface.

With these words I support this Bill.

श्री एस०एम० बनर्जी : (कानपुर) हम लोग इस विधेयक का पूरी तरह विरोध नहीं करते। इसका कारण यह है कि हम यह नहीं चाहते कि समाज विरोधी तथा राष्ट्र विरोधी तत्वों को, जो 'आंसुका' के अधीन गिरफ्तार किये गये हैं, रिहा किया जाये। हमारा मुख्य विरोध आंसुका के अन्तर्गत विभिन्न पुलिस अधिकारियों और राज्य के अधिकारियों को दिये गये अधिकारों के दुरुपयोग के सम्बन्ध में हैं।

यह खेद की बात है कि यद्यपि अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ ने आपात्त स्थिति के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम का हार्दिक स्वागत किया है तब भी उक्त महासंघ के पदाधिकारियों को आंसुका के अधीन गिरफ्तार किया गया है। हमने उनके मामले पर मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री के साथ बातचीत की थी। रक्षा उत्पादन मंत्री श्री गोडगिल से भी बातचीत की थी जिन्होंने यह मामला राज्य सरकार के साथ उठाया। मुझे उम्मीद है कि वह गृह मंत्री महोदय से भी बातचीत करेंगे।

अवाडी स्थित वस्त्र निर्माण कारखाने के कार्मिक संघ के महासचिव श्री वी० सी० एस० नायर को जिन्होंने बिना शर्त 20 सूत्री कार्यक्रम का समर्थन किया है, जेल में डाल दिया गया है। ऐसे अनेक मामले हैं। इनमें से किसी ने भी ऐसा कोई काम नहीं किया। जो समाज विरोधी हो या राष्ट्र विरोधी हो अथवा जो सरकार के 20 सूत्री तथा अन्य प्रगतिशील कार्यों के विरुद्ध हो। गृह मंत्री इस मामले की जांच करें क्योंकि कर्मचारियों के विरुद्ध लगाये गये सभी आरोप मन गढ़न्त और बनावटी हैं। उनका एकमात्र दोष यह है कि वह कर्मचारियों के कल्याण के लिये कार्य करते हैं। सरकारी अधिकारी-गण पहले की दुश्मनी के कारण उन्हें गिरफ्तार कराना चाहते हैं। आशा है कि गृह मंत्री इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे और संम्बन्धित कर्मचारियों को रिहा करायेंगे।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : मैं आंसुका के अवधि विस्तारण करने वाले विधेयक का समर्थन करता हूं। गत एक वर्ष में अनुशासन में वृद्धि हुई है। यदि हम चाहते हैं कि यह अनुशासन बना रहे और आर्थिक क्षेत्र में भी प्रगति होती रहे तो हमें इस लड़ाई में विजय प्राप्ति की चेष्टा करनी चाहिए।

प्रो० मावलंकर, श्री शमीम तथा अन्य सदस्यों ने प्रजातन्त्र के खतरे में होने की बातें कही हैं अपने तर्क के समर्थन में महात्मा गान्धी का नाम भी सम्बद्ध किया गया है।

स्वतंत्रता से पूर्व ही महात्मा गान्धी जी ने लोकतन्त्र के पूर्ण रूप का स्पष्ट उल्लेख किया था। वास्तव में आंसुका कार्यों में बाधा नहीं डालता। यदि आंसुका के अधिकारियों द्वारा दुरुपयोग के कुछ मामले हैं तो मंत्री महोदय को स्वयं उन पर ध्यान देना चाहिए। विरोधी पक्ष ने आरोप लगाया है कि पुलिस तथा अधिकारियों द्वारा आंसुका का दुरुपयोग किया गया है। पिछले दिनों प्रधान मंत्री ने बताया कि उन्होंने मुख्य मंत्रियों को लिखा है कि वे सभी मामलों का पुनः अध्ययन करें। मैं समझता हूं कि वृद्ध लोगों के बारे में नीति निर्णय लिये जाने की आवश्यकता है। पक्षाघात से पीड़ित 70 वर्ष के व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के भी मामले हैं। क्योंकि पुलिस रिकार्डों के अनुसार उनका सम्बन्ध प्रतिबन्धित संगठनों से दिखाया गया है। ऐसे व्यक्तियों को तुरन्त छोड़ दिया जाये।

आंसुका के अन्तर्गत गिरफ्तार लोगों को छोड़े जाने का अनुरोध किया गया है। सरकार का आचरण बदले की भावना का नहीं है। परन्तु वह लोकतन्त्र को नष्ट नहीं होने दे सकती।

लोकतन्त्र के लिये अनुशासन बहुत आवश्यक है। यदि उक्त अनुशासन के लिये आंसुका आवश्यक है तो उसे स्थाई रूप दे दिया जाये। यह आपातस्थिति एक अनुशासन पर्व है और ऐसा वह सदैव रहे। अतः इसे चालू रखा जाये ताकि देश को सैनिक प्रशासन के अधीन न लाना पड़े।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri Chandrika Prasad (Ballia) : Sir, I rise to oppose the Resolution moved by Shri Somnath Chattergee and support the Bill. The persons, who criticise emergency and MISA should do some self introspection. Before the promulgation of emergency Members of Parliament were being beaten and intimidated to resign and the trains were not being allowed to run, thereby dislocating the economic life of the country. But ever since the enforcement of MISA there has been all round improvement, the forces of anarchy have been curbed and the country is leading towards a new life where the backward and down-trodden people will be able to come up.

But there is one thing which has to be taken care of and it is that there have been cases of misuse of power by the bureaucracy. In my constituency a large number of Harijans have been removed from their places of residence on the plea that they have committed encroachment. Some Harijans have also been arrested without any justification. There has to be some check on such abuse of power.

श्रीश्याम सुन्दर महापात्र (बालासोर): आंसुका की अवधि बढ़ाये जाने से उन लोगों को कुछ सांत्वना मिली है जो प्रधान मंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक समाजवादी देश में फासिस्ट और अन्य प्रतिक्रियावादी ताकतों पर सरकारी आदेशों से नियंत्रण रखना आवश्यक है।

गत 25 वर्षों में हमने निर्बाध लोकतंत्र का आनन्द उठाया है। संयम की इस अवधि में हमें प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासन लाना पड़ेगा। अनुशासनात्मक उपायों और लोगों को शिक्षित करके मूल्यों और मुद्रास्फीति को रोका गया है। बड़े व्यापारियों पर भी निगरानी रखी गई है। तस्कर व्यापार पर भी बड़ी सीमा में रोक लगी है। भारत में आपात्त स्थिति से अरब देशों में भी तस्करों की गतिविधियां कम हो गई हैं। दिल्ली की सड़कों पर रात को 10 बजे के बाद महिलाओं के लिये चलना असम्भव

था। परन्तु अब वे सुरक्षित हैं। बदमाशों को पकड़ लिया गया है। हमारे प्रधान मंत्री ने पुलिस महानिरीक्षक को कहा है कि आँसुका का दुरुपयोग नहीं किया जाये। ये सब सीधे लाभ हुए हैं, कुछ मामलों में समाज विरोधी और राष्ट्र-विरोधी व्यक्तियों के बजाय आंसुक्रा का उपयोग व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण किया गया है। मेरे राज्य उड़ीसा में ऐसे कई मामले हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न पश्चात् 2 बजे पुनः समवेत होने के लिये स्थगित होती है।

तत्पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए 14 बजे तक स्थगित हुई
The Lok Sabha than adjourned for lunch till Fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के बाद 14.03 बजे पुनः समवेत हुई ।
The Lok Sabha reassembled after Lunch at three minutes past Fourteen of the Clock.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
[*Mr. Deputy Speaker in the Chair.*]

आंतरिक सुरक्षा (संशोधन) विधेयक--जारी
MAINTENANCE OF INTERNAL SECURITY (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

श्री श्यामसुन्दर महापात्र : गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को निदेश दिये हैं कि आंसुका का उपयोग चोरबाजारियों, आर्थिक अपराधियों और जालसाजियों के विरुद्ध किया जाना चाहिये। इसका उपयोग हमारी अर्थव्यवस्था को नष्ट करने वालों के विरुद्ध किया जाना चाहिये।

कुछ असहाय और गरीब लोगों को इसलिए जेल भेज दिया गया क्योंकि उनकी कुछ पुलिस अधिकारियों या उनके परिवारों से व्यक्तिगत दुश्मनी थी। गृह मंत्रालय, जिसे समीक्षा करने का अधिकार है, ऐसे मामलों की समीक्षा करे और इन परिवारों की मदद करे।

हम गृह मंत्री के इस कदम का समर्थन करते हैं और आशा करते हैं कि आंसुका का उपयोग यथासम्भव आर्थिक अपराधियों और उन लोगों के विरुद्ध किया जायेगा जो हमारी प्रगति और अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाना चाहते हैं।

डा० कैलास (बम्बई दक्षिण) : यह विधेयक इसलिये लाया गया है क्योंकि स्थिति अभी भी भीषण है तथा श्री सोमानाथ चटर्जी का सुझाव मानने से पहले हमें अपने देश की ओर ध्यान देना है तथा देश के उन करोड़ों दुःखी लोगों की ओर ध्यान देना है जो आपातस्थिति और आंसुका से पहले दुःख उठा रहे थे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा है कि ईमानदार कार्मिक संघ नेताओं अथवा पार्टी के कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार न किया जाये। परन्तु क्या वे इस बात की गारन्टी लेते हैं कि ये नेता कर्मचारियों को फैक्टरी में कम उत्पादन के लिए नहीं उकसाएंगे तथा वहां अराजकता पैदा नहीं करेंगे तथा उनके दल के लोग भूमिहीन मजदूरों को हिंसक आन्दोलन के लिए नहीं भड़कायेंगे।

तथापि यह मानना पड़ेगा कि अति उत्साही अधिकारियों ने पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए गिरफ्तारियां की हैं। अतः परामर्शदात्री समिति ऐसे मामलों की स्वतंत्र रूप से जांच करके

उनका निर्णय करे। विश्वविद्यालय अध्यापकों, डाक्टरों, इन्जीनियरों और बुद्धिजीवियों के मामलों की फिर से जांच की जाये। यदि ये लोग लिखित रूप में आश्वासन दें कि किसी सिंहक आन्दोलन से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है और वे ईमानदार और भले नागरिकों की तरह आचरण करेंगे तो सरकार को उन्हें रिहा कर देना चाहिये।

खेद का विषय तो यह है कि बहुत से बेगुनाह लोगों को सन्देह के आधार पर 6-8 महीने से भी अधिक अवधि तक हिरासत में रखा गया है और उनके परिवार के सदस्यों को बहुत अधिक कठिनाइयां उठानी पड़ी हैं। क्या गृह मंत्री महोदय हमें तस्करों, जमाखोरों या चोरबाजारी करने वालों को छोड़कर, छात्रों, शिक्षकों तथा उन राजनीतिक नेताओं, जो किसी प्रतिबन्धित संगठनों के सदस्य नहीं हैं, की गिरफ्तारी का वर्गवार और राज्यवार ब्यौरा देंगे।

गृह मंत्री महोदय को डा० प्रशान्त कुमार तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री सेठ के मामलों की जांच करनी चाहिए। ये बेगुनाह हैं और इन्हें अनावश्यक ही तंग किया गया है।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और श्री सोमनाथ चटर्जी के संकल्प का विरोध करता हूं।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : यह सुझाव देना कि आंसुका को स्थायी रूप से संविधान में अन्तरनिहित किया जाये, अनुचित है। हम उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जबकि आंसुका को राष्ट्र के लिए सुधारक उपबन्ध के रूप में माना जायेगा।

गृह मंत्री को इस बात की जांच करनी चाहिये कि कितने राज्यों के मुख्य मंत्री उन लोगों का, जिन्हें नजर में रखना है, पता लगाने के लिए लोकप्रिय निर्वाचित प्रतिनिधियों के बजाय राज्यतंत्र अर्थात् मजिस्ट्रेटों, पुलिस अधिकारियों पर निर्भर करते हैं। ऐसे अनेक लोग अभी तक बाहर हैं जिन्हें आंसुका के अन्तर्गत जेल में डाला जाना चाहिये था। दूसरी ओर बहुत से बेगुनाह लोगों को जेल में डाल रखा है। अतः गृह मंत्री को इस विधान की अवधि बढ़ाते समय समीक्षा समितियों के बारे में भलीभांति विचार-विमर्श करना चाहिये और उन्हें इस सम्बन्ध में व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिये।

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : श्री सोमनाथ चटर्जी ने संकल्प का निरनुमोदन करते समय इस सदन को यह बताने का प्रयास किया है कि लोकतंत्र, सामान्य कानून, सामान्य न्याय, नागरिक स्वतंत्रता आदि के बारे में उनकी क्या संकल्पना है। लेकिन हमें इसका अधिक अनुभव है और हम इसके बारे में अधिक जानते हैं। नागरिक स्वतंत्रता से यह आशय नहीं है कि हम हिंसा के लिए उकसायें। इस बात को समझना है कि एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिये और सादृश्य मूलक दायित्व के बिना कोई अधिकार नहीं है।

धारा 16 क के उपबन्ध पर इस सदन में कई बार विस्तारपूर्वक चर्चा की गई है। जून, 1975 से पहले की देश की स्थिति के बारे में कई सदस्यों ने विचार व्यक्त किये हैं। उन्होंने बताया कि उस समय क्या स्थिति थी, किस प्रकार अर्थव्यवस्था में बाधा डाली गई, किस प्रकार कालेजों और विश्वविद्यालयों को चलने नहीं दिया जाता था, किस प्रकार हिंसा को भड़काया जाता था। सभी प्रकार की आलोचना की जा रही थी। लोगों का विश्वास समाप्त हो गया था। अतः धारा 16 क इस असाधारण स्थिति से निपटने और इसे नियंत्रण में करने के लिए लाई गई है जो आपातस्थिति लागू होने से पूर्व देश में विद्यमान थी।

इस संशोधन से मूल धारा 16 क में दी गई समयावधि को 12 महीने से बढ़ाकर 24 महीने करने का उपबन्ध किया गया है। हमें इस समय अवधि को बढ़ाने के औचित्य को देखना है न कि मूल धारा 16 क को जो पहले से विद्यमान है और जिसपर चर्चा की जा चुकी है और स्वीकृत हो चुकी है।

अतः सदन को देश की स्थिति का व्यवहारिक एवं सही मूल्यांकन करना होगा। आपात स्थिति से हुए लाभों के बारे में संदेह प्रगट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपात स्थिति से लोगों में अनुशासन और विश्वास की भावना जागी है और देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। इन लाभों को स्थायी बनाने की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि अनुशासन जीवन का अंग बन जाए। मेरे विचार में यह बताना समय पूर्व होगा कि आपात स्थिति कब समाप्त की जाएगी। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम चुप होकर बैठे हैं या अपनी नीति की समीक्षा नहीं कर रहे हैं। ऐसी भी ताकतें विद्यमान हैं जो हमारा राष्ट्रीय हित नहीं चाहती। सरकार को उन पर कड़ी निगरानी रखनी पड़ती है। अतः यदि इन सभी पहलुओं पर विचार किए बिना आपात स्थिति समाप्त कर दी गई तो यह राष्ट्र के लिए हितकारी नहीं होगा।

मेरे एक मित्र ने बताया है कि देश में भय का वातावरण छाया हुआ है। लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि दण्डकारी कानूनों का उद्देश्य ही यह होता है कि अपराधी लोग उससे डरें, कानून की आज्ञा मानने वालों के लिए भय का कोई कारण नहीं। अतः यह कोई अच्छा तर्क नहीं है कि सरकार भय का वातावरण बना रही है। उदाहरण के तौर पर श्री इन्द्रजीत गुप्त ने सही कहा है कि वह विधेयक का समर्थन करते हैं।

श्री इन्द्रजीत (अलीपुर) : मैंने कहा था कि हम इस विधेयक का समर्थन करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है और मैंने इसके कई उदाहरण दिए हैं।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : माननीय सदस्य ने कहा है कि लोगों को एकदम रिहा करने में उन्हें खतरा दिखाई देता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यही मेरी राय है।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : इसका अर्थ यह है कि हम दोनों की राय में कोई विशष अन्तर नहीं है और माननीय सदस्य संशोधन विधेयक की अवधि के विस्तार की भावना से सहमत हैं।

जहां तक माननीय सदस्य ने आंसुका के दुरुपयोग की बात कही है, हम इस पर विचार करेंगे; राज्य सरकारों से सलाह लेंगे और अन्य जानकारी भी एकत्र करेंगे और इसके बाद निर्णय करेंगे कि अमुक व्यक्ति रिहा किये जा सकते हैं और अमुक व्यक्तियों को रिहा करना सुरक्षित नहीं होगा।

माननीय सदस्य ने पूछा है कि कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। मैं सही संख्या तो नहीं बता सकता; लेकिन अनुमानतः एक लाख के पीछे 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में से एक तिहाई से ज्यादा लोग निषिद्ध दलों से सम्बन्धित है और लगभग एक तिहाई लोग तस्कर, जमाखोर, चोरबजारिए इत्यादि हैं। तस्करी तथा विदेशी मुद्रा उपबन्धों का उल्लंघन करने वालों के लिए विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम बनाया गया है। इसलिए यह कहना गलत होगा कि आंसुका का दुरुपयोग हो रहा है।

श्री एस० एम० बैनर्जी : रक्षा विभाग के कई कर्मचारी गिरफ्तार किए गए हैं। सरकार को प्रत्येक कर्मचारी के मामले की जांच करनी चाहिए। यदि उनसे देश की सुरक्षा को खतरा हो तो उन्हें जेल में ही रखा जाना चाहिए, अन्यथा उन्हें छोड़ देना चाहिए।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : मैंने माननीय सदस्य की बात समझ ली है। 30 प्रतिशत व्यक्ति रिहा किए जा चुके हैं और 10 प्रतिशत सशर्त जमानत पर रिहा किए जा चुके हैं। यदि कोई दुरुपयोग का मामला मेरे ध्यान में लाया जाएगा तो मैं उसकी जांच करूंगा।

हमने आंसुका में संशोधन करके राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया है कि वह व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण बताए बिना गिरफ्तार कर सकते हैं। और उन्हें ऐसे मामले केन्द्रीय परामर्शदात्री बोर्ड को भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। संशोधन में यह व्यवस्था की गई है कि अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी के आदेश को 15 दिन के अन्दर सरकार की सहमति प्राप्त करनी है; नजरबन्दी आदेशों की समय समय पर जांच करने की भी व्यवस्था की गई है। मैं सदन को यह आश्वासन देता हूं कि आंसुका के दुरुपयोग को रोकने के लिए सभी सम्भव पूर्वोपाय किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जुलाई, 1976 में मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था कि वे इस ओर ध्यान दें : जहां तक नजरबन्द व्यक्तियों के स्वास्थ्य का प्रश्न है, गृह सचिव ने अनुदेश दिए हैं कि नजरबन्द संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्यों तथा अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। मुझे श्री समर गुह और श्री जय-प्रकाश नारायण ने पत्र लिखकर सूचित किया है कि उनको जेल में काफी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। अधिक विस्तार में न जाकर मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उनको सभी सुख सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार नजरबन्द व्यक्ति नजरबन्दी आदेशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता फिर भी केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों को कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और प्रत्येक मामले की जांच की गई है और राज्य सरकारों एवं अन्य एजेंसियों की सलाह ली गई है और कार्यवाही की जा चुकी है। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं उन्हें प्रत्येक मामले पर की गई कार्यवाही के बारे में ब्यौरा भेज दूंगा।

सारन के श्री चन्देश्वर सिंह और मधुबनी के लाल झा को गिरफ्तार नहीं किया गया मधुबनी के श्री हरिजन झा और श्री गुलाब ठाकुर को रिहा कर दिया गया है, श्री उमाकान्त सिंह, श्री राम मनोहर चौधरी, श्री केदार शर्मा, श्री जैनुल एवदीन, श्री जालन्धर दास, श्री वैद्यनाथ तथा श्री चन्द्रमोहन के विरुद्ध मुकदमें आपात स्थिति से पूर्व दायर किए गए थे। श्री अखिलेश्वर तथा श्री शिवकुमार तिवारी को रिहा कर दिया गया है। श्री अनवर अली खां को सशर्त जमानत पर रिहा कर दिया गया हैं।

श्री हुडा को रिहा करने का प्रस्ताव है। हमने अपनी स्वीकृति 5 दिन पूर्व भेजी थी और उन्हें शीघ्र रिहा कर दिया जाएगा।

जहां तक श्री आर० के० तिवारी का प्रश्न है, इस मामले की जांच की गई है और राज्य सरकार कई कारणों से उन्हें रिहा करने के लिए तैयार नहीं है।

संक्षेप में मैं इतना कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों द्वारा भेजे गए प्रत्येक अभ्यावेदन की सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा जांच की जाती है।

जहां तक श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा लगाए गए इस आरोप का सम्बन्ध है कि सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है, नौकरी से एकदम नहीं निकाला जाता। जब भी कोई कार्यवाही करनी होती है, सचिवों की समिति इस पर विचार करती है कि क्या कर्मचारी को संविधान के अनुच्छेद 307 के अन्तर्गत नौकरी से निकाल दिया जाए अथवा नहीं। इसके बाद उस मामले को मंत्री की स्वीकृति हेतु भेजा जाता है। किसी भी कर्मचारी को पारस्परिक द्वेष भाव के कारण नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। प्रत्येक मामले की जांच करने के लिए सचिव बैठते हैं और जब वे समझते हैं कि कर्मचारी को नौकरी से निकालने का औचित्य हैं तभी वे ऐसा निर्णय करते हैं।

श्री समर मुखर्जी : जिन व्यक्तियों को नौकरी से निकाला गया है; वे या तो कार्मिक संघों के सचिव हैं या अध्यक्ष। अतः इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कर्मचारी संघों को समाप्त करने के लिए ही सरकार ने उनको नौकरी से निकाल दिया गया और उन्हें आंसुका के अन्तर्गत जेल में डाल दिया गया है।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : संयोग की बात है कि वे मजदूर संघों के कार्यधिकारी भी थे। लेकिन यह कहना गलत है कि चूंकि वे संघ के सचिव या अध्यक्ष थे, इसलिए उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : कर्नाटक के गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों में राष्टीय स्वयं सेवक संघ के कई कर्मचारी है। उनके विरुद्ध आंसुका का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता वे आर्थिक प्रणाली को छिन्न भिन्न कर रहे हैं।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : इस मामले की जांच की गई है और कुछ कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है। अन्य मामलों में आरोप आधारहीन पाए गए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त का यह सुझाव मानना कठिन है कि धारा 16 क के अन्तर्गत परामर्शदात्री बोर्ड को फिर से मामलों पर विचार करने का कार्य दिया जाए। डा० कैलास का यह सुझाव स्वीकार करना भी सम्भव नहीं है कि समीक्षा समिति गठित की जाए। मुख्य मंत्री स्वयं मामलों की जांच करते हैं। और उनकी अध्यक्षता में समिति पहले से गठित है; इसमें और भी पदाधिकारी होते हैं। यदि आवश्यक हो, तो माननीय सदस्य मुझे लिख सकते हैं कि अमुक मामले में आंसुका का दुरुपयोग किया गया है। मैं उस मामले के बारे में राज्य सरकार से सलाह लूगा और यदि मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि आदेश जारी करने का कोई औचित्य नहीं तो वह राज्य सरकार को आदेश वापिस करने के लिए कह सकते हैं।

अतः, मेरा अनुरोध है कि सदन इस विधेयक पर सहमति प्रदान करे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं एक स्पष्ट्रीकरण चाहता हूं। क्या आंसुका माननीय सदस्यों के सामान्य कर्त्तव्य निभाने—अर्थात् निर्वाचन क्षेत्रों में जाने, सभा आयोजित करने इत्यादि—में बाधा है? क्या उन्हें जिला उपायुक्त की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : प्रत्येक सदस्य या नागरिक को अपने कर्त्तव्य निभाने का अधिकार है। किसी के मार्ग में आंसुका की अड़चन नहीं आ सकती। लेकिन यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र में सभा का आयोजन किया जाना है तो स्थानीय नियमों का पालन करना होगा और उपायुक्त की अनुमति लेनी होगी। अन्य कार्यो के लिए अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (वर्दवान) : इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि आंसुका का दुरुपयोग हो रहा है। नजरबन्द व्यक्तियों में से 30 प्रतिशत व्यक्तियों की गिरफ्तारी आंसुका का दुरुपयोग करने के कारण हुई है। इसका अर्थ यह है कि या तो कानून में अथवा इसके क्रियान्वयन में कोई दोष है। यदि किसी गिरफ्तारी की शिकायत की जाती है तो उसकी जाँच भी वही अधिकारी करता है जिसने नजरबन्दी आदेश जारी किए थे। क्या सरकार नागरिक स्वतन्त्रता में विश्वास रखती है? संविधान में नागरिक स्वतन्त्रता पर उचित रोक लगाने का प्रावधान है। आंसुका में इस बात का कोई प्रावधान नहीं था कि नजरबन्दी की अवधि कितनी रखी जाए। कई व्यक्ति दो या तीन वर्षों से नजरबन्द है। उन्हें यह भी मालूम नहीं कि उन्हें कब रिहा किया जाएगा। अनुशासन के नाम पर प्रत्येक बात को उचित ठहराया जा रहा है। मंत्री महोदय का कहना है कि आपात स्थिति से देश को लाभ हुआ है। यह उनकी अपनी विचारधारा है। उन्होंने देश के लोगों की धारणा को ध्यान में नहीं रखा। उनकी आवाज दबा दी गई है। वे अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते। क्या सरकार आंसुका के बिना अनुशासन को बनाए नहीं रख सकती? 12,000 व्यक्ति इसके अंतर्गत गिरफ्तार किये गये है। कई मामलों में आंसुका का दुरुपयोग किया गया है। श्री नुरुल हुडा को भी गिरफ्तार किया गया और उसका कारण यह बताया गया कि उहोंने आसाम विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के हितों का समर्थन किया था क्या इस प्रकार सरकार माननीय सदस्यों को उनके कर्त्तव्य निभाने के लिए कह रही हैं? अतः सरकार को यह कहने का कोई अधिकार नहीं कि सब कुछ अनुशासन लाने के लिए किया जा रहा है।

यदि आपने तीन व्यक्तियों को रिहा किया है तो आप बड़े घमण्ड से कहते हैं कि 30 प्रतिशत बन्दी रिहा कर दिये गये हैं। पर जो शेष 70 प्रतिशत जेलों में बन्द हैं-उनके बारे में आप पुनर्विचार नहीं कर सकते। उनके बारे में आप कहते हैं कि केवल मुख्यमंत्री ही उनके मामलों पर विचार करेंगे।

इन मामलों पर पुनरीक्षा की सम्पूर्ण प्रक्रिया उपहास का पात्र बन गई है। गैर-कानूनी या दूराशय-पूर्ण नजरबंदी से छुटकारा पाने के लिये न्यूनतम अधिकारों का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता। बल्कि दया की याचना करनी पड़ती है।

आंसुका के अन्तर्गत नजर बन्द व्यक्तियों में से केवल 15 प्रतिशत लोग रिहा हुए हैं जबकि 85 प्रतिशत व्यक्ति अभी तक जेलों में हैं। ऐसे भी नजरबन्दी हैं जिन्हें आपात स्थिति लागू होने से पूर्व नजर बन्द किया गया था। अब उन्हें जेल में 2 या 3 वर्ष हो गये हैं। क्या उन्हें यह जानने का अधिकार नहीं कि उन्हें कब रिहा किया जायेगा?

मंत्री जी ने कहा है कि आपात स्थिति से अनुशासन आया है। लेकिन देश की जनता का मत बिल्कुल नहीं लिया गया है। उनकी आवाज बन्द कर दी गई है। क्या आंसुका लाये बिना देश में अनुशासन लाना सम्भव नहीं था। लगभग 12000 व्यक्ति धारा 16 क के अन्तर्गत बंदी बनाये गये हैं।

एक संसद सदस्य को कथित गतिविधियों के कारण 13 महीनों से बन्द कर रखा था। अब उन्हें आंसुका के अन्तर्गत नजरबंद कर लिया गया है। इस तरह कहा का अनुशासन लाया जा रहा है?

जहां तक त्रिपुरा राज्य का सम्बन्ध है वहां तो विधायकों को इस कारण पकड़ा गया है ताकि विधान मण्डल में अविश्वास प्रस्ताव पारित न हो सके। विपक्षी दल के नेता और उनके सहयोगियों को पकड़ कर बैल्लोर भेज दिया गया है ताकि न तो वे किसी से मिल सकें और न ही उनसे सम्पर्क बनाया जा

सके । यद्यपि उन्हें आपात स्थिति से पहले नजरबन्द किया गया था तथापि अभी तक उन्हें रिहा नहीं किया गया है ।

कार्मिक संघों के नेताओं को भी गिरफ्तार किया गया है । हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में कार्मिक संघ के 87 नेताओं को पकड़ा गया था जिनमें से केवल एक को छोड़ा गया है। सरकार उन लोगों को पकड़ रही है जो उनके विपक्षी दल वे सम्बद्ध है ताकि उन्हें समाप्त ही कर दिया जाये। इलैक्ट्रानिक्स कारखाने का भी यही हाल है । जाने माने नेताओं को पकड़ा गया है, यद्यपि कार्मिक संघ के नेताओं और प्रबन्धकों के बीच पूर्ण मैत्री भाव था । वहां कोई समस्या नहीं और कार्य सुचारु रूप से चल रहा है। आंसुका का इस प्रकार दुरुपयोग हो रहा है । इसका प्रयोग राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध कियां जा रहा है ।

चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के 17 कार्मिक संघों के कर्मचारियों को भी नजरबंद किया गया है । आंल इण्डिया लोको रंनिग स्टाफ संघ के चार प्रतिनिधि रेलवे के राज्य मंत्री से मिलने के लिए आये उन्हें पूर्व अनुमति मिली हुई थी और समय तय किया हुआ था । न केवल उन्हें मंत्री जी से नहीं मिलने दिया गया । बल्कि उन्हें पकड़ कर जेल में डाल दिया गया। यद्यपि पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार के नजरबन्द कर्मचारियों को रिहा कर दिया गया है लेकिन केन्द्रीय कर्मचारियों को अभी तक बन्द कर रखा है । अखिल भारतीय राज्य सरकार कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अभी भी आंसुका के अन्तर्गत नजरबंद हैं । जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को भी बन्द किया जा रहा है ।

आंसुका के जाल को दिन प्रतिदिन फैलाया जा रहा है। आंसुका के उपयोग की कोई जरूरत नहीं है । नजरबंदी के कारण भी नहीं बताये जाते ।

अब न्यायपालिका भी जनता के प्रति निष्ठावान नहीं रही । कुछ न्यायाधीशों का विचार है कि देश के कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो कभी गलती नहीं कर सकते । इसे देश का दुर्भाग्य ही कहा जायेगा कि लोगों का न्यायपालिका से विश्वास उठ गया है । देश के नागरिकों को सीमित अवसर प्राप्त थे जिनके अधीन व न्यायालय की शरण ले सकते थे । अब वे भी उनसे छीन लिए गये हैं ।

आप का कहना है कि समाज विरोधी शक्तियों को एकजुट होने से रोकने के लिए इस अधिनियम का बना रहना बहुत जरुरी है । पर सत्तारुढ़ दल इसका प्रयोग एक राजनीतिक अस्त्र के रूप में कर रहा है ।

अब सरकार ने आंसुका को संविधान की नवीं अनुसूची में रखा है । इसलिए आपात स्थिति समाप्त होने के बाद भी इस कानून को एवं इसकी धारा 16 क को चुनौती नहीं दी जा सकती । आपात स्थिति के बाद सामान्य स्थिति हो जायेगी लेकिन ये असामान्य कानून बने रहेंगे । आंसुका को 9वीं अनुसूची का संरक्षण क्यों प्रदान किया गया है। शायद इसलिए कि यह कानून संविधान के विरुद्ध है।

पहली बार मंत्री महोदय ने कुछ आंकड़े दिये हैं । पर उन्हीं के आंकड़ों के अनुसार 8000 व्यक्ति अभी भी जेल में हैं । 60 करोड़ जनसंख्या वाले देश का वह एक छोटा सा भाग है । लेकिन क्या इन लोगों को नजरबंद रखना उचित है । उन्हें तो यह भी पता नहीं कि वे किस कारण नजरबंद हैं । उन्होंने ऐसा क्या कसूर किया है । उन्हें अपनी सफाई का मौका भी नहीं दिया जाता और सलाहकार बोर्ड के सामने लाये बिना ही उन्हें नजरबंद कर दिया जाता है । यदि इन लोगों पर मुकदमा चला कर इन्हें अपनी सफाई में बोलने का मौका दिया जाता तो क्या आपात स्थिति के लाभ समाप्त हो जाते है ?

इस सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेटों को बहुत शक्तियां प्रदान की गई हैं। वे लोग स्थानीय थानों के इन्सपेक्टरों और सब इन्सपेक्टरों की रिपोर्टों पर विश्वास करते हैं और ऐसी रिपोर्टों के आधार पर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जिस ढंग से यह कानून लागू किया जा रहा है उससे जनता की लोकतंत्र में आस्था कम हो रही है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : "कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 16 जून, 1976 को प्रख्यापित आंतरिक सुरक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1976 (1976 का अध्यादेश संख्या 5) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived;

सभापति महोदय : प्रश्न यह है;

"कि आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was accepted.

सभापति महोदय : अब खण्डवार चर्चा की जाएगी।

सभापति महोदय द्वारा खण्ड 2 में संशोधन संख्या 1 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 1 to Clause 2 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

कि "खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 2 को विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 2 was added to the Bill.

खंड 3 को विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 3 was added to the Bill.

सभापति महोदय : अब खण्ड 4 है।

श्री बी० वी० नायक : मैं अपना संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करता हूं। इसका सम्बन्ध राजनीतिक बंदियों से है।

मंत्री महोदय ने पहले ही कुछ ऐसे पत्रों के उद्धरण प्रस्तुत कर दिये हैं जोकि नजरबंदों द्वारा लिखे गये थे। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कुछ राजनीतिक बंदी ऐसे भी है जिन्होंने की अपना दृष्टिकोण बदल लिया हो यदि ऐसा है तो उसे जानने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अब हमने इस लोक सभा की कालावधि तो एक वर्ष के लिए बढ़ा ही दी है। क्या इन राजनीतिक बंदियों को किसी वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने की अनुमति होगी ?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : किसी सदस्य के कुछ भी लिखने पर रोक नहीं है। और न ही किसी सदस्य द्वारा अपना दृष्टिकोण बदलने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध है।

सभापति महोदय : अब प्रश्न केवल यह है कि क्या आप अपना संशोधन वापिस लेना चाहेंगे ?

श्री बी० वी० नायक : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

सभापति महोदय : क्या सदन इन्हें अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति देने के लिए तैयार है ?

कुछ सदस्यगण : हां

संशोधन सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया।

The amendment was, by leave withdrawn.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 4 को विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 4 was added to the Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 1, Enacting Formula and Title were added to the Bill.

श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी : : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि विधेयक पारित किया जाये"।

सभापति महोदय : श्री रामवतार शास्त्री

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : The stand of our party on the Internal Security (Amendment) Bill has been well explained by our party leader. I want to say something on the points that have been explained by Minister. In view of Minister's reply, I would like to ask a few things.

The first thing which I want to mention is that the MISA is being misused by police and Government authorities and even the Members of Communist Party, who believe in mass revolutions are being put behind the bars. I can name a number of workers belonging to Communist party who have been jailed. This is a matter of great surprise that despite several assurances from the Government, the misuse of MISA has not been checked. May I know why the Government silent on this issue ? May I know whether Government will put all those labour leader behind the bars who are likely to raise their voice against the wrong policies of the Government and speedy implementation of 20 point programme which is primarily a programme of the masses ? Although the power to arrest a person under MISA has only been given to District Magistrates, but they just sign the papers put at by their subordinates. Therefore today the fact of the situation is that if the police wants to take revenge from somebody, It is done very easily, so these are the weak points of MISA and that is how it is being misused Blanket powers have been given to police and these must be curbed. That is all I had to submit.

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : हम इसकी जाँच करेंगे।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है "कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

राष्ट्रपति पेंशन (संशोधन) विधेयक
PRESIDENT'S PENSIONS (AMENDMENT) BILL

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : मैं प्रस्ताव करता हूं : **"कि राष्ट्रपति पेंशन अधिनियम 1951 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"** राष्ट्रपति पेंशन अधिनियम 1951 के वर्तमान उपबंधों में अन्य बातों के साथ यह व्यवस्था की गई है कि सेवा निवृत्त राष्ट्रपति को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जायेगी। परन्तु इस विधेयक के अन्तर्गत सेवा निवृत्त राष्ट्रपति, जिसके कि पदावधि में ही मृत्यु हो गई हो, उसकी पत्नी को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस उच्च पद की गरिमा को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तुत विधेयक में राष्ट्रपति की पत्नी को भी यह सुविधा उपलब्ध करने की व्यवस्था की गई है। यह बहुत ही सरल तथा साधारण सा विधेयक है तथा सभा को इसे स्वीकार कर लेना चाहिये।

[श्री पी० पार्थासारथी पीठासीन हुए।]
[SHRI P. PARTHASARATHY *in the Chair.*]

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि राष्ट्रपति पेंशन अधिनियम 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

Sardar Swaran Singh Sokhi (Jamshedpur): I welcome this Bill and at the same time submit that in 1951 the pension of the President was fixed rupees 15,000. Since that time the cost of living has gone up many times. So in view of the changed circumstances, the pension of the President should be raised to Rs. 25,000 per year. Similarly the amount allocated for his secretariat facilities, should also be enhanced.

It is a welcome measure that a provision is being made through this amendment for providing free medical facilities to his spouse. I feel that pension should be given to the spouse of the President who dies in harness.

Shri Ramavatar Shastri : I welcome this Bill as it provides for free medical facilities to the spouse of President. At the same time I may submit that similar facilities should be provided for Central Government employees as well as Members of Parliament. The pensions of pensioners should also be increased and necessary steps should be taken to ensure that they get their pension at appropriate time.

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : जिन दो माननीय सदस्यों ने इस विधेयक सम्बन्धी चर्चा में भाग लिया है, मैं उनका आभारी हूं, इस विधेयक का उद्देश्य बहुत ही सीमित है, इसका उद्देश्य केवल मात्र सेवानिवृत्त राष्ट्रपति की पत्नी को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करना है। मूल अधिनियम में यह उपबन्ध नहीं था। निः-शुल्क चिकित्सा सुविधा केवल सेवा निवृत्त राष्ट्रपति को ही दी जाती थी, बाद में पता चला कि अन्यत्र विद्यमान नियमों के अनुसार उनकी पत्नियों को भी चिकित्सा सुविधा प्रदान की जानी चाहिये। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह विधेयक पेश किया गया है।

अब मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पर विचार आरम्भ किया जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : "कि राष्ट्रपति पेंशन अधिनियम 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

सभापति महोदय : खण्ड 2 से 4 के लिए कोई संशोधन नहीं है। अतः मैं उन्हें सदन के मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :
"कि खंड 2 से चार विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए
Clause 2 to 4 were added to the Bill

खंड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 1 was added to the Bill

अधिनियम सूत्र तथा विधेयक नाम में जोड़ दिए गए
The enacting Formula and the Title were added to the Bill

(श्री एफ० एच० मोहसिन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :
"कि विधेयक को पारित किया जाये" ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक
REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० ए० सैयद मुहम्मद) :
मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

संसद ने संविधान के उपबंधों के अनुसार परिसीमन अधिनियम, 1972 पारित किया था जिसमें एक परिसीमन आयोग की स्थापना का उपबन्ध किया गया था। परिसीमन अधिनियम 1972 के अन्तर्गत नियुक्त परिसीमन आयोग ने अरुणाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र के सिवाय सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में निर्वाचन क्षेत्रों के उद्देश्य से संसदीय तथा विधान सभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या तथा उनकी सीमा अंतिम रूप से निर्धारित करने के कार्य पूरा कर लिया है । संघ राज्य क्षेत्र सरकार (संशोधन) अधिनियम 1975 के उपबंधों के अन्तर्गत निर्वाचन आयोग को अरुणाचल प्रदेश

संघ राज्य क्षेत्र में दो संसदीय तथा 30 विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करने का कार्य सौंपा गया था और इस सम्बन्ध में परिसीमन के अंतिम आदेश जारी भी कर दिये गये हैं।

विधेयक में निहित संशोधनों का उद्देश्य निर्वाचन आयोग के परिसीमन के सभी आदेशों को एक आदेश में समेकित करना है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 सम्बन्धी प्रथम तथा दूसरी अनुसूची को भी संशोधित किया जा रहा है ताकि उससे परिसीमन आयोग द्वारा निर्धारित लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं में सीटों के आबंटन की सही स्थिति परिलक्षित हो।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

श्री दिनेश जोरदर (माल्दा) : यह कोई बड़ा बिल नहीं है। इसका उद्देश्य बहुत सीमित है।

इस विधेयक के द्वारा विभिन्न राज्य विधान सभाओं लोक सभा तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 1971 की जनगणना के दौरान तैयार किये गये कुछ तथ्यों तथा सिद्धान्तों के आधार पर सीटों का नए ढंग से आबंटन किया जा रहा है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित सीटें उनकी संख्या के अनुसार समायोजित की गई है।

जनगणना का प्रतिवेदन सही नहीं है। कई राज्यों में कुछ राजनीतिक दृष्टिकोणों से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के कई लोगों का रिकार्ड नहीं रखा गया है। ऐसे राज्यों में आसाम भी एक है। परिसीमन के मामले में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों की कुल जनसंख्या को समुचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है। सीटों के आबंटन तथा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के मामले में अत्याधिक भेदभाव किया जा रहा है।

हमें बताया जाये कि समूचे देश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लोगों की कुल कितनी संख्या है और उन्हें लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं में कितनी सीटें दी गई हैं। इन लोगों के साथ न्याय नहीं किया गया है।

लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं में अनुपातीय प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त लागू किया जाना चाहिये। जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक जनता का सही प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता। इस विधेयक में वापस बुलाने का उपबंध भी होना चाहिये।

जनगणना करते समय जनगणना कर्मचारियों द्वारा कुछ क्षेत्र छोड़ दिये जाते हैं। जहां तक पश्चिम बंगाल का सम्बन्ध है, जनगणना के दौरान कई क्षेत्रों में जनगणना कर्मचारी नहीं जा सके। क्योंकि वहां आतंक तथा गुंडागर्दी का वातावरण बना हुआ था। उन्होंने केवल कुछ झूठे आंकड़े दे दिये हैं। कई गांवों में तो जनगणना की ही नहीं गई और उन्होंने गांवों में जाकर गणना करने की बजाए अपने कार्यालयों में ही आंकड़े तैयार किए हैं। इसमें सुधार किया जाना चाहिये।

Sardar Swaran Singh Sokhi (Jamshedpur) : I welcome this bill. All the states should be governed under uniform rules and laws. There should be no different laws for different states. The Delimitation Commission has not done justice to same of the states.

Jugsalai Assembly Constituency falling within my constituency has been declared as Scheduled Caste Constituency though the number of non-schedule caste people living there is comparatively more than the scheduled caste people. The sitting M.L.A. and other people of the area sent representations but the Delimitation Commission did not pay any heed. Another parliamentary Constituency called Patmada Constituency has been abolished. This type of functioning by the Delimitation Commission is likely to create discontentment among the people. I suggest that another delimitation Commission to review the work of delimitation should be set up.

The yardstick adopted for increasing the number of Lok Sabha seats in different states is not known. It is sad that I was not consulted by the Delimitation Commission about my own constituency. Every M.P. should be consulted about his constituency.

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : It is correct that the Representation of the People (Amendment). Bill is very innocent Bill. This means that the report of Delimitation Commission has been accepted. It is correct that census reports are not correctly prepared. If census give correct record of the statistics on population the seats of scheduled castes and scheduled tribes would have increased.

The Delimitation Commission has mutilated a number of constituencies. It appears that the Commission worked under some pressure. The decision taken by the Commission at Ranchi were later are changed under pressure. This has happened in my constituency. If the Commission had not worked under pressure it would not have altered its decision. On the question whether manner be retained in Pantic constituency 5 0 witnesses were in favour of retention where as only six persons were for detecting it from Patna. The delimitation Commission should not be influenced by the people on the top.

The election law should be improved. It has been correctly stated that people with minority votes come here and form the Government. Even the Janta Morcha get minority votes. You alleged that they secured minority representation. But the Government at the Centre also get minority votes. The principle of proportional representation should be adopted.

There are various anamalies in the election laws. The elections should be held in February, 1977 so that the fresh mandate of the people is known. I here should be no further postponement of elections.

Shri M. C. Daga (Pali) : There is no procedure under which right to recall could be excercised, especially when the number of voters is 6-7 lakhs It is no use bringing it here again and again.

So far as the delimitation Commission is concerned there is no provision for appeal against their decision. Its decisions are final. The number of seats for scheduled castes and scheduled tribes has been reduced intentionally. In Andhra Pradesh the total number of seats has been increased from 41 to 42 but there has been no increase in the seats of scheduled castes and scheduled tribes as it still stands at 6 and 2. In Lok Sabha the total number of seats has been raised from 522 to 542. The number of seats from scheduled castes and scheduled tribes was 77 and 41, but now it has been fixed at 78 and 38. It means that there is an increase of only one seat of scheduled castes and decrease of 3 seats for scheduled tribes. It is not known how it is possible ?

On the one hand it is said that there is more increase in population of the poor people and scheduled tribes, on the other hand the number of their seats has been reduced. I think there are faults in the decisions of the delimitation Commission. There is no family planning among the scheduled tribes.

Similarly in the case of states the number of seats has been increased on decreased in an arbitrary manner. How could the interests of the scheduled castes and scheduled tribes be protected by the present delimitation Commission.

The representation of the People Act was first enacted in 1950 and it might to be radically changed because the election officers do not act properly at district level. The people face a lot of difficulty in getting their names inserted. Therefore this legislation should be throughly recast. It should include a mandatory provision that thorough investigation be made about the members of a family and only after that, there names may be included in the voters' list. The poor people find it difficult today to get any alterations or additions incorporated in the voters' list with the result that the remain deprived of their voting right. The representation of people's Act requires a lot of changes.

As regards disqulification, those persons who defected to other party on whose character is had together with sumgglers on black marketers should not be allowed to participate in elections. It is surprising that rule making power has been added after a lepse of 24 years.

श्री के० नारायण राव (बोविली) : इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं परिसीमन आयोग के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं। मेरा सुझाव है कि उक्त आयोग के सहसदस्यों के साथ गम्भीरता से विचार किया जाये। पहले ऐसा नहीं किया गया। मुझे इसका व्यक्तिक अनुभव है।

हम इस बात के लिए वचनबद्ध हैं कि हमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए कुछ सीटों का आरक्षण करना ही होगा। जब परिसीमन अधिनियम पारित किया गया था उसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षण करने के लिए कुछ विशेष मानदण्डों की व्यवस्था की गई थी। इसके साथ-साथ अनुसूचित जातियों के संबंध में समानुपातिक अनुपात को मार्गदर्शी सिद्धान्त के रूप में अपनाया गया। परिसीमन आयोग ने इस तथ्य की पूर्ण तथा उपेक्षा की है। अर्थात् अनुसूचित जातियों को जन-संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए। अनुसूचित जन-जातियों को प्रतिनिधित्व देने के मामले में यह कसौटी रखी गई थी कि कुल जन-संख्या के अनुपात में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व जहां तक संभव हो सके सब से अधिक रखा जाए आयोग ने एक विशिष्ट राज्य में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों की सीटों की संख्या के बारे में निर्णय किया है लेकिन साथ ही उन्होंने अनुसूचित जातियों के लिए जिलावार आबंटन किया है। यह बहुत गलत बात है। सभी राज्यों में जिलों की संख्या एक समान नहीं है यदि जिले को आप एक यूनिट मानते हैं तो यह कोई सार्थक विचार नहीं होगा।

प्रतिनिधित्व देने का अर्थ समाज के विशिष्ट वर्गों को प्रतिनिधित्व देने से है। आरक्षण बारी-बारी से होना चाहिए और यह किसी और क्षेत्र के लिये भी बदला जा सकता है। लेकिन यह ऐसा नहीं कर रहे। न तो अधिनियम में और न ही नियमों में स्थिति में सुधार के लिये कुछ उपबंध है। इस संबन्ध में कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाए जाएं ताकि आरक्षण बारी-बारी से बदलने के आधार पर किया जाये। मंत्री महोदय को इस सुझाव की क्रियान्वित कराने के लिए रूपरेखा तैयार करनी चाहिए।

श्री बी० के० दास चौधरी (कूच बिहार) : मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वह उस अनुसूची पर ध्यान दे जो प्रकाशित करके हमें दी गई है।

प्रथम अनुसूची में अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित सीटों की कुल प्रस्तावित सख्या विद्यमान 41 सीटों की संख्या की अपेक्षा 38 दर्शाई गई है। अतः यह स्पष्ट है कि सीटों की संख्या कम हो गई है। विधेयक में इस बात की व्यवस्था की गई है कि अरुणाचल प्रदेश के लिए सीटों की कुल संख्या 2 होगी। लेकिन विद्यमान ढांचे में सीटों की कुल संख्या एक है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार मेघालय के लिए दो सीटें हैं और दो सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। लेकिन प्रस्तावित संशोधन में सीटों की कुल संख्या 2 ही रखी गई है। लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया कि क्या यह सीटें अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जन-जातियों के लिए ही है।

जहां जोड़ दिखाया गया है उस में अनुसूचित जातियों के लिए 38 के बजाए 43 लिखा हुआ है। लगता है कि छपाई में कुछ गलती हैं। अनुसूचित जन-जातियों के लिए सीटों की कुल संख्या 49 से घटाकर 38 कर दी गई है जबकि सीटों की कुल संख्या 522 से बढ़ाकर 542 की जा रही है। लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जातियों के मामले में मुश्किल से एक आध सीट बढ़ाई गई है। इधर-उधर कुछ गलतियां हैं। कुछ गणना संबधी हैं। यह सब सच है कि परिसीमन आयोग ने जन-गणना रिपोर्ट के आधार पर अपनी सिफारिशें दी हैं। और उसी आधार पर यह विधेयक यहां पुरः-स्थापित किया गया।

मंत्री महोदय को इन दो बातों पर विचार करना चाहिए कि भविष्य में जनगणना के लिये किस प्रकार बेहतर व्यवस्था की जा सकती है तथा समाज को कमजोर वर्गों को किस प्रकार उचित प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है ।

अनुसूचित जातियों के कुल प्रतिनिधित्व में दो या तीन स्थान और बढ़ाये जाने चाहिए थे । पश्चिम बंगाल से लोक सभा के लिए स्थानों की संख्या 40 से बढ़ाकर 42 की जा रही है और विधान सभा की सदस्य संख्या 280 से बढ़ाकर 394 की जा रही है । विधान सभा के लिए बढ़ाये जाने वाले की जनसंख्या 26.8 प्रतिशत है । केवल तीन स्थानों की वृद्धि क्यों की जा रही है; चार स्थान क्यों नहीं दिए जा रहे हैं ? कम-से-कम 25 प्रतिशत वृद्धि तो होनी ही चाहिए । संविधान के अनुच्छेद 333 के अन्तर्गत इसे 'जितना अधिक हो सके' अभिव्यक्त नहीं करना चाहिए बल्कि यह जनगणना के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों की आनुपातिक संख्या के अनुसार होनी चाहिए ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० बी० ए० सैयद मोहम्मद) : इस अधिनियम से परिसीमन आयोग के निष्कर्षों और सिफारिशों को लागू किया जाएगा । जनगणना के आधार पर कुछ गलत अनुमान लगाया जाना सम्भव हो सकता है । परिसीमन अधिनियम में तीन सदस्यीय आयोग के गठन का उपबन्ध है । जिन में से दो तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और एक निर्वाचन आयुक्त होगा । सह-सदस्यों की भी व्यवस्था है---जो प्रत्येक राज्य के 5 संसद् सदस्य और 5 विधायक होंगे । आयोग को विस्तृत प्रक्रिया सम्बन्धी तथा अन्य अधिकार दिए गए हैं । और अन्ततः आयोग द्वारा किए गए निष्कर्ष और सिफारिशें हैं । लेकिन इसका समाधान या तो परिसीमन अधिनियम का संशोधन कर या कोई अन्य प्रक्रिया या तरीके निकाल कर किया जाना चाहिए । इस साधारण विधेयक से परिसीमन आयोग के विरुद्ध की गई शिकायतों का हल नहीं निकलेगा ।

आयोग ने अद्यतन जनगणना प्रतिवेदन के आधार पर ही अपने निष्कर्ष दिये हैं । जनगणना प्रतिवेदन आयोग द्वारा तैयार नहीं किया गया है । यह तो जनगणना आयुक्त ने तैयार किया है । कुछ मामलों में केवल अनुसूचित जातियों पर ही नहीं अन्य का प्रतिनिधित्व भी कम किया गया है इसमें परिसीमन आयोग का दोष नहीं है ।

आयोग को निर्णय जनगणना आयुक्त के प्रतिवेदन के आधार पर तैयार करने पड़ते हैं । चूंकि कतिपय राज्यों में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन-जातियों के लिए कुछ थोड़े से स्थान कम कर दिये गये हैं इसलिए यह अनुमान लगा लेना गलत है कि परिसीमन आयोग की जांच अथवा प्रक्रिया में कमी रह गई है । अनेक सदस्यों ने निर्वाचन विधि में आय सुधारों की या बंगाल की घटनाओं की चर्चा की है। उनका इस अधिनियम से कोई सम्बन्ध नहीं ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 7 , प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और नाम विधेयक का अंग बने । " :

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 2 से 7, प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, खंड 1, अधिनियम सूत्र और नाम को विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 2 to 7, the first Schedule, the Second Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

डा० वी० ए० सैयद मुहम्मद : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "विधेयक को पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

राज्य क्षेत्रीय सागर खंड, महाद्वीपीय मग्नतट-भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र विधेयक
TERRITORIAL WATERS, CONTINENTAL SHELF, EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE AND OTHER MARITIME ZONES BILL

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राज्य क्षेत्रीय सागर खण्ड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र सम्बन्धी कतिपय मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

यह विधेयक संविधान (40 वा संशोधन) अधिनियम 1976 के जिसे संसद में 27 मई, 1976 को पास किया था, परिणाम स्वरूप, लाया गया है। इसमें विभिन्न सामुद्रिक क्षेत्रों पर भारत के अधिकार, क्षेत्राधिकार और नियंत्रण करने की व्यवस्था है। इसमें सामान्य कानूनी ढांचे का उपबन्ध है जिसके अन्तर्गत विशेष संसाधनों या पैट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, खनिज या मत्स्य पालन जैसे विशेष संसाधनों के किसी समूह विशेष की खोज अथवा उनके निकालने के लिए पृथक उपबंध किया जा सकता है।

यह विधेयक हमारे राष्ट्रीय हितों के लिए काफी महत्व रखता है। भारत का कुल तट क्षेत्र 4000 मील से अधिक है। हमारे पास 1282 से अधिक छोटे-बड़े द्वीप हैं। इनमें से आधे अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और आधे लक्षद्वीप के नाम से जाने जाते हैं। हमारी महाद्वीपीय मग्नतट भूमि जिसमें उंचाई और निचाई दोनों को मिलाकर महाद्वीपीय क्षेत्र कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में इस भूमि के विशाल क्षेत्र हैं। बंगाल की खाड़ी के समुद्रतल की कई विशेषताएं हैं। महाद्वीपीय मग्नतट भूमि का सिद्धान्त हमारे लिए राष्ट्रीय हित का विषय है क्योंकि इसमें भारत का आर्थिक विकास द्रुतगति से होने लगेगा।

भारत के तट दूर क्षेत्र भी मत्स्य संसाधनों से समृद्ध हैं। अतः 200 मील का आर्थिक क्षेत्र न केवल हमारे बल्कि सभी विकासशील देशों के हित में है।

पृथक आर्थिक क्षेत्र का सिद्धान्त सबसे पहले विकासशील देशों द्वारा समुद्री संसाधनों के अधिक युक्तिपूर्ण ढंग से वितरण के लिए बनाया गया था। अब इसे विश्वव्यापी सहमति मिल गई है। हमारा अनन्य आर्थिक क्षेत्र खनिज साधनों से समृद्ध है। भारतीय समुद्र किनारों का क्षेत्र मत्स्य पालन के मामले में बहुत समृद्ध है। इस उद्योग को बढ़ावा देकर हम अपनी जनता को सस्ता प्रोटीन युक्त भोजन दे सकते हैं। अतः 200 मील का आर्थिक क्षेत्र न केवल हमारे हित में, है बल्कि सभी विकासशील देशों के हित में है।

1973 से समुद्र सम्बन्धी कानून के बारे में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की कार्यवाही से स्पष्ट है। अब तक इस सम्मेलन के चार सत्र हो चुके है और पांचवा सत्र इस समय न्यूयार्क में चल रहा है। इसकी पहली महत्वपूर्ण सफलता है 200 समुद्री मीलों तक के आर्थिक क्षेत्र की स्थापना, जिसमें तटवर्ती राज्यों को जड़ तथा जीवित संसाधन निकालने के लिए पूर्ण अधिकार प्राप्त होना है। वैज्ञानिक अनुसंधान और जहाजरानी से होने वाले दूषण के सम्बन्ध में भी उस राज्य का ही अधिकार होगा।

इसीलिए बहुत से देशों ने अपने-अपने क्षेत्र में अपना क्षेत्राधिकार स्थापित करने के लिए कदम उठाये हैं।

समुद्र सम्बन्धी कानून के बारे में सम्मेलन के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए तथा राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अन्य राज्यों द्वारा उठाये गये कदमों को देखते हुए हमने अपनी स्थिति पर विचार किया है। क्षेत्रीय समुद्र की बाहरी सीमाओं और महाद्वीपीय मग्नतट भूमि का प्रशासन इस समय राष्ट्रपति की उद्घोषणाओं द्वारा विनियमित होता है। हमें महाद्वीपीय मग्नतट भूमि में पैट्रोलियम की खोज के लिए कानून बनाने की आवश्यकता है। अतः हमारे संविधान के अनुच्छेद 297 का हाल ही में संसद द्वारा संशोधन किया गया है। संविधान (40 वां संशोधन) अधिनियम, 1976 के अनुसार प्रादेशिक समुद्र अथवा महाद्वीपीय मग्नतट भूमि अथवा पृथक आर्थिक क्षेत्र पर संघ का अधिकार होगा और संघ ही उसमें कार्य कर सकेगा।

वर्तमान विधेयक की धारा 3 (2) द्वारा भारत के क्षेत्रीय समुद्र की सीमा उचित स्थानों से 12 समुद्री मील तक बढ़ा दी गई है।

धारा 5 में निकटस्थ क्षेत्र का उपबंध है, जो राज्य क्षेत्रीय सागर खण्ड से परे और उससे लगा क्षेत्र है, परन्तु उसे आधार पंक्ति से जिससे क्षेत्रीय सागर खण्ड की सीमाओं को मापा जाता है। उसे 24 मील आगे बढ़ा दिया गया है। इस क्षेत्र में सुरक्षा, सफाई, सीमा शुल्क और अन्य वित्तीय मामलों में भारत का क्षेत्राधिकार होगा।

भारतीय मग्नतट भूमि की व्याख्या धारा 6 में की गई है। इसमें समुद्रतल और भूगर्भीय अन्तर्-समुद्रीय क्षेत्र शामिल है जिसे राज्य क्षेत्रीय सागर खण्ड की सीमाओं तक बढ़ा दिया गया है। यह सीमा वृद्धि आधार पंक्ति से 200 समुद्री मील दूर तक है।

धारा 7 भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र से सम्बन्धित है। यह उचित आधार पंक्ति से 200 समुद्री मील तक माना गया है। इस क्षेत्र में भारत को वे स्वयत्तता पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं, जिनका उल्लेख धारा 7 (4) में किया गया है। ये अधिकार नकली द्वीप बनाने, मशीने लगाने और ढांचे तैयार करने, वैज्ञानिक खोज करने और समुद्र दूषण नियंत्रण के बारे में हैं। विधेयक में ऐतिहासिक समुद्र क्षेत्र सीमाओं का भी उल्लेख है, जिस पर भारत की स्वायत्तता है।

धारा 2 के अन्तर्गत निकटस्थ क्षेत्र तथा अनन्य आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी विधेयक के उपबंध उस तिथि या उन विभिन्न तिथियों से प्रवृत्त होंगे, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत किये जायेंगे । इससे हमें निकटस्थ क्षेत्र और अनन्य आर्थिक क्षेत्र संबंधी समुद्र विधि के बारे में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में विचार-विमर्श के परिणामों की ओर जांच करने का अवसर मिलेगा । इस विधेयक के अन्य उपबंध संसद की दोनों सभाओं द्वारा विधेयक पास किये जाने और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने के तुरन्त बाद लागू होंगे ।

इस लिए अब मैं राज्य क्षेत्रीय सागर खण्ड, महाद्वीपीय मग्नतट-भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र विधेयक, 1976 को माननीय सभा द्वारा विचार तथा पास करने के लिए प्रस्तुत करता हूं ।

श्री जगन्नाथ राव (छतरपुर) : इस विधेयक का समर्थन करते हुए में कुछ सामान्य टिप्पणियां करना चाहता हूं । 1950 में संविधान के अनुच्छेद 247 में महाद्वीपीय मग्नतट भूमि का कोई उल्लेख न था अब उसे इस विधेयक में शामिल किया गया है । 1950 के बाद से अन्तर्राष्ट्रीय विधि और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में बहुत परिवर्तन आ गया है ।

मंत्री जी ने कहा है कि विधेयक के खण्ड 6 और 7 केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिघोषित तारीख को प्रवृत्त होंगे । लेकिन इसे किसी अगली तारीख से लागू करने का क्या अभिप्राय: है । विधेयक के पास होने के साथ ही ये उपबंध भी लागू होने चाहियें ।

सामुद्रिक विधि सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय ने राज्य क्षत्रीय सागर खण्डों को परिभाषित करने तथा उनकी सीमाएं निर्धारित करने के बारे में सहमति व्यक्त की थी । महाद्वीपीय मग्नतट भूमि तथा अनन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार 200 समुद्री मील तक किया गया है । इस बारे में सभी एकमत हैं । सम्भवतया हम मित्र देशों को यह कहकर अप्रसन्न नहीं करना चाहते कि ये दो खण्ड भी उसी दिन लागू होंगे जिस दिन राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति देंगे ।

अब चल रहे सामुद्रिक विधि सम्मेलन में राज्य क्षेत्रीय सागर खण्ड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि तथा अनन्य आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी मामलों पर लगभग सहमति हो गई है। कुछ काम अभी रह गया है । फिर भी प्राप्ति काफी महत्वपूर्ण है । सामुद्रिक वातावरण के बारे में निर्णय करना अभी बाकी है ।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समुद्र तट के आर्गनिक तथा गैर आर्गनिक संसाधनों समेत सभी संसाधनों का उपयोग कैसे हो और कौन इनका उपयोग करे, यह बहुत ही नाजुक प्रश्न है । जब तक इसका फैसला नहीं होता तब तक तटीय राज्यों द्वारा इनका उपयोग नहीं किया जा सकता ।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात समुद्रीय अनुसंधान है । हमारे यहां देश में समुद्रीय प्रौद्योगिकीय का सर्वथा अभाव है । केवल मछली पकड़ने आदि सम्बंधी कुछ प्रौद्योगिकीय ज्ञान हमारे यहां उपलब्ध है । हम गहरे समुद्र के खनिज संसाधनों का उपयोग करने के ज्ञान से अनभिज्ञ हैं। इस बारे में भी अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय बड़ा चिंतित है । इस प्रकार के बहुत से मामले सम्मेलन के सामने विचाराधीन हैं ।

इस बीच हमें समुद्र तट के संसाधनों का उपयोग करने के प्रौद्योगिकीय ज्ञान का विकास करना चाहिये। इस समय अमरीका, सोवियत संघ और शायद जापान के पास ऐसी प्रौद्योगिकी विद्यमान है। महाद्वीपीय मग्नतट भूमि से गहरे समुद्र में आलू के आकार के पिंड हैं जिनमें तांबा निकल, कोबाल्ट जैसे बहुमूल्य खनिज भरे हैं। अमरीका शायद इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय संसाधन प्राधिकरण बनाना चाहता है ताकि वह अन्य देशों के संसाधनों में भी हिस्सा ले सके।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य कल अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार 17 अगस्त, 1976/26 श्रावण, 1898 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Tuesday the 17th August, 1976/26 Sravana, 1898 (Saka).

641LSS/76.—200-15-10-76—GIPF